हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2012–2013

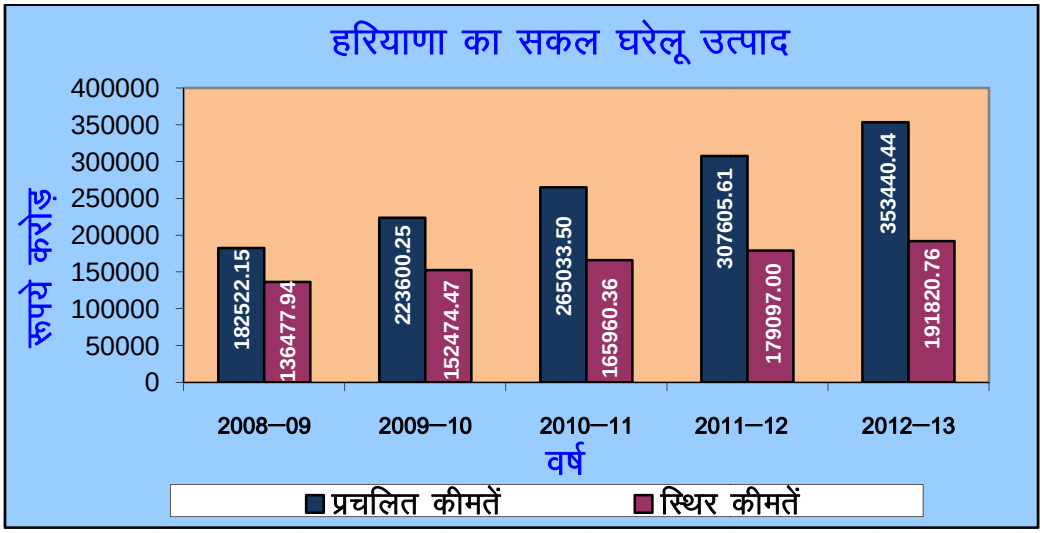

जारीकर्ता:

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

हरियाणा

2013

प्रकाशन संख्या –1040

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2012–13

जारीकर्ता:
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकुला
2013

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा एक दृष्टि में	(i-vi)
1.	अर्थ व्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1—3
2.	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण	4—14
3.	कीमतें एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	15—17
4.	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	18—29
5.	उद्योग क्षेत्र	30—34
6.	सेवा क्षेत्र	35—37
7.	ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, परिवहन एवं भण्डारण	38—48
8.	सामाजिक क्षेत्र	49—79
9.	योजना नीति एवं समीक्षा	80—85
अनुलग्नक		86—102

***

हरियाणा एक दृष्टि में

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
1	**भौगोलिक क्षेत्र**		वर्ग कि.मी.	44,212
2	**प्रशासनिक ढांचा**		संख्या	
	(क) मण्डल			4
	(ख) जिले			21
	(ग) उप–मण्डल			57
	(घ) तहसीलें			78
	(ड़) उप–तहसीलें			43
	(च) खण्ड			124
	(छ) कस्बे	जनगणना 2011(अ)		154
	(ज) गांव (गैर आबादी सहित)	जनगणना 2011(अ)		6,841
3	**जनसंख्या**	जनगणना 2011(अ)	संख्या	
	(क) कुल			2,53,53,081
	(ख) पुरूष			1,35,05,130
	(ग) स्त्रियाँ			1,18,47,951
	(घ) ग्रामीण			1,65,31,493
	(ड़) शहरी			88,21,588
	(च) जनसंख्या घनत्व		प्रति वर्ग कि.मी.	573
	(छ) साक्षरता दर		प्रतिशत	76.64
	(ज) लिंग अनुपात		हजार पुरूषों पर स्त्रियां	877
	(झ) ग्रामीण जनसंख्या		प्रतिशत	65.21
4	**स्वास्थ्य आंकड़े**	2010	प्रति हजार	
	(क) जन्म दर			
	(i) इक्टठी			22.3
	(ii) ग्रामीण			23.3
	(iii) शहरी			19.8
	(ख) मृत्यु दर			
	(i) इक्टठी			6.6
	(ii) ग्रामीण			7.0
	(iii) शहरी			5.6

क्र.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
	(ग) बाल मृत्यु दर	2010	प्रति हजार	
	(i) इक्टठे			48
	(ii) ग्रामीण			51
	(iii) शहरी			38
	(घ) मातृ मृत्यु दर (एम0एम0आर0)	2007–09	1 लाख जिन्दा जन्म के ऊपर मृत्यु	153
5	**राज्य आय (चालू कीमतों पर)**	2011–12 (द्रु.अ.)	रूपये करोड़	
	(क) राज्य सकल घरेलू उत्पाद			3,07,605.61
	(ख) कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद			65,192.43
	(ग) उद्योग क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			86,752.11
	(घ) सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			1,55,661.07
	(ड़) प्रति व्यक्ति राज्य आय		रूपये में	1,09,064
6	**भूमि उपयोग**	2010–11	हजार हैक्टेयर	
	(क) निवल बोया गया क्षेत्र			3,518
	(ख) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			2,987
	(ग) कुल बोया गया क्षेत्र			6,505
	(घ) निवल बोए गए क्षेत्र की कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशतता		प्रतिशत	79.57
	(ड) एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र की निवल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता		प्रतिशत	84.91
7	**मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र**	2010–11	हजार हैक्टेयर	
	(क) चावल			1,243
	(ख) गेंहू			2,504
	(ग) जवार			71
	(घ) बाजरा			660
	(ड़) सभी अनाज			4,525
	(च) सभी दालें			176
	(छ) सभी खाद्यान्न			4,700
	(ज) गन्ना			84
	(झ) कपास			493
	(ञ) मूंगफली इत्यादि			2

क्र.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
8	**मुख्य फसलों का उत्पादन**	2010–11	हजार टन	
	(क) चावल			3,465
	(ख) गेंहू			11,578
	(ग) जवार			38
	(घ) बाजरा			1,183
	(ड़) सभी अनाज			16,413
	(च) सभी दालें			153
	(छ) सभी खाद्यान्न			16,566
	(ज) गन्ना			604
	(झ) कपास		170 कि.ग्रा. की गांठें हजार में	1,747
	(ञ) मूंगफली इत्यादि		हजार टन	2
9	**मुख्य फसलों की उपज**	2010–11	कि0ग्रा0 / हैक्टे.	
	(क) चावल			2,788
	(ख) गेंहू			4,624
	(ग) जवार			535
	(घ) बाजरा			1,792
	(ड़) गन्ना			7,108
	(च) कपास		170 कि.ग्रा. की गांठें हजार में	510
	(छ) मूंगफली इत्यादि		किलो / हैक्टे.	1,039
10	**चालू जोतें**	2010–11 कृषि गणना		
	(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या	16,17,311
	(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,646
	(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.25
11	**सहकारिता**	2011–12		
	(क) कुल सहकारी समितियों की संख्या		संख्या	35,293
	(ख) सहकारी समितियों की कुल सदस्य संख्या		संख्या	46,31,912
	(ग)सहकारी समितियों की कुल कार्य पूंजी		रूपये करोड़	13,978.95
12	**पशुधन**	2007	संख्या	
	(क) पशु			15,52,361
	(ख) भैंसे			59,53,228
	(ग) बकरियां			5,38,320
	(घ) कुक्कुट			2,87,85,497

क्र.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
13	**पशु चिकित्सा**	2011–12	संख्या	
	(क) अस्पताल			943
	(ख) डिस्पैंसरियां			1,809
14	**दूध एवं अण्डे का उत्पादन**	2011–12		
	(क) अनुमानित दूध उत्पादन		लाख टन	66.61
	(ख) प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता		ग्राम	708
	(ग) अण्डा उत्पादन		संख्या लाख में	41,140
15	**वन**	2011–12		
	(क) वनों के अधीन क्षेत्र		प्रतिशत	3.96
	(ख) मुख्य वन उत्पादों की कीमत		रूपये हजार	4,00,333
16	**विद्युत**	2010–11		
	(क) लगाई गई कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	5,997.83
	(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	2,96,623
	(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	2,40,125
17	**उद्योग**	दिसम्बर, 2011	संख्या	
	(क) रजिस्टर्ड फैक्टरियों की संख्या			10,580
	(ख) फैक्टरियों में लगाए गए कार्यकर्ता			7,94,308
18	**परिवहन**	2010–11	संख्या	
	(क) वाहन			
	(i) कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या			5,55,894
	(ii) सड़क पर वाहनों की संख्या			53,77,003
	(ख) सड़कें	2011–12	किलोमीटर	
	(i) सड़कों की कुल लम्बाई			25,796
	(ii) कच्ची सड़कें			326
	(iii) राष्ट्रीय उच्च मार्ग			1,518
	(iv) राज्य उच्च मार्ग			2,521
19	**पर्यटन**	2011–12	संख्या	
	(क) पर्यटन स्थल			43
	(ख) विदेशी सैलानी			2,20,241
	(ग) भारतीय सैलानी			62,16,724

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
20	**रोजगार**		संख्या	
	(क) रोजगार केन्द्रों की संख्या	दिसम्बर, 2011		56
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार	2011–12		3,74,031
	(ग) निजी क्षेत्र में रोजगार			3,75,123
	(घ) कुल रोजगार			7,49,154
	(ड) हरियाणा राज्य का अमला	मार्च, 2010		3,26,021
21	**स्वास्थ्य**	2011–12	संख्या	
	(क) सरकारी हस्पताल			69
	(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			429
	(ग) डिस्पैंसरियां			193
	(घ) बैडस की संख्या			10,028
22	**शिक्षा**			
	(क) संस्थान	2011–12	संख्या	
	(i) प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विधालय			14,469
	(ii) माध्यमिक विधालय			3,610
	(iii) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			6,983
	(ख) दाखिला	2011–12	संख्या	
	(i) प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विधालय			24,43,613
	(ii) माध्यमिक विधालय			12,80,868
	(iii) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			28,02,754
23	**तकनीकी शिक्षा**	2011–12	संख्या	
	(क) तकनीकी संस्थानों में सीटें			1,88,551
	(ख) छात्र			1,41,413
	(ग) छात्राएं			47,138
24	**बैंक**	2011–12		
	(क) अनुसूचित बैंक		संख्या	2,882
	(ख) जमा		रूपये करोड़	1,46,703
	(ग) साख		रूपये करोड़	1,49,790
25	**वृद्धा–अवस्था पैंशन**	2011–12		
	(क) लाभार्थी		संख्या	13,22,569
	(ख) राशि वितरित		रूपये करोड़	907.84

क्र.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
26	**राज्य सरकार की प्राप्तियाँ तथा व्यय**	2012–13 (ब.अ.)	रूपये करोड़	
	(क) कुल राजस्व प्राप्तियाँ			37,327.97
	(अ) केन्द्रीय करों से हिस्सेदारी			3,179.90
	(आ) राज्य कर			23,873.28
	(इ) राज्य का अपना कर–भिन्न राजस्व			4,804.54
	(ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता व अनुदान			5,470.25
	(ख) कुल राजस्व व्यय			39,783.52
	(अ) सामान्य सेवाएं			12,331.44
	(आ) समाजिक सेवाएं			15,934.80
	(इ) आर्थिक सेवाएं			11,347.74
	(ई) अन्य			169.54
27	**राज्य योजनाएं**		रूपये करोड़	
	(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय	2007–12		35,000
	(ख) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2007–08		5,500
	(ग) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2008–09		7,130
	(घ) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2009–10		10,400
	(ड) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2010–11		*18,260
	(च) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2011–12		*20,330
	(छ) 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–17		*1,76,760
	(ज) वार्षिक योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–13		*26,485

अः अनन्तिम
द्रु.अ.: द्रुत अनुमान
ब:अः बजट अनुमान
सं: संशोधित
* पी.एस.यू. एवं स्थानीय निकायों का परिव्यय शामिल है

***

1

अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

आर्थिक परिदृश्य

हरियाणा ने 1966 में अपने गठन के समय से ही अदभुत आर्थिक विकास किया है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 1966–67 से 2004–05 तक 6.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। पिछले 7 वर्षों (2005–06 से 2011–12) में राज्य की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक 9.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.3 प्रतिशत का छोटा सा राज्य है, परन्तु 2011–12 के द्रुत अनुमानों (द्रु.अ.) के अनुसार राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2004–05) कीमतों पर 3.4 प्रतिशत का योगदान दर्ज किया गया है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा साधन लागत पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों कीमतों पर तैयार करता है। वर्ष 2011–12 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्रुत अनुमान (द्रु.अ.) के आधार पर 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.2 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक है।

1.3 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के प्रथम दो वर्षों 2007–08 तथा 2008–09 में राज्य की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में वर्ष 2007–08 के दौरान 0.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि तथा विनिर्माण क्षेत्र में 2008–09 में बहुत कम 2.6 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद क्रमशः 8.4 तथा 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में क्रमशः 13.6 तथा 11.6 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर के कारण राज्य अर्थव्यवस्था ने 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की है। वर्ष 2009–10 के दौरान सेवा क्षेत्र में 17.0 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र में 11.4 प्रतिशत की बढ़िया वृद्धि के कारण राज्य अर्थव्यवस्था ने शानदार 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की। वर्ष 2010–11 के दौरान कृषि (5.4 प्रतिशत) तथा उद्योग (7.3 प्रतिशत) क्षेत्रों में कम वृद्धि दर दर्ज होने के बावजूद राज्य की विकास दर 8.8 प्रतिशत रही।

1.4 लगातार दो वर्षों तक दर्ज की गई उत्कृष्ट वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2011–12 में राज्य के आर्थिक विकास की दर कुछ धीमी पड गई। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद चालू और स्थिर (2004–05) भावों पर **तालिका 1.1 एवं आकृति 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1– राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(रूपये करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 द्रुःअः
चालू मूल्य पर	151595.90	182522.15	223600.25	265033.50	307605.61
स्थिर मूल्य (2004–05) पर	126170.76	136477.94	152474.47	165960.36	179097.00

द्रुतः अनुमान

1.5 चालू कीमतों पर वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,65,033.50 करोड़ था जो 2011–12 (द्रुत अनुमान) में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि से बढकर 3,07,605.61 करोड. रूपये हो गया। वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 1,65,960.36 करोड़ रूपये का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 2011–12 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 1,79,097.00 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। वर्ष 2011–12 के दौरान अचल सम्पत्ति एवम् आवासों के स्वामित्व (3.7 प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन (4.1 प्रतिशत), विनिर्माण (3.3 प्रतिशत), निर्माण (6.3 प्रतिशत), बिजली, गैस और जल

आपूर्ति क्षेत्र (6.8 प्रतिशत) में कम वृद्धि के बावजूद कृषि (8.6 प्रतिशत), व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट (9.0 प्रतिशत), अन्य तरीकों से परिवहन (8.6 प्रतिशत), बैंकिंग और बीमा (28.5 प्रतिशत) तथा अन्य सेवा क्षेत्रों (8.7 प्रतिशत) की प्रोत्साहित वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा सकी **(तालिका 1.2)** ।

तालिका 1.2–11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

(प्रतिशत)

उद्योग	**2007–08**	**2008–09**	**2009–10**	**2010–11 सं अ.**	**2011–12 द्रु.अ.**
कृषि तथा कृषि सहबद्ध गतिविधियां	–0.1	7.2	–1.4	5.4	8.3
खनन एवं उत्खनन	3.8	–7.8	–49.6	–57.2	10.9
विनिर्माण	8.4	2.6	10.6	8.1	3.3
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	8.7	9.7	21.2	5.8	6.8
निर्माण	2.3	4.7	13.1	6.8	6.3
परिवहन, संचार एवं व्यापार	15.5	10.5	17.3	12.3	9.0
वित्त एवं भू–सम्पदा	13.3	8.8	13.9	13.2	12.7
सार्वजनिक प्रशासन	6.6	25.4	10.8	7.0	4.1
अन्य सेवाएं	8.2	19.0	25.7	0.5	8.7
समुदाय एवं निजी सेवाएं	7.7	20.9	21.1	2.3	7.3
कुल सकल घरेलू उत्पाद	8.4	8.2	11.7	8.8	7.9

संः अः संशोधित अनुमान, द्रु.अ.ः द्रुत अनुमान

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 4 वर्षों की अवधि में हरियाणा राज्य की औसत वृद्धि दर 9.3 प्रतिशत रही जो भारत की अर्थ–व्यवस्था में औसत वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत से अधिक थी। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किये गये 2011–12 के द्रुत अनुमानों (2004–05) स्थिर मूल्यों के अनुसार भारतीय अर्थ–व्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (7.9 प्रतिशत) की तुलना में 1.7 अंक कम है। इससे स्पष्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य की अर्थ–व्यवस्था का सुदृढता से विकास हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिर मूल्यों (2004–05) पर राज्य व भारतीय अर्थ–व्यवस्था की विकास दर **आकृति 1.2** में दर्शायी गयी है।

1.7 ***अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किये गये वर्ष 2012–13 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दौरान चालू कीमतों पर राज्य में सकल घरेलू उत्पाद 3,53,440.44 करोड रूपये दर्ज किया गया है जो कि 14.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2012–13 में वास्तविक सकल घरेलू उतपाद 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्थिर (2004–05) मूल्यों पर 1,91,820.76 करोड रूपये पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि यह वृद्धि दर अखिल भारतीय वृद्धि दर 5.0 प्रतिशत से अधिक है। राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत की कम वृद्धि का मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र (2.8 प्रतिशत), व्यापार होटल व रेस्टारेंट क्षेत्र (5.9 प्रतिशत) तथा कृषि (1.9 प्रतिशत) की धीमी वृद्धि रहा है।***

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.8 पिछले 46 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन आया है। हरियाणा राज्य के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों (कृषि, वन एवं मत्स्य पालन) का स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 60.7 प्रतिशत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद सेवा (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग (17.6 प्रतिशत) क्षेत्र का योगदान रहा। उस समय कृषि क्षेत्र की प्रधानता कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव होने के कारण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का मुख्य कारण थी। इसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ तथा यह बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा।

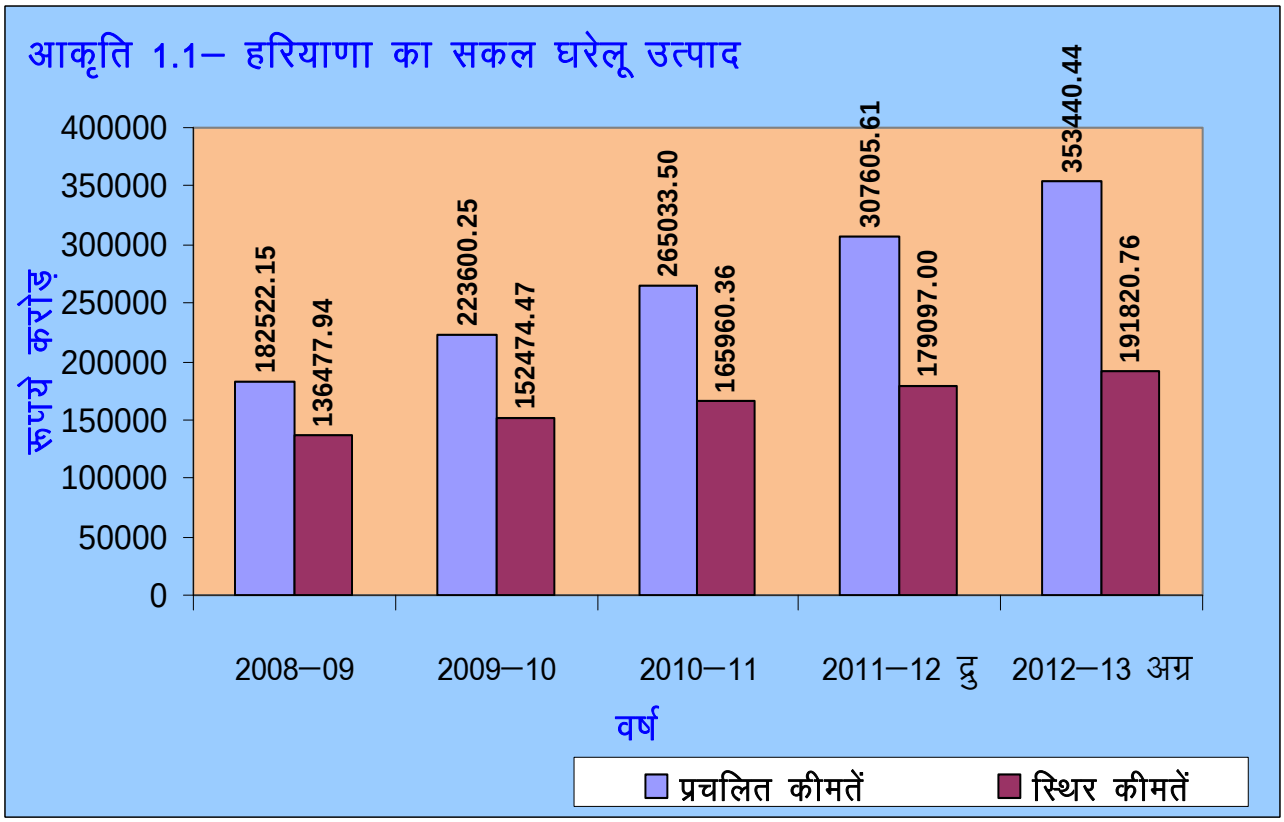
आकृति 1.1– हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
रुपये करोड़
182522.15
136477.94
223600.25
152474.47
265033.50
165960.36
307605.61
179097.00
353440.44
191820.76
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 द्रु
2012–13 अग्र
वर्ष
प्रचलित कीमतें
स्थिर कीमतें

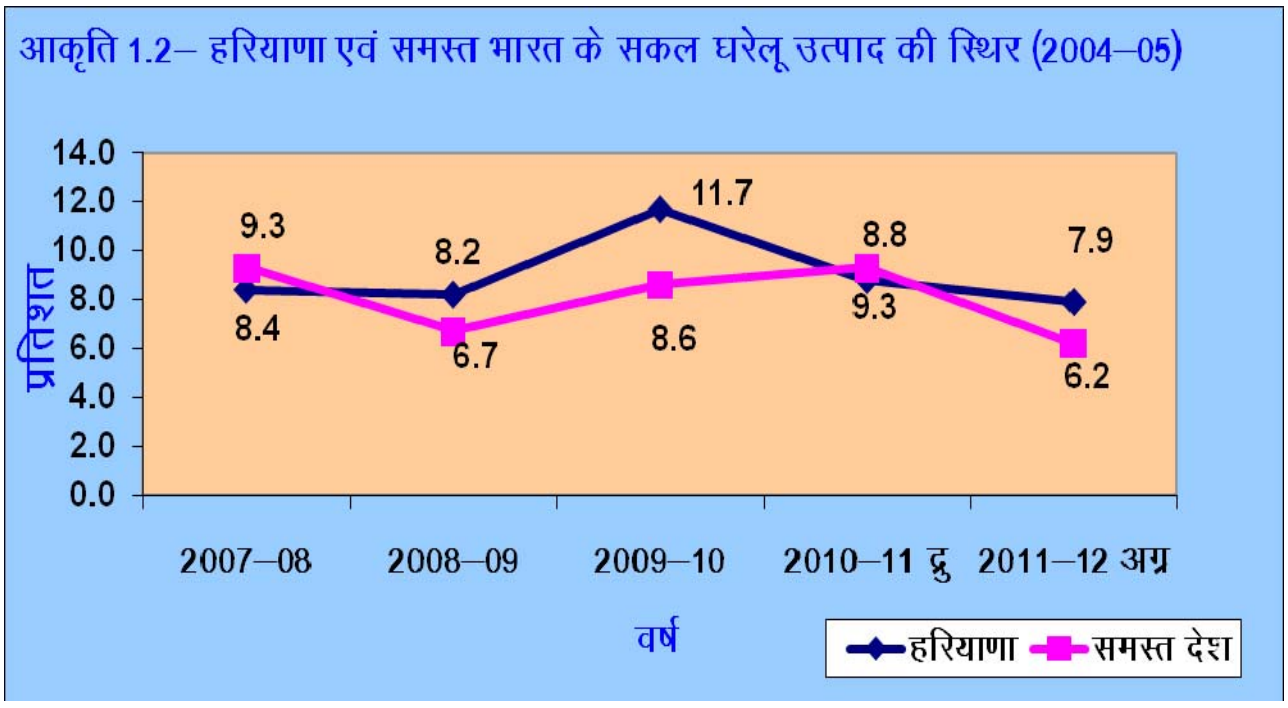
आकृति 1.2– हरियाणा एवं समस्त भारत के सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर (2004–05)
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
प्रतिशत
9.3
8.4
8.2
6.7
11.7
8.6
8.8
9.3
7.9
6.2
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11 द्रु
2011–12 अग्र
वर्ष
हरियाणा
समस्त देश

आकृति 1.3– राज्य सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रानुसार स्थिर (2004–05) कीमतों पर वृद्धि दर

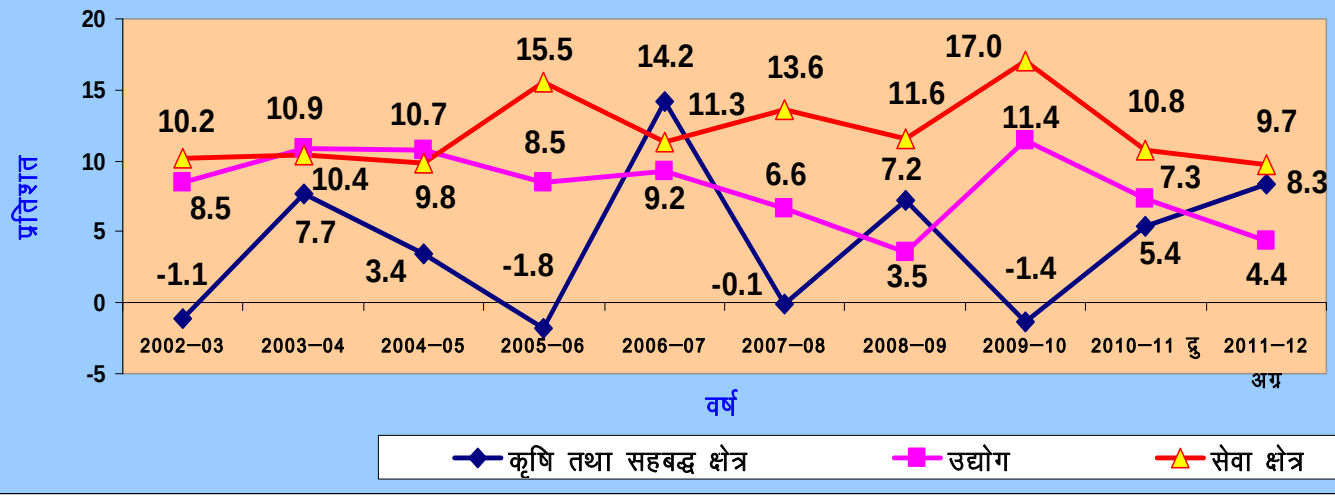

आकृति 1.4– राज्य सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रानुसार संरचना में परिवर्तन

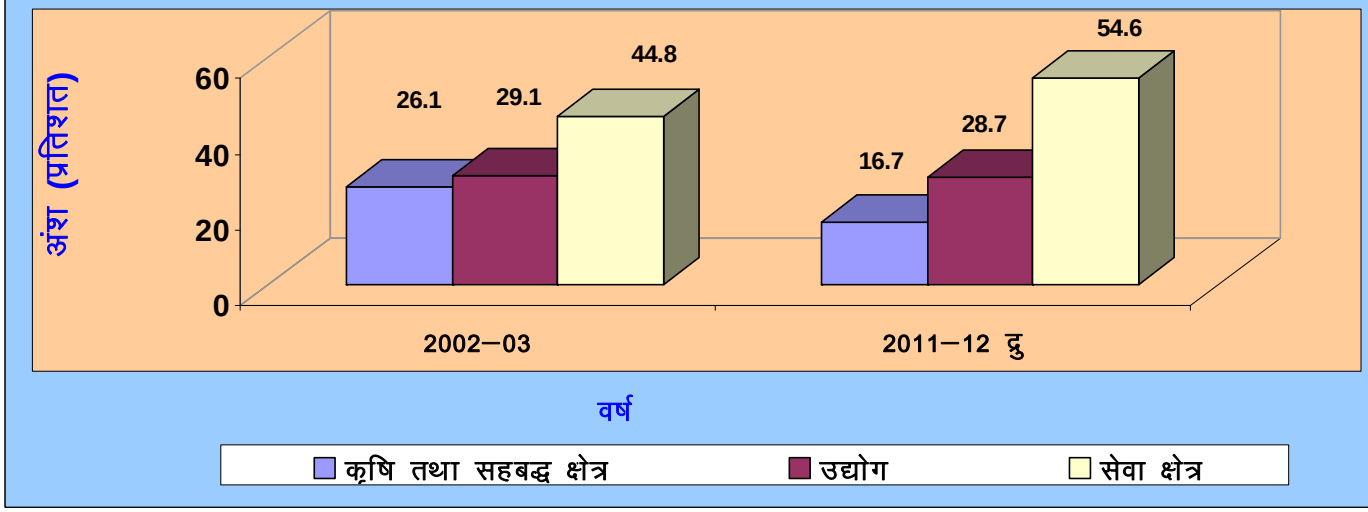

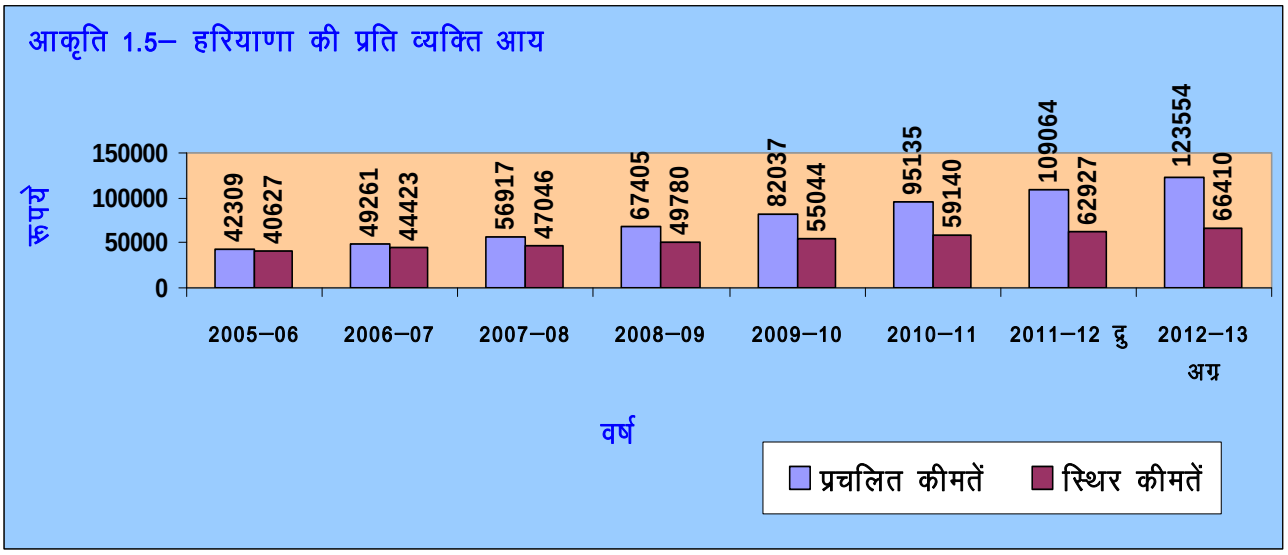
आकृति 1.5– हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय
रूपये
150000
100000
50000
0
42309
40627
49261
44423
56917
47046
67405
49780
82037
55044
95135
59140
109064
62927
123554
66410
2005–06
2006–07
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 द्रु
2012–13 अग्र
वर्ष
प्रचलित कीमतें
स्थिर कीमतें

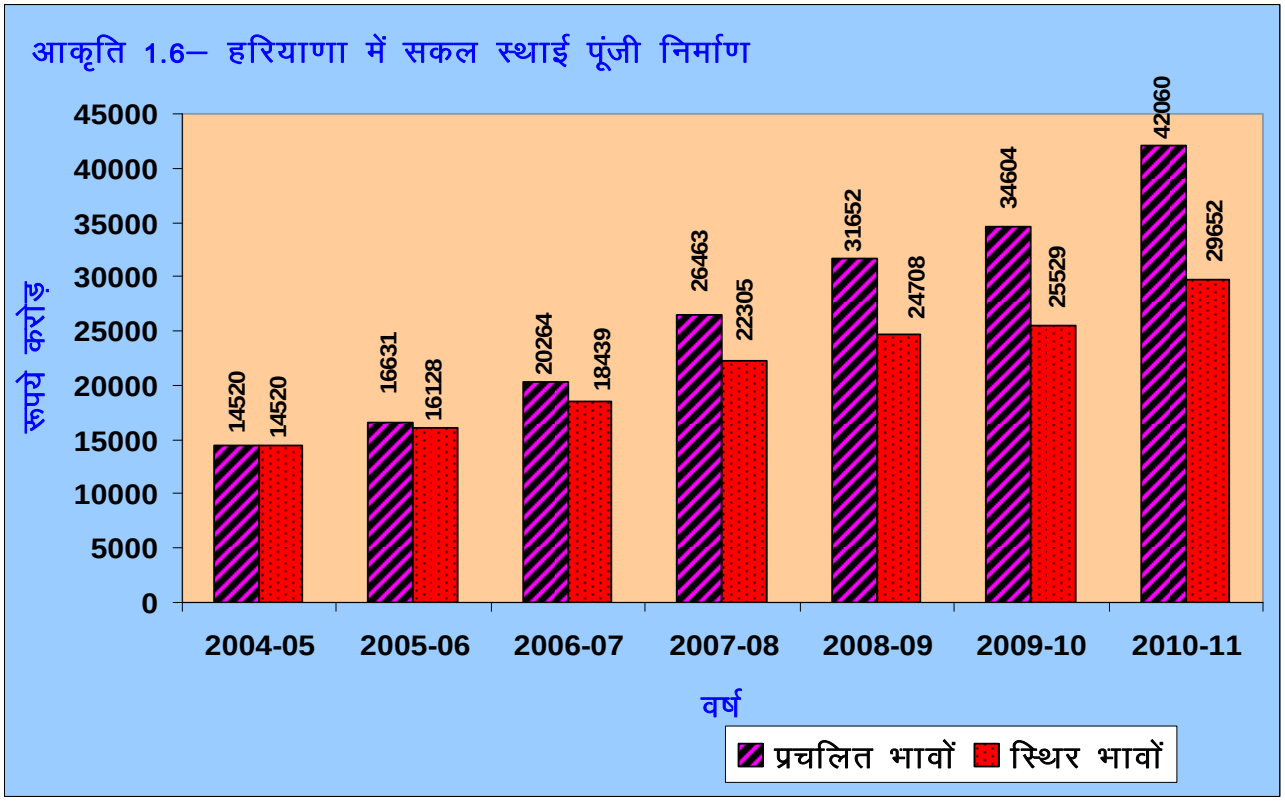
आकृति 1.6– हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण
रूपये करोड़
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
14520
14520
16631
16128
20264
18439
26463
22305
31652
24708
34604
25529
42060
29652
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
वर्ष
प्रचलित भावों
स्थिर भावों

1.9 चौथी और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 32 वर्षों (1969–70 से 2001–02) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्वि दर की तुलना में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2001–02 में 28.1 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2001–02 में 28.6 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 43.3 प्रतिशत हो गया। पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति त्वरित हुई तथा राज्य की अर्थ व्यवस्था उच्च विकास दर के पथ पर अग्रसर हुई। वर्ष 2002–03 से 2011–12 की अवधि में क्षेत्रानुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि को **आकृति 1.3** द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011–12 में इसका अंश 54.6 प्रतिशत हो गया तथा कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश 16.7 प्रतिशत रह गया **(आकृति 1.4)**। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश लगातार घट रहा है तथा सेवा क्षेत्र का अंश लगातार बढ़ रहा है।

1.10 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी इसी प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन की प्रवृति को अंकित किया गया है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 2004–05 में 19 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 14.1 प्रतिशत रह गया है जबकि सेवा क्षेत्र का अंश वर्ष 2004–05 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 58.4 प्रतिशत तक पहुँच गया है। यह राज्य अर्थव्यवस्था व भारतीय अर्थव्यवस्था में समानान्तर मुख्य संरचनात्मक बदलाव की स्थिति को प्रकट करता है जिससे किसी अर्थ व्यवस्था का विकास उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन पर अधिक तथा कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर कम निर्भर हो जाता है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

1.11 प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) राज्य तथा देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर के आंकलन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 1966–67 के दौरान हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर केवल 608 रूपये थी। तब से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है। प्रचलित और स्थिर (2004–05) कीमतों पर 2004–05 से 2011–12 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **आकृति 1.5** में प्रस्तुत किया गया है।

1.12 ***राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों (2004–05) पर 2011–12 में 62,927 रूपये से बढ़कर 2012–13 में 66,410 रूपये पहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2012–13 में 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में 1,09,064 रूपये से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 1,23,554 होने की संभावना है जो कि 2012–13 में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यहां पर यह भी बताना उचित होगा कि अतीत में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से हमेशा बहुत अधिक रही है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2012–13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चालू तथा स्थिर (2004–05) कीमतों पर क्रमशः 68,747 रूपये तथा 39,143 रूपये अनुमानित की गई है।***

राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.13 अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती हैं यानि अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादन क्षमता। अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जैसे कि उद्योगों के उपयोग संस्थानों के प्रकार आधार एवं परिसम्पतियों के प्रकार के आधार तैयार करता है जिसे **(आकृति 1.6)** द्वारा दिखाया गया है। प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2010–11 के अनुसार 42,060 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया, जबकि वर्ष 2009–10 का यह आंकलन 34,604 करोड़ रूपये था। इस प्रकार इसमें 21.5 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। इसी तरह स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2009–10 के 25,529 करोड़ रूपये के खिलाफ वर्ष 2010–11 में 29,652 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया जिसमें 16.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

***

2

राज्य वित्त, बैंकिंग तथा ऋण

हरियाणा राज्य देश का उन्नतिशाील राज्य है। यह राजकोषीय सुधारों के लिए पथ प्रदर्शक रहा है तथा हमारे राजकोषीय प्रबन्धन देश में सबसे अच्छा गिना जाता है। योजना आयोग ने भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। प्रतिव्यक्ति आय में हम देश के बडे राज्यों में उच्च स्थान पर है। राज्य ने अपने मूल लक्ष्य की तुलना में अपने संसाधन को 192 प्रतिशत बढाकर अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के प्रारम्भ होने के समय में राज्य ने 33,374 करोड रूपये के संसाधनों का अनुमान लगाया था तथा वास्तव में इसके विरूद्व 64,123 करोड़ रूपये के संसाधन जुटाए गए थे। ओडिशा राज्य अपने लक्ष्य के विरूद्व 122.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 39,597 करोड़ रूपये के संसाधन जुटाकर दूसरे स्थान पर है। अन्य राज्यों में पंजाब 87.5 प्रतिशत, राजस्थान 105.8 प्रतिशत, महाराष्ट्र 92.3 प्रतिशत, आन्ध्रप्रदेश 87.8 प्रतिशत तथ गुजरात ने 95.6 प्रतिशत संसाधन जुटाये हैं। योजना आयोग द्वारा गठित 'राज्य वित्तीय संसाधन कार्य समूह' द्वारा हरियाणा राज्य को उच्चतम संसाधन जनरेटर के रूप में दर्जा दिया गया है। हरियाणा राज्य में वर्ष 2004–05 तक राजस्व घाटा रहता था। यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार राजस्व घाटा 1998–99 में 3.5 प्रतिशत से घटकर 2004–05 में 0.27 प्रतिशत रह गया। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2005–06 में 1,213 करोड़ रूपये, 2006–07 में 1,590 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2007–08 में 2,224 करोड़ रूपये हो गया परन्तु अर्थ–व्यवस्था में धीमापन आने तथा कर्मचारियों के वेतन/पैंशन में संशोधन के कारण राज्य में 2008–09 में राजस्व घाटा 2,082 करोड़ रूपये, 2009–10 में 4,265 करोड़ रूपये तथा 2010–11 में 2,746 करोड़ रूपये हो गया जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.14 प्रतिशत, 1.91 प्रतिशत तथा 1.04 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 के दौरान अर्थ–व्यवस्था में पुर्नउत्थान के कारण संसाधन घाटा फिर कम होकर 1,457 करोड़ रूपये हो गया जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 0.47 प्रतिशत था। राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के आधार अनुसार राजकोषीय घाटा जोकि वर्ष 1998–99 में 5.13 प्रतिशत की उच्च चोटी पर था, से कम होकर वर्ष 2007–08 में 0.83 प्रतिशत रह गया, परन्तु यह वर्ष 2010–11 में बढ़कर 2.74 प्रतिशत तथा वर्ष 2011–12 में मामूली गिरावट के साथ 2.33 प्रतिशत पर रहा। वर्ष 2012–13 में फिर इसके कम होकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार 2.15 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य कर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 1999–2000 में 6.85 प्रतिशत से सुधरकर 2007–08 में 7.66 प्रतिशत हो गया, जो कि वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 के दौरान 6 से 7 प्रतिशत के बीच स्थिर विकास का संकेत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का ब्याज भुगतान से अनुपात (आई.पी.–टी.आर.आर.) 12.71 प्रतिशत रहा जो कि ऋण स्थिरता के लिए 12वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत की सीमा से कम है।

राज्य वित्त

2.2 लोक वित्त का सम्बन्ध करों के उन संग्रहों से है जिनका उपयोग सरकार द्वारा लोगों के लिए सार्वजनिक वस्तुओं व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में सरकार की भागीदारी का अध्ययन है। लोक वित मुख्यतयाः तीन पहलूओं नामतः i)संसाधनों का कुशल वितरण, ii) आय का वितरण तथा iii) समष्टि अर्थ–व्यवस्था का स्थिरीकरण से सम्बन्धित है। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवम् व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोकवित्त प्रबन्धन के तीन आवश्यक घटक है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य वित्त का राजकोषीय घाटे से अधिशेष होने का अनुभव रहा है तथा इसके बाद फिर घाटा और अब दोबारा से अधिशेष के पथ पर अग्रसर है। राजकोषीय घाटे के बढने के रूझान का मुख्य कारण वैश्विक मन्दी, मुद्रा स्फीति और वेतन वृद्धि रहे हैं। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से राज्य कोष

की स्थिति मजबूत हुई है। अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के बजट का विश्लेषण करता है।

राज्य की वित्तीय स्थिति

हरियाणा राज्य की वित्तीय स्थिति को **तालिका 2.1 तथा अनुलग्नक 2.1 से 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1–हरियाणा राज्य की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क्रं0संख्या	मद	2010–11	2011–12(स.अ.)	2012–13 (ब.अ.)
1	राजस्व प्राप्तियां	25563.68	33487.63	37327.97
2	राजस्व व्यय	28310.19	36049.25	39783.52
3	राजस्व घाटा (2–1)	2746.51	2561.62	2455.55
4	राजस्व घाटे का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.04	0.83	0.66
5	पूंजी प्राप्तियां (6+7+8)	6112.69	6423.71	7380.50
6	ऋणों की वसूली	233.05	300.97	374.42
7	विविध पूंजी प्राप्तियॉ	8.00	17.47	19.72
8	लोक ऋण (शुद्ध)	5871.64	6105.27	6986.36
9	पूंजीगत व्यय	4752.97	5438.52	5535.41
10	कुल प्राप्तियां (1+5)	31676.37	39911.34	44708.47
11	कुल व्यय (2+9)	33063.16	41487.77	45318.93
12	बजट घाटा (11–10)	1386.79	1576.43	610.46
13	राजकोषीय घाटा {11–(1+6+7)}	7258.43	7681.70	7596.82
14	राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	2.74	2.48	2.15

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वंय के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी व केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। 2012–13 के दौरान, हरियाणा सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 37,327.97 करोड़ रूपये एवं व्यय 39,783.52 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जोकि 2,455.55 करोड़ रूपये घाटे को दर्शाता है। वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 2.1 तथा अनुलग्नक 2.2** में दिखाया गया है जबकि राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व कर के रूझान को **आकृति 2.1** में दिखाया गया है। वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 20,992.66 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 25,257.38 करोड़ रूपये था तथा इस अवधि में 4,264.72 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11, 2011–12 (स.अ.) व 2012–13 (ब.अ.) में क्रमशः 25,563.68, 33,487.63 व 37,327.97 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय क्रमशः 28,310.19, 36,049.25 व 39,783.52 करोड़ रूपये रहा तथा इस अवधि में क्रमशः 2,746.51, 2,561.62 व 2,455.55 करोड़ रूपये का घाटा रहा **(अनुलग्नक 2.3)**।

राज्य के स्वंय कर राजस्व व कर–भिन्न राजस्व के रूझान

2.4 राजस्व प्राप्तियों के दो मुख्य घटक राज्य के अपने संसाधन व केन्द्र सरकार से हस्तान्तरण है। राज्य के अपने संसाधनों के मुख्य दो घटक हैं, (1) राज्य की स्वंय कर आय व (2) राज्य की स्वंय गैर–कर आय। **आकृति 2.2** द्वारा वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 (ब.अ.) की अवधि में राज्य के स्वयं कर तथा कर–भिन्न राजस्व की स्थिति को दर्शाया गया है।

2.5 राज्य के स्वंय संसाधनों से राजस्व वर्ष 2008–09 में 14,893.73 करोड़ रूपये से बढ़कर 2012–13 (ब.अ.) में 28,677.82 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राज्य के स्वंय कर राजस्व वर्ष 2008–09 में 11,655.28 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में रूपये 23,873.28 करोड़ रूपये हो गया। जबकि इसी अवधि में कर–भिन्न आय 3,238.45 करोड़ रूपये से बढ़कर 4,804.54 करोड़ रूपये हो गई।

तालिका 2.2 हरियाणा सरकार की कुल कर स्थिति

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	कुल कर
2008–09	11655.28	1724.62	13379.90
2009–10	13219.50	1774.47	14993.97
2010–11	16790.37	2301.75	19092.12
2011–12 (स.अ.)	21015.46	2765.11	23780.57
2012–13 (ब.अ.)	23873.28	3179.90	27053.18

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

कुल कर का रूझान

2.6 कुल कर मुख्यतया दो घटकों पर निर्भर है, नामतः i) राज्य का स्वयं कर तथा ii) केन्द्रीय करों में भागीदारी। राज्य का कुल कर वर्ष 2008–09 में 13,379.90 करोड़ रूपये (11,655.28 ओ.टी.आर. +1,724.62एस.सी.टी.) से बढ़कर वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 27,053.18 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। **तालिका 2.2** में वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक करों की स्थिति दशाई गई है। राज्य के स्वयं कर प्राप्तियों का सकल घरेलू राज्य उत्पाद से प्रतिशतता व कुल कर राजस्व का सकल घरेलू राज्य उत्पाद से प्रतिशतता वर्ष 2008–09 से 2012–13 (ब.अ.) को **आकृति 2.3** में दिखाया गया है।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.7 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, योजनाओं में अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान व अन्य गैर–योजना अनुदान के रूप में होती है। वर्ष 2009–10 में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की गति धीमी रही, जिसका मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मन्दी था। वर्ष 2009–10 में वर्ष 2008–09 से मात्र 2.89 प्रतिशत की बढोतरी हुई थी। यद्यपि वर्ष 2010–11 में यह बढोतरी वर्ष 2009–10 की तुलना में 29.71 प्रतिशत अधिक थी। केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी वर्ष 2011–12 में (स.अ.) में वर्ष 2010–11 से 20.13 प्रतिशत बढ़ी जबकि यह बढोतरी वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में वर्ष 2011–12 (स.अ.) से 15 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। राज्य में वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियाँ 3,179.90 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। **आकृति 2.4** द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार से राज्य की हिस्सेदारी की स्थिति को दर्शाया गया है।

केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

2.8 केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 5,470.25 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2011–12 (स.अ.) में यह राशि 5,184.46 करोड़ रूपये व वर्ष 2010–11 में 3,050.62 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2011–12 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि 5.51 प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है। राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **आकृति 2.5** में दिया गया है।

कर राजस्व

2.9 कर राजस्व के विवरण से पता चलता है कि बिक्री कर, कर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है तथा वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में यह 16,450 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2011–12 (स.अ.) में यह 14,100 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 11,082.01 करोड़ रूपये था। वर्ष 2011–12 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में बिक्री कर में 16.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 (स.अ.) में यह बढ़ोतरी 27.23 प्रतिशत थी। वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में 3,000 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 2,800 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 2,365.81 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी, जो कि वर्ष 2011–12 (स.अ.) से वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 7.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। कर राजस्व में स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 3,000 करोड़ रूपये प्राप्ति का अनुमान है जबकि वर्ष 2011–12 (स.अ.) में इस मद से 2,800 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 2,319.28 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

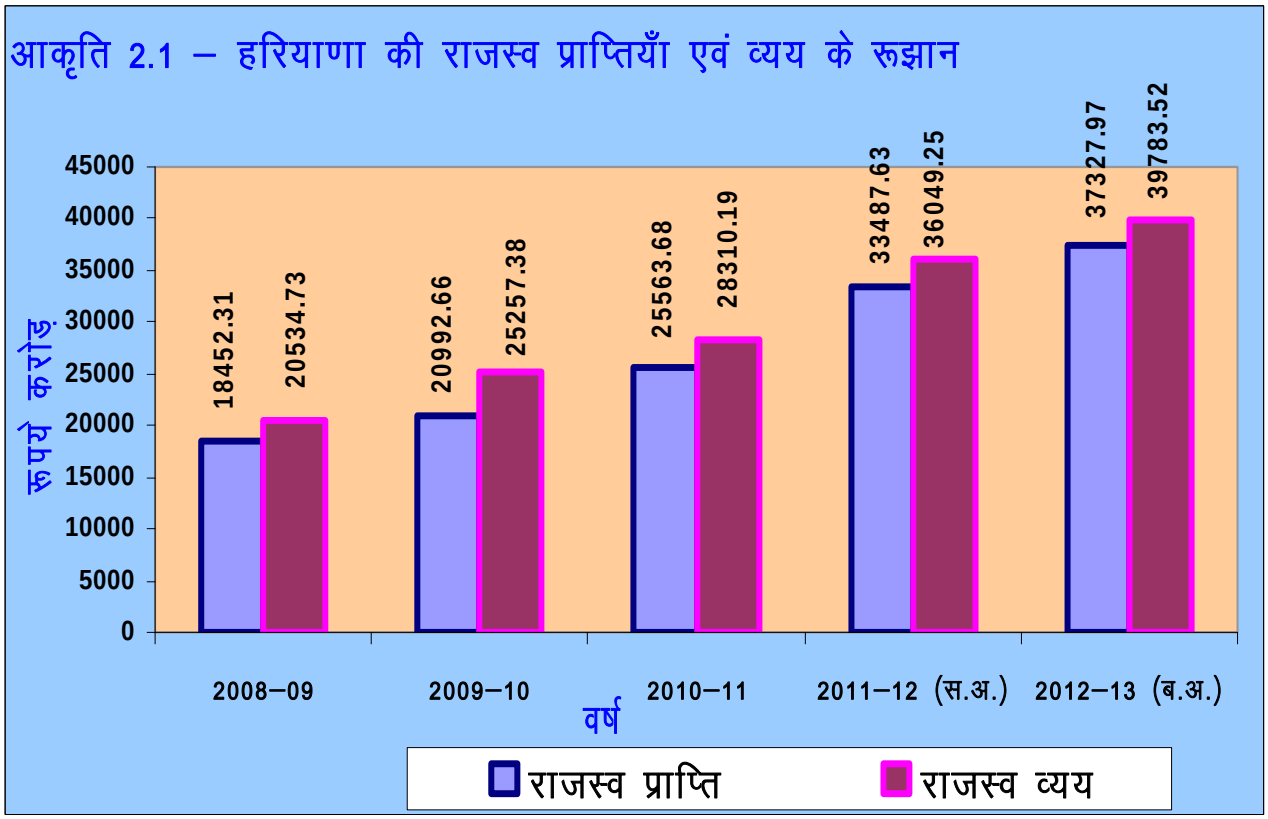
आकृति 2.1 – हरियाणा की राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय के रूझान
रूपये करोड़
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
18452.31
20534.73
20992.66
25257.38
25563.68
28310.19
33487.63
36049.25
37327.97
39783.52
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 (स.अ.)
2012–13 (ब.अ.)
वर्ष
राजस्व प्राप्ति
राजस्व व्यय

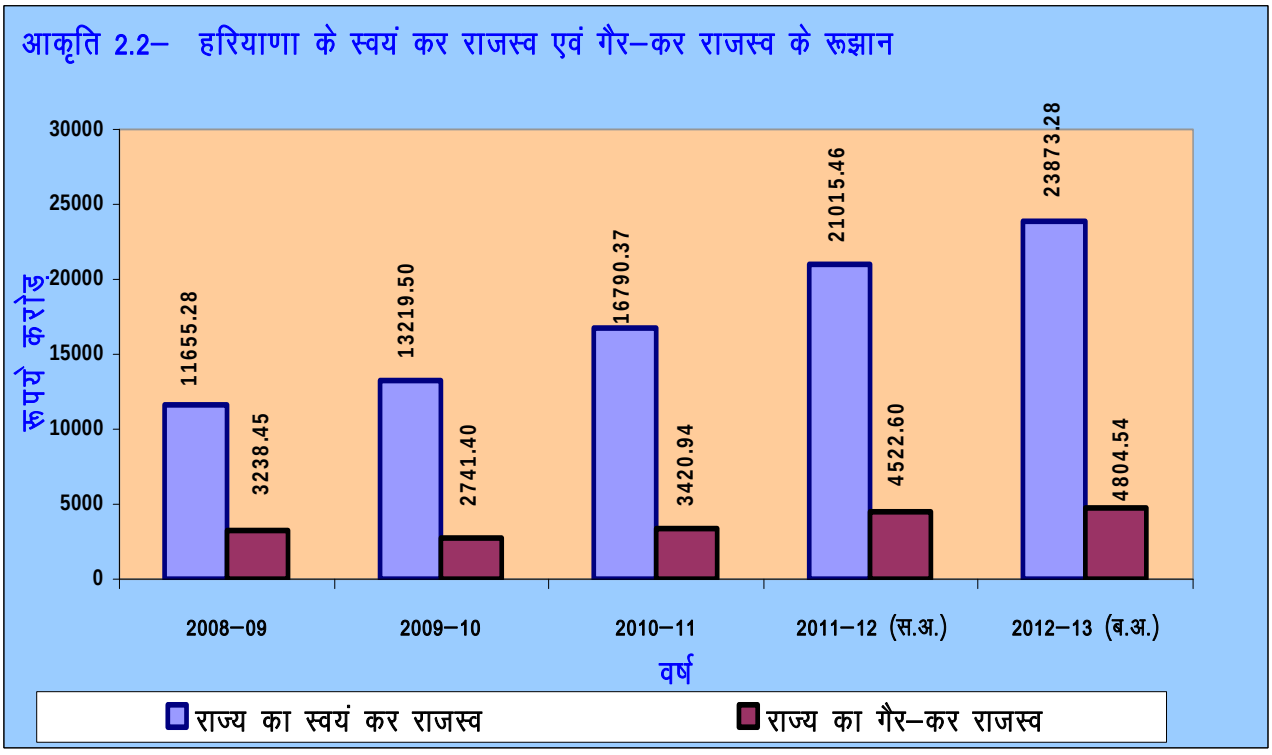
आकृति 2.2– हरियाणा के स्वयं कर राजस्व एवं गैर–कर राजस्व के रूझान
रूपये करोड़
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
11655.28
3238.45
13219.50
2741.40
16790.37
3420.94
21015.46
4522.60
23873.28
4804.54
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 (स.अ.)
2012–13 (ब.अ.)
वर्ष
राज्य का स्वयं कर राजस्व
राज्य का गैर–कर राजस्व

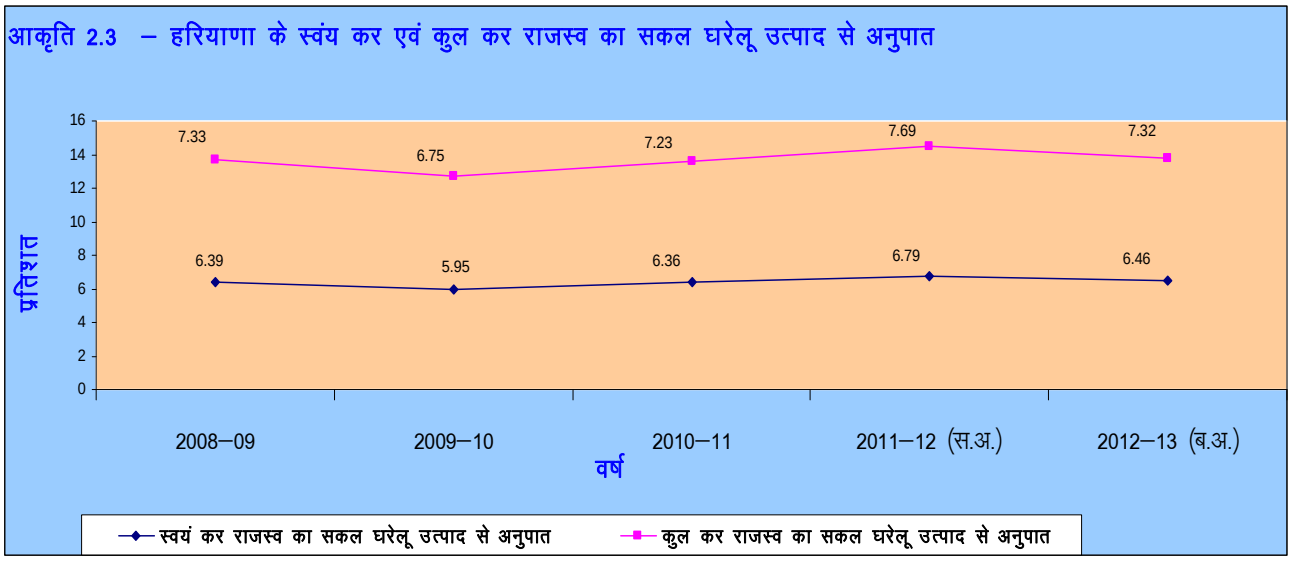

आकृति 2.3 – हरियाणा के स्वंय कर एवं कुल कर राजस्व का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात
प्रतिशत
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7.33
6.75
7.23
7.69
7.32
6.39
5.95
6.36
6.79
6.46
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 (स.अ.)
2012–13 (ब.अ.)
वर्ष
स्वयं कर राजस्व का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात
कुल कर राजस्व का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात

आकृति 2.4 – केन्द्रीय करों में हरियाणा की हिस्सेदारी
रुपये करोड़
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1724.62
1774.47
2301.75
2765.11
3179.90
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 (स.अ.)
2012–13 (ब.अ.)
वर्ष

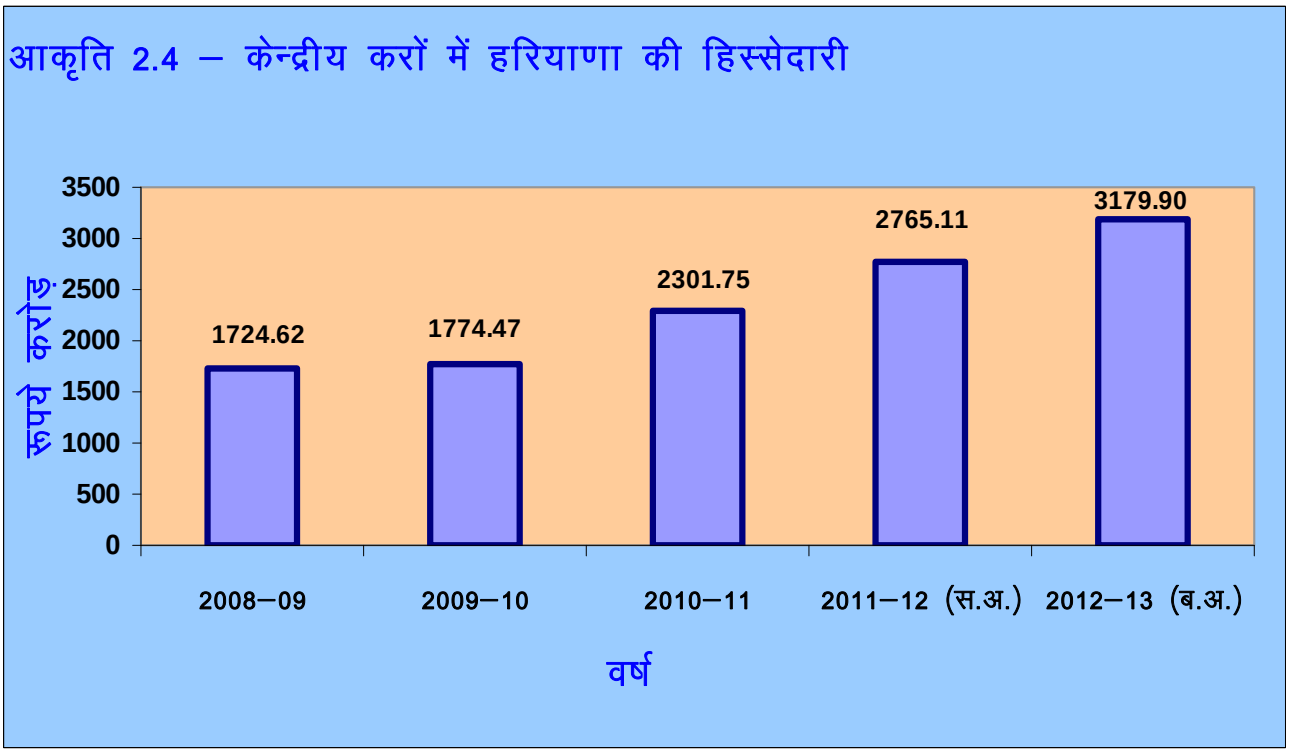

आकृति 2.5 – केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

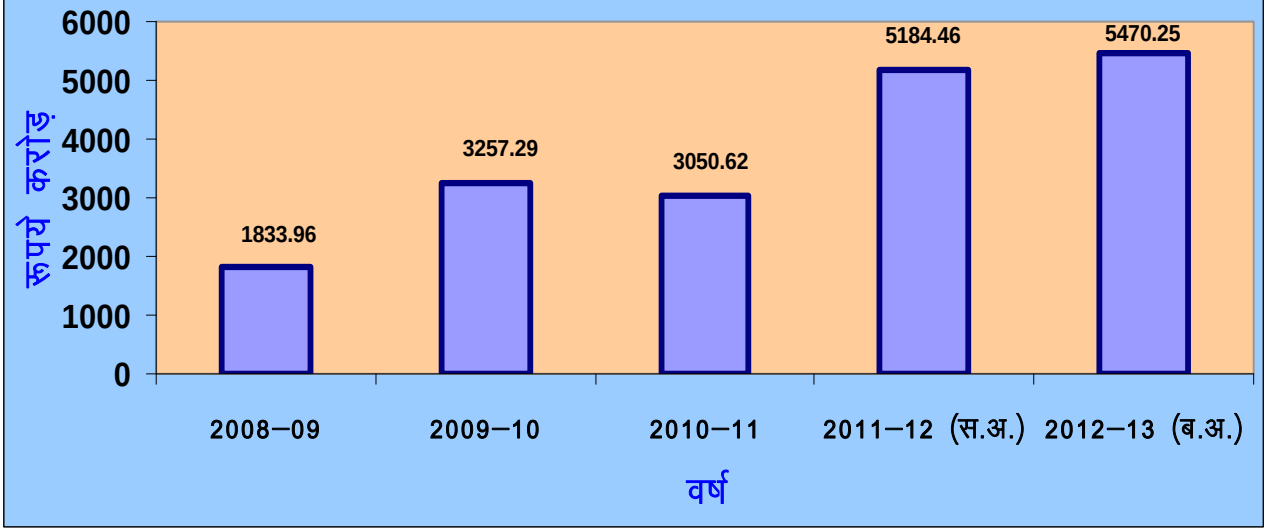

आकृति 2.6– हरियाणा की पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय के रूझान

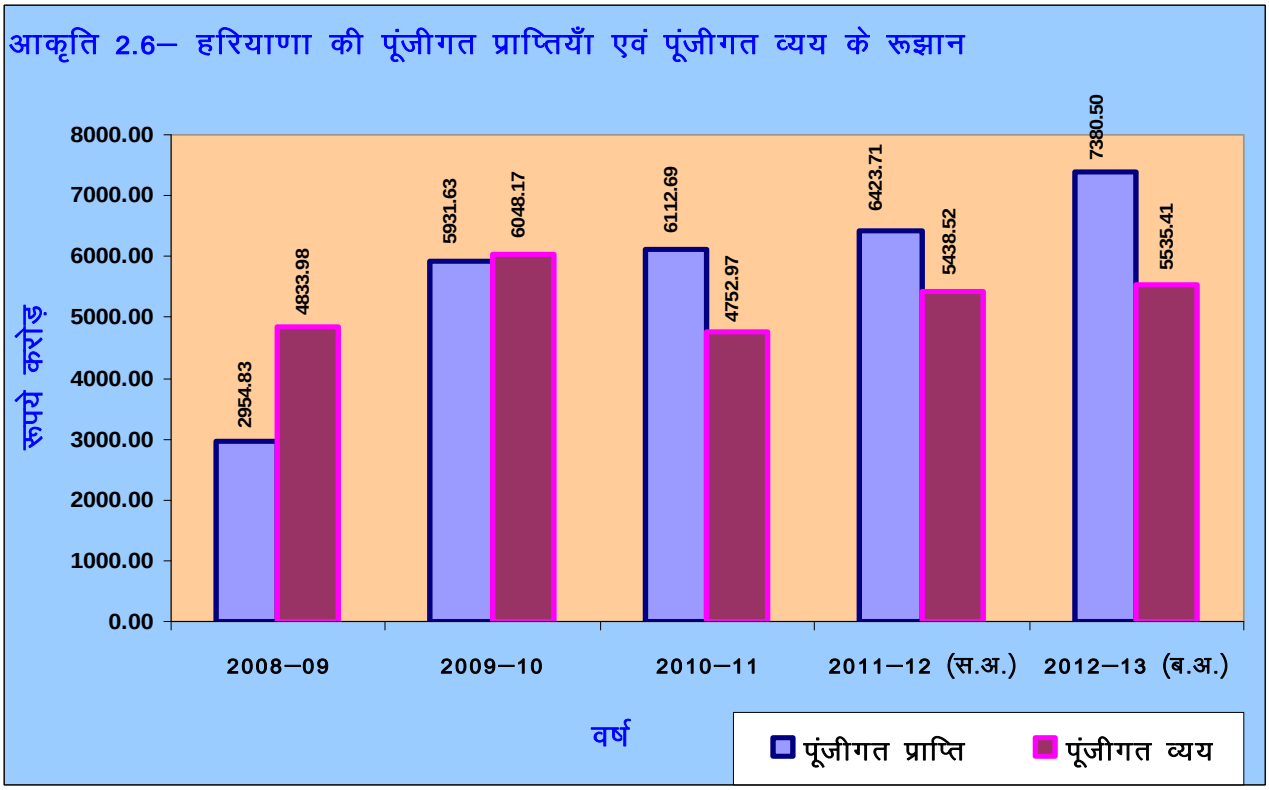

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.10 पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है। (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) लोक ऋण (शुद्ध)। लोकऋण का पूंजी प्राप्तियों में एक प्रमुख योगदान है। पूंजी प्राप्तियाँ वर्ष 2008–09 में 2,954.83 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 5,931.63 करोड़ रूपये, वर्ष 2010–11 में 6,112.69 करोड़ रूपये, वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 6,423.71 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 7,380.50 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जैसा कि **आकृति 2.6** में दिखाया गया है।

पूंजीगत व्यय

2.11 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध राज्य सरकार की सम्पति निर्माण से है। **आकृति 2.6** द्वारा दिखाया गया है कि राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2008–09 में 4,833.98 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 6,048.17 करोड़ रूपये हो गया परन्तु पूंजीगत व्यय 2010–11 में वर्ष 2009–10 के 6,048.17 करोड़ रूपये से घटकर 4,752.97 करोड़ रूपये हो गया। यद्यपि वर्ष 2011–12 (स.अ.) में फिर से पूंजी व्यय बढ़कर 5,438.52 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 5,535.41 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

2.12 विकासात्मक कुल व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास पर खर्च सम्मिलित हैं, वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 32,404.36 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2011–12 (स.अ.) में यह 30,064.65 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 23,355.51 करोड़ रूपये था। इसमें वर्ष 2011–12 (स.अ.) से वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 7.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 12,745.03 करोड़ रूपये है, जोकि वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 11,258.88 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 9,626.41 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2011–12 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 13.20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है **(अनुलग्नक 2.2)**।

राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक शेष की स्थिति

2.13 राज्यों की यह नीति रहती है कि राजस्व घाटा समाप्त किया जाए व राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक लाया जाए। वर्ष 2009–10 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.54 प्रतिशत रहा है जोकि राज्य द्वारा निर्धारित सीमा व भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत की सीमा से अधिक रहा। **आकृति 2.7** द्वारा पिछले 5 वर्षों 2008–09 से 2012–13 (ब.अ.) में राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक शेष तथा राजकोषीय घाटा/लाभ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दिखाई गई है।

2.14 वर्ष 2009–10 में अचानक राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पैंशन संशोधित करना रहा। वर्ष 2008–09 में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.14 प्रतिशत था जो कि 2012–13 (ब.अ.) में 0.66 प्रतिशत रहने का अनुमान है। **आकृति 2.7** द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 (ब.अ.) के दौरान राज्य के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाई गई है।

राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान

2.15 राजस्व प्राप्ति का ब्याज भुगतान से अनुपात लगातार बढ़ रहा है तथा यह (आई.पी.–टी.आर. आर.) वर्ष 2010–11 में बढकर 12.98 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि यह वर्ष 2012–13 (ब.अ.) मे अनुमानित 14.09 प्रतिशत बढने से पहले वर्ष 2011–12 (स.अ.) में घटकर 12.97 प्रतिशत रहा। राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 प्रतिशत के बेंचमार्क से नीचे रहा। राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान के अनुपात की स्थिति **आकृति 2.8** में दर्शाई गई है।

शुद्ध हस्तांतरण स्थिति

2.16 वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में होने वाला निवल लेन–देन 425.76 करोड़ रूपये का अधिशेष दर्शाता है जबकि वर्ष 2010–11 में 644.19 करोड़ रूपये का घाटा था। राजस्व खाते में वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में

2,455.55 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है जबकि यह घाटा वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 2,561.62 करोड़ रूपये का था। वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा 1,041.68 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 941 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)** ।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

2.17 सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेय हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणी जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे पुनः चुनने, वर्गीकृत करने तथा श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.18 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार कुल व्यय 2012–13 (ब.अ.) में 46,127.87 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 41,684.95 करोड रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 33,531.28 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में वर्ष 2011–12 (स.अ.) से 10.66 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है तथा यह वृद्धि 2011–12 (स.अ.) में वर्ष 2010–11 से 24.32 प्रतिशत थीं **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.19 सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 17,059.71 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 15,098.44 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 13,159.02 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2012–13 (ब.अ.) में वर्ष 2011–12 (स.अ.) से 12.99 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सडकें तथा अन्य निर्माण, वाहन तथा मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में 4,373.29 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 4,145.84 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 3,428.73 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2012–13 (ब.अ.) में वर्ष 2011–12 (स.अ.) से 5.49 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है जबकि यह वर्ष 2011–12 (स.अ.) में 20.91 प्रतिशत थी। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत हस्तान्तरण, अग्रिम कर्जे तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती हैं जिसे **अनुलग्नक 2.4** में दर्शाया गया है।

बैंकिंग एवं ऋण

संस्थागत वित्त

2.20 हरियाणा राज्य में सरकार की भूमिका वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक महत्व देने की रही है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध होने से राज्य के बजटीय संसाधनों पर दबाब घट जाता है। राज्य में सितम्बर, 2011 को कार्यरत वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 2,653 थी जो कि सितम्बर, 2012 में बढ़कर 3,015 हो गई। वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2012 तक बढकर 1,59,453 करोड़ रूपये हो गई जब की यह राशि सितम्बर, 2011 में 1,26,890 करोड रूपये थी। इसी प्रकार बैंकों के अग्रिम ऋण की राशि भी सितम्बर, 2012 तक बढ़कर 1,25,436 करोड़ रूपये हो गई जबकि यह राशि सितम्बर, 2011 में 92,320 करोड़ रूपये थी। ऋण–जमा अनुपात राज्य में आर्थिक विकास के लिये उपलब्ध ऋण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। सितम्बर, 2012 में ऋण–जमा अनुपात बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष 2011 में यह अनुपात 73 प्रतिशत था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.21 राज्य का चालू वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अर्न्तगत वार्षिक लक्ष्य 56,055 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने का है। वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 का यह लक्ष्य 19 प्रतिशत अधिक है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अर्न्तगत सितम्बर, 2012 तक कुल उपलब्धि 25,500.26 करोड़ रूपये रही जो कि 27,259.75 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 94 प्रतिशत है **(तालिका 2.3)**।

आकृति 2.7– हरियाणा में राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटें का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत

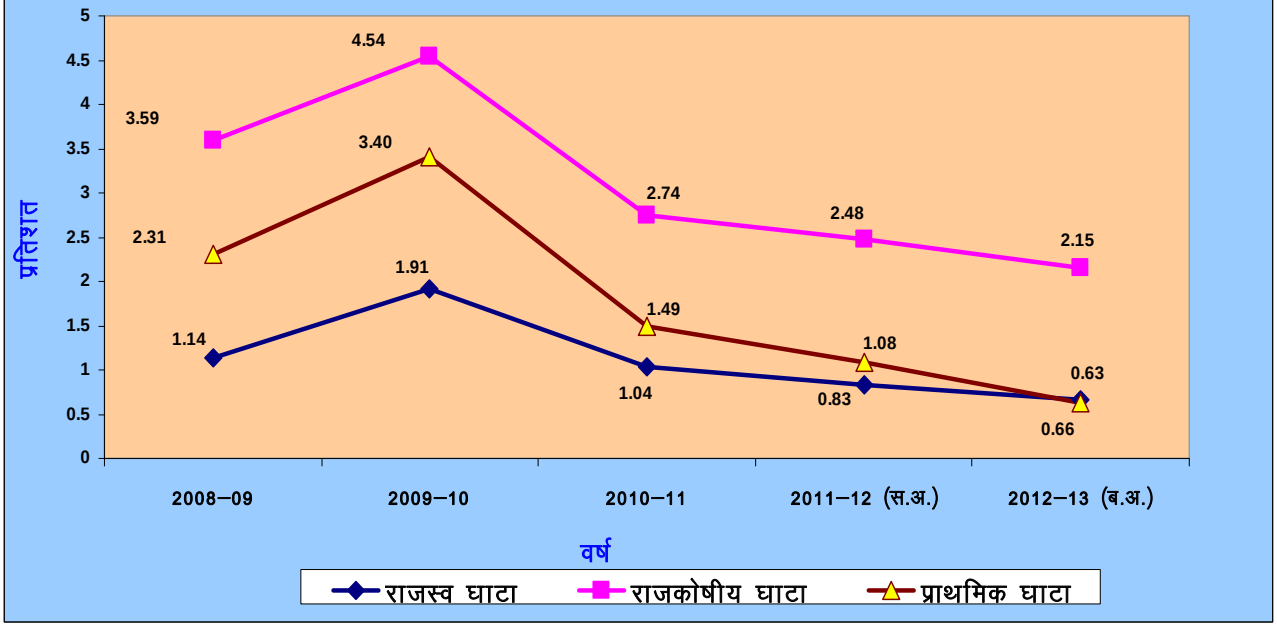

आकृति 2.8– हरियाणा में राजस्व प्राप्तियों का ब्याज भुगतान से अनुपात

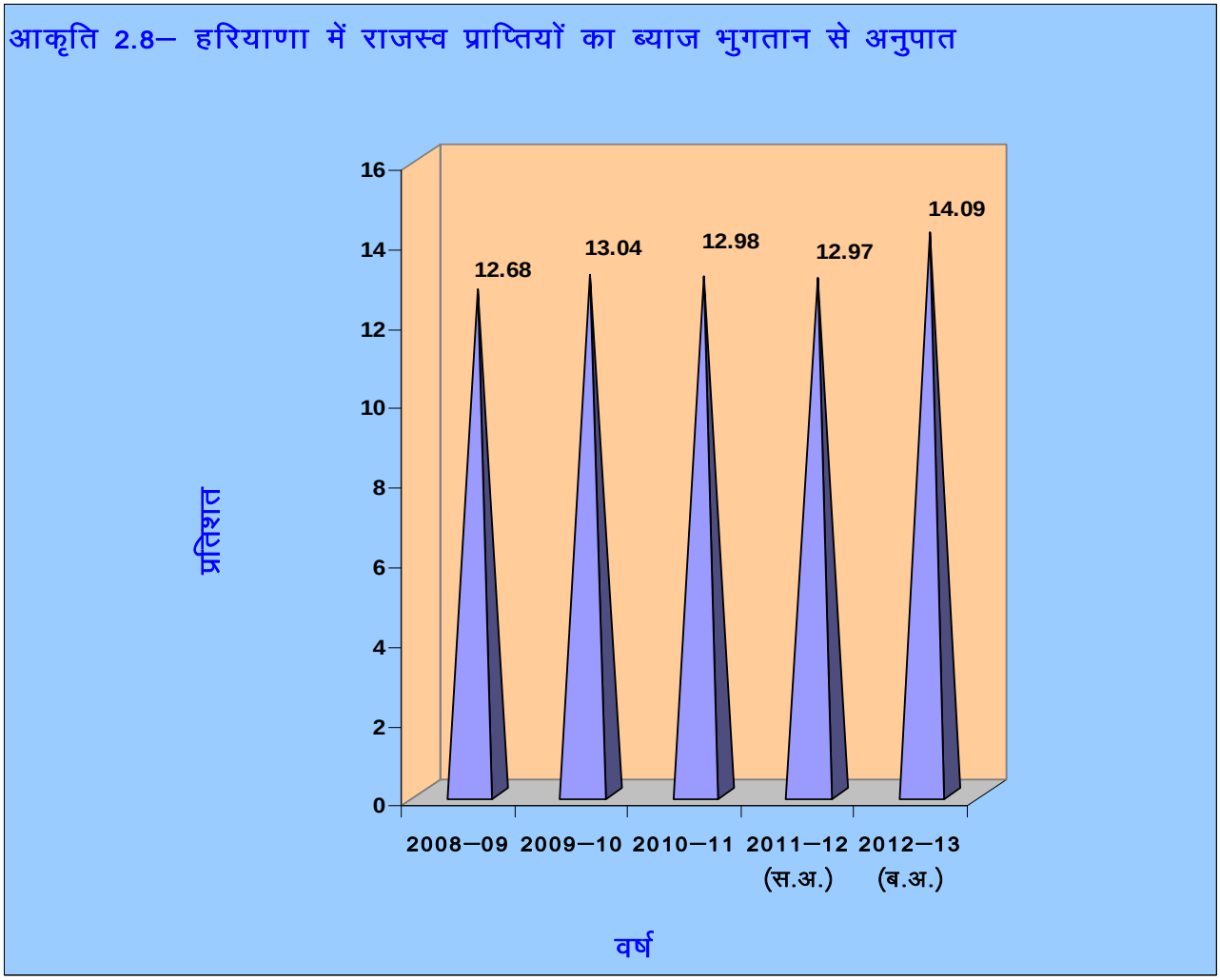

तालिका 2.3–हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2012–13 (सितम्बर, 2012 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि	19409.92	18312.84	94
कुटीर एवं लघु उद्योग	4113.21	4296.56	104
तृतीयक क्षेत्र	3736.62	2890.86	77
कुल	27259.75	25500.26	94

2.22 कृषि क्षेत्र को ऋण उधार के अर्न्तगत बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक है। सितम्बर, 2012 तक इस क्षेत्र को 18,312.84 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये जो कि 19,409.22 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 94 प्रतिशत है। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र में भी उपलब्धि संतोषजनक है। सितम्बर, 2012 तक कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र को 4,296.56 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये जब कि लक्ष्य 4,113.21 करोड़ रूपये का था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 104 प्रतिशत है। तृतीयक क्षेत्र के बैंकों ने सितम्बर, 2012 तक 2,890.86 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 3,736.62 करोड़ रूपये था तथा यह लक्ष्य का 77 प्रतिशत है।

बैंकवार उपलब्धि

2.23 वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2012 तक 21,014.85 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 21,392.40 करोड़ रूपये था जो कि लक्ष्य का 98 प्रतिशत है। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 14,153.23 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र के अर्न्तगत 4,060.04 करोड़ रूपये और तृतीयक क्षेत्र के अर्न्तगत 2,801.58 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। यद्यपि उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशतता (106 प्रतिशत) रही इसके बाद कृषि क्षेत्र में प्रतिशतता (100 प्रतिशत) रही तथा तृतीयक क्षेत्र में प्रतिशतता (81 प्रतिशत) रही।

तालिका 2.4–वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अग्रिम 2012–13 (सितम्बर, 2012 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि	14120.77	14153.23	100
लघु एवं कुटीर उद्योग	3825.69	4060.04	106
तृतीयक क्षेत्र	3445.94	2801.58	81
कुल	21392.40	21014.85	98

2.24 सहकारी बैकों ने सितम्बर, 2012 तक 4,168.20 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जबकि लक्ष्य 5,354.54 करोड़ रूपये था जो कि लक्ष्य का 78 प्रतिशत रहा **(तालिका 2.5)**।

तालिका 2.5–सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम 2012–13 (सितम्बर, 2012 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि	4935.94	4026.63	82
लघु एवं कुटीर उद्योग	170.42	65.41	38
तृतीयक क्षेत्र	248.18	76.16	31
कुल	5354.54	4168.20	78

2.25 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सितम्बर, 2012 तक 421.97 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 159.54 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो कि लक्ष्य का 38 प्रतिशत है **(तालिका 2.6)**।

तालिका 2.6–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2012–13 (सितम्बर, 2012 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
कृषि	353.20	132.98	38
लघु एवं कुटीर उद्योग	26.27	13.44	51
तृतीयक क्षेत्र	42.50	13.12	31
कुल	421.97	159.54	38

हरियाणा वित्त निगम

2.26 हरियाणा वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनियों को 1,000 लाख रूपये तक तथा एकल स्वामित्व/साझेदारी वाली इकाईयों को 200 लाख रूपये तक के ऋण प्रदान कर रहा है। 1967 से लेकर मार्च, 2012 तक निगम ने 18,531 इकाईयों को 2,870.40 करोड़ रूपये के ऋणों की मंजूरी दी है तथा 17,160 इकाईयों को 1,781.06 करोड़ रूपये संवितरित किए हैं। कुल मंजूर ऋणों में से 2,410.60 करोड़ रूपये छोटे पैमाने की इकाईयों के लिए मंजूर किए गए जिसमें से 820.19 करोड़ रूपये पिछड़े क्षेत्र में स्थापित इकाईयों के लिए थे। कुल संवितरित में से 1,408.34 करोड़ रूपये छोटे पैमाने की इकाईयों को वितरित किए गए जिसमें से 503.09 करोड़ रूपये पिछड़े क्षेत्र में स्थापित इकाईयों के लिए थे।

2.27 हरियाणा वित्त निगम ने दिसम्बर, 2012 तक कुल 11.70 करोड़ रूपये के ऋण दिये **(तालिका 2.7)**।

तालिका 2.7–हरियाणा वित्त निगम द्वारा अग्रिम 2012–13 (सितम्बर, 2012 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
कृषि	–	–
कुटीर एवं लघु उद्योग	–	11.70
तृतीयक क्षेत्र	–	–
कुल	–	11.70

2.28 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2012 तक कुल 157.31 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 89.60 करोड़ रूपये था तथा यह लक्ष्य का 176 प्रतिशत है **(तालिका 2.8)**।

तालिका 2.8–भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2012–13 (सितम्बर, 2012 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
कृषि	–	–	–
लघु एवं कुटीर उद्योग	89.60	157.31	176
तृतीयक क्षेत्र	–	–	–
कुल	89.60	157.31	176

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0

2.29 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 (एच.एस.ए.आर.डी.बी.) की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 87 हो गई है। इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में समायोजित कर दिया गया है और शेष

तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 ने 01–04–2012 से 31–01–2013 तक 15,844.52 लाख रूपये के ऋण वितरित किये जबकि वार्षिक लक्ष्य 45,000 लाख रूपये था। यह राशि वार्षिक लक्ष्य का 35.21 प्रतिशत है **(अनुलग्नक 2.5)**। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा वर्ष 2013–14 में 500 करोड़ रूपये के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है **(अनुलग्नक 2.6)**। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा निम्नलिखित नई योजनाएं आरम्भ की गई हैः–

- ग्रामीण आवास योजना
- कृषि भूमि की खरीद
- खादी व ग्रामीण उद्याोग निगम के अर्न्तगत ऋण योजना
- कम्मबाईन हारवैस्टर
- स्ट्रा–रीपर
- स्ट्राबैरी की खेती
- स्वयं रोजगार हेतू वाणिज्यिक डेयरी
- कृषि स्नातको के लिए कृषि–क्लीनिक व कृषि–व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतू योजना
- किसानों को दो पहिया वाहन हेतू ऋण योजना
- पशुगृह योजना
- औषधीय एवं सुगन्धित पौधो के लिए ऋण
- सामुदायिक भवन निर्माण हेतू ऋण
- ग्रामीण भण्डारण योजना
- ग्रामीण शिक्षा के लिए ढांचागत संरचना विकास हेतू ऋण योजना
- विवाह सामारोह स्थल, सभी प्रकार की सूचना एवं प्रौधोगिकी सम्बन्धित क्रियाएं व अन्य सेवाएं
- बैंक ने बेकार बन्द टयूबवैलों की जगह नए सम्बमंर्सिवल टयूबवैल लगवाने हेतू नई स्कीम चालू की गई है।
- खाद तैयार करने हेतू ऋण ।

2.30 इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा किसानों के व्यापक हित के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैंः–

- कृषि हेतू जमीन खरीदने के लिए ऋण की राशि 1 लाख रूपये से बढाकर 10 लाख रूपये कर दी गई है।
- धरोवर राशि के लिए खेती की जमीन का मूल्यांकन नवीनतम विक्रय आंकडों के आधार पर लागू किया गया है।
- हरियाणा राज्य में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अब ट्रैक्टर की कीमत के डेढ़ गुणा राशि की भूमि को रहन किया जाता है।
- दो लाख रूपये तक के ऋण के लिए तृतीय पार्टी भुगतान खत्म कर दिया गया है।
- गैर कृषि क्षेत्र ऋण हेतु तृतीय पार्टी की कृषि भूमि व वाणिज्यिक सम्पति को रहन रखने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
- बैंक ने 5.11.2011 से ब्याज दर 14 प्रतिशत वार्षिक दर सभी योजनाओं के लिए संशोधित कर दी है जो 1999 में 17 प्रतिशत वार्षिक दर थी। नियमित ऋण का भुगतान करने वालो को 5 प्रतिशत की दर से ब्याज पर विशेष छूट प्रदान की गई है।

2.31 राज्य सरकार ने 15 अक्तूबर, 2003 से कृषि सम्बन्धित कार्यो के लिए सहकारी ऋणों पर भूमि रहन के लिए स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया है।

2.32 हरियाणा सरकार ने उपरोक्त ब्याज राहत स्कीम के साथ साथ उन किसानों की रहन की गई फालतू जमीन छोडने की योजना लागू की है जिसकी कीमत बैंक के ऋण से क्लैकटर रेट के आधार पर अधिक है। बशर्ते सम्बन्धित किसान अपनी बैंक की अतिदेय राशि अदा कर देता है। इस स्कीम के

अर्न्तगत बैंक ने 30–11–12 तक 29,175 ऋणियों की 16,178 एकड़ 5 कनाल एवं 13 मरला कृषि भूमि ऋण मुक्त कर दी है।

2.33 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि अधिनियम, 1984 के अर्न्तगत धारा 104 को समाप्त कर दिया गया है। तब से बैंक द्वारा किसी भी किसान को गिरफ्तार नही किया गया है। अब बैंक की वसूली किसानों को डरा धमकाकर नहीं बल्कि समझाबुझाकर की जाती है।

2.34 सरकार ने किसानों की भलाई के लिए ब्याज राहत योजना शुरू की थी जिसके अर्न्तगत उन किसानों को ब्याज राशि पर 3 प्रतिशत राहत दी जा रही है जो अपनी ऋण किस्तें बैकों में समय पर अदा करते आ रहे है। इस स्कीम के अर्न्तगत दिनांक 1–1–2010 से 31–03–2015 तक यह ब्याज राशि पर राहत बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक कर दी है। बैंक ने अब तक इस स्कीम के अर्न्तगत 81,062 लाभार्थियों को 1–1–2010 से 30–11–2012 तक की अवधि तक 51.03 करोड़ रूपये की राशि के अलावा ब्याज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि राहत के रूप में प्रदान की है।

ब्याज दर

2.35 बैंक ने दिनांक 5–11–2011 से गैर कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आवास योजना व भूमि खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 14 प्रतिशत वार्षिक दर पर संशोधित कर दी है। दिनांक 05–11–2011 से शेष सभी उदेश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक लागू रहेगी। 5 प्रतिशत की छूट ब्याज पर दी गई है जो अपनी ऋण किस्तें बैकों में समय पर अदा करते आ रहे हैं। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 2 प्रतिशत मार्जन राशि की अनुमति दी है जबकि मुख्यालय केवल 1 प्रतिशत मार्जन राशि अपने पास रखता है।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लि.

2.36 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है व राज्य के किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों एवं उद्मियों इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा जमाकर्ताओं को पिछले 46 वर्षों से सेवा उपलब्ध करवाता आ रहा है। लघु अवधि के लिए सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तर पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार शाखाएं है तथा जिला स्तर पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है जिनकी 594 शाखाएं हैं, 643 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ जोकि अधिकतर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 29.85 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं।

2.37 हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर,1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में उभरा है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की कार्य क्षमता देश के सहकारिता बैंक में सबसे अच्छी मानी गई है। इस बैंक की चालू पूंजी, 6,585.98 करोड़ रूपये है तथा चालू वित वर्ष में 31–12–2012 तक बैंक ने 3,661.57 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किए **(अनुलग्नक 2.7)**।

2.38 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ऋणों की तुलनात्मक स्थिति को **(अनुलग्नक 2.8)** में दिखाया गया है। दिनांक 01–4–2006 से फसली ऋण पर ब्याज दर 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। किसानों के हितों के लिए नवम्बर, 2012 तक 13.13 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंर्तगत 6 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की गई है। ग्रामीण निवासियों के फायदे के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पी.ए.सी.एस. के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अर्न्तगत सदस्यों द्वारा 50 हजार रूपये जमा करने पर बैंक द्वारा उनकी गारन्टी दी जा रही है। हरियाणा सहकारी समिति के अधिनियम, 1984 की धारा 104 को समाप्त कर दिया गया है। अब किसानों को सहकारी ऋण की वसूली के लिए गिरफतार नही किया जाएगा।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना हेतू पुनरूद्धार पैकेज का कार्यान्वयन

2.39 अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतू सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुये केन्द्र सरकार व नाबार्ड के साथ दिनांक 20–02–2007 को एक आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस लेखा परीक्षा के आधार पर पैक्स के लिए पुनरूद्धार पैकेज़ 701.72 करोड़ रूपये (633.80 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार 29 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा 38.92 करोड़ रूपये पैक्स का हिस्सा) आंका गया और 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 566 समायोजित पैक्स ने अब तक 499.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। इस पुर्नउत्थान पैकेज़ के अंतर्गत राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा की गई और इस लेखा परीक्षा के आधार पर दो केन्द्रीय सहकारी बैंक भिवानी व

रोहतक के लिए 22.61 करोड़ रूपये ;1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा21.34 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का हिस्साद्ध की वित्तीय सहायता आंकी गई तथा इस संदर्भ में 1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं। जींद व पंचकूला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 4.24 करोड़ रूपये की हिस्सा पूंजी को सहायता अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू वसूली सम्बंधी प्रोत्साहन (एकमुश्त अदायगी) योजना 2007

2.40 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एकमुश्त अदायगी स्कीम राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2,67,646 किसानों को 175.56 करोड़ रूपये की राशि राहत के रूप में दी गई।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू समय पर भुगतान प्रोत्साहन योजना 2007–08

2.41 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा समय पर अदायगी प्रोत्साहन योजना चलाई गई इस योजना के अंर्तगत राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के उन सदस्यों को 2 प्रतिशत ब्याज की राहत प्रदान की गई है, जो पिछले 1 वर्ष से ऋण का नियमित भुगतान कर रहे थे। इस स्कीम के अंर्तगत 6,11,300 किसानों को 21.84 करोड़ रूपये की राहत प्रदान गई।

कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना–2008

2.42 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी तथा राहत योजना 2008 में लागू की गई। इस योजना के अंर्तगत 2,61,393 सीमांत व लघु किसानों का 831.22 करोड़ रूपये का बकाया माफ किया जा चुका है व 91,582 अन्य किसानों को 161.80 करोड़ रूपये की राहत प्रदान की जा चुकी है, जिन्होंने एकमुश्त अदायगी योजना के अंर्तगत कुल राशि का 75 प्रतिशत अदा कर दिया है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू समय पर अदायगी करने के लिए राज्य ब्याज राहत योजना

2.43 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा समय पर अदायगी के लिए सहकारी बैंकों ने राज्य ब्याज राहत योजना 2009 दिनांक 1–3–2009 से लागू गई, जिसके अंतर्गत 1–3–2009 से 28–2–2011 के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से फसली व गैर फसली ऋण लेने वाले सदस्यों जो इन ऋणों की समय पर अदायगी करते हैं, को क्रमशः 2 प्रतिशत व 3 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा ब्याज राहत प्रदान की गई। वर्ष 2010–11 में केन्द्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत की ब्याज राहत प्रदान की गई तथा इस प्रकार 6,54,880 किसानों को 31.73 करोड रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

2.44 सरकार द्वारा 1–3–2010 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए समय पर अदायगी करने हेतू राज्य ब्याज राहत योजना–2010 लागू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के उन सदस्यों को स्कीम का लाभ दिया गया जिन्होंने अपना फसली ऋण जो 1–3–2010 से 28–2–2011 तक लिया था, को निर्धारित तिथि से पहले या निर्धारित तिथि तक अदा किया तथा ब्याज भुगतान पर 1 प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। इस स्कीम के अंतर्गत 3,53,605 ऋणी सदस्यों को 8.58 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

2.45 भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट वर्ष 2011–12 में घोषणा की है कि इस वर्ष समय पर फसली ऋण अदा किये जाने पर 3 प्रतिशत की ऋण राहत प्रदान की जाएगी।इस प्रकार 1–4–2009 से उन किसानों जिन्होंने समय पर ऋण अदा किया है फसली ऋणों पर प्रभावी ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक रही है। केन्द्र सरकार की योजना के अर्न्तगत 1–4–2011 से 31–3–2012 तक किसान समय पर फसली ऋण अदा करते हैं, को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राहत प्रदान की गई है, 58.59 करोड़ रूपये की ब्याज राहत राशि 7,72,609 किसानों को प्रदान की गई।

किसानों द्वारा सहकारी ऋण के अंतर्गत रहन की गई अतिरिक्त भूमि को मुक्त करना

2.46 राज्य सरकार की घोषणा अनुसार जिन किसानों की उनके ऋण के एवज में एक या डेढ़ गुणा से अधिक भूमि जो डी0सी0 रेट मूल्यांकन पर रहन की गई है, उसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मुक्त कर दिया जाएगा। जिससे 28,386 किसानों की 39,095 एकड़ अतिरिक्त भूमि मुक्त किये जाने का अनुमान है। नवम्बर, 2012 तक 2,817 किसानों की 8,646 एकड़ भूमि मुक्त की गई है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों के सदस्यों हेतू राज्य ऋण राहत योजना

2.47 राज्य सरकार की घोषणा अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों जिसमें ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों हेतू ऋण माफी योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत वे ऋणी सदस्यों जिनका 30–6–2009 तक 10 हजार रूपये का ऋण बकाया है ब्याज सहित माफ किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत 3,94,835 ऋणी सदस्यों को 470 करोड़ रूपये की राहत देने का अनुमान है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.48 वर्ष 2009–10 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई, इस स्कीम के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड धारक का मात्र 6.35 रूपये के अंशदान पर 50 हजार रूपये तक का बीमा किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 2.35 रूपये का अंशदान देना होगा। इस बीमा योजना के अतंर्गत अब तक 8,16,989 सदस्यों को कवर किया गया है व 127 लाभार्थियों के 63.50 लाख रूपये के बीमा क्लेम प्राप्त हो चुके हैं।

ऋण पर ब्याज की दर

2.49 बैंक द्वारा अग्रिम ऋणों पर ब्याज की दर का ब्यौरा **अनुलग्नक 2.9** में दिया गया है। हरको बैंक की मुख्य ऋण एवं अग्रिम ऋण योजनाएं इस प्रकार है।

- फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड)
- सहायक कार्यों के लिए ऋण योजना
- रिवोल्विंग कैश क्रेडिट योजना
- ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण योजना
- उपभोक्ता ऋण योजना
- मध्यावधि ऋण योजना

फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण योजना

हरको बैंक द्वारा विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाएं

2.50 हरको बैंक द्वारा विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं वह इस प्रकार है।

उद्यमी ऋण योजना

- छोटी सड़क व पानी पहुॅचाने वालों के लिए सहायता (एस.आर.डब्ल्यू.टी.ओ.) योजना
- कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना
- सीमांत राशि के हल्के ऋण सहायता योजना
- समाज के अन्य वर्गों के लिए ऋण योजना

कम्पयूटरीकरण

2.51 हरियाणा राज्य के सहकारी बैक नाबार्ड के मार्गदर्शन अनुसार कोर बैंकिंग प्रणाली की कार्यान्वयन की प्रकिया में हैं। वैधयनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप नाबार्ड के लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचे (एस.टी.सी.सी.एस.) के पुर्नउत्थान पैकेज के अर्न्तगत बैंक ने राज्य के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण करने की प्रकिया प्रारम्भ की है। पुनरूद्धार पैकेज के अंतर्गत पहले चरण में 9 जिलो की 325 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां में कम्पयूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा शेष 10 जिलों में 277 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां के कम्पयूटरीकरण का कार्य दूसरे चरण में होगा।

***

3

कीमतें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली

कीमत स्तर में स्थिरता का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, जिसे मुद्रास्फीति के रुप में मापते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू.पी.आई.) के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की थोक कीमतों पर आधारित होते हैं जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन कीमतों पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता स्थानीय बाजार में खुदरा भावों पर वस्तुओं को खरीदता है। खा़द्य वस्तुओं में निरंतर वृद्धि, विशेषतया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जबकि मुद्रास्फीति में 3 से 4 अंक तक की वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेतक है क्योंकि यह उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और उपभोग को हतोतत्साहित नहीं करती। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

थोक मूल्य सूचकांक

3.2 राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक को **आकृति 3.1** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2007–08 में 653.1 से बढकर वर्ष 2011–12 में 1065.7 हो गया यह 63.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2009–10 और वर्ष 2010–11 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

3.3 वर्ष के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की मास–वार गति का अध्ययन करने के लिए, थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2011 से दिसम्बर 2012 तक को **आकृति 3.2** द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की प्रवृति रही है, यह दिसम्बर, 2011 में 1061.9 से बढ़कर दिसम्बर, 2012 में 1139.0 अंक हो गया जोकि 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मूलतः अनाजों, दालों, तेल के बीजों, गुड़ एवं अन्य फसलों के भाव में क्रमशः 9.3, 26.8, 20.8, 1.7 तथा 42.7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हरियाणा में ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.4 ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह मजदूरी, वेतन तथा पैंशन के वास्तविक मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति के असर को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उददेश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न 24 गांवों से, जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि और सम्बन्धित व्यवसायों में कार्यरत हैं, पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

3.5 खाद्य ग्रुप और सामान्य ग्रुप से सम्बन्धित ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 तक एक ही गति से वृद्धि हुई, परन्तु खाद्य ग्रुप में वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 तक तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2011–12 तक सामान्य ग्रुप के सूचकांक में 53.0 प्रतिशत की

वृद्वि हुई जबकि खाद्य ग्रुप में 64.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2006–07 से वर्ष 2011-12 तक को **आकृति 3.3** में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण की गति का मासवार दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2012 तक को **आकृति 3.4** में प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दिसम्बर, 2011 में 530 अंक था जो कि दिसम्बर, 2012 में बढ़कर 577 अंक हो गया, जो कि 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.6 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक को **आकृति 3.5** में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हरियाणा (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2011 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2012 में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2012 में केन्द्रवार सूरजपुर पिंजौर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा (9.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि भिवानी व बहादुरगढ़ में सबसे कम (8.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य में मास-वार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2012 तक को **आकृति 3.6** में प्रस्तुत किया गया है। दिसम्बर, 2011 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 783 अंक था जो कि दिसम्बर, 2012 में बढ़कर 862 अंक हो गया, जिसमें 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि यह मास अप्रैल व मई, 2012 में 820 अंक पर स्थिर रहा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी0डी0एस0 विशेषकर निर्धन परिवारों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने तथा भावों में स्थिरता लाने के दोहरे उद्धेश्य को पूरा करने के लिए एक मुख्य साधन है। हरियाणा राज्य की स्थापना के समय राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत छोटे स्तर की थी जिसके अन्तर्गत लगभग 15 लाख राशन कार्ड धारकों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए केवल 1,518 उचित मूल्य की दूकाने (988 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 530 शहरी क्षेत्र में) उपलब्ध थी। इस प्रणाली का समय–समय पर जन आवश्यकता अनुसार पुर्नगठन किया गया तथा इसे सुचारु बनाया गया है। 1 अप्रैल, 2005 से उपभोक्ताओं को आटा की बजाए गेहूँ ग्रेन फार्म में वितरित किया जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए निरन्तर सुधार करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को समय–समय पर विस्तृत हिदायतें जारी की गई है। इस समय 9,232 उचित दरों की दुकानों (6,568 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 2,664 शहरी क्षेत्र में) का एक बढ़ा नेटवर्क है, जिनके माध्यम से लगभग 56.98 लाख राशन कार्ड धारकों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। भारत सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों की संख्या हरियाणा राज्य के लिए 7.89 लाख निर्धारित की हुई है जबकि ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी विकास विभाग, हरियाणा द्वारा बी0पी0एल0 सर्वे के अनुसार राज्य में 12.97 लाख बी0पी0एल0 परिवार है, विभाग द्वारा 12.16 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किए हुए है, जबकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या के आधार पर ही राज्य को खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार की निर्धारित संख्या से अधिक बी.पी.एल. परिवार होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि निर्धारित संख्या से अधिक परिवारों को एक अलग सूची में रखा जाए जिन्हें राज्य बी.पी.एल. परिवार माना जाए और इन परिवारों को भारत सरकार से प्राप्त हो रही ए.पी.एल. गेहूँ बी.पी.एल. दरों पर वितरित की जाए जोकि वितरित किया जा रहा है और ए.पी.एल. व बी.पी.एल. गेहूँ के बीच की दर 1.73 रूपये (6.93–5.20=1.73) प्रति किलोग्राम को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 4,77,288 परिवारों तथा राज्य बी0पी0एल0 4,54,359 परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूँ 5.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमास उपलब्ध करवाया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निरन्तर सुधार लाने तथा इसे अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कम्पयूटरीकृत किया जाए। इस हेतू मौजूदा राशन कार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्ड आरम्भ किया जा रहे हैं। 4 पायलट ब्लाक– अम्बाला–I, करनाल, सोनीपत तथा सिरसा जिला में 1,28,266 लाभार्थी परिवारों को शुरुआती तौर पर स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए है। इन परिवारों को मास जून, 2012 से स्मार्ट कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न वितरित

आकृति 3.1– हरियाणा का वर्ष–वार थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1980–81=100)

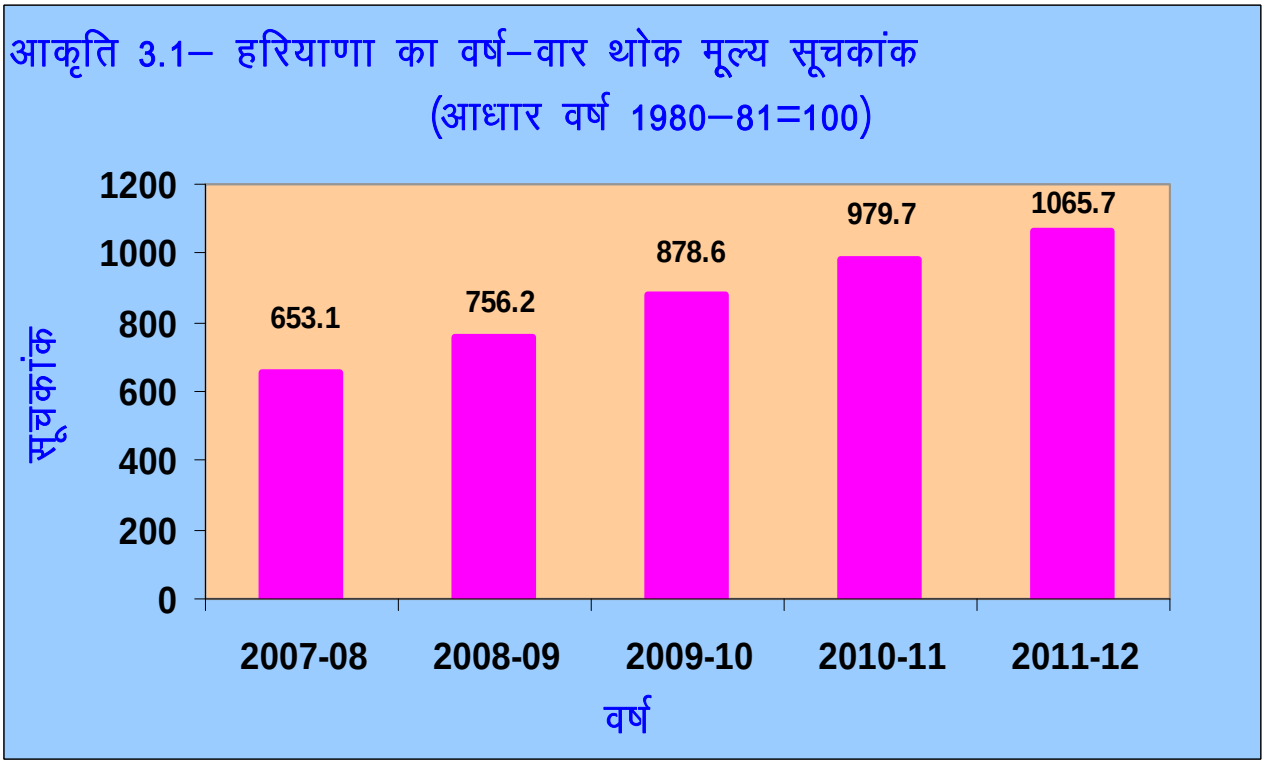

आकृति 3.2– हरियाणा का कृषि वस्तुओं के लिए माहवार थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1980–81=100)

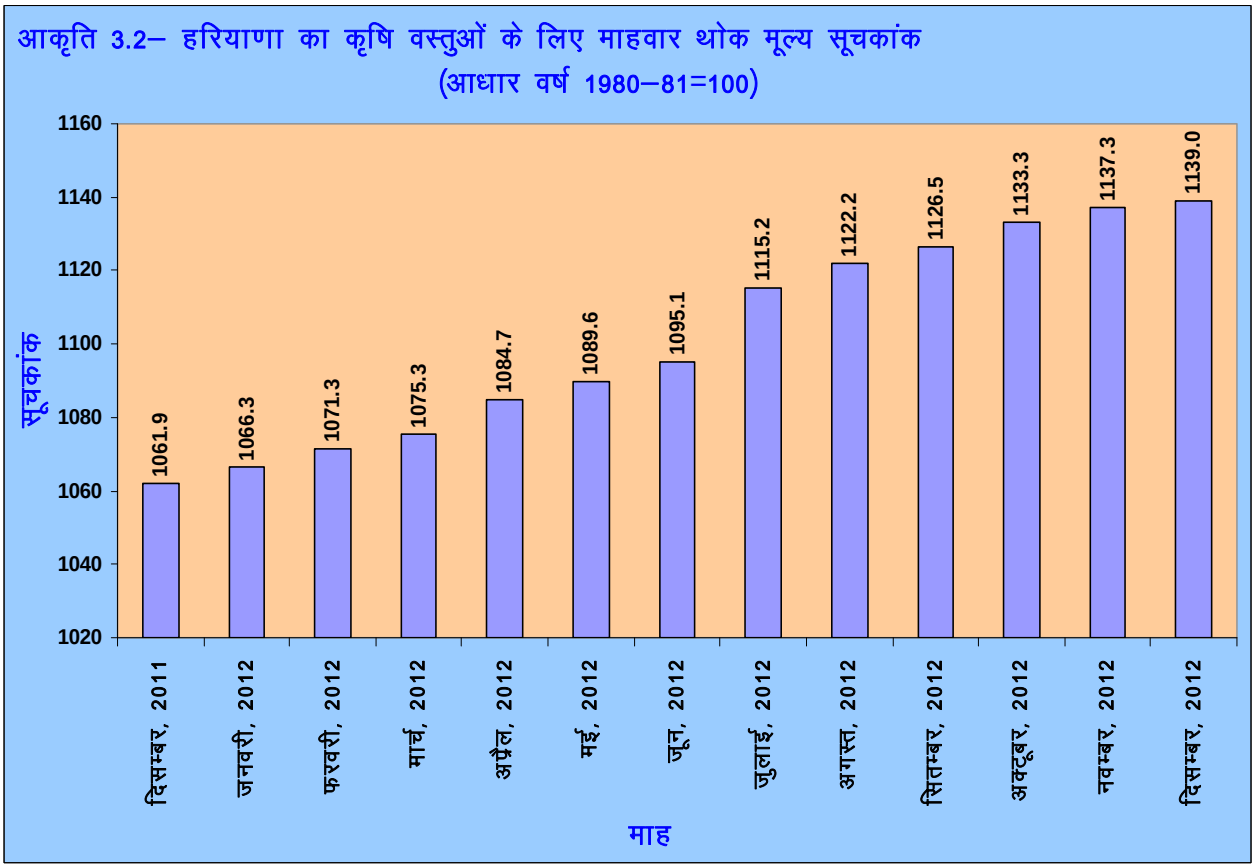

आकृति 3.3 – हरियाणा का वर्ष–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)
(आधार वर्ष 1988–89=100)

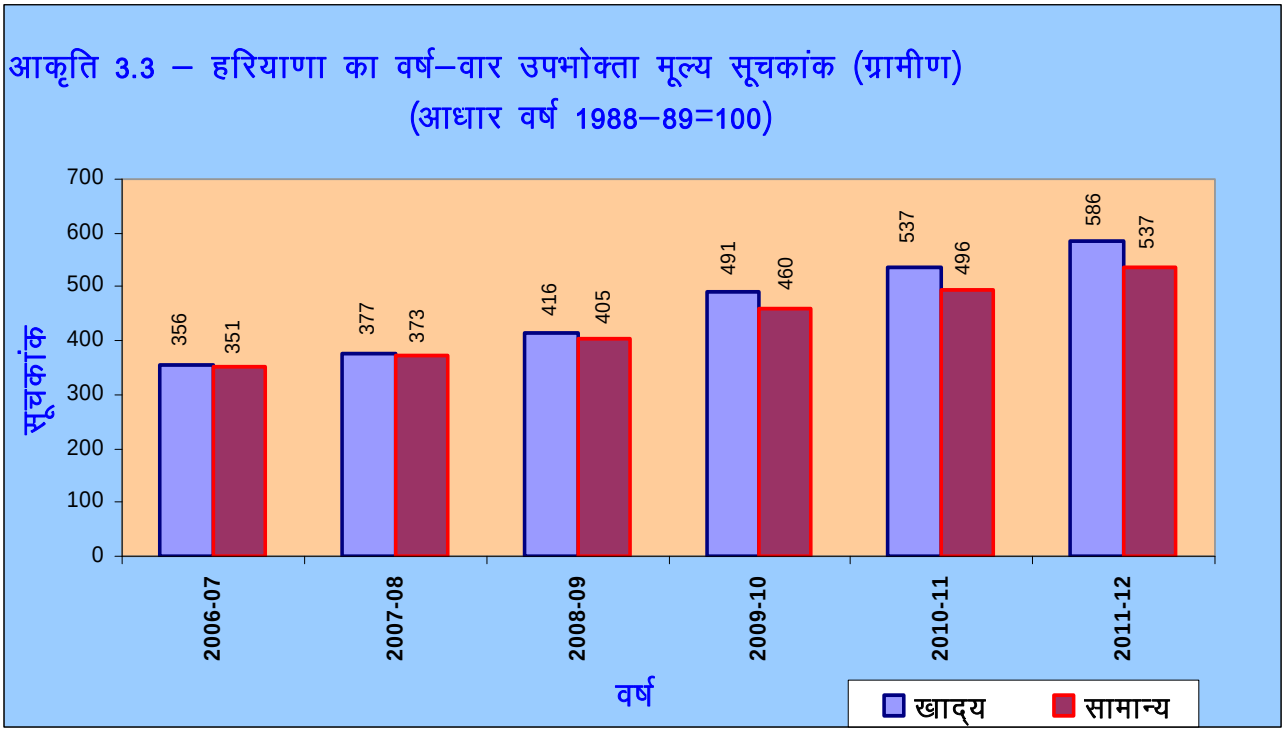

आकृति 3.4– हरियाणा का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)
(आधार वर्ष 1988–89=100)

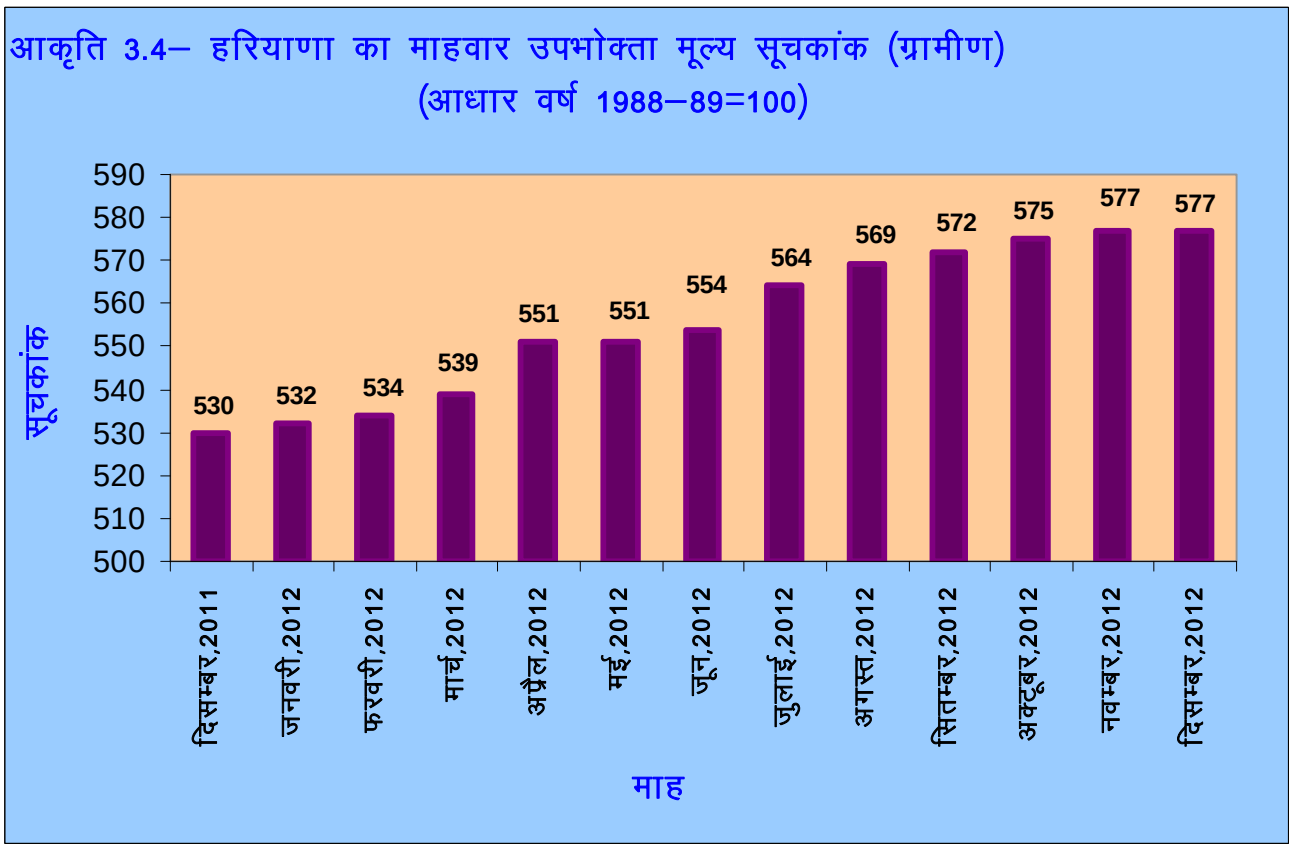

आकृति 3.5 – हरियाणा का श्रमिक वर्ग के लिये वर्ष–वार और केन्द्र–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

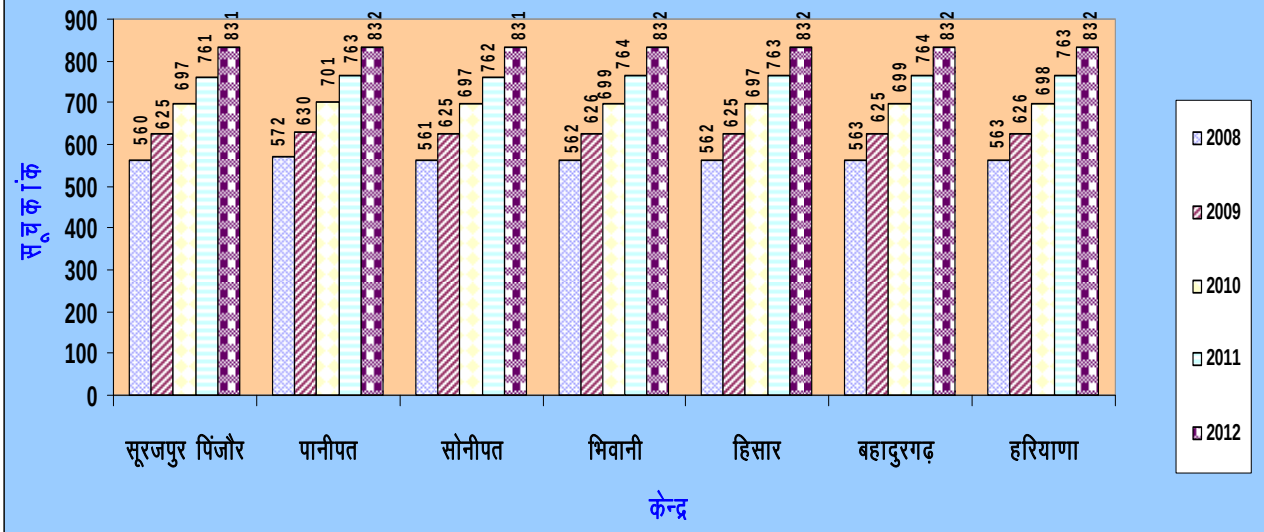

आकृति 3.6 – हरियाणा का श्रमिक वर्ग के लिए माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

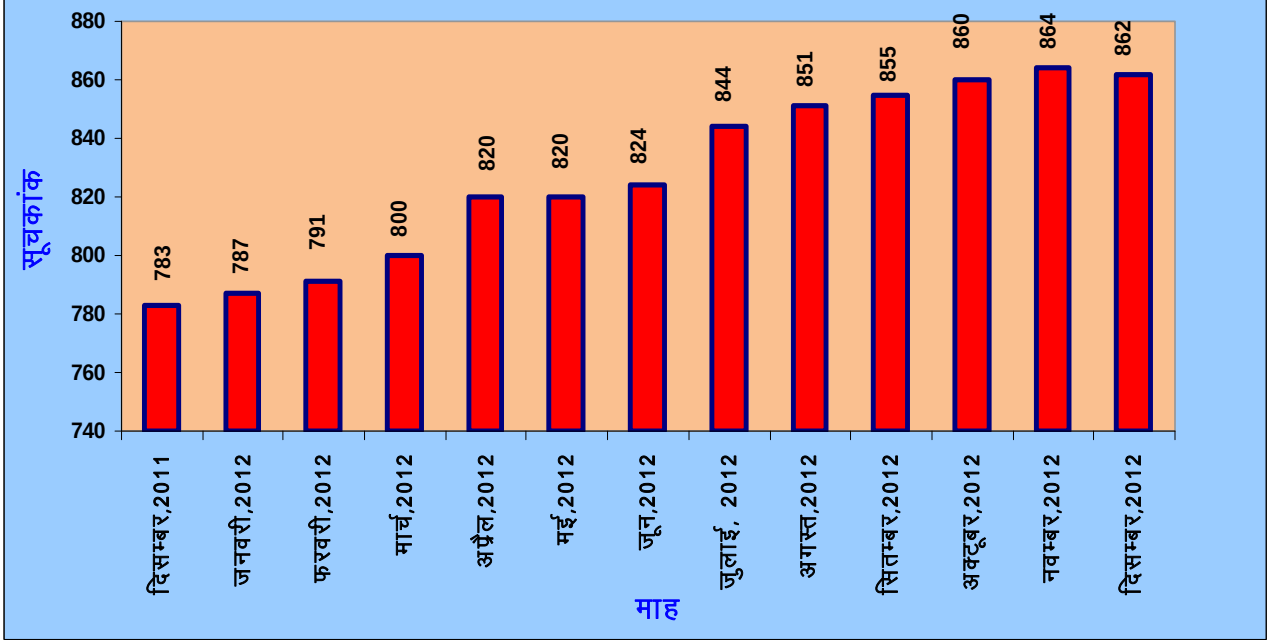

किया जा रहा है। अम्बाला, करनाल, सोनीपत तथा गुडगांव में स्मार्ट कार्ड के फार्म भरे जाने, जांच पडताल, आधुनिकृत तथा नामांकन किए जाने बारे कार्यवाही जोरो पर है तथा बकाया 17 जिलों में मास सितम्बर, 2012 से यह कार्य प्रगति पर है। मास जून, 2013 से स्मार्ट कार्ड परियोजना पूरे राज्य में लागू हो जाऐगी।

न्यून्तम समर्थन मूल्य खाद्यान्नों की खरीद

3.8 खाद्यान्न पदार्थों की बाजार कीमतों को ध्यान मे रखतें हुए भारत सरकार प्रतिस्पर्धा संतुलन स्तर से अधिक खाद्यान्नों का न्यून्तम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है। ***वर्ष 2007–08 मे गेहूं का न्यून्तम समर्थन मूल्य 850 (750+100 बोनस) रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2012–13 मे 1,285 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जोकि 51.18 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। हालांकि, अब यह मूल्य वर्ष 2013–14 में 1,350 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान (कामन) की न्यून्तम समर्थन कीमत वर्ष 2007–08 मे 745 (645+100 बोनस) रूपये से बढ़ाकर 1,250 रूपये व धान (ग्रेड ए) की न्यून्तम समर्थन कीमत वर्ष 2007–08 मे 775 (675+100 बोनस) रूपये से बढ़कर वर्ष 2012–13 मे 1,280 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।***

3.9 खाद्यान्नों को खरीद एजेंसियों द्वारा न्यून्तम समर्थन मूल्य खरीदने के लिए सरकार द्वारा राज्य मे व्यापक प्रबन्ध किये गये है। गेहूं की खरीद जो वर्ष 2007–08 मे 33.50 लाख टन थी, ने बढ़कर वर्ष 2009–10 मे 69.24 लाख टन के स्तर को छुआ, जो कि 106.68 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। गेहूं, धान और बाजरा की खरीद वर्ष 2010–11 मे कम हुई परन्तु वर्ष 2012–13 मे गेहूं और धान की खरीद पुनः बढकर क्रमशः 87.16 तथा 38.46 लाख टन हो गई। गेहूं और धान की खरीद वर्ष 2007–08 से वर्ष 2012–13 मे बढकर क्रमशः 160.18 प्रतिशत तथा 115.46 प्रतिशत हो गई।

***

4

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

राज्य गठन के समय से ही लोगों के लिए कृषि मुख्य प्रवास और प्रमुख व्यवसाय बनी हुई है। कृषि क्षेत्र हमेशा राज्य अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य घटक रहा है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बढ़ी है क्योंकि सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा राज्य में हरित क्रान्ति आई जिसने पिछले कुछ वर्षो में कृषि क्षेत्र के विकास को विशेष बढ़ावा दिया है। राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी से संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वर्ष 2011–12 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध गतिविधियां क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) मूल्यों पर कम होकर मात्र 16.7 प्रतिशत चला गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो मे उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के वृद्धि दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया है परन्तु हाल के अनुभवों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि राज्य में तीव्र मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है जो विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का विकास राज्य अर्थव्यवस्था के संपादन में निरन्तर एक महत्वपूर्ण कारक रखा गया है।

4.2 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र कृषि, वानिकि एवं लोजिंग और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों से बना है। कृषि जिसमे पशुपालन और डेयरी खेती भी शामिल है, का कृषि और सहबद्ध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 95 प्रतिशत योगदान के साथ मुख्य घटक है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत है जिससे इन दो उप क्षेत्रों का प्रभाव कृषि और सहबद्ध क्षेत्र का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर बहुत कम पड़ता है।

कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का विकास

4.3 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान (आधार वर्ष 2004–05 पर) चालू एवं स्थिर कीमतों पर साधन लागत पर वार्षिक आधार पर तैयार किये जाते है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2007–08 में कृषि क्षेत्र में 0.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के साथ बुरा प्रदर्शन रहा। वर्ष 2007–08 रबी, तिलहन, गन्ना, चना और सब्जियों और गेहूँ तथा दूध में कम वृद्धि के कारण उत्पादन में तेज गिरावट में कृषि क्षेत्र में नकारात्मक विकास दर का मुख्य कारण था। वर्ष 2008–09 के दौरान कृषि क्षेत्र में 7.4 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर दर्ज की गई। यह उत्साहवर्धक वृद्धि गेहूँ के उत्पादन, तिलहन, चना, फल, सब्जियां तथा दूध मांस में उत्कृष्ट वृद्धि का परिणाम थी। 2008–09 में उत्साहजनक वृद्धि प्राप्त करने के बाद गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ, चना और रबी तिलहन आदि काफी उत्पादकता वाली फसलों के उत्पादन में तेज गिरावट वर्ष 2009–10 में दर्ज की गई जिसके परिणाम स्वरूप 11वीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष 2009–10 में नकारात्मक 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष 2010–11 में कृषि क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई। इस साल यह उत्साहवर्धक वृद्धि गेंहू (10.4 प्रतिशत), बाजरा (27.2 प्रतिशत),रबी तिलहन (12.5 प्रतिशत), गन्ना (5.8 प्रतिशत), चना (77.4 प्रतिशत), फल (16.8 प्रतिशत), सब्जियां (14.0 प्रतिशत) तथा दूध (4.3 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि का परिणाम थी। वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 वानिकी और लोगिग में क्रमशः 3.0, 2.4, 2.1 तथा 2.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि मत्स्य क्षेत्र में 11.9, 13.3, 15.5 तथा 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2007–08 में बिना किसी कम ज्यादा के 2006–07 के समान ही रहा परन्तु 2008–09 के दौरान कृषि और सहबद्ध क्षेत्र ने समग्र 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि वर्ष 2009–10 में इस क्षेत्र में नकारात्मक विकास दर 1.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी। एक बार फिर वर्ष 2010–11 में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में समग्र 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

4.4 वर्ष 2011–12 के त्वरित अनुमान बताता है कि साधन लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2010–11 में 27,609.08 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 29,911.10 करोड़ रूपये हुआ जिस से वर्ष 2011–12 में 8.3 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2011–12 में स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद व्यक्तिगत कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः 28,390.97 करोड 1,233.93 करोड़ तथा 286.20 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र की व्यक्तिगत विकास दर क्रमशः 8.6, 2.1, तथा 12.8 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्साहजनक 8.6 प्रतिशत विकास दर चावल (8.5 प्रतिशत), गेहूँ के (12.9 प्रतिशत), कपास, (50 प्रतिशत), गन्ना (15.2 प्रतिशत), मक्का (26.3 प्रतिशत), जौ (17.7 प्रतिशत) तथा फल (32.5 प्रतिशत) के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण ही संभव हो सका है।

4.5 यह भी बताया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के राज्य औसत वार्षिक विकास दर 3.9 प्रतिशत दर्ज की गई जो कि अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त की गई औसत वार्षिक वृद्धि दर (3.7 प्रतिशत) से थोडा अधिक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के विभिन्न वर्षो में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों में राज्य तथा भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दर्ज की गई विकास में वृद्धि दर की तुलना **तालिका 4.1** में की गई है।

तालिका 4.1– 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि

क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (द्रुः अः)	कुल
राज्य						
कृषि	–0.3	7.4	–1.7	5.6	8.6	3.9
वानिकी	3.0	2.4	2.1	2.5	2.1	2.4
मत्स्य	11.9	13.3	15.5	6.6	12.8	12.0
कृषि एवं सहबद्ध	–0.1	7.2	–1.4	5.4	8.3	3.9
भारत						
कृषि एवं सहबद्ध	5.8	0.1	0.8	7.9	3.6	3.6

द्रुः अः द्रुत अनुमान

कृषि में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

4.6 कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) भी दीर्धकालिक स्तर पर इस क्षेत्र में विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में स्थाई पूंजी निर्माण की वृद्धि को आंकलन करने के लिए कृषि व सहबद्ध क्षेत्र के लिए सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। राज्य में कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर 2004–05 में 9.3 प्रतिशत से कम होकर 2005–06 में 8.4 प्रतिशत रह गया है। उसके उपरान्त 2009–10 में 9.7 प्रतिशत की पूर्ति हुई है परन्तु उसके बाद पुनः कम होकर 2010–11 में 8.5 प्रतिशत के स्तर पर रह गया है।

कृषि सूचकांक

4.7 फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक जोकि वर्ष 2004–05 में 120.57 था वह बढ़कर वर्ष 2011–12 में 120.70 हो गया है जबकि कृषि उत्पादन सूचकांक व उपज सूचकांक इस अवधि के दौरान क्रमशः 243.01 से बढ़कर 293.69 व 201.55 से बढ़कर 243.32 हो गया है। यह कृषि उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिये किये गए नए अनुसंधानों के कारण सम्भव हुआ है। फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2010–11 में 123.57 था जो कि 2011–12 में कम होकर 120.70 हो गया। कृषि उत्पादन का सूचकांक जोकि 2010–11 में 278.87 था वह 2011–12 में बढ़कर 293.69 हो गया और इस अवधि मे कृषि उपज का सूचकांक 225.68 से बढ़कर 243.32 हो गया। वर्ष 2011–12 के दौरान फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक कम हुआ है जबकि कृषि उपज तथा कृषि उत्पादन सूचकांक इसी अवधि में सबसे ज्यादा रहा। फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन व कृषि उपज सूचकांक **आकृति 4.1 व अनुलग्नक 4.1** में वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 तक दर्शाये गये हैं (आधार त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)।

4.8 राज्य में खाद्यान्नों से सम्बन्धित फसलों का क्षेत्र 71.72 प्रतिशत तथा अखाद्यान्नों से सम्बन्धित फसलों का क्षेत्र 28.28 प्रतिशत है। मुख्य रूप से अनाज खाद्यान्नों का हिस्सा 61.35 प्रतिशत तथा अनाज दालों का हिस्सा 10.37 प्रतिशत है। अखाद्यान्नों में तेल के बीज, रेशेदार फसलों एवं विविध फसलें सम्मिलित है जिनका हिस्सा क्रमशः 4.87, 11.63 व 11.78 प्रतिशत है। सभी फसलों के उत्पादन का कृषि सूचकांक 2004–05 में 243.01 से सामान्य रूप से बढ़कर 2007–08 में 256.53 हो गया है इसके बाद यह 2010–11 में 278.87 के स्तर पर पहुंचने से पहले 2008–09 में 271.76 हो गया। अब 2011–12 में यह बढ़कर 293.69 तक पहुंच गया है। **आकृति 4.2** तथा **अनुलग्नक 4.2** खाद्यान्नों व अखाद्यान्नों सम्बन्धित कृषि उत्पादन सूचकांक को दर्शाता है।

4.9 अनाज खाद्यान्नों से सम्बन्धित कृषि उत्पादन सूचकांक 2004–05 में 244.25 से बढ़कर 2008–09 में 303.62 हो गया था जोकि 24.31 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। वर्ष 2009–10 में यह गिरकर 289.98 हो गया तथा यह पुनः बढ़कर वर्ष 2010–11 में 317.12 से वर्ष 2011–12 में 325.26 हो गया। **अनुलग्नक 4.2** में कृषि उत्पादन सूचकांक को वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक दर्शाता है।

4.10 तेल के बीज का सूचकांक 2004–05 में 603.91 था वह 2007–08 में घटकर 438.77 हो गया जबकि 2008–09 में बढ़कर 657.77 हो गया और वर्ष 2009–10 में यह फिर कम होकर 623.38 हो गया। वर्ष 2010–11 में यह बढ़कर 691.43 के स्तर पर हो गया और फिर यह वर्ष 2011–12 कम होकर 494.75 हो गया। रेशेदार फसलों का सूचकांक 2004–05 में 370.92 था वह 2009–10 में 12.90 प्रतिशत के गिरावट के साथ घटकर 323.08 हो गया और 2010–11 में पुनः घटकर 292.85 हो गया, यह गिरावट 9.36 प्रतिशत है तथा वर्ष 2011–12 में यह फिर बढकर 485.55 हो गया। **अनुलग्नक 4.2** तेल के बीज व रेशेदार फसलों का कृषि उत्पादन सूचकांक वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक दर्शाता है।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र, पैदावार एवं उत्पादकता

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

4.11 राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था जोकि वर्ष 2011–12 में बढकर 65.05 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2012–13 के दौरान सकल बोया गया क्षेत्र 65 लाख हैक्टेयर रहने का अनुमान है। राज्य में गेहूँ तथा चावल फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 58 प्रतिशत है। वर्ष 2012 में चावल के अधीन क्षेत्र 12.15 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है तथा 2012–13 में गेंहू के अधीन क्षेत्र 25.05 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रति वर्ष उतार चढाव रहा है **(अनुलग्नक 4.3)**।

4.12 राज्य में फसलों की गहनता वर्ष 2010–11 में 185 प्रतिशत हो गई है। कृषि में चावल–गेहूँ चक्र का प्रभाव रहा है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी तथा भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। यद्यपि गेंहू–चावल की फसल की प्रभुता को बदलने के प्रयास किये गये हैं, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है।

अधिक उपजाऊ किस्मों के अधीन क्षेत्र

4.13 वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य में गेहूँ, चावल, मक्की तथा बाजरे की अधिक उपजाऊ बीजों वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र क्रमशः 97.4, 64.6, 82.0 और 98.2 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान इन फसलों के अधीन अनुमानित क्षेत्र क्रमशः 99.4, 65.6, 63.6 व 99.4 प्रतिशत रहेगा।

मुख्य फसलों का उत्पादन

4.14 ***राज्य के अस्तित्व में आने के समय से हरियाणा में खाद्यानों के उत्पादन में अपूर्व वृद्वि दृष्टिगोचर होती है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान मात्र 25.92 लाख टन था जो वर्ष 2011–12 में बढकर 183.42 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जो कि लगभग सात गुणा वृद्वि दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढाने में गेहू और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। गेंहूँ और चावल (जोकि राज्य की मुख्य फसलें हैं) के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। वर्ष 2011–12 के दौरान गेंहू का उत्पादन 130.69 लाख टन था तथा वर्ष 2011 के दौरान चावल की पैदावार 37.59 लाख टन हुई जो कि गेंहू के उत्पादन में 12 गुणा व चावल के उत्पादन में 17 गुणा बढोतरी दिखाता है जबकि वर्ष 1966–67 में गेंहू तथा चावल का उत्पादन क्रमशः 10.59 लाख टन व 2.23 लाख टन था। वर्ष 2012–13 में कुल खाद्याान्न का उत्पादन 176.21 लाख टन होने का अनुमान है। चावल का उत्पादन वर्ष 2012 में 39.76 लाख टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में गेंहू का उत्पादन 124.34 लाख टन होने का अनुमान***

आकृति 4.1– हरियाणा के क्षेत्र, औसत उपज और पैदावार के कृषि सूचकांक

(आधार वर्ष: त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)

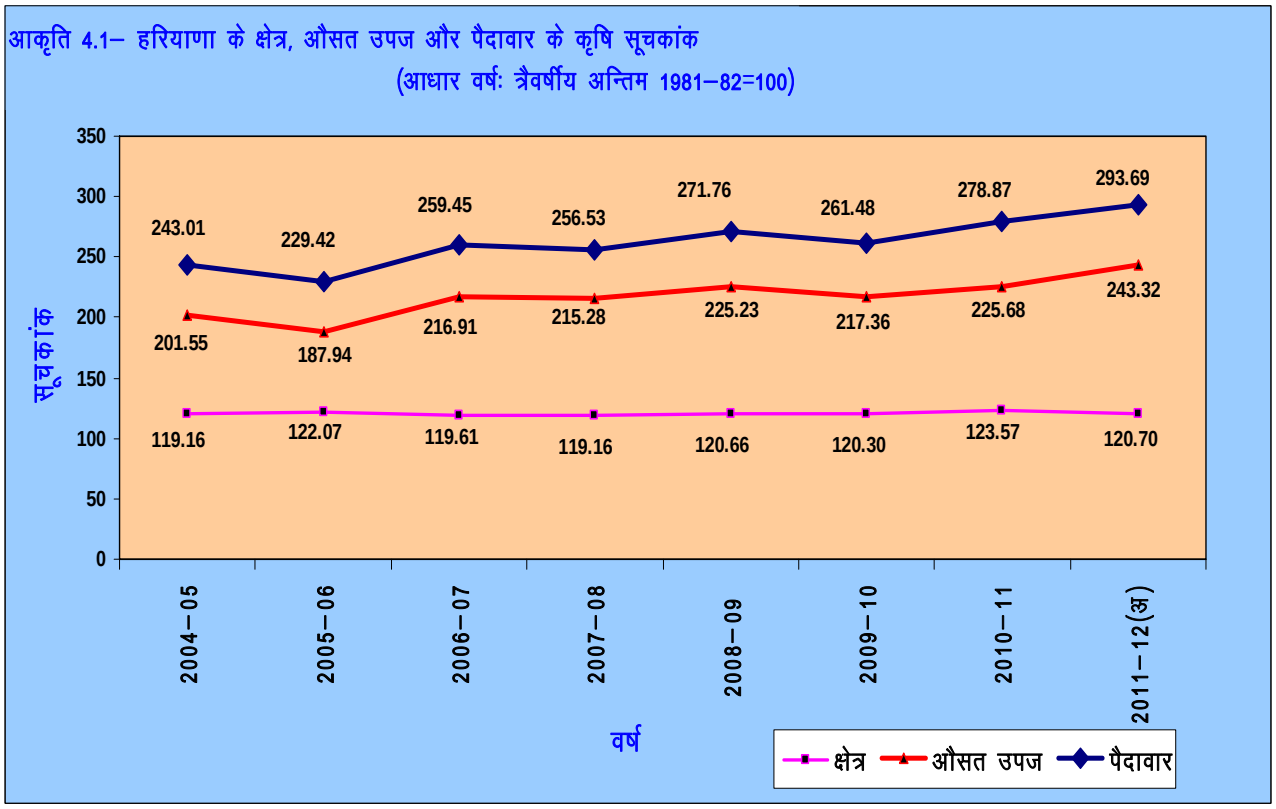

आकृति 4.2– हरियाणा के कृषि उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष: त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)

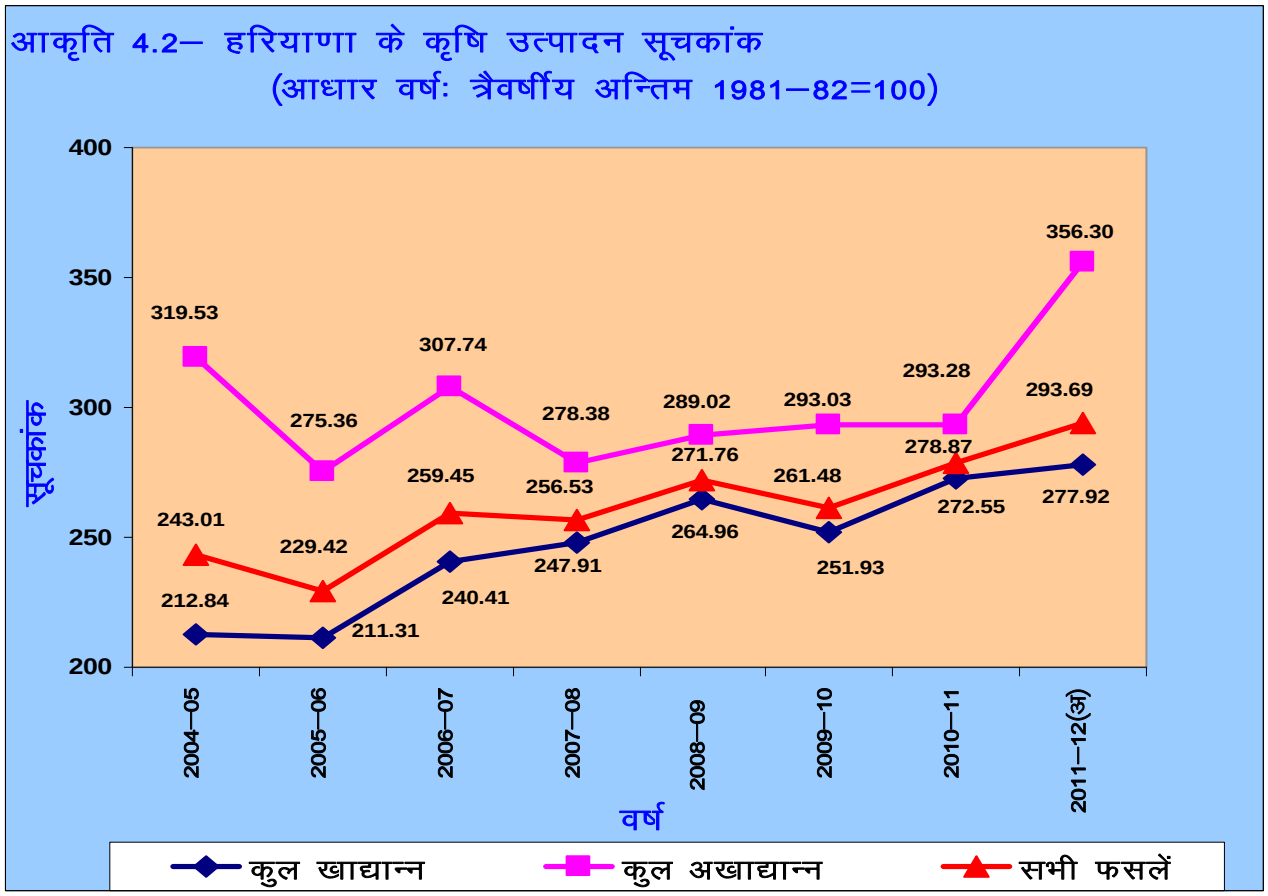

है। वर्ष 2012–13 में तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन क्रमशः 9.47 लाख टन तथा 74.90 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2012–13 में कपास का उत्पादन 23.84 लाख गांठें होने का अनुमान है (अनुलग्नक 4.4)।

4.15 वर्ष 2012–13 के लिये खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 180.97 लाख टन निर्धारित किया गया है जिसमें 52.81 लाख टन खरीफ व 128.16 लाख टन रबी मौसम के लिय हैं, जोकि गत वर्ष की उपलब्धता से 1.3 प्रतिशत कम है। इसके साथ–साथ गन्ने, कपास व तिलहन का लक्ष्य क्रमशः 79.20 लाख टन, 26.47 लाख गांठें व 10.24 लाख टन निर्धारित किया गया है।

4.16 ***गेंहू की जबरदस्त बढती उपलब्धियो के मध्यनजर हरियाणा को वर्ष 2010–11 में 'कृषि करमन आवार्ड' से नवाजा गया जिसमें एक करोड़ रूपये नकद इनाम व प्रशंसात्मक ट्राफी प्रदान की गई तथा अब पुनः दिनांक 15–01–2013 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में हरियाणा को इसी आवार्ड से नवाजा गया।***

4.17 हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डारण में योगदान करने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। 60 प्रतिशत से अधिक बासमती चावल अकेले हरियाणा राज्य से निर्यात किया जाता है।

मुख्य फसलों की पैदावार

4.18 वर्ष 2011–12 के दौरान भारत में गेहूँ तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 2,938 कि0ग्रा0 व 2,240 कि0ग्राम प्रति हैक्टेयर था जबकि हरियाणा में क्रमशः 5,182 व 3,044 कि0 ग्रा0 प्रति हैक्टेयर था। राज्य में वर्ष 2012–13 में गेहूँ तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 4,950 तथा 3,272 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(अनुलग्नक 4.5)**।

पौधा संरक्षण कार्य के अधीन क्षेत्र

4.19 वर्ष 2011–12 के दौरान पौधा सरंक्षण के अधीन 71.10 लाख हैक्टयर क्षेत्र था तथा जिसके 2012–13 में 71.10 लाख हैक्टयर होने की सम्भावना है। वर्ष 2010–11 के दौरान कीटनाशक की खपत 4,060 टन था जो 2011–12 के दौरान घटकर 4,050 टन रह गया।

फसल बीमा योजनाएं

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन0ए0आई0एस)

4.20 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन0ए0आई0एस) हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2004 से लागू की गई। इस योजना के अर्न्तगत खरीफ मौसम में बाजरा, मक्की, कपास, अरहर तथा रबी मौसम में तिलहन, चना तथा जौ फसल को कवर किया गया। इस योजना को केवल भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (ए.आई.सी.) द्वारा क्रियावन्यन किया जा रहा है। इस योजना के तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को निर्धारित प्रीमियम पर 10 प्रतिशत अनुदान राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत वास्तविक पैदावार के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि, प्रीमियम दरें, मौसम सम्बन्धित विषय स्थितियों और अन्य शर्तो को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में अधिसूचित किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत प्रीमियम से ज्यादा सभी वितीय देनदारी राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर के हिस्सेदारी के अनुसार वहन की जाती है। अब तक इस योजना के अर्न्तगत 6.30 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है व 2,377.87 लाख रुपये का प्रीमियम इक्ट्ठा हुआ तथा इस योजना के लागू होने से 3,382.91 लाख रुपये की राशि किसानों को बतौर मुआवजा भुगतान किया गया है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू0बी0सी0आई0एस)

4.21 राज्य में पहली बार रबी 2009–10 के दौरान गेहूं की फसल के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना आरम्भ की गई थी। इस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के 17 जिलों के 18 ब्लाकों में लागू की जा रही है। यह योजना गेंहू तथा धान में शुरु से लागू की गई तथा बाजरा व कपास को एक–एक ब्लाक में लागू की जा रही है। यह योजना विभिन्न मौसम आधारित मापदण्डों जैसे न्यूनतम वर्षा, अधिक वर्षा, उच्च तापमान तथा शुष्क दिनों की अवधि पर आधारित है। इस योजना के अर्न्तगत 70 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम अनुदान सभी किसानों को प्रदान किया जाता है। सभी मुआवजे का भुगतान केवल क्रियान्वयन संस्था द्वारा किये जाते है। भारत सरकार द्वारा अधिकृत निजी कम्पनियां आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, इफको–टौकियो, चौला एम0एस तथा एच0डी0एफ0सी0इरगो के अतिरिक्त भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटिड द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रत्येक मौसम के शुरु में राज्य सरकार द्वारा सभी कम्पनीयों को दिशा निर्देश/अधिसूचना की जाती है। खरीफ 2012–13 तक 1,23,835

किसानों को इस योजना के अर्न्तगत लाया गया है। खरीफ 2012–13 तक किसानों से प्रीमियम इकट्ठा किया गया है और 1,944.57 लाख रुपये का मुआवजा रबी 2011–12 तक दिया गया।

विनिमृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम0एन0ए0आई0एस)

4.22 विनिमृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पायलट आधार पर पहली बार करनाल व कैथल जिलों में धान फसल पर खरीफ 2011 से लागू की गई। अब यह योजना गेंहू व धान फसल पर चार जिलों करनाल, कैथल, रोहतक व जींद में लागू की जा रही है। इस योजना में ग्राम पंचायत को एक ईकाई के रुप में माना गया है। इस योजना के अर्न्तगत 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत प्रीमियम अनुदान का प्रावधान है जो कि 2 से 15 प्रतिशत के विभिन्न चरणों पर निर्भर करता है। सभी मुआवजे क्रियान्वयन संस्था द्वारा दिये जायेंगे। खरीफ 2012–13 तक 93,415 किसानों को कवर किया गया है। खरीफ 2012–13 तक 2,253.19 लाख रुपये प्रीमियम इकट्ठा हुआ है। 2011–12 तक 3,438 लाख रुपये मुआवजे के रुप में दिये गये है।

कृषि उत्पादन हेतू की गई पहल

4.23 रबी, 2007–08 से भारत सरकार द्वारा दो नई केन्द्रीय संचालित योजनाएं नामतः–राष्ट्रीय खाद्यय सिक्योरिटी मिशन (एन.एफ.एस.एम.) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सिक्योरिटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य राज्य में पहचान किये गये जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन वृद्वि से गेहूँ और दलहन क्षेत्र व पैदावार में बढोतरी करना है। राष्ट्रीय खाद्यय सिक्योरिटी मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अधीन वर्ष 2012–13 में 55.10 करोड रूपये अलाट किये गये है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता 4 प्रतिशत प्राप्त करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्वेश्य राज्यों को कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में अधिक धन लगाने में पहल करना तथा इनकी योजना, चयन एवं अनुमोदन में राज्य को लचीलापन प्रदान करना है। सिंचाई के लिये सीमित साधनों के उचित उपयोग हेतू भूमिगत पाईप लाईन सिस्टम को बढावा दिया जा रहा है तथा इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 45 करोड रूपये की राशि व्यय की जा रही है।

4.24 देश में फुव्वारा सिचांई तकनीकी को अपनाने में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में अनुमानित 8,000 नये फुव्वारा सयन्त्रों की स्थापना से राज्य में फुव्वारा सयन्त्रों की संख्या बढ़कर 1,35,283 हो गई है। यह सयन्त्र अधिकतर राज्य के शुष्क एंव अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कार्य कर रहे है। किसानों द्वारा पानी की बचत करने हेतू भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली को काफी बढ़ावा दिया है। वर्ष 2011–12 के दौरान 18,932 हैक्टेयर क्षेत्र में पाईप बिछाये गये जिस पर कृषक को 50 प्रतिशत की दर से अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 60,000 रूपये है, प्रदान करने हेतू 28.81 करोड़ रूपये व्यय किए गए। वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिये 45 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की है।

उर्वरक

4.25 राज्य में हरित क्रान्ति लाने तथा कृषि उत्पाद बढाने में उर्वरक जोकि नई तकनीक का एक भाग है, का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिक उपजाऊ बीजों की किस्में आने के कारण रसायनिक खादों की खपत धीरे–2 बढ़ रही है। राज्य में वर्ष 2012–13 के दौरान एन.पी.के. की खपत 1,428 हजार टन रहने की सम्भावना है **(तालिका 4.2)**।

तालिका 4.2– राज्य में उर्वरको की खपत

(किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	उर्वरको की खपत
1990–91	99
2000–01	152
2005–06	173
2006–07	173
2007–08	187
2008–09	199
2009–10	209
2010–11	209
2011–12 अनुमानित	224

सिंचाई

4.26 हरियाणा सरकार ने उपलब्ध सीमित जल संसाधनों के सदुपयोग हेतु परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि हरियाणा पानी की कमी वाला प्रदेश है और यहां पर पानी उपलब्धता 14 एम.ए.एफ. है जो कि 36 एम.ए.एफ. पानी की आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है, हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा पानी के संरक्षण के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। पानी के बहाव में होने वाली क्षति को कम करने के लिए नहर प्रणाली का पुर्नवास चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 150 चैनलों का पुनर्वास का कार्य 200 करोड रूपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। बरवाला ब्रांच के पुर्नवास का मुख्य कार्य 26.90 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है जो कि पूरा होने वाला है। जलमार्गो के पुननिर्माण एंव पुनर्वास का कार्य चरणवद्व तरीके से किया जा रहा है। कुल 7500 पहचाने गए जलमार्गो में से 2530 जलमार्गो का पुनर्वास कर दिया गया है और 169 जलमार्गो का कार्य प्रगति पर है। शेष बचे हुए जलमार्गो का पुनर्वास चरण बद्व तरीके से समय अनुसार कर दिया जाएगा।

4.27 गुडगांव और इसके इलावा मानेसर, बहादुरगढ, सांपला और बादली के रूप में अन्य उभरते औद्यौगिक शहरो के पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एन0सी0आर0 वाटर सप्लाई चैनल का निर्माण किया गया है। गुडगांव में हुडा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस चैनल में पानी भी छोडा जा चुका है। पंचकुला जिले में घग्गर नदी पर पंचकुला और उसके आसपास के क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति के साथ–साथ भीषण बाढ़ से राहत प्रदान करने के लिए कौशल्या बांध का निर्माण किया गया है।

4.28 हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा भूजल संभरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। भू–जल संभरण हेतू मानसून के दौरान यमुना नदी के फालतू पानी का उपयोग करने के लिए दादूपूर–शाहबाद–नलवी सिंचाई योजना का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है जबकि पहले चरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। विभाग ने दादूपर शाहबाद नलवी सम्पर्क चैनल को लगभग दो महीने के लिए 200 क्यूसिक्स पानी से चलाया है।

4.29 ओटू झील में गाद निकालने का पहले और दूसरे चरण का कार्य रूपये 45.19 करोड रूपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। विभाग द्वारा मानसून के दौरान भूजल संभरण और सिंचाई सुविधाओं की पूर्ति के लिए 117.45 करोड़ की लागत से जिला कुरूक्षेत्र में बीबीपूर झील की मुरम्मत, पुनर्भरण और जिर्णोद्वार की प्रस्तावना है। यह परियोजना बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना का एक छोटा सा हिस्सा प्रदेश के राजकीय कोष से 18 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया जा रहा है जो कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों को तत्काल राहत प्रदान करेगा।

4.30 जल भराव को नियंत्रण और रोक के लिए विभाग द्वारा 10.79 करोड़ रूपये की लागत से 200 कम गहराई वाले नलकूपों की खुदाई का कार्य जे0एल0एन फीडर के साथ–साथ किया जा रहा है। इन नलकूपों से नमकीन व खारे पानी को नहरी पानी के साथ मिलाया जाऐगा जो कि जे0एल0एन0 फीडर के साथ 4000 हेक्टेयर जलमग्न भूमि का रीक्लेम करने में सहायता करेगा। इस परियोजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किया जा रहा है।

4.31 यमुना नदी के आश्वासित पानी को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार यमुना नदी के उपरी भागों पर किसाउ, रेणुका एवं लखवार वियासी नाम भण्डारण बांधों के निर्माण के मामले की पैरवी कर रहा है। रेणुका बांध के लिए पर्यावरण दृष्टिकोण से निपटान बारे स्वकृति का कार्य अन्तिम स्तर पर है। आशा है कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें किसाउ बांध के निर्माण हेतू एक समझौते पर पहुंच जाएंगें। जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने लखवार व्यासी बांध को मंजूरी दे दी है और इस पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

4.32 हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2011–12 में खरीफ के प्रमाणित बीजों का 9,507 क्विंटल तथा रबी के प्रमाणित बीजों का 2,65,954 क्विंटल उत्पादन किया। किसानों को समय पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 74 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम अपने बीज बिक्री केन्द्रों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी/सहकारी संस्थाओं जैसे इफको, कृभको, मिनी बैंकों, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम आदि के माध्यम से भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त खरपतवार नाशक, कीट नाशक, एवं फफुंदीनाशक दवाईयां बीज बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा

रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने बीजो की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है जो कि हरियाणा राज्य के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाणा बीज विकास निगम के प्रमाणित बीजों की बिक्री अन्य राज्य बीज निगमों, कृषि विभाग और निगम के अधिकृत विक्रेताओं एवं अन्य खरीददारों के माध्यम से भी की जाती है। बर्ष 2011–12 (खरीफ–2011 एवं रबी 2011–12) खरीफ, 2011 के दौरान निगम ने 4,12,715 क्विंटल (राज्य एवं राज्य से बाहर की आपूर्ति को मिलाकर) विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, बाजरा, तिलहन तथा रबी, 2011–12 के दौरान गेहूँ, दालें, जौ, जई एवं बरसीम आदि के बीजों की बिक्री की है। वर्ष 2012–13 में विभिन्न फसलों के 2,76,819 क्विंटल (राज्य एवं राज्य से बाहर की आपूर्ति को मिलाकर) प्रमाणित बीजों की बिक्री होने का अनुमान है।

4.33 वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा भूमि सुधार हेतू खरीफ–2012 में 7,262 क्वि. ढैचा बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया गया। हरियाणा बीज विकास निगम ने 1,130 क्विंटल, 6,978 क्विंटल एवं 3,899 क्विंटल मूँग का प्रमाणित बीज हरियाणा के किसानो को 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अनुदान पर एवं दाल के बीजों के उत्पादन को बढावा देने की स्कीम के अर्न्तगत उपलब्ध करवाया। निगम ने खरीफ–2012 में किसानों को 300 क्विंटल उड़द का प्रमाणित बीज एवं दाल के बीजों के उत्पादन को बढावा देने की स्कीम के अर्न्तगत उपलब्ध करवाया। वित्तीय वर्ष 2012–13 के अर्न्तगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर सब्जियों के प्रमाणित एवं हाईब्रीड बीज उपलब्ध करवाए हैं। निगम ने खरीफ 2012 में 51,966 पैकेट बी.टी.काटन के बीज हरियाणा के किसानों को उपलब्ध करवाए। निगम ने रबी 2012–13 में राज्य के किसानों को बरसीम 6,617 क्विंटल व 1,177 क्विंटल जई का बीज 90 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत अनुदान पर चारा बीजों को बढावा देने की स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया।

बीज प्रमाणीकता

4.34 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई थी। इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलो की अधिसूचित की गई जातियों के बीज को निर्धारित मानको के अनुसार प्रमाणित करना है। फसलवार निर्धारित मानकों का विवरण केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दिया हुआ है। वर्ष 2012–13 में विभिन्न उत्पादक संस्थाओं/उत्पादको द्वारा 89,000 हैक्टेयर क्षेत्र प्रमाणीकरण के लिए आफर किये जाने की सम्भावना है जिससे हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का 2,215 हजार क्विंटल बीज प्रमाणीकरण किये जाने का अनुमान है। राज्य में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 155 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे है जिन पर प्रमाणीकरण हेतु बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है।

बागवानी

बागवानी के अधीन क्षेत्र एवं उत्पादन

4.35 हरियाणा राज्य बागवानी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। हरियाणा राज्य में 4.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि कुल फसल क्षेत्र का 6.61 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य में वर्ष 2011–12 में बागवानी फसलों की कुल पैदावार 57.11 लाख टन है।

फल एवं सब्जी की खेती

4.36 जलवायु एवं मृदा के अनुसार उद्यान विभाग फल उत्पादन के विकास के लिए सामूहिक पहुँच को प्रोत्साहित कर रहा है जिससे वर्ष 2011–12 में फलों का क्षेत्र व उत्पादन बढ़कर क्रमशः 47,036 हैक्टेयर क्षेत्र और 4,76,570 टन फल उत्पादन हो गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान क्रमशः 5,000 हैक्टेयर व 5,00,000 टन का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर, 2012 तक फलों के अन्तर्गत 1,706 हैक्टेयर क्षेत्र व 2,70,553 टन उत्पादन हो चुका है।

4.37 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण ताजा सब्जियों की मांग कई गुना बढ़ गई है। वर्ष 2011–12 में सब्जियों का क्षेत्र व उत्पादन क्रमशः 3,56,769 हैक्टेयर व 50,68,426 टन उत्पादन था। वर्ष 2012–13 के लिए 3,65,000 हैक्टेयर क्षेत्र व 50,00,000 टन सब्जी पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा जिसमें माह दिसम्बर, 2012 तक सब्जियों के अन्तर्गत 2,71,028 हैक्टेयर क्षेत्र व 29,42,087 टन उत्पादन हो चुका है।

मसाले

4.38 मसालों के अर्न्तगत क्षेत्र वर्ष 2011–12 में बढ़कर 18,092 हैक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2012–13 के लिए 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2012 तक मसालों के अधीन 14,140 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

4.39 वर्ष 2011–12 के दौरान 1,731 हैक्टेयर क्षेत्र औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अधीन लाया जा चुका है। वर्ष 2012–13 के लिए 283 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है तथा माह दिसम्बर, 2012 तक 507 हैक्टेयर क्षेत्र पौधों की खेती के अधीन लाया जा चुका है।

मशरूम

4.40 हरियाणा बटन मशरूम उत्पादन में देशभर में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2011–12 में खुम्ब उत्पादन 7,733 टन हो चुका है। वर्ष 2012–13 के लिए 9,600 टन खुम्ब उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2012 तक 5,585 टन खुम्ब का उत्पादन हो चुका है।

फूलों की खेती

4.41 फूलों के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 2011–12 में बढ़कर 6,340 हैक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2012–13 के लिए 7,215 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2012 तक फूलों के अधीन 5,107 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

हरित गृह

4.42 गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन और रोग मुक्त पौध तैयार करने के लिए हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2011–12 के अन्त तक 22 हैक्टेयर ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके है। इनडो–ईजराईल के सुचारू कार्यान्वयन तथा प्रदर्शन के कारण बहुत से किसान इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2012–13 के लिए 7,26,000 वर्गमीटर ग्रीन हाउसेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह दिसम्बर, 2012 तक 5,98,900 वर्गमीटर में ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके है।

बागवानी के लिए पहल

4.43 बागवानी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन नामक योजना प्रारम्भ की गई है। इस मिशन को वर्ष 2011–12 के दौरान हरियाणा में जिला फरीदाबाद, रिवाडी तथा कैथल, को छोडकर सभी जिलों में लागू की गई।

4.44 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हरियाणा राज्य में दो इण्डो–इजराईल प्रोजैक्टों, नामतः सब्जियों के लिए सेन्टर ऑफ एक्सेलैंस, घरौन्डा (करनाल) व फलों के लिए सेन्टर ऑफ एक्सेलैंस, मांगियाना (सिरसा) हेतू कुल वित्तीय आउटले 1,570 लाख रूपये के स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजैक्ट्स सघन पौधारोपण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, नई किस्म उत्पादन करने, ग्रीन हाउस में सब्जियों की काश्त करने व अत्याधुनिक ग्रीन हाउस में बढ़िया पौध तैयार करने के लिए नवीनतम तकनीक के प्रयोग से लगाए गए हैं।

4.45 जल स्त्रोत प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए 13.16 करोड़ रूपये की राशि से 321 सामुदायिक एवं जल स्त्रोत तालाब बनाने का प्रावधान किया गया है। माह दिसम्बर, 2012 तक 172 सामुदायिक एवं जल स्त्रोत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है।

4.46 राष्ट्रीय मिशन के सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक 5,786.08 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए 9,370 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म प्रणाली के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें माह दिसम्बर, 2012 तक 4,699 हैक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है।

कृषि अध्यापन, शोध एवं विस्तार

4.47 विश्वविद्यालय की तीन मुख्य गतिविधियां हैंः अध्यापन, शोध एवं विस्तार। किसानों की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों को नवप्रवर्तन तथा विकसित नवीनतम तकनीकों की सहायता से बहुत निष्ठा से किया जाता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं राज्य सरकार की नॉन प्लान एवं प्लान योजना एजेंसियों से अनुदान प्राप्त किये जाते हैं।

वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (2011–12)

वर्ष 2012 की मुख्य उपलब्धियाँ

✷ वर्ष 2012 में राया आरएच 0,406, अमेरिकन कॉटन (एच 1,300) एवं लहसुन (एचजी 17) ये तीन किस्में विमोचित एवं अधिसूचित की गईं। इस अवधि की तीन चिह्नित किस्में हैं। गेहूँ की डब्ल्यूएच 1,105, ड्यूरम गेहूँ की डब्ल्यूएचडी 948 तथा राया की आरएच 0,749 ।

✷ खरीफ फसल के 115 क्विंटल बीज तैयार किये गये।

✷ बी.टी.कॉटन एवं ग्वार की (एफआईआरबीएस) बैड प्लांटिग किये जाने पर उत्पाद में तो थोड़ी वृद्धि हुई किन्तु इससे पारम्परिक प्लांटिग पद्धति की तुलना में 22 प्रतिशत सिंचाई के पानी की बचत हुई।

✷ बिना जुताई व बिना रोपाई में उगाये गए बासमती चावल से (डीएसआर) उत्पाद में काफी वृद्धि हुई तथा सिंचाई के पानी में भी 18–30 प्रतिशत की बचत हुई।

✷ मक्का के विविध खरपतवार नियन्त्रण हेतु टेम्बोट्राइजोम @ 125 ग्राम a.i/हैक्टेयर का प्रयोग बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ।

✷ कॉटन में दो नहरी व एक क्षारीय पानी की सिंचाई से 8–10 डीएस/एम) किये जाने पर पूरे नहरी पानी से सिंचाई जितना ही उत्पाद हुआ।

✷ 60 बी.टी.कॉटन हाइब्रिड में से आर.सी.एच 650 एवं बायोसीड 6,317 जैसी दो बी टी हाइब्रिड ही कॉटन लीफ कर्ल वायरस रोग से सर्वथा मुक्त पाये गये।

✷ बासमती चावल की नर्सरी में बुआई के 25 दिन बाद कार्बेन्डाजिम (एक ग्राम/एम^2) के प्रयोग से बैकने रोग में 60 प्रतिशत से भी अधिक नियन्त्रण पाया गया।

✷ बाजरा बीज को बैसीलस प्यूमूलिस (आईएनआर 7 @ 8 ग्राम/कि.ग्राम बीज) एवं चिटोसन @ 2.5 ग्राम/कि.ग्राम बीज) जैविक कारक उपचारित करने पर डाउनी मिल्ड्यू में 83 प्रतिशत नियन्त्रण हुआ।

✷ स्पाइनोसेड (175 ग्रा./हैक्टेयर) एवं स्पिनटोरम (125 ग्रा./हैक्टेयर) जैसे जैविक कीटनाशक से टमाटर में 90 प्रतिशत एवं फूलगोभी के डायमण्ड बैकमॉथ के नियन्त्रण में 80 प्रतिशत सफलता मिली।

✷ पलवल एवं झज्जर के धान के क्षेत्रों में जड़गांठ एवं सूत्रकृमि रोग नामक रोग बढ़ता जा रहा है।

✷ सभी मुख्य फसलों को उगाने के लिए ट्रैक्टर चालित मल्टी क्रॉप प्लांटर विकसित किया गया। बी.टी.कॉटन एवं धान की सीधी बिजाई के लिए इसका काम सन्तोषजनक पाया गया।

✷ कम्बाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई किये जाने पर उस क्षेत्र में 1750/प्रति हैक्टेयर का लाभ हुआ।

✷ आंवला तोड़ने की आधुनिकृत मशीन विकसित की गई तथा प्रयोग किये जाने पर पता लगा कि इसकी क्षमता 20–25 कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर है। इस मशीन से विभिन्न प्रकार के आँवलों को वर्गीकृत किया जा सकता है जिससे आंवले की ग्रेडिंग के दौरान समय की बचत होती है।

✷ मक्का, जई, बाकला एवं राइस बीन का आटा तैयार किया गया तथा उन्हें गुणवत्ता के विभिन्न मापदण्डों पर विश्लेषित किया गया। इनसे अधिक गुणवत्ता युक्त हल्का नाश्ता तैयार करने की विधि का मानकीकरण किया गया।

✷ पौलीसैचेराइड प्रोटीन एवं लिपिड पर आधारित खाद्य आवरण तैयार किया गया और उन्हें ताजा फलों व सब्जियों पर इस्तेमाल किया गया। इनमें से दो सर्वाधिक उपयुक्त सांध्रताओं को बैंगन एवं खीरे के लिए मानकीकृत किया गया।

✷ इस अवधि में 2,87,525 उर्वरक बेचे गये।

✷ बहुत सी पौधों की प्रजातियों के लिए बड़े स्तर किन्तु कम लागत वाली पौध तैयार की गई तथा उन्हें सफलतापूर्वक खेतों में आजमा कर देखा गया।

✷ ग्वार की दो प्रजातियों साइमोपसिस टैट्रागोनोलोबा (HG 563) एवं साइमोपसिस सैराटा की संकर किस्म तैयार की गई।

✷ विश्वविद्यालय के उत्पाद एवं उपउत्पाद की बिक्री हेतु किसान सेवा केन्द्र "एकल खिड़की सेवा" द्वारा सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस केन्द्र ने अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक 27,25,300 रुपए के उत्पाद बेचे। जिनका विवरण इस प्रकार हैः–बहुत सी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज, बायोफर्टिलाइजर्स, खाद्य उत्पाद्,शहद एवं खेती सम्बन्धी पुस्तक सामग्री।

✹ इस अवधि के दौरान 6392 लोग लाभान्वित हुए। इनमें से 2522 व्यक्तिगत सम्पर्क, 3895 मुफ्त हेल्पलाइन से तथा 175 पत्राचार से।

✹ इस वर्ष (फार्म दर्शन) की अपेक्षा सितम्बर 12–13, 2012 को किसान मेला (रबी) का आयोजन किया गया ताकि किसानों को खरीफ की फसलों पर किये गए प्रयोग दिखाये जाएं। इस दौरान 6,33,4000 रुपए के रबी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज एवं उर्वरक बेचे गए। 93,160 रुपए के विश्वविद्यालय के प्रकाशन भी बेचे गये। किसान मेला (रबी) में विश्वविद्यालय ने पहली बार कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड

4.48 हरियाणा भूमि सुधार एवम् विकास निगम लिमिटेड (एच.एल.आर.डी.सी.) लि0 की स्थापना वर्ष 1974 में किया गया। निगम की मुख्य कार्य कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की ब्रिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है। भूमि सुधार स्कीम के अर्न्तगत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार तिलहन, दाले, तेल व मक्की की समेकित योजना, (आईसोपोम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) तथा नैशनल फूड स्कोयोरिटी मिशन (एन.एफ.एस.एम) स्कीम के तहत 60 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम प्रदान की जाती है। वर्ष 2012–2013 (दिसम्बर, 2012 तक) निगम द्वारा 72,876 टन जिप्सम हरियाणा राज्य के किसानों को बेची गई। 4,05,499 हैक्टेयर कल्लर भूमि में से 3,37,891 हैक्टेयर भूमि का अबतक सुधार किया जा चुका है। अब शेष 67,608 हैक्टेयर भूमि का सुधार आगामी 8 से 10 वर्षो में कर लिया जाएगा। भारत सरकार के नवीनतम सर्वे के अनुसार जो वर्ष 2012 में किया गया है हरियाणा राज्य में अब कुल 1,84,000 हैक्टेयर भूमि कल्लर है जिसे सुधारा जाना है। वर्ष 2012–2013 (दिसम्बर, 2012 तक) निगम द्वारा 11,094 टन यूरिया, 3,131 टन जिंक सल्फेट खाद, 16,484 लीटर/किलोग्राम/यूनिट कीटनाशक/खरपतवार/फफूंदी नाशक/दवाईयों तथा 2,660 क्विटंल प्रमाणित बीजो की बिक्री हरियाणा राज्य के कृषको को की जा चुकी है।

वन

4.49 वन धरा पर जीवन का आधार है तथा शरीर में श्वसन तंत्र के समतुल्य है। इनका संरक्षण नितांत आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण संसाधन का प्रबंधन दूरदर्शिता, नीति एवं लम्बी अवधि की योजना पर आधारित है। हरियाणा एक छोटा प्रदेश है जिसके 81 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। राज्य में सघन कृषिकरण है और प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य का कुल वन क्षेत्र 0.1594 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। परंतु कम वन क्षेत्र की भरपाई के लिये राज्य में पंचायत भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषि भूमि पर कृषि–वानिकी का विकास किया गया है।

4.50 पिछले चार वर्षों में गावों में अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रामीण तालाबों की खुदाई करके/गाद निकालकर और पुर्नउत्थान के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। 6 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न गावों में लगभग 160 तालाबों का पुर्नउत्थान पहले ही किया जा चुका है तथा आने वाले वर्षों में और अधिक तालाबों का पुर्नउत्थान किया जाएगा। इन तालाबों के सौन्दर्यकरण के लिए इनके चारों ओर पौधारोपण भी किया गया है और चालू वित्त वर्ष में भी ज़्यादा गावों को शामिल करने के लिए यह कार्य लगातार किया जा रहा है।

4.51 भारतीय औषधीय प्रणाली के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, औषधीय पौधों की कृषि के प्रोत्साहन के लिए तथा खेती–बाड़ी में बदलाव हेतू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं। अब तक 17.86 करोड़ रूपये की लागत से 32 हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं और 17 अन्य पार्क विकसित किये जा रहे हैं। कलेसर, मोरनी की पहाड़ियों और सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ईको–टूरिज़म परियोजना प्रारम्भ की गई है और राज्य में ईको–टूरिज़म की गतिविधियों पर भारत सरकार से प्राप्त 6.48 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

4.52 वर्ष 2008–09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए (कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लानल) एक नई योजना शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उदेश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर वाणिज्यिक कीमत वाले क्लोनल सफेदा और पापुलर के पौधे उगाना है। यह योजना राज्य की काष्ठ आधारित इकाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने में लम्बे समय तक सहयोगी सिद्ध होगी। इस योजना के तहत वर्ष 2012–13 में 35 करोड़ रूपये की लागत को प्रस्तावित किया गया है। वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2010–11 से ''राजकीय/राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर

वानिकी का विस्तार'' नामक एक अन्य योजना शुरू की गई है। शैल्टर बैल्ट के रूप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण के कार्य किये जा रहे हैं। पौधारोपण के बाद दो वर्षों तक विभाग द्वारा देखभाल का कार्य किया जाएगा। इस पौधारोपण की विभाग और किसानों द्वारा संयुक्त रूप से तीन वर्षों तक सुरक्षा की जाएगी। तीन वर्षों के बाद पौधारोपण किसानों को सौंप दिया जाएगा। अन्त में फसल का स्वामी किसान होगा। अन्तिम फसल की कटाई के बाद राज्य सरकार शैल्टर बैल्ट पर दोबारा पौधारोपण करके तीन वर्षों तक देखभाल करेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना पर 9.5 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है।

4.53 वन्य जीव जंतुओं के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। बीड़ शिकारगाह पिंजौर में गिद्धों को विलुप्ति से बचाने के लिये एक गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र काफी संख्या में गिद्धों को रखने में सफल रहा है तथा इस केन्द्र में प्रजनन कार्यक्रम के तहत् बच्चों का जन्म हुआ है। वन विभाग हरियाणा एवं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने संरक्षण एवं प्रजनन में 2019 तक सहयोग के लिये एक सहमति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं।

4.54 यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुर्नस्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुर्नस्थापित करने का कार्य किया जायेगा जिससे इन्हे प्राकृतिक आवास दिया जा सके। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिये 90 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन में मौर तथा चिन्कारा के लिए एक संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस पक्षी तथा जानवर का इस केन्द्र में प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टाफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

पशुपालन एवं डेयरी

4.55 कृषि के उपरान्त पशुपालन ग्रामीण लोगों की आय में सुधार लाने का मुख्य साधन है। विभाग ने दुधारू पशुओं की नस्ल व अनुवांशिक सुधार तथा रोग मुक्त रखने के कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए है। इस समय राज्य में 90.50 लाख पशुधन जिसमें 15.52 लाख गाय और 59.53 लाख भैंस है जिनकी देखभाल करने के लिए 2,796 पशु संस्थाएं कार्यरत है। राज्य में औसतन प्रत्येक 3 गांवो में एक पशु संस्था है। इसके अतिरिक्त समान संख्या के गांव में पशुपालन सुविधाऐं प्रदान करने हेतू 1,145 सघन पशुधन विकास केन्द्र पीपीपी के अन्तर्गत स्थापित किये गये है।

4.56 ***राज्य में वर्ष 2011–12 के दौरान 66.61 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ। वर्ष 2011–12 में हरियाणा राज्य 708 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के साथ देश में दूसरे उच्चतम स्थान पर है।*** राज्य में वर्ष 2011–12 के दौरान ऊन तथा अण्डों का उत्पादन क्रमशः 13.30 लाख टन तथा 41,140 लाख था।

4.57 मुर्राह भैसों तथा हरियाणा व साहीवाल गायों की नस्ल में अनुवांशिक सुधार लाने के साथ–2 इनको संरक्षित करके इनकी संख्या में बढोतरी लाई जायेगी। वर्ष 2013–14 में इस जर्मप्लाजम के संरक्षण व प्रचार हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये 720 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन उच्च–कोटि के पशुओं को चुना जायेगा ताकि उन चुनित भैसो से भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम के लिये एक 'जीन पूल' बनाया जा सके। इसके साथ–2 पशुओं की उत्पादन क्षमता को कम से कम समय में अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिये नवीनतम तकनीक लाने के प्रयत्न किये जा रहे है। अधिकतम दुग्ध देने वाले पशुओं के मालिको को प्रोत्साहन के रूप में प्रतिदिन दुध उत्पादन के आधार पर 5,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक की राशि नकद प्रदान की जाती है। नियमित प्रजनन द्वारा प्रति पशु अधिकतम उत्पादकता बढाने के लिये एक अनुठा कार्यक्रम 'बांझ मुक्त पशुधन' चलाया जा रहा है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा।

4.58 इन पशु संस्थाओं में पशु रोग तथा जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है। चालु वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 40 नई पशु संस्थायें खोलने तथा 3 नई पॉलिक्लीनिक रिवाडी, जीन्द व कैथल में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

4.59 बेरोजगार युवको/युवतियों को डेयरी के माध्यम से वर्ष 2012–13 में 1387 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2012–13 में 1,800 डेयरी यूनिटस स्थापित करने का लक्ष्य है। उत्पादन बढ़ाने तथा दूध उत्पादन के लिए अच्छी गुणवता वाले पशु आहार दाना/चारा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयत्न जारी रहेगे।

4.60 15 जिलों में एक पशु बीमा योजना स्कीम लागू की गई है जिसके अधीन प्रीमियम का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और दिसम्बर, 2012 तक 3.26 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य के सभी जिलों को भारत सरकार की सहायता से पशुधन बीमा योजना को लागू करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

4.61 राज्य में अनुसूचित जाति विशेष योजना के अर्न्तगत 2 दुधारू पशुओं की डेयरी, सूअर पालन व भेड़ पालन इकाईयां स्थापित करने के लिए यह योजना वर्ष 2013–14 में चालू है। इस स्कीम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के 1000 परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा रखे गए सभी दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागीय स्कीमों के अन्तर्गत भेड़, बकरी व सूअर युनिटस की स्थापना हेतू खरीदे गये पशुओं को भी निःशुल्क बीमा के अर्न्तगत कवर किया जाता है।

मत्स्य पालन

4.62 हरियाणा राज्य में मछली पालन की अच्छी सम्भावनाएं है। हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। राज्य में मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य पालन को स्वीकार किया जा रहा है तथा उनके द्वारा मछली पालन को कृषि के साथ–साथ सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पंचकूला, मेवात व पलवल को छोडकर राज्य के सभी जिलों मे मछली पालने वाले किसानों को मछली पालन हेतू मत्स्य किसान विकास एजैंसियों के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। मछली उत्पादन वर्ष 2010–11 में 93,940 टन से बढकर वर्ष 2011–12 में 1,06,000 टन हो गया है। 31 दिसम्बर, 2012 तक 74,000 टन का मछली उत्पादन तथा 4624.70 लाख मछली बीज संचित किया गया है। मत्स्य उत्पादन के मण्डीकरण की आधारभूत संरचना के सुदृढींकरण हेतू 84 लाख रूपये की लागत से बहादुरगढ तथा गुडगांव में नई मत्स्य मण्डियों की स्थापना प्रस्तावित है। बहादुरगढ मत्स्य मण्डीं का कार्य प्रगति पर है। ***हरियाणा राज्य वर्ष 2011–12 के दौरान मत्स्य उत्पादकता मे 5,600 कि0ग्रा प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से भारत वर्ष मे द्वितीय स्थान पर रहा, जिसे बढाकर वर्ष 2012–13 मे 5,700 कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष किया जायेगा।***

****

5

उद्योग क्षेत्र

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में औद्योगिकरण की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है जिसके कारण उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होने से औद्योगिक क्षेत्र के राज्य घरेलू उत्पाद के अशंदान में वृद्धि होती है। एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, विनिर्माण तथा बिजली क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है। सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार वर्ष 2010–11 में 161.5 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 171.2 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। आई.आई.पी. को **आकृति 5.1** में दर्शाया गया है।

5.2 विनिर्माण क्षेत्र जिसका कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अधिकतम भार है, का सूचकांक वर्ष 2010–11 के 159.7 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 165.9 हो गया जो 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 27.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि यह वर्ष 2010–11 के 181.0 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 230.4 हो गया। **(अनुलग्नक 5.1 तथा 5.2 तथा आकृति 5.2)** औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मुख्य वर्गो एवं उपभोग आधारित श्रेणियों में 2005–06 से 2011–12 की अवधि में हुई वृद्धि **तालिका 5.1** में निम्न प्रकार से हैः–

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं इसके मुख्य संघटकों में हुई वृद्धि

(आधार वर्ष 2004–05=100)

वर्ष	विनिर्माण	विद्युत	आधारभूत पदार्थ	पूंजीगत पदार्थ	मध्यवर्ती पदार्थ	उपभोक्ता पदार्थ	सामान्य सूचकांक
2005–06	7.5	16.6	6.7	7.2	8.0	9.9	8.2
2006–07	10.4	10.2	6.6	22.8	6.2	8.1	10.4
2007–08	6.4	3.5	4.9	12.3	6.7	2.4	6.2
2008–09	2.5	16.5	11.7	–2.8	3.9	3.3	3.7
2009–10	12.0	13.8	13.1	21.9	11.3	5.3	12.1
2010–11	10.3	2.7	4.1	20.3	5.0	8.0	9.5
2011–12	3.9	27.3	18.7	–3.4	9.2	3.6	6.0

5.3 आधारभूत पदार्थो के उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात स्क्रैप, विद्युत उत्पादन, सेरेमिक टाईल्स, स्टेनलेस स्टील पाईप, टयूब और पाईप, प्लेट, थाली चादर तथा यूरिया का सूचकांक वर्ष 2010–11 में 157.0 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 186.4 हो गया, जिसमें 18.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.4 पूंजीगत पदार्थो के उद्योगों जैसे खोदने की मशीन, मोटर कारें, क्रेनें, कम्प्रैसर, चीनी मशीनरी, टांसफार्मर, उपकरण एवं माईक्रोस्कोप आदि का सूचकाक वर्ष 2010–11 में 210.8 से घटकर वर्ष 2011–12 में 203.5 हो गया जिसमें 3.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

आकृति 5.1 – हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–2005=100)

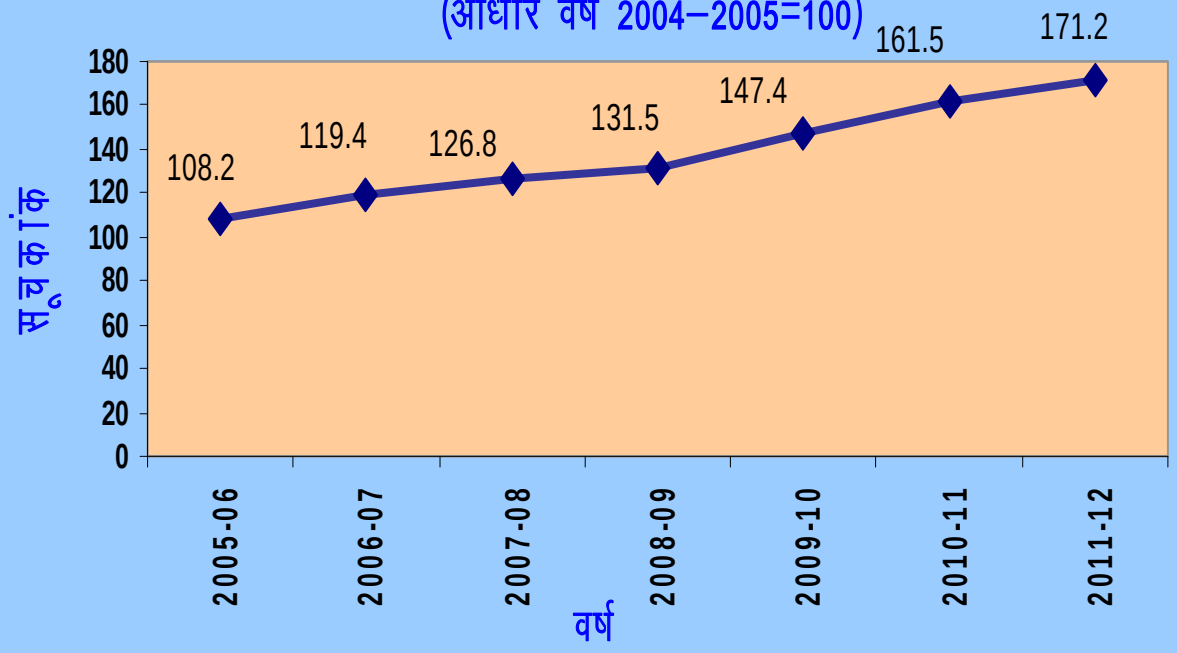

आकृति 5.2 – हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र–वार सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–2005=100)

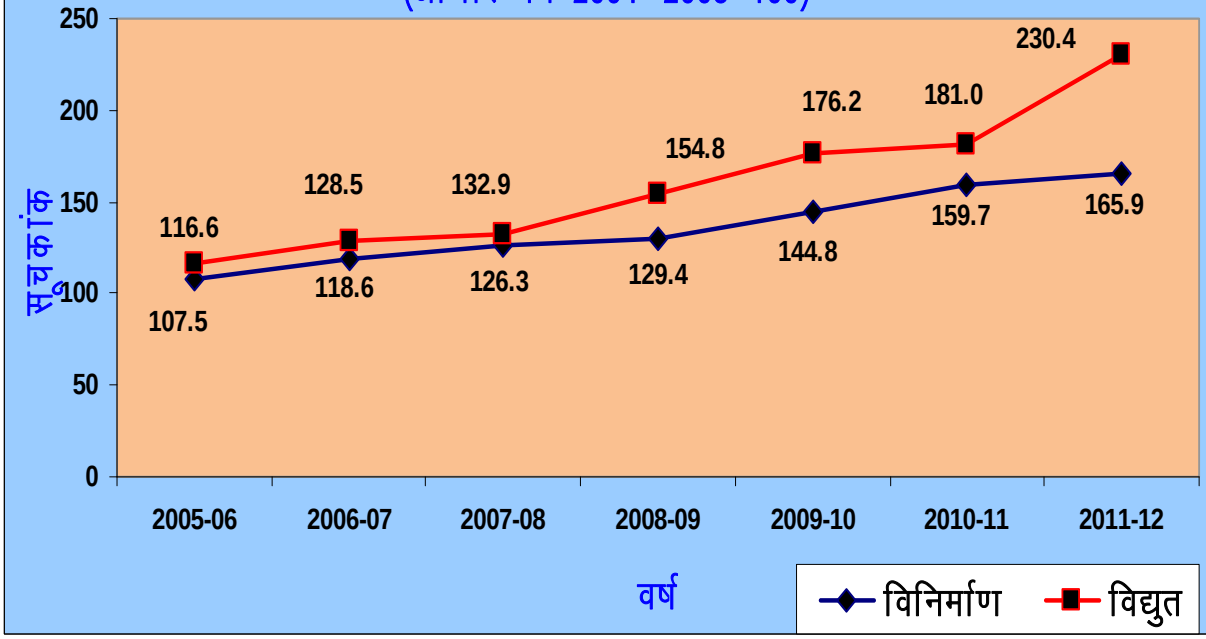

5.5 मध्यवर्ती पदार्थो के उद्योगों जैसे सभी प्रकार के धागे, सिलैण्डर, प्लास्टिक की सीट, कार्ड बोर्ड, टैंड चमड़े, ईंटें तथा टाईल्स (नान–सेरेमिक) धातु उत्पाद तथा इनेमल पेंट इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2010–11 में 148.5 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 162.2 हो गया, जोकि 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

5.6 उपभोक्ता पदार्थो के उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2010–11 में 143.0 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 148.1 हो गया जिसमें 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ उद्योग जैसे छत का पंखा, एयर कंडीशनर, सैटेपलर, मोटर साईकित एवं स्कूटर, लकड़ी के दरवाजे एवं खिड़किया तथा सुरक्षा हैलमट इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2010–11 में 158.4 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 173.9 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता गैर–टिकाउ पदार्थो जैसे सभी प्रकार का चावल, घी, बिस्कुट एवं कुकीज़, जौ माल्ट, चीनी, खाद्य तेल, रेडीमेड कपड़े चमड़े के जूते, रबड़ चप्पल तथा सभी प्रकार के कागज़ इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2010–11 में 132.3 से घटकर वर्ष 2011–12 में 130.2 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 1.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2011–12 में विभिन्न औद्योगिक समूहों को 2 अंक स्तर तक की वृद्धि **अनुलग्नक 5.3** में दर्शाई गई है।

उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

5.7 उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण दीर्धकालिक आधार पर इस क्षेत्र में हुई वृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा उद्योग क्षेत्र में हुई वृद्धि का विकास को आंकलन करने के लिए सकल स्थाई निर्माण के अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण का अंश जिसमें विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस व जलपूर्ति आते हैं। 2004–05 में 55.4 प्रतिशत था जोकि लगातार बढ़कर 2008–09 में 58.9 प्रतिशत हो गया है जिसमें 2009–10 में थोड़ी सी कमी के कारण 55.1 प्रतिशत रह गया। परन्तु उसके बाद वर्ष 2010–11 में पुनः 65.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

औद्योगिक विकास

5.8 ***हरियाणा राज्य का निवेश करने हेतू एक अग्रणी स्थान बना हुआ है। हरियाणा राज्य में योजनाओं में निवेश करने की दर देश में सबसे उंची है। राष्ट्रीय एंव अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की मार्किट में अनिश्चितता एंव बदलाव का वातावरण होने के बावजूद वर्ष, 2005 से 61,000 करोड़ रूपये का निवेश कार्यान्वित हो गया है एंव 97,000 करोड़ रूपये का निवेश होने की प्रकिया जारी है। राज्य में अब तक 13,128 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश हुआ है जिसमें से 9,628 करोड़ रूपये का निवेश वर्ष, 2005 की औद्योगिक नीति लागू करने के बाद हुआ है। राज्य से कुल निर्यात वर्ष 2010–11 में 48,530 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2011–12 के दौरान 54,991 करोड़ रूपये हो गया जो कि 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।***

5.9 हरियाणा ने वर्ष 2013 को 'औद्योगिक विकास एवं रोजगार' वर्ष घोषित किया है। इस धारणा के साथ कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.इएस.) अत्यधिक रोजगार प्रदाता तथा विनिर्माण क्षेत्र के कर्णधार हैं, सरकार ने एमएसएमइ क्षेत्र की सहायता करने तथा रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी भागीदारी द्वारा सर्वसाधारण सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए नीति अपनाई है। सर्वसाधारण सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए 15 ऐसे कलस्टरों की पहचान की गई है। 8 कलस्टरों के सम्बन्ध में नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट (डी.एस.आरएस.) तैयार कर ली गई है तथा भारत सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है। इनमें से बहादुरगढ़, पानीपत तथा करनाल में 3 कलस्टर्स में सर्वसाधारण सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व 4 अतिरिक्त सर्वसाधारण सुविधा केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति मिलने की सम्भावना है। इस क्षेत्र के विकास तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिए ये कलस्टर्स एक संस्थागत सहायता तंत्र के रूप में कार्य करेंगे तथा ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.इएस.) के अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण सहायता, उत्पादों का मानकीकरण करने, गुणवता परीक्षण तथा निशान सुविधाओं, साथ ही उत्पादों की ब्रांडिंग को उन्नत करने सहित विपणन पहलों की सर्वसाधारण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यह पहल एक सामाजिक पूंजी निर्माण के लिए है ताकि सामूहिक कार्यवाही को मजबूत किया जा सके जिससे मितव्ययता पैमाने, उधार सुविधा, प्रौद्योगिकी सुधार, ब्रांड निर्माण तथा विपणन के बेहतर प्रभावों का लाभ उठाया जा सकेगा।

5.10 यह एक प्रमाणित सत्य है कि औद्योगिक विकास रोजगार सृजन करता है तथा हमारे नवयुवकों की रोजगार योग्यता, उचित कौशल विकास उपायों के माध्यम से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है (आई.आई.सी.ए.) जैसे रोहतक में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, (आई.आई.एम.) मानेसर में इण्डियन

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कुण्डली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रीन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, मानेसर में नैशनल ऑटोमोटीव टेस्टिंग एवं आर एण्ड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोहतक में फूटवीयर डिजाइन एण्ड डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, मुरथल में सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिकस इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी। हरियाणा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं सरंचना विकास निगम ने आईएल एण्ड एफएस कलस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ एक मैमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैडिंग किया है ताकि उन भू–स्वामियों के आश्रितों की कुशलता और रोजगार योग्यता को और बढ़ाया जा सके जिनकी भूमि अधिग्रहण की जाती है। फरीदाबाद तथा रोहतक जिलों में 500 से अधिक विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा एवं अंग्रेजी बोलने, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अनुरक्षण तथा सिलाई मशीन परिचालनों में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

5.11 औद्योगिक पूंजी निवेश आकर्षित करने में योजनाबद्ध औद्योगिक संरचना की उपलब्धता एक अहम भूमिका अदा करती है। हमारे भूमि अधिग्रहण एवं आर एण्ड आर नीति, जो देशभर में पहले ही अनुकरणीय नीति के रूप में स्वीकार की गई है, की निरन्तरता में हमने अगस्त, 2012 से एक 'लैण्डपूलिंग स्कीम' भी लागू की है जिसमें भूमि स्वामी किसानों को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनने का एक अवसर दिया है। अधिग्रहण की गई प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए भू–स्वामी किसान को इस योजना के अंतर्गत 1200 वर्ग गज का एक विकसित औद्योगिक प्लॉट लेने का विकल्प दिया है। नई औद्योगिक मॉडल टाउनषिप तथा औद्योगिक सम्पदाओं के विकास तथा वर्तमान सम्पदाओं के विस्तार के माध्यम से राज्य में औद्योगिक संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। रोहतक, फरीदाबाद तथा रोज–का–मेव, मेवात में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है। पानीपत में एक नई औद्योगिक सम्पदा के अतिरिक्त (आई.एम.टी.) मानेसर, (आई. एम.टी.) बावल, औद्योगिक सम्पदा कुण्डली, औद्योगिक सम्पदा बरही का चरण–3, करनाल में औद्योगिक सम्पदा, बरवाला तथा मानकपुर के चरण–2 में भी औद्योगिक सम्पदाओं का विस्तार किया जा रहा है। खरखौदा में आईएमटी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अग्रिम अवस्था में है।

5.12 राज्य में औद्योगिक संरचना के सृजन तथा विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक कॉलोनियों के विकास हेतू 3 लाईसैंस दिए गए हैं। औद्योगिक सरंचना के विकास के लिए सरकार की नोडल एजैंसी के रूप में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं सरंचना विकास निगम के सहयोग के लिए एक संपूरक प्रयास के रूप में यह एक अच्छी शुरूआत है। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करने के लिए तथा क्षेत्र के अधिकत्तर भूमि स्वामियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के दृष्टिगत जिला सोनीपत की तहसील गोहाना के गांव लाठ, जोली, बिढ़ल, तथा भैंसवाल कलां में पी.पी.पी. आधार पर एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के विकास के लिए लगभग 3,400 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक प्रमुख पहल की गई है।

कृषि उद्योग

5.13 हरियाणा कृषि उद्योग निगम सीमित एच.ए.आई.सी. किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, ट्रैक्टर, स्प्रे पैम्प तथा अन्य कृषि मशीनरी आदि उचित मूल्य पर प्रदान करती है।

औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास

5.14 हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एच.एस.आई. आई.डी.सी.) राज्य सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी संस्था है जोकि एक संस्थागत उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका के साथ ही औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए राज्य में मुख्य रूप से मध्यम और बडे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों के लिए बुनियादी सुविधाएं एवं वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण स्थानों पर नई औद्योगिक सम्पदाओं का विकास करके उद्यमियों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करती है।

5.15 निगम ने 31–12–2012 तक 2,006.31 करोड रूपये के सावधि ऋण की मंजूरी दी है और 1,099.77 करोड़ रूपये वितरित किए हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान, एचएसआईआईडीसी ने 90 करोड़ रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 39.75 करोड़ रूपये तक की सीमा तक ऋण की मंजूरी दी है और 48 करोड़ रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 35.84 करोड़ रूपये वितरित किए हैं।

5.16 निगम ने 31–12–2012 तक मूलधन और ब्याज की वसूली के सम्बन्ध में 29 करोड़ रूपये तथा 19 करोड़ रूपये के लक्ष्य के मुकाबले क्रमशः 24.98 करोड़ रूपये और 17.24 करोड़ रूपये की प्राप्तियां वसूल करने में सफल रहा है।

खान एवं भूविज्ञान

5.17 हरियाणा राज्य किसी बडे खनिज के महत्वपूर्ण भण्डारों के लिऐ नही जाना जाता तथा इसकी ज्यादातर खनन गतिविधियां लघु खनिजों जैसा की पत्थर, रोडी, रेत इत्यादी तक ही सीमित है जो की मुख्य तौर पर निर्माण उद्योग में प्रयोग किया जाता है।

लघु खनिज

5.18 राज्य में खनन कार्य मुख्य तौर पर पत्थर, रोडी, बजरी, रेत तथा स्लेट इत्यादि लघु खनिजों के खनन तक ही सीमित है जो निर्माण सामग्री के लिऐ प्रयुक्त किये जाते है। जिला पानीपत व सोनीपत की रेत की खानों तथा जिला रिवाडी में अभी शुरू हुई स्लेट खान के अतिरिक्त राज्य में 01–03–2010 से विभिन्न कानूनी उलझनों तथा आवश्यक पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी मुददों के कारण सभी खनन कार्य बन्द है। हरियाणा खनन मामलें माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में निर्णय के लिऐ विचाराधीन है तथा इसकी शीघ्र सुनवाई होने की सम्भावना है।

खनन से राजस्व

5.19 खान एंव भूविज्ञान राजस्व प्रदान करने वाला विभाग है। वित्त वर्ष 2009–10 में खनिजों से अब तक का सबसे अधिक 248.66 करोड रुपये का राजस्व खनन ठेके प्रदान करने से प्राप्त हुआ वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक राज्य सरकार को खनिजों से राज्य के बडे भू–भाग में खनन कार्य बन्द होने के बावजूद 49.98 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य में 2003–04 से दिसम्बर, 2012 तक खनन से प्राप्त राजस्व को **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5,2– खनन/खनिजों से राजस्व प्राप्ति (2003–04 से 2012–13)

क्रम संख्या	वर्ष	रुपये करोड़ों में
1	2003–04	77.67
2	2004–05	92.04
3	2005–06	153.34
4	2006–07	136.26
5	2007–08	215.70
6	2008–09	195.42
7	2009–10	248.66
8	2010–11	56.10
9	2011–12	87.39
10	2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक)	49.98

आबकारी एवं कराधान

5.20 हाल ही में आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी राज्य सरकार राजस्व प्रति के उद्देश्य का रख–रखाव करने में कामयाब रही। मद वैट अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, माल भाड़ा कर अधिनियम एंव आबकारी कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में 19,940 करोड़ रूपये के राजस्व को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। मंदी के बावजूद सरकार उपरोक्त सभी मदो में अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में माह जनवरी से माह नवम्बर तक निम्नलिखित नऐ कदम उठाये गये हैः–

- बिटूमन 01–07–2005 से तथा बिटूमन जिसमें बिटूमन ईमलशन तथा क्रम रबड़ मोडिफाई बिटूमन शामिल है पर कर की दर 01–03–2012 से 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है।
- बल्क औषधियों, औषधियां, दवाईयां, गलूकोज डी और ओ. आर. एस. पर पहली जुलाई, 2005 से दिसम्बर 31, 2005 तक कर की दर 10 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दी गई। पुनः जनवरी, 2006 से अनुसूचि 'ग' में परिवर्तन करके बल्क औषधियों, दवाईयों तथा टीका, औषधयुक्त मरहम, आई पी ग्रेड लाईट लिक्विड पैराफिन, सीरिंजे, पट्टियां, ग्लूकोस–डी, जीवन रक्षक घोल, चिकित्सीय उपकरण तथा इम्पलांट्स पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई। जो पुनः 15 फरवरी 2010 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई। इस पर 2 अप्रैल, 2010 से 5 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) लगाया गया तथा दोनों को मिलाकर

5.25 प्रतिशत कर लगाया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 01–09–2012 से ऑपरेशन थियटर में रोगियों की सर्जरी के लिए प्रयुक्त सर्जिकल टेबल्स तथा सर्जिकल लाईटस पर की कर दर 12. 5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।

तालिका 5.3 आबकारी एवं कराधान विभाग की राजस्व प्राप्तियां

(करोड रूपये)

क्रम सं0	अधिनियम	2011–12 में प्राप्तियां	2012–13 में संशोधित अनुमान	प्राप्तियां			प्राप्तियां			
				दिसम्बर, 2011 के दौरान	दिसम्बर, 2012 के दौरान	प्रतिशत बढत/ घटत	दिसम्बर, 2011 तक	दिसम्बर, 2012 तक	प्रतिशत बढत/ घटत	प्रतिशतता कालम 9 से 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वैट	1240170.39	1463560.00	99608.73	116265.92	16.72	914977.09	1070907.46	17.04	73.17
2	सी0एस0टी0	231021.47	181440.00	68672.20	12830.06	-81.32	189496.23	115936.60	-38.82	63.90
	वैट एवं सी0एस0टी0	1471191.86	1645000.00	168280.93	129095.98	-23.29	1104473.32	1186844.06	7.46	72.15
3	सुख सुविधा कर	5564.78	0.00	698.01	953.36	36.58	4320.79	4220.99	-2.31	75.85
4	मनोरंजन कर	3995.95	4000.00	400.29	485.10	21.19	3138.88	4022.94	28.16	100.57
5	एल0ए0डी0टी0	2611.79	0.00	35.29	34.94	-0.99	1831.10	2621.67	43.17	100.38
6	पी0जी0टी0	40320.38	45000.00	2690.31	2888.47	7.37	29486.90	32300.83	9.54	71.78
	कुल	1523684.76	1694000.00	172104.83	133457.85	-22.46	1143250.99	1230010.49	7.59	72.61
7	आबकारी	284030.13	300000.00	21067.79	25127.32	19.27	218505.82	247268.72	13.16	82.42
	कुल जोड	1807714.89	1994000.00	193172.62	158585.17	-17.90	1361756.81	1477279.21	8.48	74.09

5.21 वर्ष 2012–2013 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 19,940 करोड़ रूपये रखा गया है जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2012 तक 14,772.79 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है जो कि पिछले वर्ष के इसी समय अवधि के मुकाबले 8.48 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012–2013 के लिए आबकारी शीर्ष के तहत 3,000 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2012 तक 2,472.69 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है **(तालिका 5.3)**।

***

6

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा स्थिर कीमतों पर वर्ष 1966–67 में 22.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 54.6 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी की कीमत पर हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादि ढांचे के करीब ले जाता है (विकसित अर्थव्यवथा में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रमुख होती है, जबकि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रहती है)। नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में 11.0 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से अपेक्षाकृत अधिक थी। सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उसी समयावधि के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से लगातार अधिक थी। इस क्षेत्र का विकास अन्य दो क्षेत्रों के विकास की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो 2007–08, 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान सेवा क्षेत्र में क्रमशः 13.6, 11.6, 17.0 तथा 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों की इसी समयावधि के दौरान दर्ज की गई कम और अस्थिर विकास दर क्रमशः –0.1, 7.2, –1.4 तथा 5.4 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र की अस्थिर वृद्धि दर क्रमशः 6.6, 3.5, 11.4 तथा 7.3 प्रतिशत की तुलना में शानदार थी।

सेवा क्षेत्र का विकास

6.2 अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान साधन लागत पर चालू एवं स्थिर कीमतों (2004–05) पर तैयार करता है। द्रुत अनुमान के आधार पर सेवा क्षेत्र से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 के दौरान 1,55,661.07 करोड रूपये अनुमानित किया गया है। इसी क्षेत्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में 97,765.58 करोड रूपये 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया है। वर्ष 2011–12 में 9.7 प्रतिशत की शानदार विकास दर व्यापार (9.0 प्रतिशत) बैकिंग और बीमा (28.5 प्रतिशत) और अन्य सेवाएं (8.7 प्रतिशत) की अधिक विकास दर के कारण हुई। वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र की विकास दर (9.7 प्रतिशत) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र की दर्ज की गई विकास दर क्रमशः 8.3 एवं 4.4 प्रतिशत से कहीं अधिक रही है।

6.3 राज्य के सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्षो के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई 10.3, 10.0, 10.5, 9.8 तथा 8.2 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक थी। इस प्रकार राज्य के सेवा क्षेत्र ने भारत की तुलना में मौजूदा पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

6.4 सेवा क्षेत्र की इन चार श्रेणियों मे से व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट सबसे बड़ा समूह था जिसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान था। वित्त बीमा एवं रियल एस्टेट दूसरा सबसे बड़ा समूह था। इसके बाद परिवहन, भंडारण तथा संचार सेवा क्षेत्र एवं सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र का योगदान था। इन चारों क्षेत्रों की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिर कीमतों के आधार (2004–05) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी को **तालिका 6.1** में दिखाया गया है।

तालिका 6.1–सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी

उप क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 द्रु.अ.
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	18.4	19.2	20.7	21.8	22.1
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	9.2	9.0	8.8	8.7	8.8
वित्त, बीमा, एव अचल सम्पत्ति	13.8	13.9	14.2	14.7	15.4
सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.4	8.3	9.0	8.4	8.4

द्रु.अ.: द्रुत अनुमान

6.5 स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट की हिस्सेदारी वर्ष 2007–08 में 18.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 22.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त, बीमा एवं अचल संपत्ति समूह की हिस्सेदारी वर्ष 2007–08 में 13.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 15.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र का योगदान भी 2007–08 में 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 8.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सेवा क्षेत्र के अन्य उप क्षेत्रों का विकास

व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट

6.6 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र समूह ने वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान दो अंकों क्रमशः 16.3, 13.0, 20.8 तथा 14.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है **(तालिका 6.2)**। द्रुत अनुमान वर्ष 2011–12 के आधार पर व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट क्षेत्र से स्थिर (2004–05) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद 39,511.78 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया जिसकी वर्ष के दौरान विकास दर 9.0 प्रतिशत दर्ज की गई **(अनुलग्नक 6.3)**।

तालिका 6.2–11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों का विकास

उप क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 द्रु.अ
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	16.3	13.0	20.8	14.6	9.0
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	13.9	5.4	9.9	6.8	8.8
वित्त, बीमा, एवं अचल सम्पत्ति	13.3	8.8	13.9	13.2	12.7
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.7	20.9	21.1	2.3	7.3
कुल सेवा क्षेत्र	**13.6**	**11.6**	**17.0**	**10.8**	**9.7**

द्रु.अ.: द्रुत अनुमान

परिवहन, भण्डारण और संचार

6.7 वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान परिवहन, भण्डारण एवं संचार उप क्षेत्र में 13.9, 5.4, 9.9 तथा 6.8 प्रतिशत की अस्थिर विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2011–12 के द्रुत अनुमानों के आधार पर परिवहन भण्डारण तथा संचार उप क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर (2004–05) कीमतों पर 15,682.85 करोड़ रूपये दर्ज किया गया है जोकि 8.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त और रियल एस्टेट

6.8 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों (2007–08 तथा 2010–11) के दौरान वित्त एवं रियल एस्टेट में 13.3, 8.8, 13.9 तथा 13.2 प्रतिशत की अस्थिर विकास दर दर्ज की गई है। वर्ष 2011–12 के द्रुत अनुमानों के आधार पर इस क्षेत्र में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर (2004–05) कीमतों पर 27543.16 करोड़ रूपये दर्ज किया गया है।

सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा

6.9 वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र में क्रमशः 7.7, 20.9, 21.1 तथा 2.3 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2011–12

के द्रुत अनुमानों के आधार पर सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 15,027.79 करोड़ रूपये 7.3 प्रतिशत की विकास दर के साथ दर्ज किया गया।

राज्य के सेवा क्षेत्र में सकल स्थिर पूंजी निर्माण

6.10 सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) भौतिक सम्पत्तियों में शुद्व वृद्धि (निवेश–डिस्पोजल) को निश्चित समय अवधि में दिखाता है। यह स्थिर पूंजी उपभोग (डप्रिशियसन) की गणना नहीं करता तथा न ही इसमें भूमि खरीद को शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के अंश का रूझान नकारात्मक रहा। जो वर्ष 2004–05 में 35.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010–11 में 31.5 प्रतिशत रह गया है।

***

7

विद्युत, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन एवं भण्डारण

सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व सर्वमान्य है। वास्तव में यह आर्थिक वृद्धि और विकास की एक मुख्य कुंजी है तथा अर्थ–व्यवस्था को ईंधन प्रदान करने में सक्ष्म है। अपर्याप्त और अक्षम बुनियादी ढांचा दूसरे फ्रेट पर प्रगति की परवाह किये बिना अर्थ–व्यवस्था को साकार करने से रोक सकता है। विदेशी धन आकर्षित करने तथा विकास की गति को बढाने के लिए भौतिक सुविधाएं एवं उनका रख–रखाव करना पूर्व शर्त है। भौतिक बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, परिवहन, संचार एवं भण्डारण शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि को बढाने में सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता बढाने पर सीधा प्रभाव डालती हैं। बिजली की बढती हुई विफलताएं, बिजली की कमी, भीड–भाड वाली सडकें इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में बढ रही खाई सार्मथ्य में कमी एवं अकुशलता के दिखाई देने वाले संकेत है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वित्त की कमी के कारण राज्य सरकार पब्लिक निजी भागेदारी कान्सैप्ट के माध्यम से निजी सहयोग प्रोत्साहित कर रही है। पीपीपी की अवधारणा बुनियादी ढांचा विकास में तेजी से बढ रही है क्योंकि यह राज्य सरकार की मजबूती एवं निजी क्षेत्र की दक्षता है। बुनियादी ढांचे के विकास को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, सडकों एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसका सिंहावलोकन बाद के वर्गों में दिया गया है।

विद्युत

7.2 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर बढाने और जीवन की गुणवत्ता बढाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वहन की जाने वाली कीमत की बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों की सीमित उपलब्धता है। हालांकि सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बडे पैमाने पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए राज्य सीमित थर्मल उत्पादकता और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से राज्य जल विद्युत भीतर संस्थापित क्षमता पर निर्भर करता है।

7.3 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 8,728.36 मैगावाट है। जिसमें 3,230.50 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 875 मैगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं में हिस्से व स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं से उपलब्ध है। इन स्रोतों से 2006–07 के दौरान विद्युत उपलब्धता 25,125.3 मिलियन यूनिट (एम.यू.) से 2011–12 के दौरान बढ़कर 32,647.3 मिलियन यूनिट हो गई। वर्ष 2012–13 के दौरान (जनवरी, 2013 तक), 29,374.4 मिलियन यूनिट (एम.यू.), बिजली उपलब्ध थी। वर्षवार कुल स्थापित क्षमता, बिजली की उपलब्धता, विक्रय की गई बिजली तथा उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 7.1** में दी गई है।

तालिका 7.1–राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता उत्पादन बिजली की उपलब्धता, विक्रय की गई बिजली तथा उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मेगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मेगावाट)	विक्रय हेतू उपलब्ध बिजली (मेगावाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1967–68	29	343	6,010	5,010	3,11,914 (1966–67)
1970–71	29	486	12,460	9,030	5,43,695
1980–81	1,074	1,174	41,480	33,910	12,19,173
1990–91	1,757	2,229.5	90,250	66,410	25,13,942
2000–01	1,780	3,124.5	1,66,017	1,54,231	35,46,572
2001–02	2,005	3,198.6	1,75,881	1,63,077	35,44,380
2002–03	2,010	3,303.1	1,92,097	1,80,726	36,19,868
2003–04	2,010	3,408.9	2,04,989	1,95,534	37,39,556
2004–05	2,525	4,033.3	2,14,548	2,02,637	38,74,525
2005–06	2,525	4,033.3	2,32,438	2,22,394	40,00,660
2006–07	2,525	4,051.3	2,51,253	2,39,228	41,46,286
2007–08	2,825	4,368.01	2,64,656	1,82,786	42,70,602
2008–09	2,825	4,686.52	2,72,241	1,92,902.91	43,82,044
2009–10	3,560.5	5,201.83	2,88,605	2,26,448.70	45,61,058
2010–11	4,106	5,997.83	2,96,623	2,40,125	47,87,922
2011–12	4,106	6,740.93	3,26,473	2,66,129.66	49,96,665
2012–13	4,106 (दिसम्बर, 12 तक)	8,728.36 (दिसम्बर,12 तक)	2,93,744 (जनवरी,13 तक)	1,74,534.9 (अक्तूबर,12 तक)	51,61,965 (दिसम्बर,12तक)

* यह राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त उद्यमों के अंश को दर्शाता है, परन्तु एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी., आई.पी.पी. इत्यादि में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के अंश सम्मिलित नहीं है।

7.4 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 49,96,665 हो गई। केटेगरी वार उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 7.2** में दी गई है।

तालिका 7.2–बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	योग
2001-02	27,59,547	3,47,437	66,247	3,61,932	9,217	35,44,380
2005-06	31,19,788	3,87,520	70,181	4,11,769	11,402	40,00,660
2011-12	38,49,779	4,79,366	88,821	5,40,406	38,593	49,96,665
2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)	39,80,155	4,97,003	90,025	5,53,629	41,153	51,61,965

प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग

7.5 *प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2006–07 में 700 यूनिट से बढकर वर्ष 2011–12 में 1,029 यूनिट हो गई। वर्ष 2011–12 के दौरान 20–7–2011 को 1,403.15 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति के विरूद्व वर्ष 2012–13 के दौरान 6 जुलाई, 2012 को 1,458.54 लाख यूनिट आपूर्ति करके बिजली आपूर्ति का एक नया रिकार्ड स्थापित किया गया था।*

भविष्य की बिजली परियोजनाएं

7.6 राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढाने की आवश्यकता के मध्यनजर कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, बिजली आपूर्ति की कार्य कुशलता में सुधार तथा वितरण नेटवर्क का पुर्नगठन एवं विस्तार किए गए है। राज्य के अपने उत्पादन केन्द्रो से 8–7–2011 को 669.26 लाख यूनिट प्रतिदिन का रिकार्ड उत्पादन किया है। राज्य में बिजली की क्षमता में वृद्धि करने के लिए राज्य तथा निजी क्षेत्र की भाग्यदारी द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है।

अक्षय ऊर्जा

7.7 राज्य में 63 मेगावाट क्षमता की 6 बायोमास आधारित परियोजनाएं 300 करोड के निवेश से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा स्थापित की जा रही है, जिसमें से 20 मेगावाट क्षमता की 2 परियोजनाएं पूरा होने के अन्तिम चरण में है। उद्योगों में बायोमास के सहउत्पादन से विद्युत पैदा करने के लिए 24.95 मेगावाट क्षमता की 11 परियोजनाएं उद्योगों में स्थापित की जा रही है और 12.6 मेगावाट की 4 परियोजनाएं बनने के कगार पर है। चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन के लिए 46.8 मेगावाट क्षमता की 6 विद्युत परियेाजनाएं स्थापित की गई हैं।

7.8 राज्य में 10.8 मेगावाट क्षमता की 4 लघु जल विद्युत परियोजनाएं 112 करोड रूपये के निवेश से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा स्थापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 10.90 मेगावाट की 5 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। विभाग द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों में सौर उर्जा से बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत राज्य के 368 गांवों जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, में 12.11 करोड रूपये की लागत से 5,552 सौर पथ प्रकाश प्रणाली स्थापित की गई है।

7.9 राज्य सरकार द्वारा सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 3,600 रूपये प्रतिवर्ष तक बिजली के बिलों में छूट दी जाती है। इस परियोजना के अर्न्तगत 31–3–2012 तक 29.46 लाख रूपये तक की छूट दी जा चुकी है। इसके अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिकतम 8,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2011–12 में हरियाणा राज्य को सौर जल तापन परियोजना के अर्न्तगत सर्वश्रेष्ठ राज्य नोडल एजैंन्सी का पुरस्कार दिया गया है।

7.10 हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करना, सरकारी कार्यालयों/संस्थानों में सी.एफ.एल. का प्रयोग तथा कृषि क्षेत्र में 4 स्टार पम्प, आई.एस.आई. मार्क फुट/रिलैक्स वालव का प्रयोग सरकारी अधिसूचना द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2007–2008 से हरियाणा को लगातार 4 वर्षों से ऊर्जा संरक्षण को बढावा देने के लिए सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार दिया जाता है।

वास्तुकला

7.11 वास्तुकला विभाग, हरियाणा के एक सेवा विभाग के रूप में, सरकारी विभागों एवं अन्य स्वायत संस्थाओं को अल्प–व्यय वास्तुक सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करता है। यह विभाग एक सेवा विभाग के रूप में विकास की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग विभिन्न सरकारी भवनों तथा बोर्ड एवं निगम तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुक सम्बन्धी सेवाएं कुशलता पूर्वक प्रदान करता है। यह विभाग 450 वर्गफुट के छोटे से छोटे भवन से लेकर बहुमंजिलें प्रशासनिक इमारतों के विस्तृत प्रारुप बनाने में संलिप्त है। इस विभाग द्वारा विभिन्न भवनों के बहु उद्देशीय डिजाईन बनाने का सफलतापूर्वक प्रयत्न किया जाता है। इसमें से कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा कुछ का उद्घाटन होने के बाद प्रयोग में लाया जा रहा है। सभी भवनों के डिजाईन को "ऊर्जा संरक्षण भवन कोड" तथा शारीरिक अक्षमता के लोगों की सुविधा को मध्यनजर रखकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सड़कें

7.12 किसी भी अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए सड़कें आधारभूत आवश्यकता है। सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतू तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार वर्तमान सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, सड़क बाई पासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण आदि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं।

राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत वर्तमान सडक नेटवर्क को **तालिका 7.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3– राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्र0 संख्या	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि0मी0 में
1.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	1462
2.	राज्य उच्च मार्ग	2521
3.	मुख्य जिला सड़कें	1471
4.	अन्य जिला सड़कें	21541
	कुल	**26995**

7.13 वर्ष 2012–13 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, ऊंचा उठाने, सीमैंट कंकरीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त सड़कों के सुधारीकरण का कार्यक्रम चलाया गया है। दिसम्बर, 2012 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 7.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4– वर्ष 2012–13 के दौरान सडकों के सुधारीकरण का विवरण

(क) वित्तीय प्रगति

(रूपये करोड़ों में)

क्र0सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2012–13	खर्चा दिसम्बर, 2012 तक
1.	प्लान–5054 (सड़क और पुल नाबार्ड ऋण सहित)	1365.00	943.47
2.	नान प्लान–3054	658.03	367.81
3.	केन्द्रीय सड़क कोष	200.00	54.42
4.	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/ भारत निर्माण	–	29.67
5.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	10.86	33.24
6.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	18.39	18.20
7.	डिपोजिट कार्य (सड़कें तथा पुल) (एच0एस0आर0डी0सी0 कार्य सहित	–	3.44
	कुल	**2252.28**	**1450.25**

(ख) भौतिक प्रगति

क्र0संख्या	मद	लम्बाई (कि0मी0 में) (दिसम्बर, 2012 तक)
1.	नया निर्माण	63.10
2.	प्रिमिक्स कारपेट (राज्य सड़कें)	677.35
3.	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	431.90
4.	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	123.31
5.	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	94.29
6.	पुर्ननिर्माण तथा उठाना	119.23

7.	(क) चौड़ा (ख) मजबूत	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	71.93

7.14 वर्ष 2012–13 के दौरान 252 कार्यों के लिए 784.95 करोड रूपये स्वीकृत किए गए थे। कार्यवार विवरण **तालिका 7.5** में दिया गया है।

तालिका 7.5–वर्ष 2012–13 के दौरान स्वीकृत सड़क कार्य

क्र0सं0	लेखा शीर्ष	कार्यो की संख्या	राशि (करोड़ों में)
1.	प्लान	40	130.85
2.	नान प्लान	164	323.06
3.	नाबार्ड–सड़कें	25	272.93
4.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एन.एच.)	7	41.26
5.	पुल	16	16.85
	कुल	**252**	**784.95**

मुख्य पहल

7.15 लोक निर्माण विभाग ने (भवन व सड़क) यात्रियों की सुविधा के लिये तथा देरी को कम करने के लिये रेल ऊपरगामी पुल बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। वर्तमान में 10 रेल ऊपरगामी पुल निर्माणाधीन हैं। मास्टर प्लान में जिन रेल ऊपरगामी पुलों को चिन्हित किया गया है तथा जारी कार्यों का ब्यौरा क्रमशः **तालिका 7.6 व 7.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.6–मास्टर प्लान में चिन्हित ऊपरगामी पुलों का ब्यौरा

क्र0सं0	विवरण	न0
1.	पूर्ण किये गये तथा यातायात के लिये खोल दिये ऊपरगामी पुल	28
2.	ऊपरगामी पुल निर्माणाधीन	10
3.	ऊपरगामी पुल जिन पर कार्य किया जाना है	8

तालिका 7.7– पुलों और उपरगामी पुलों के चालू कार्यो की स्थिति का विवरण

क्रं0सं0	विवरण	संख्या	लागत (रूपये करोड़ों में)	(2011–12 में पूर्ण)	प्रगति में
1.	पुल	76	142.17	24	52
2.	ऊपरगामी पुल	11	423.00	1	10

शहरी आधार भूत ढांचा विकास

7.16 वर्तमान में हरियाणा की (जनगणना 2011 के अनुसार) 34.79 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। हरियाणा राज्य में 77 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें 9 नगर निगम, 14 नगरपरिषदें एवं 54 नगरपालिकायें शामिल हैं।

7.17 भारत सरकार द्वारा जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबन्धन, मकानों के निर्माण एवं शहरी परिवहन आदि के लिये 848.74 करोड़ रूपये की राशि की 7 विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डी0पी0आर0) स्वीकृत की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय प्रौजेक्ट से सम्बन्धित लोगों के लिए ई–डिलीवरी सेवाएं अपने अग्रिम स्तर पर हैं। जिससे तत्काल डिलीवरी सेवाएं (जन्म और मृत्यु सर्टीफिकेट, शादी पंजीकरण विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन इत्यादि) राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवा योजना के अर्न्तगत 3,248 आवास इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्व, फरीदाबाद में 2,896 आवास इकाईयों का निर्माण किया जा चुका है।

7.18 भारत सरकार द्वारा छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के तहत 7 कस्बों (बहादुरगढ़, चरखी दादरी, करनाल, यमुनानगर, अम्बाला, नारनौल तथा रोहतक) के लिये एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन, सीवरेज प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट के लिए 201.27 करोड़ रूपये की 9 विस्तृत परियोजना रिपोर्टस स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 112.61 करोड़ रूपये जारी किये गए तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य अंश के रूप में 45.86 करोड़ रूपये का अंशदान किया गए। इस स्कीम के अर्न्तगत स्वीकृत आधारभूत कार्य के कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 2012 तक 115.85 करोड़ रूपये उपयोग किये जा चुके हैं।

7.19 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मकानों का निर्माण जिसमें आधारभूत सुविधाएं (जिसमें सीवरेज, जलापूर्ति, गली तथा गलियों की लाईट इत्यादि) भी शामिल है, हेतु वर्ष 2006–07 से वर्ष 2011–12 में 15 कस्बों की 25 परियोजनाओं के लिए 296.26 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। अब तक 8,093 आवासीय ईकाइयों का निर्माण किया जा चुका है एवं 1,540 आवासीय ईकाइयों का निर्माण कार्य जिसमें मलिन बस्ती निवासियों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करने का कार्य भी शामिल है, प्रगति पर है।

7.20 वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले वार्डो के विकास की स्कीम के इलावा 33.87 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान वार्डों में अनुसूचित जाति बस्ती के विकास के लिए किया गया है तथा दिसम्बर, 2012 तक 23.71 करोड़ रूपये की राशि नगरपालिकाओं को जारी की जा चुकी है।

7.21 भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय संचालित "सेटेलाईट कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना" बडे शहरों में स्वीकृत किए हैं। योजना के अर्न्तगत सरकार द्वारा सोनीपत शहर को सैटैलाईट शहर चयनित किया गया है।

7.22 राज्य सरकार ने 'राजीव गांधी शहरी विकास मिशन', (आर.जी.यू.डी.एम.एच.) की सभी शहरी स्थानीय निकाय में नगर निगम शहरी आधारभूत विकास कार्यक्रम मिशन मोड अप्रोच के तौर पर पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की है।

7.23 हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी. वाई.) लागू की है जिसका उदेदश्य शहरी क्षेत्रों में, क्षेत्रीय सभा तथा वार्ड कमेटी का गठन करके म्यूनिसिपल कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिशिचित करना है। वे सभी परियोजनाएं जिनको राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना द्वारा फण्ड मिला है उनको समाज के लोगों का भी योगदान होगा। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत मिलान अनुदान योजना 60:40 के अनुपात में सामुदायिक विकास/हाल, केन्द्र, समुदाय पार्क, निर्माण और सडकों के नियमित आधार, निर्माण और सामुदायिक शौचालय, निर्माण और पशु तालाब के प्रबन्धन पर गलियों के रख–रखाव के निर्माण आवारा जानवरों के घटकों पर ध्यान दिया जाएगा।स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव, घर–घर जाकर परिवहन बुनियादी ढांचे में ठोस अपशिष्ट/कचरा और आन्तरिक कालोनी पानी आपूर्ति/सीवरेज प्रणाली का संग्रह है।

सड़क परिवहन

7.24 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है। परिवहन विभाग, हरियाणा इस वर्ष में भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा। परिवहन विभाग हरियाणा के दो अंग है, जैसे कि नियामक अंग व वाणिज्यक अंग, हरियाणा राज्य परिवहन जनता के लिए वर्ष 1993 तक यात्री परिवहन सेवाओं को प्रदान करने के लिए एकमात्र आपरेटर था। वर्ष 1993 तथा इसी प्रकार 2001 में हरियाणा राज्य परिवहन की सेवाओं के पूरक के रूप में नीजि–बस सेवा का प्रारम्भ हुआ।

7.25 *हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी परिवहन सस्थाओं में से एक है। राज्य परिवहन ने जनता की परिवहन सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए पलवल तथा नूंह उप डिपो का दर्जा बढाकर पूर्ण डिपो का दर्जा दे दिया गया है तथा वर्ष 2012–13 के दौरान नई बस सर्विस के लिए अलग से फरीदाबाद में एक नया डिपो स्थापित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के बेडे में लगभग 3843 बसें (31–12–2012 तक) हैं जो 24 डिपो व 13 उप डिपुओं से संचालित की जाती हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन लगभग 12 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा 12.70 लाख यात्री प्रतिदिन राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ व वाहन उत्पादकता, परिचालन लागत प्रति कि0मी0 (कर रहित), दुर्घटना दर व इंधन की खपत इत्यादि।*

बस सेवाओं का आधुनिकरण

7.26 वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन का अपने बेडे में बसों को बढ़ाकर 4,000 बसों तक करने का प्रस्ताव है, जिनमें सी.एनजी., ए.सी., एस.एल.एफ. और वॉल्वो इत्यादि बसें शामिल हैं। वर्ष 2011–12 में 529 पुरानी बसों को नई डिजाईन की बसों से बदला गया। वर्ष 2012–13 में 605 पुरानी बसों को नई बसों से बदलना तथा बस बेड़े में 500 नई बसें शामिल करने के साथ–साथ गत वर्षों के बैकलोग को पूरा करने का कार्यक्रम है। इनमें से 683 बसों को पहले ही दिनांक 31–12–2012 तक प्रदान की जा चुकी है। ***हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा लोगों को आरामदायक एवं पर्याप्त शहरी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) मिशन के अर्न्तगत 90 बसों को शहरी बस सेवा के रूप में जिला फरीदाबाद में आरम्भ किया गया है। ये बसें शहरी बस सेवा के रूप में दोहरी पारी में लगभग 18,000 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय करती है। इस सेवा के लिए फरीदबाद में एक अलग से शहरी बस सेवा डिपो की स्थापना की गई है। परिवहन सेवाओं में सुधार करने हेतू गुडगांव शहर में 85 बस 170 दोहरी पारी में लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी रोजना तय करती है।***

7.27 लोगों को अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिये नई बस सेवायें शुरू की गई हैं जैसे कि सारथी वोल्वो वातानुकूलित बस सेवायें, हरियाणा गौरव बस सेवाऐं, हरियाणा शक्ति, हरियाणा उदय सी.एन.जी बस सेवाऐं, लो–फलोर वातानुकुलित बस सेवाऐं, सैमी लो–फलोर बस सेवाएं इत्यादि मोरनी क्षेत्र में लोगों को नियमित बस सेवा उपलब्ध करवाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 6 मिनी बसें खरीदकर हाल ही में चलाई गई हैं।

7.28 यात्रियों को अच्छी परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए चण्डीगढ–दिल्ली–गुडगांव मार्ग के लिए 35 अत्याधुनिक सुख–सुविधा युक्त वोल्वों बसों का आरम्भ किया गया है। इस सेवा को जनता के बीच बहुत पसंद किया गया है। यह सेवा हरियाणा राज्य परिवहन के लिए भी लाभदायक रही है।

बस अड्डों/कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

7.29 वर्तमान में राज्य के विभिन्न स्थानों पर लोगों की सुविधा के लिए 96 बस स्टैण्डों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान निसिंग व कलायत में नये बस स्टैंडों तथा सिरसा तथ कैथल में नई कर्मशालाओं का निर्माण करके चालू किया गया है। रायपुररानी (पंचकूला), बरवाला (पंचकूला) अग्रोहा (हिसार), बाढडा (भिवानी), सढौरा (यमुनानगर), भूना (फतेहाबाद), पाई एवं कौल (कैथल), सतनाली (नारनौल), सांपला (रोहतक) तथा सोहना (गुडगांव) में नये बस स्टैंड निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त अम्बाला शहर, पलवल, नूंह, गुडगांव (सैक्टर–29 व राजीव चौक), फरीदाबाद (सैक्टर–12) तथा झज्जर में निर्माण करने की योजना है। इसके अतिरिक्त छोटे बस स्टाप पर 752 बस क्यू शैल्टर प्रदान किये गये है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर 208 नये बस क्यू शैल्टर बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

एच0आर0ई0सी, गुड़गांव का आधुनिकीकरण

7.30 हरियाणा राज्य परिवहन इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुडगांव जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बाडियां बनाती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस उद्देश्य से एच.आर.ई.सी. की अंश पूंजी को 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 में 6.60 करोड़ रूपये कर दिया गया। आधुनिकीकरण के इस कार्यक्रम को चालू वित्त वर्ष 2012–13 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

सड़क सुरक्षा

7.31 हरियाणा राज्य परिवहन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये कड़े सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। गहन प्रयासों से हरियाणा राज्य परिवहन, यातायात के घनत्व में अत्याधिक बढ़ौतरी के बावजूद दुर्घटनाओं की दर जो वर्ष 1994–95 में 0.21 प्रति एक लाख कि0मी0 थी, को घटाकर वर्ष 2012–13 में 0.07 करने में सक्षम रहा है। हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने व नये भारी वाहन चालको को प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने के लिये 6 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। हल्के वाहन चालकों के लिए भी डी0टी0आई0 मूरथल में प्रशिक्षण शुरु किया गया है।

सार्वजनिक सेवा के वाहनों की सुरक्षा

7.32 नई दिल्ली में हाल ही की घटना के मध्यनजर प्रर्वतन एजैन्सियों को सार्वजनिक सेवा के वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित विस्तृत निर्देश जारी किये हैः–

- किसी भी वाहन की प्लाई पर रंगीन कांच तथा पर्दे नहीं होने चाहिए।
- सार्वजनिक वाहनों की आन्तरिक लाईट रात के समय जलती रहनी चाहिए।
- सार्वजनिक वाहन डयूटी के बाद मालिक की अनुमति से पार्क होंगे न कि ड्राईवर की।
- सार्वजनिक सेवा के वाहनों पर तैनात ड्राईवरों और अन्य स्टाफ को पुलिस से सत्यापि करवाना होगा।
- ड्राईवर तथा कंडक्टर की फोटो उनके नाम के साथ वाहन के अन्दर एक विशिष्ट स्थानर पर प्रदर्शित की जाएगी।
- सार्वजनिक वाहनों के ड्राईवर तथा कंडक्टर हरियाणा मोटर वाहन नियम के अनुसार अपने अपने आधार को प्रदर्शित करेगा।
- बस के मालिक तथा पुलिस कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर प्रमुखता से बस के अन्दर लिखा होना चाहिए।
- बिना सक्षम अधिकारी के प्राधिकरण के बिना कोई वाहन प्लाई लाल/नीले बीकन/हूटर नहीं होना चाहिए।

मुफत/रियायती यात्रा सुविधा

7.33 सरकार समाज के कुछ पात्र लोगों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक है। हरियाणा राज्य परिवहन समाज के पात्र वर्ग जैसे कि विद्यार्थी, साक्षात्कार के लिये जाने वाले बेरोज़गार युवक, 100 प्रतिशत विकलांग एक सहायक सहित, स्वतन्त्रता सेनानी, मान्यता–प्राप्त संवाददाता, पुलिस व जेल कर्मचारी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, रक्षा बंधन के दिन महिलाओं व बच्चों को मुफ्त यात्रा, लडकियों को मासिक पास के लिये 10 एक तरफा किराये के स्थान पर केवल 5 एक तरफा किराये ही देने होंगे, राष्ट्रीय केडिट कोर के कैडिडेटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय 50 प्रतिशत की छूट, 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट, हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा, पैरा लैम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा तथा साधारण जनता को बस पास सुविधा के तहत एक महीने के लिए 40 की दर से, तीन महीने के लिए 110 व 6 महीने हेतू 200 एक तरफा किराया वसूल किया जाता है।

परिचालक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना (आई.डी.टी.आर.)

7.34 सडकों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण बडी संख्या में मृत्यु एवं गम्भीर रूप से घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण अनाधिकृत चालकों द्वारा लापरवाही एवं तेज गति से गाडी चलाना है। इसलिए अच्छी तरह से सुसज्जित ड्राईविंग स्कूलों की स्थापना आज के समय की आवश्यकता है। डाईविंग प्रशिक्षण तथा सड़क सुरक्षा में वृद्धि को बढ़ाने के लिए राज्य में 4 आई.डी.टी.आर. स्थापित किये जा रहें हैं।

कृषि विपणन

7.35 हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल (एच.एस.ए.एम.बी.) का मुख्य उद्देश्य आधुनिक एकीकृत विपणन की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, कृषि उत्पाद को मण्डियों तक पहुंचाना आसान बनाना और किसानों

को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलवाना है। "समृद्ध किसान हमारी पहचान" की विचारधारा को अपनाते हुये यह संस्था विभिन्न तरीकों से किसानों की फसल में फेरबदल तथा उत्पादन बढाकर उनके उत्पाद के विपणन बढाने हेतू विभिन्न प्रयत्न करता है। विपणन बोर्ड का लक्ष्य किसानों को वैकिल्पक प्रतिर्स्पधी विपणन अवसर प्रदान करना और इसकी सहायता से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना है।

पंचकुला में स्थित सेब मार्केट का विकास

7.36 अभी तक हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर से आने वाला सेब चण्डीगढ़ में रोककर दिल्ली की फल मण्डी में भेजा जाता है जिससे चण्डीगढ़ की फल व सब्जी मण्डी में भीड़ व जाम की स्थिति बन जाती है। पंचकूला के सैक्टर 20 मण्डी में नई सेब मार्केट का विकास किया गया है इससे चण्डीगढ़ मण्डी की भारी भीड़ भी कम हो सकेगी व मार्केट कमेटी पंचकूला के आय स्रोत में भी वृद्धि होगी।

मण्डियों का विकास

7.37 अनाज एवं सब्जी मण्डियों के विकास एवं आद्युनिकरण की बड़ी योजनाओं के साथ–साथ बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर नई मण्डी बनाने हेतू योजना शुरू की है। मण्डियों के विकास तथा चल रही मण्डियों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतू 1–4–2005 से 31–12–2012 के समय के दौरान 522 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

एग्रो/शॉपिंग माल परिसर का निर्माण

7.38 विपणन बोर्ड एग्रो माल विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि किसानों को अपनी उपज की बेहतर विपणन सुविधा तथा उत्पादन का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। विचार से राज्य में किया जा रहा है। इस श्रृंखला में 207 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से चार स्थानों पंचकूला, करनाल, पानीपत तथा रोहतक में एग्रो शॉपिंग परिसरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन पर अब तक 142 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। रोहतक में मॉल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

7.39 राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार की सहायता राशि से अनेक सब्जी मण्डियों में आधुनिक सुविधायें प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। पहले चरण के अर्न्तगत ठण्डी चैन, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेडिंग, छंटाई एवं पैंकिंग सुविधायें दी जानी हैं। यह सभी सुविधायें किसानो की उपज की गुणवत्ता बढाने के लिये दी जा रही हैं। 72.06 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 11 स्थानों पंचकूला, पानीपत, हिसार, नारनौल, रोहतक, करनाल, गुड़गॉव, अबुबशहर, शाहबाद, झज्जर, और सोनीपत में इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए परियोजना का प्रथम चरण प्रारम्भ किया गया है, जिन पर अब तक 57 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है। एन.एच.एम. के द्वितीय चरण में चार स्थानों फरीदाबाद, जीन्द, पेहवा तथा यमुनानगर पर 12.24 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से ठण्डी चैन सुविधायें दी जा रही है, कार्य प्रगति पर है और अब तक इस पर 4 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

टर्मिनल मार्किट गन्नौर (सोनीपत) का विकास

7.40 विपणन बोर्ड द्वारा फ्रांस मे पेरिस के नजदीक रूंगीस मार्किट की तर्ज पर गन्नौर में एक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं वाली पोस्ट हारवेस्ट सपोर्ट सिस्टम पर आधारित मार्किट विकसित करने के लियें 493 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। इसके पूरा होने पर 1,500 करोड़ रूपये खर्च आने का अनुमान है। गन्नौर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली से 60 मिनट के रास्ते पर राष्ट्रीय राजमार्ग न0. 1 पर स्थित है यह मार्किट हरियाणा के अतिरिक्त पूरे उत्तर भारत से और देश के महानगरों से भी जुड़ी हुई होगी। यह एक अति आधुनिक थोक मूल्य सब्जी व फल की मार्किट होगी जिसमें ठण्डे चैम्बर, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेडिंग तथा पैकिंग जैसी सुविधायें होगी। यह मार्किट लगभग 100 संग्रह केन्द्रों द्वारा पूरे राज्य से जुड़ी होगी। यह मार्किट एक साफ व स्वच्छ वातावरण में होगी जिसमें एक वर्ष में लगभग 7.5 लाख टन फल व सब्जियां सम्भालने की क्षमता और 1 लाख टन अण्डा, मीट, मछली तथा 0.5 टन फूलों को संभालने की क्षमता होगी। इसका प्रारम्भिक विकास कार्य शुरू कर दिया गया है जिस पर 6.92 करोड़ रूपये खर्च हो चुके है।

भण्डारण (हरियाणा स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन)

7.41 हरियाणा स्टेट वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अर्न्तगत दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसानों, सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थाओं एंव व्यापारियों इत्यादि को कृषि उत्पादों की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस समय 31 दिसम्बर, 2012 तक निगम कुल 18.70 लाख टन क्षमता का संचालन करते हुए राज्य में 108 वेयर हाऊस

चला रहा है जिसमें 14.99 लाख टन क्षमता के ढके हुए गोदाम एंव 3.71 लाख टन क्षमता के ओपन पलीन्थ शामिल है। **तालिका 7.8** में दर्शाई गई है।

तालिका 7.8 वर्ष 2005–06 से औसत भण्डारण क्षमता एंव इसकी उपयोगिता

वर्ष	औसत भण्डारण क्षमता (टन)	औसत उपयोगिता (टन)	उपयोगिता की प्रतिशतता	भण्डार गृहों की संख्या
2005–06	14,85,309	8,51,494	57	105
2006–07	13,90,272	8,37,581	60	105
2007–08	13,97,115	9,68,645	69	105
2008–09	14,68,483	12,20,165	83	106
2009–10	16,92,611	15,44,599	91	107
2010–11	16,16,270	14,97,189	93	107
2011–12	16,72,188	16,45,066	98	107
2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक)	19,15,598	20,42,727	107	108

7.42 निगम के पास 1–11–1967 को इसकी स्थापना के समय मात्र 7,000 टन क्षमता के भण्डार गृह उपलब्ध थे। वर्ष 2010–11 के दौरान निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अर्न्तगत राज्य में 8 विभिन्न स्थानों पर 58,880 टन क्षमता के भण्डार गृहों का निर्माण कार्य करवाया गया। निगम द्वारा नाबार्ड ने संचालित ग्रामीण भण्डारण योजना (जी.बी.वाई.) के अर्न्तगत 20 स्थानों पर अतिरिक्त 1,65,870 टन क्षमता का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

7.43 वर्ष 2012–13 के दौरान ग्रामीण भण्डारण योजना (जी.बी.वाई.) के अर्न्तगत 97,796 टन क्षमता के भण्डार गृहों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 2005–06 से अब तक निगम द्वारा निर्माण किए गए भण्डारण गृह का विवरण **तालिका 7.9** में दिया गया है।

तालिका 7.9 2005–06 से अब तक निगम द्वारा निर्माण की गई वर्षवार भण्डारण क्षमता

क्रम संख्या	वर्ष	भण्डारण क्षमता (टन)
1	2005–06	15,000
2	2006–07	32,000
3	2007–08	–
4	2008–09	7,550
5	2009–10	77,120
6	2010–11	30,240
7	2011–12	20,150
8	2012–13	97,796 (प्रगति में)

7.44 निगम राज्य व इसके साथ लगते राज्यों के आयातकों तथा निर्यातकों को प्रभावी लागत सेवाएं प्रधान करने के लिए रिवाडी में एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.)–कम–कन्टेनर फरेटस्टेशन (सी.एफ.एस.) संचालित कर रहा है फिर भी नीति सहयोग समझौता कनकोर जो कि भारतीय रेलवे की सहयोगी है के तहत कनकोर 1–11–2008 से इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो आई0सी0डी0–कम–कन्टेनर फरेटस्टेशन (सी.एफ.एफ.) को संचालित कर रहा है। इन्लैण्ड कन्टेनर डिपों, रिवाड़ी को 18–12–2009 से विश्व के इलैक्ट्रोनिक डाटा–इन्टर चैंज (ई.डी.आई.) व्यवस्था से जोड़ा गया है।

हरियाणा राज्य सहकारिता पूर्ति तथा मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड (हैफेड)

गेंहू/धान की खरीद

7.45 हैफेड ने रबी 2012 के दौरान 31.50 लाख टन गेहूं की खरीद की जो कि अब तक खरीदी गई गेहूं मे सबसे अधिक है। जो कि प्रदेश में सहकारी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का 36 प्रतिशत है, जबकि सरकार द्वारा इसे 30 प्रतिशत हिस्सा आंबटित किया गया था। हैफेड ने खरीफ 2012 मे 12.20 लाख टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीद की जबकि पिछले वर्ष यह खरीद 10.22 लाख टन थी।

7.46 राज्य सरकार ने हैफ़ेड को भारत सरकार की निजी उद्यमी गोदाम स्कीम, 2008 के तहत हरियाणा राज्य में लगभग 36.52 लाख टन क्षमता के गोदाम निर्माण करवाने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। 6.7 लाख टन क्षमता के गोदामो का निर्माण कर दिया है। 7.46 लाख टन क्षमता के और गोदाम 15 अप्रैल, 2013 तक बन कर तैयार हो जायगे।

खाद की बिक्री

7.47 हैफेड ने इस वर्ष के दौरान खाद का अग्रिम संग्रहण करने के कारण राज्य मे डीएपी और यूरिया की कोई कमी नही आई है। हैफेड ने इंडियन पोटाश लिमिटेड इफको, कृभको तथा चम्बल खाद को अग्रिम भुगतान कर के राज्य के किसानो को डीएपी और यूरिया उर्वरक की कोई कमी नही आने दी। हैफेड ने (1–4–2012 से 31–12–2012) तक 2,15,000 टन डी0ए0पी0 तथा इसी प्रकार 2,40,000 टन यूरिया खाद बिक्री की है।

हैफेड असन्ध चीनी मिल

7.48 वर्ष 2012 के बवाई के दौरान, हैफेड चीनी मिल असन्ध ने अपने अधिकार क्षेत्र मे आने वाले गन्ना बवाई क्षेत्र 7,750 एकड से 13,000 एकड तक का विस्तार किया है हैफेड ने चीनी की रिकवरी को 7.65 से 8.75 प्रतिशत तक बढ़ाया है।

हैफेड द्वारा चावल एवं सरसों के तेल का निर्यात

7.49 ***हैफेड द्वारा वर्ष 2012 मे हैफेड के अपने ब्रांड नाम से 410 क्विंटल बासमती चावल और 100 क्विंटल सरसों के तेल का अमेरिका और मारिशस को निर्यात किया गया है।***

तरावड़ी चावल मील का आधुनिकीकरण तथा तरावड़ी में एक आटा मील की स्थापना

7.50 घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ हैफ़ेड चावल मिल, तरावड़ी का आधुनिकीकरण लगभग 3 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से किया गया है। हैफ़ेड ने तरावड़ी (करनाल) में एक आटा मिल भी लगाने की प्रक्रिया भी आरम्भ की है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2.5 करोड़ रूपए आएगी। हैफेड द्वारा वर्ष 2011–12 मे 5,003 करोड़ रूपए का कारोबार किया और 42.36 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

****

8

सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र एक विकासशील और उभरती हुई अर्थ–व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्वि और लोगों की भलाई करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक है। लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए विकास के लाभों के एक समान वितरण के साथ रहने के लिए बेहतर वातावरण की आवश्यकता है। राज्य की योजना रणनीति हमेशा सामाजिक न्याय और कल्याण के साथ वृद्धि है। प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा

8.2 राज्य सरकार को यह भली–भाँति विदित है कि 21वीं शताब्दी को ज्ञान की शताब्दी माना गया है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है और इसे यथार्थ रूप में परिणत करने के लिए राज्य सरकार ने लगातार भरसक प्रयत्न किया है कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो, जिसमें शैक्षिक और मूलभूत संसाधनों को सुगमता से अपनाना निहित है। इसके फलस्वरूप आज 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालयों तथा 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा राज्य में उपलब्ध है।

विद्यालय शिक्षा

8.3 हरियाणा में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार–अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2012–13 के दौरान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से आठवीं तक सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें/कार्यपुस्तकें दी गई तथा स्टेशनरी, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई।

8.4 बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अनुसार राज्य के 15,014 राजकीय विद्यालयों को नेबरहुड स्कूल घोषित किया जा चुका है, जिनमें 1 कि.मी. की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल तथा 3 कि.मी. की परिधि में अपर प्राइमरी स्कूल शामिल है। केवल 64 उपग्राम, जिसमें प्राइमरी स्कूल खोले जाने सम्भव नहीं, उनमें रहने वाले बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में पढ़ने हेतु ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

8.5 विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ (एस.एम.सीज.) जिनमें अधिसंख्यक सदस्य अभिभावक हैं, स्कूल के संचालन में सक्रिय योगदान दे रही है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य में एस.एम.सी. सदस्यों को 4 स्तरों पर प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्हें आर.टी.ई. के प्रावधानों के प्रति तथा उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है और स्कूलों के विकास की योजना के लिए तैयार किया गया है। लगभग एक लाख एस.एम.सी. सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

8.6 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम की व्यवस्था एवं मानदण्डों के तहत बच्चों की शिकायतों के निवारण हेतु आर.ई.पी.ए. (बच्चों के संरक्षण का अधिकार) का निर्माण किया गया। इसी के अर्न्तगत जिला स्तरीय शिकायत निवारण सैल्स की स्थापना की गई। इसी काम के लिए निदेशालय स्तर पर एक टॉल फ्री नम्बर–1800–3010–0110 सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक कमीशन (एस.सी.पी.सी.आर.) की नियुक्ति की गई है। यह सारा उत्तरदायित्व इसी कमीशन का रहेगा।

8.7 आर.टी.ई. की जरूरतों के अनुसार स्कूलों में शत–प्रतिशत नामांकन को पक्का करने हेतू घर–घर में जाकर 0 से 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चों का पता लगाया गया है जो स्कूल छोड़ चुके हैं या कभी स्कूल नहीं गए। हमारे द्वारा इस प्रकार के लगभग 15,000 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया है।

8.8 राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए मिड–डे मील की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस व्यवस्था से प्राइमरी के लगभग 15 लाख तथा

अपर प्राइमरी के लगभग साढ़े 7 लाख बच्चों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है। इस वर्ष 309.65 करोड़ रूपए की राशि इस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है।

8.9 1 से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नकद पुरस्कार योजना के अर्न्तगत वर्ष में एकमुश्त नकद पुरस्कार के लिए 255.33 करोड़ रूपये तथा मासिक छात्रवृत्ति हेतु 365.67 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। मासिक छात्रवृत्ति योजना के अर्न्तगत 1 से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) छात्रों हेतु 44.85 करोड़ रूपये तथा पिछड़ा वर्ग–ए बी.सी.ए.) के छात्रों हेतु 124.95 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

8.10 राज्य सरकार 2 फ्लैगशिप नैशनल प्रोग्रामों–जिनका नाम ष्सर्वशिक्षा अभियानष और ष्राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानष है, को केन्द्र सरकार के शेयरिंग पैटर्न पर क्रमशः 65:35 और 75:25 के अनुपात में लागू कर रही है। ये दोनों कार्यक्रम साथ–साथ गुणवन्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में अपना योगदान दे रहे है। इसके साथ–साथ ये कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के सरलतापूर्वक प्रवेश के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा रहे है।

8.11 राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों की मुरम्मत तथा रखरखाव हेतु ग्रांट देती है। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार की ओर से 34 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा विद्यालयों के रखरखाव तथा पुरानी चीजों को बदलने के लिए एस.एस.ए. की ओर से लगभग 96 करोड़ रूपये की राशि दी गई है।

8.12 इस वर्ष एस.एस.ए./आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों में नए सिविल कार्यों के सम्पादन हेतु 186.53 करोड़ रूपये दिए गए हैं, जिनसे अतिरिक्त कक्षा–कक्षों, विद्यालय–भवनों, शौचालयों तथा अन्य बड़े मुरम्मत के कार्यों को सम्पन्न किया जा सकेगा तथा पहले से शुरू किए गए 1115 कक्षा–कक्ष, 1578 मुख्याध्यापकों के कक्ष, 4591 शौचालयों, 7 स्कूल भवनों आदि को पूर्ण किया गया है अथवा किया जा रहा है। सन् 2012–13 के दौरान राज्य के उच्च विद्यालयों को आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत 38.08 करोड़ रूपये कला और शिल्प के कक्षों, विज्ञान की प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर–प्रयोगशालाओं, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों, ऐजुसैट तथा पुस्तकालयों, शौचालयों के निर्माण एवं पेयजल–सुविधाओं हेतु दिए गए है।

8.13 हरियाणा स्कूल अध्यापक चयन बोर्ड ने 9,870 प्राथमिक अध्यापकों तथा लगभग 14,000 प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन नियुक्तियों के बाद अलग–अलग स्तर पर विद्यालयों में रिक्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी। मेवात जिले में दीर्घकाल से चली आ रही रिक्तियों की समस्या का समाधान वहाँ के लिए अध्यापकों का एक अलग कैडर बनाकर कर दिया गया है। इसी के साथ मेवात में उर्दू की पढ़ाई की सुविधा देने हेतू प्रत्येक विद्यालय में एक उर्दू–अध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार से पंजाबी भाषी समुदायों के बच्चे जिन–जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर विद्यालयों में पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति की पहल की जा रही है।

8.14 शिक्षा वर्ष 2012–13 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिए प्लान स्कीम के अन्तर्गत 1,800 करोड़ रूपए, नॉन प्लान स्कीम के लिए 2,082.34 करोड़ रूपए तथा सी.एस.एस. स्कीम के लिए 216.40 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा के लिए प्लान स्कीम के अन्तर्गत 600 करोड़ रूपये, नॉन प्लान स्कीम के तहत 1,669.27 करोड़ रूपये तथा सी.एस.एस. स्कीम के लिए 164.26 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

8.15 शिक्षा की गुणवन्ता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शिक्षकों की गुणवन्ता से है, इसे देखते हुए झज्जर जिले के सिलानी केशों में अध्यापकों की शिक्षा के लिए राज्य स्तर का स्कूल खोला जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाएगी। यह स्कूल शिक्षकों को सेवा–पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि राज्य में पेशेवराना तौर पर सुयोग्य अध्यापक तैयार हो सकें और भविष्य में मानवीय ऊर्जा को तीव्र गति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त यह स्कूल सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा विद्यालयीय विकास–कार्यक्रमों का संयोजन करेगा। नवीन पद्धति पर आधारित यह विद्यालय 4 वर्षीय समेकित कार्यक्रम को शिक्षा–सत्र 2013–14 में आरम्भ करने जा रहा है, जिसमें बीए., बी.एस.सी., बी.कॉम. बी.एड. की शिक्षा दी जाएगी।

8.16 राज्य सरकार ने अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली एवं व्यवसायिक बनाने के लिए शैक्षिक ढांचे की पुर्नरचना की है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) तथा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण (संस्थानों डी.आई.ई.टीएस.) का भी पुनर्गठन किया गया है और सेवापूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, योजना एवं प्रबन्धन, अनुसंन्धान एवं मूल्यांकन के लिए अनेक शाखाएँ कार्य कर रही है। ये संस्थाएँ अपने–अपने जिलों में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए नोडल संस्थानों के रूप में कार्य करेंगी

ताकि स्कूली शिक्षा का सम्बन्धित जिले में विकास हो सके। राज्य सरकार ने जिन 4 जिलों–मेवात, फतेहाबाद, पलवल और झज्जर–में डी.आई.ई.टीएस. नहीं थी, उनमें 4 डी.आई.ई.टीएस. स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त अम्बाला, मेवात, सिरसा और फतेहाबाद में अल्पसंख्यक समुदायों एवं अनुसूचित जातियों की देखरेख के लिए 4 खण्ड अध्यापक शिक्षण संस्थान स्वीकृत किए गए है।

8.17 यह भी बड़े गौरव और सम्मान का विषय है कि हरियाणा राज्य पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने स्कूलों में केन्द्रीकृत पायलट राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम लागू किया है, जिसका उद्देश्य प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित रोजगारोन्मुखी शिक्षा के प्रति युवाओं को जागरूक करना है, क्योंकि मानवीय ऊर्जा को देश की जरूरत के अनुसार ढालने के लिए सीखने का कौशल महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को इस कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाने के लिए सहयोग प्रदान कर रही है।

8.18 ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अन्तर को कम करने के लिए किसान स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। इन स्कूलों में बेहतरीन भौतिक मूलभूत सुविधाएँ संसाधनों से परिपूर्ण प्रयोगशालाएँ और खेलकूद की गतिविधियाँ होंगी। यदि आवश्यकता हुई तो आवागमन की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगीं। आरम्भिक चरण में 7 किसान स्कूल रोहतक, जींद, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिलों में (प्रत्येक में 1–1) खोले जा रहे है। इसके बाद राज्य के सभी जिलों में एक–एक किसान स्कूल खोला जाएगा।

8.19 भारत सरकार द्वारा कठिन/दुर्गम क्षेत्रों के एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए (के.जी.बी.वी.) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की योजना लागू की गई। यही योजना केन्द्र सरकार के साथ हिस्सेदारी में हरियाणा राज्य द्वारा भी लागू की गई है वर्ष 2012–13 में 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उच्च विद्यालय स्तर तक अपग्रेडेशन किया गया हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में 1603 लड़कियाँ नामांकित है।

उच्चत्तर शिक्षा

8.20 राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और इस वृद्धि की अगले वित्त वर्ष में जारी रहने की संभावना है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता की वृद्धि और हाल के वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बजट व्यवस्था वर्ष 2011–12 में 892.18 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2012–13 में बढाकर 927.58 करोड़ कर दी गई है। सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में 8 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जो हरियाणा के इतिहास में सर्वाधिक है। इस गति को भविष्य में जारी रखने की संभावना है।

8.21 राज्य सरकार द्वारा सोनीपत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया गया है, जो एक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय होगा और सरकार द्वारा 100–110 करोड़ रूपये की राशि से स्थापित होगा। इस विश्वविद्यालय को कानून की सभी शाखाओं का उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के आयोजन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जींद में हरियाणा शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान स्थापित करने का फैसला लिया गया है जिसको एक अदद संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा।

8.22 गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने तथा सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के उदेद्श्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के महाविद्यालयों की गुणवत्ता को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गईं हैं। 6 नए सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। मानव संसाधन विकास, प्रयोगशालाओं की स्तरोन्नति, विज्ञान प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण और पर्यटन, आवश्यक कम्पयुटर शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने, भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसी योजनाएं, महाविद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए आरम्भ करके कुछ कदम उठाए गए है।

8.23 सरकार शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने तथा शिक्षक छात्र का अनुपात बढाने का के लिए प्रतिबध है और तदानुसार एक बडे पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया गया है। विभाग ने भी भारत सरकार प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना के तहत डाटाबेस तैयार करने के लिए राज्य के अम्बाला और सोनीपत जिलों में नेतृत्व किया है जो एक निर्बाध फैशन छात्रवृति के द्वारा हजारों छात्रों को मदद मिलेगी।

तकनीकी शिक्षा

8.24 तकनीकी एंव व्यवसाय में उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति, मानव संसाधनों का एक महत्वपूर्ण संभाग है जोकि किसी भी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को निर्देशित करते है। तकनीकी शिक्षा

विभाग राष्ट्रीय और राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप राज्य में तकनीकी शिक्षा की योजना बनाता है ताकि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति

8.25 विभाग ने 'हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति' जिसे पहले 'हरियाणा स्टेट काउन्सलिंग सोसाईटी' के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। जिसका मुख्य कार्य डिप्लोमा व अंडर ग्रेजुएट तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश को नियोजित करना है। यह सोसाईटी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा व लेट्रल ईन्ट्री इंजी0 की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है। यह सोसाईटी उत्तम तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्तियॉ भी प्रदान करती है :–

- पी0एच0डी0छात्रों के लिए सी0वी0रमन छात्रवृत्ति 18,000 रूपये प्रति महीना जमा 5,000 रूपये प्रति वर्ष आकस्मिक खर्च।
- एम0ई0/एम0टैक छात्रों के लिए आर्यभट्ट छात्रावृत्ति के लिए प्रति वर्ष ट्यूशन फीस 20,000 रूपये या वास्तविक (जो भी कम हो)।
- बी0ई0/बी0टैक/बी0अरच छात्रों के लिए सर0एम0 विश्वा0 वरीया छात्रवृत्ति के लिए प्रति वर्ष ट्यूशन फीस रू0 40,000 या वास्तविक (जो भी कम हो)।
- डिप्लोमा छात्रों के लिए विश्वमित्र छात्रावृत्ति के लिए प्रति वर्ष ट्यूशन फीस 20,000 रूपये या वास्तविक (जो भी कम हो)।

8.26 वर्ष 1966 में हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के समय प्रदेश में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाएं, जिनमें 4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता प्राप्त स्थापित थी एवं एकमात्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मिलित उपक्रम) कुरूक्षेत्र में था, जिन सब को मिलाकर छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश केवल 1,341 क्षमता थी। 2004–05 राज्य भर में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 161 तथा उनमें छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ कर 28,445 हो गयी। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 2005 के पश्चात अति तीव्र गति से वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2012–13 में संस्थाओं की संख्या बढ़कर 643, तथा छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता लगभग 1,43,000 हो गई है।

8.27 तकनीकी शिक्षा विभाग तीन विश्वविद्यालयों गुरू जम्भेश्वर सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, हिसार (1995), दीनबन्धु छोटूराम सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, मुरथल (2006) तथा यंग मैनज़ क्रिशचन एसोसिएशन (वाई0एम0सी0ए0) सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (2009) का भी संचालन भी करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इन्जीनियरिंग की पढ़ाई के लिये चौधरी देवी लाल, मैमोरियल राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, पन्नीवाला, मोटा, सिरसा में खोला गया है।

तकनीकी विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियां।

8.28 सैन्ट्रल इनस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी (सी0आई0पी0ई0टी0) जो कि पानीपत में एक किराये की संकुचित भवन में कार्यरत थी के लिये 10 एकड़ क्षेत्र में एक नए परिसर दीनबन्धू छोटू राम विश्वविद्यालय (डी.सी.आर.यू.एस.टी.), मुरथल का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपये की राशि एंव मुफ्त जमींन उपलब्ध करवायी गयी है। संस्थान में 3 डिप्लोमा जैसे प्लास्टिक टैक्नोलोजी, प्रोसैसिंग टैक्नोलोजी तथा मोल्ड टैक्नोलोजी के अतिरिक्त बी.टैक. की कक्षाएं भी चलाई जायेगी।

8.29 इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट, रोहतक की स्थापना मानव ससांधन व विकास मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा 200 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में रोहतक में की जा रही है। इस संस्थान के लिए राज्य सरकार ने निशुल्क भूमि प्रदान की है। यह सस्थांन, वर्तमान में एम.डी.यू. रोहतक में अस्थाई परिसर में चलाया जा रहा है।

8.30 इस वर्ष 3 नई राजकीय बहुतकनीकी संस्थान–सांघी एवं सांपला (रोहतक) तथा नरवाना (जींद) में स्थापित किये जा चुके है। 2 नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, महम (रोहतक) व चौ0 बन्सी लाल राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, भिवानी का निर्माण कार्य समापन होने के करीब है जिसमें 30–06–2013 तक पूर्ण होने की आशा है। इन सभी बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना स्टेट प्लान के अर्न्तगत की जा रही है।

8.31 दो छात्रावासों का निर्माण कार्य जिनकी क्षमता 114 छात्र प्रति छात्रावास है का निर्माण कार्य राजकीय बहुतकनीकी मानेसर व नीलोखेडी में चल रहा है। राजकीय बहुतकनीकी नीलोखेडी, जिला करनाल

में 15.25 करोड़ की लागत से नए शिक्षण भवन को जोडा गया है। छोटू राम बहुतकनीकी, रोहतक में जो एक सरकार सहायता प्राप्त बहुतकनीकी है, में 4 करोड़ रूपये की लागत से एक नई कार्यशाला भवन का निर्माण किया गया है। जिसका खर्च राज्य सरकार के बजट से वहन किया गया है।

प्रस्तावित नई परियोजनाएं

8.32 5 नये राजकीय बहुतकनीकी जिन में राजकीय बहुतकनीकी शेरगढ़ (कैथल), नीमका (फरीदाबाद), इंद्री (मेवात), मन्डकोला (पलवल), मादलपुर (फरीदाबाद) की स्थापना राज्य प्लान के अर्न्तगत की जा रही है।

8.33 इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना गॉव किलोड़ जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के अन्तर्गत की जायेगी। इस उद्देश्य के लिये ग्रांम पंचायत ने 128 एकड़, 7 कनाल, 6 मरला जमीन देने की सहमति की है। इसके लिये औद्योगिक भागीदार (इन्डस्ट्री पार्टनर) के चयन की प्रकिया चल रही है। राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान (एन.आई.डी.) की स्थापना उमरी (राष्ट्रीय राज मार्ग 1 पर) जिला कुरूक्षेत्र में की जा रही है। इस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत उमरी द्वारा 20.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विस्तार परिसर की स्थापना राजीव गॉधी एजुकेशन सिटी, कुडंली, जिला सोनीपत में की जा रही है। इस उद्देश्य हेतु लगभग 50 एकड़ जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आवंटित की जा चुकी है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान के द्वितीय विस्तार परिसर (अनुसंधान एव विकास) के लिये ग्राम पंचायत गांव बाढ़सा, जिला झज्जर में जमीन उपलब्ध करवाने के लिये सहमति दी है।

औद्योगिक प्रशिक्षण

8.34 सुदृढ़ औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए युवा छात्र/छात्राओं को विभिन्न औद्योगिक कौशल में प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। राज्य सभी औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 131 संस्थानों (100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), 7 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, 1 राजकीय आर्ट स्कूल रोहतक) के माध्यम से 53,584 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ये संस्थान उद्योगों को न केवल कुशल शिल्पकार प्रदान करते हैं बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं।

8.35 वित्त वर्ष 2012–13 में विभाग के अर्न्तगत 39,168 सीटों की क्षमता के साथ 131 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) भी शामिल हैं) चल रहे हैं। राज्य में कला स्कूल, रोहतक जिसमें छात्रों के लिए 120 सीटें उपलब्ध हैं, भी कार्य कर रहा हैं। अम्बाला शहर, रोहतक, भिवानी में 300 सीटों की क्षमता वाले 7 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं तथा इनके इलावा 94 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र अम्बाला शहर रोहतक, भिवानी, जीन्द, नारनौल, सिरसा तथा फरीदाबाद में चल रहे हैं (जिनमें 14,716 सीटें उपलब्ध हैं)। इन संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

8.36 विद्यार्थियों को बहु–कुशलता व आर्दश प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों् में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रशिक्षार्णिथियों के लिये प्रशिक्षण कार्यो को अधिक उपयोगी बनवाने के लिये 29 औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा 65 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतू अंगीकृत किया गया है। संचालय, वित्तीय प्रबन्धन में स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 70 सोसायटियों का गठन किया गया जिस में 77 संस्थान कवर किये गये है।

8.37 डी.जी.ई.एण्ड टी. द्वारा चलाई गई स्किल डिवलैपमैन्ट इनीशियेटिव स्कीम (एस.डी.आई.) के अर्न्तगत 60 वोकेशनल ट्रेंनिग प्रोवाईडर (वी.टी.पी.) द्वारा विभिन्न माडयूलस में उन छात्रों को जिन्होने स्कूल छोड़ दिया है तथा जो लोग अव्यवस्थित क्षेत्र में काम कर रहे है, प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है। इस स्कीम से 24,619 छात्र लाभान्वित हो चुके है।

सूचना प्रौद्योगिकी

8.38 अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ–साथ घरेलू निवेशकों के लिए भी पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर उभरने के कारण हरियाणा आज बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कारपोरेट घरानों का ठिकाना है। इस उद्योग के लिए 'रैडी टू मूव' स्थल के सृजन एवं विकास के लिए निजी पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक एवं निवेश नीति घोषित की गई है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने हरियाणा में चार स्थानों अर्थात पंचकूला, आई.एम.टी मानेसर, सोनीपत में कुण्डली और राई में आई.टी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टैक्नोलॉजी पार्क/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्कों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया है।

8.39 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न ई–शासन अनुप्रयोगों में आई.सी.टी बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा सुविधाओं के लिए ठोस कदम उठाये हैं। विभाग ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लागू किया है। इस नेटवर्क के तहत, राज्य मुख्यालय को इंटर तथा इंट्रा डाटा ट्रांसफर/शेयरिंग वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु सभी 21 जिला मुख्यालयों, हरियाणा सिविल सचिवालय तथा नई दिल्ली में हरियाणा भवन और 126 खण्डों/उपमण्डलों/तहसीलों/उप–तहसीलों के साथ जोड़ा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के 1,180 कार्यालय चरण I से III के तहत इस नेटवर्क पर होरिजोंटल कनेक्टिविटी से जुड़ गये हैं, जिनमें हरियाणा की 20 जेलें तथा उच्च न्यायालय समेत 39 न्यायालय भी शामिल हैं। इन न्यायालयों और जेलों द्वारा नियमित आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई की जाती है। चौथे चरण के तहत, विभिन्न विभागों के 500 से अधिक कार्यालय स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) पर समानान्तर जुड़ जाएंगे।

8.40 रोहतक में ई–जिला परियोजना का प्रथम पायलट सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आने वाले वर्ष के दौरान इसे राज्य में सभी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतू विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.) भी स्थापित किया गया है। इस डाटा सेंटर पर विभिन्न विभागों/संगठनों और ई–जिला परियोजना के 12 आवेदन पहले से ही विद्यमान हैं। भविष्य में, विभिन्न विभागों/संगठनों के और अधिक आवेदन अर्थात पुलिस विभाग, हुडा, एच.वी.पी.एन. तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के सी.सी.टी.एन.एस. एस.डी.सी. पर उपलब्ध होंगे। यू.आई.डी. परियोजना का एक नोडल विभाग होने के नाते सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यू.आई.डी. संदर्भ का प्रयोग करते हुए इस पायलट के तहत विभिन्न विभागीय आवेदनों के समेकन हेतु 'एक राज्य परियोजना' की परिकल्पना की है। यू.आई.डी.ए.आई. ने अपने डाटा सेंटर के लिए स्थान के तौर पर आई.एम.टी. मानेसर का चयन किया है, जिसके लिए इस प्रयोजन हेतू एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

8.41 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सांझा सेवा केन्द्रों तथा स्टेट डाटा सेंटर जैसी प्रमुख आधारभूत संरचनाओं के सदुपयोग के लिए राज्य में 10.92 करोड़ रुपये की लागत से एक नई परियोजना नामतः स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे भी स्थापित की जा रही है। अब 800 नागरिक सेवा केन्द्रों और ई–पंचायत परियोजना को भी इस परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, राज्य में अब तक 34,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आई.सी.टी. प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। पिछले वर्ष के दौरान 800 लडकियां/महिलाएं अब तक 3,250 लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा मार्च, 2013 तक 950 और अधिक लड़कियों/महिलाओं को आई.सी.टी. प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की संभावना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8.42 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही है, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसक), हिसार। विभाग ने दो उत्कृष्ठता केन्द्र स्थापित किए है। पहला केन्द्र डी.एन.ए. टैस्टिंग एवं डायग्नोस्टिक अनुसंधान एवं अनुप्रयोग बारे पौध जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, हिसार में 233.85 लाख रूपये की लागत से तथा दूसरा केन्द्र नवीकरणीय ऊर्जा टैस्ट केन्द्र जो दीनबन्दु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में 1 करोड़ रूपये की लागत से है। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा इसे अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैः–

- **विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति स्कीमः** इस स्कीम के अंतर्गत मूल विज्ञान से (भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, बोटनी, प्राणी विज्ञान, गणित एंव भू–विज्ञान) बी.एस.सी. (आनर्स) के विद्यार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह व एम.एस.सी. (आनर्स) के विद्यार्थियों के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृति दी जाएंगी। 100 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को उपरोक्त छात्रवृति प्रदान करने के लिए उनकी मैरिट के आधार पर चुना गया है।
- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीमः** हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–1 तथा नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम में विज्ञान विषयों में लिखित परीक्षा में नम्बरों के आधार पर उच्चतम 1,000 विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जाएगी।

- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फैलोशिप स्कीमः** सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में मेरिट के आधार पर यह छात्रवृति दी जाती है। विज्ञान विषयों के अनुसंधान अध्येता को 12,000 प्रतिमाह पहले दो साल तथा 14,000 रुपये तीसरे वर्ष के बाद दिये जाते है जिसकी अधिकतम अवधि 5 साल तक होती है। इसके अतिरिक्त 20,000 रूपये वार्षिक एक मुश्त राशि दी जाती है। यह स्कीम 2009–10 में शुरु की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 69 विद्यार्थीयों को फैलोशिप दी जा चुकी है।
- **दो उत्कृष्ठता केन्द्रः** पहला केन्द्र "डी. एन. ए. टैस्टिंग एंव डायग्नोडास्टिक अनुसंधान एंव अनुप्रयोग" बारे पादप जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, हिसार में 233.85 लाख रुपये की लागत से तथा दूसरा केन्द्र नवीकरणीय ऊर्जा टैस्ट केन्द्र जो दीनबन्धु छोटुराम विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्याालय, मुरथल में 100 लाख रुपये की लागत से स्थापित किए जा रहे है।

8.43 राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी बढ़ाने हेतू विभाग ने स्वर्गीय अतंरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में कुरूक्षेत्र मे 6.50 करोड़ रूपये की लागत से एक तारामण्डल की स्थापना की है।

8.44 हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक) अपनी स्थापना के समय से ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों वातावरण एंव अवसंरचना के मानचित्रण, मानीटरण एवं इनके प्रबन्धन में कार्यरत है तथा अभी तक यह केन्द्र 115 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी कर चुका है एंव 30 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। हरसैक विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है जैसे हरियाणा के भू–जल सम्भावनाओं का मानचित्रण, स्पेस बेस्ड इन्फोरमेशन सिस्टम फार डिस्ट्रालाइजड प्लानिंग (एस.आई.एस.–डी.पी.) अवैध कॉलोनियों की पहचान, डेलीनिऐशन ऑफ पोलियोचैनल, मध्य हरियाणा में वाटर लांगिग मैपिंग एंव मैनेजमैंट, पुलिस स्टेशनो की सीमाओं की एटलस तैयार करना, राष्ट्रीय शहरी सूचना तंत्र इत्यादि। इसके अतिरिक्त हरसैक निम्नलिखित मुख्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहा हैः–

- हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य के भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण करने बारे एक महत्वाकांशी परियोजना पर कार्य कर रहा है। इस परियोजना से भू–कर नक्सों का डिजिटाजेशन, अधिकारों के रिकार्ड को भू–कर नक्सों से मिलान, पुराने राजस्व रिकार्ड का स्कैनिंग, असंगठित क्षेत्रों का सर्वे तथा राजस्व विभाग के प्रबन्धन एंव क्षमता निर्माण में सुधार किया जा रहा है। इस कार्य से राज्य के भूमि अभिलेख प्रबन्धन के कार्य में गुणात्मक सुधार आयेगा।
- हरसैक राज्य के सभी विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एंव स्कीमों हेतु कार्य योजना बनाने एंव उनका मानिटरण करने बारे, सुदूर संवेदी उपग्रह के आंकड़े एंव थीमैटिक नक्से उपलब्ध करवाने हेतु, हरियाणा स्पैशियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एच.एस.डी.आई.) स्थापित कर रहा है। उपयोग कर्ता विभाग, हरसैक के संसाधनो से सभी उपलब्ध सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस परियोजना के लिए विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने 2.03 करोड़ रुपये प्रदान किए है।

स्वास्थ्य

8.45 हरियाणा सरकार अपने सभी नागरिकों को बढ़िया चिकित्या उपलब्ध करवाने हेतू वचनबद्ध है। राज्य में 54 अस्पतालों (चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक के अस्पताल समेत) 110 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 466 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2630 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों, 7 ट्रोमा सैंटर, 15 जिला क्षय रोग केन्द्रों, 88 अर्बन आर.सी.एच. केन्द्रों, 469 प्रसूति गृहों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। एम.बी.बी. एस. की सीटें 100 से बढ़ाकर 200 तथा पी.जी. की सीटें 92 से बढ़ाकर 221 हो चुकी हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन/प्रबन्धन के नए निदेशालय की स्थापना हो चुकी है।

हरियाणा में स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का विकास

8.46 अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 286 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु 330 करोड़ रूपए की प्रशासनिक अनुमोदना स्वीकृत हो चुकी है तथा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 152 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तेरहवीं वित्त आयोग ग्रांट (2010–2015) के तहत 200 करोड़ रूपये स्वास्थ्य संरचना के विकास के लिए निर्धारित किये जा चुके हैं। सात जिला अस्पतालों चरखी

दादरी, पानीपत, रिवाड़ी, पंचकूला, नारनौल, समालखा तथा जीन्द के भवन निर्माण की अनुमति स्वीकृत हो चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

8.47 हरियाणा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में लागू किया गया जिसका प्रथम चरण (2005–2012) 31 मार्च 2012 में समाप्त हुआ। इस मिशन के तहत 85 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया गया। वर्ष 2010 में देश में हरियाणा राज्य को उच्च अकेन्द्रीकृत राज्यो में से सर्वोतम प्रदर्शन करने वाले राज्यो मे गिना गया। इस मिशन के तहत खर्चा 2005–06 में 60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 98.45 प्रतिशत हो गया।

जननी सुरक्षा योजना

8.48 यह योजना वर्ष 2005 में आरम्भ होने से ही हरियाणा राज्य में लागू कर दी गई थी। इस योजना के तहत वित्त निर्धारण, प्रयुक्त धनराशि के प्रतिशत तथा लाभार्थियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षो में निरन्तर वृद्धि हुई है।

शहरी आर0सी0एच0 केन्द्र

8.49 जिला फरीदाबाद में स्थित दो शहरी आर0सी0एच0 अस्पतालों को सशक्त करने तथा जारी रखने के अतिरिक्त वर्ष 2012–13 तक शहरी स्लम क्षेत्रों की जरुरतें पूरी करने के लिये 88 आर0सी0एच0 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन केन्द्रों को 24X7 को प्रसूति गृहों में परिवर्तित किया जा चुका है। वर्तमान वर्ष के दौरान शहरी आर0सी0एच0 केन्द्रों की ओ0पी0डी0 5,98,472 है। 30,877 प्रसव पूर्व जांच तथा 761 प्रसव किये जा चुके हैं।

एक्रेडेटिड सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

8.50 एक्रेडेटिड सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समाज तथा स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की एक कडी है। एन0आर0एच0एम0 के तहत अब तक 13,866 आशा शामिल की जा चुकी हैं जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर मानदेय प्रदान किया जाता है।

रैफरल ट्रांसपोर्ट

8.51 दिनांक 14–11–2009 को रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली आरम्भ की गई। रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के तहत 344 एम्बूलैंसों की खेप प्रदान की जा चुकी है। सभी एम्बूलैंसों में जी.पी.एस. प्रणाली लगाई गई है। प्रत्येक जिला अस्पताल, उप मण्डलीय अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एक एम्बूलैंस तथा प्रत्येक दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक एम्बूलैंस का वितरण सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में प्राप्त प्रत्येक काल की जानकारी राज्य मुख्यालय को सोफटवेयर के माध्यम से प्रतिदिन दी जाती है।

दवाईयों की आपूर्ति

8.52 सरकार द्वारा राज्य में स्थित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बहिरंग रोगियों/आपातकालीन रोगियों तथा प्रसूति मामलों के लिए दवाईयों की व्यवधान रहित एवं निःशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित करने का हेतू 01–01–2009 को एक नई औषधि नीति लागू की गई। अनिवार्य औषधियों की सूची की सितम्बर, 2010 में समीक्षा की गई तथा नई 367 अनिवार्य औषधियों की सूचि तैयार की गई है जिस में सभी प्रकार की अनिवार्य औषधियों को जिला अस्पतालों के लिए, 130 दवाईयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए तथा 109 दवाईयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अनिवार्य रूप से सूचिबद्ध किया गया है। 102 दवाईयां सैंट्रल पब्लिक सैक्टर यूनिटों से खरीदी गई हैं। दवाईयां खरीदने हेतू बहु स्त्रोत प्रणाली अपनाई गई ताकि आपूर्ति चेन को बनाया जा सके। सम्बन्धित सिविल सर्जन की अध्यक्षता में औषधि क्रय समिति में सभी विशेषज्ञों की संलिप्तता द्वारा एक औषधि क्रय समिति गठित की गई।

नवजात शिशु देखभाल/नवजात शिशु देखभाल यूनिटें

8.53 राज्य में शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिये बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी 21 जिला अस्पतालों में बीमार नवजात शिशु देखभाल यूनिटें स्थापित की जा रही हैं तथा एन0आर0एच0एम0 के तहत 3 चिकित्सकों तथा 8 स्टाफ नर्सों का प्रावधान किया गया है।

मातृ एंव बाल ट्रैकिंग प्रणाली

8.54 राज्य के सभी ग्रामीण खण्डों मे मातृ एंव बाल ट्रैकिंग प्रणाली चलाई जा चुकी है। वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक 2,32,603 गर्भवती महिलाओ तथा 1,56,743 बच्चो का पंजीकरण एम0सी0टी0एस0 पोर्टल द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

एम्स

8.55 हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगो की गुणात्मक, वहन योग्य तथा सुगमता से प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं स्तरीय मानकों को बनाए रखने तथा रोगियों की संख्या में सामान्य वृद्धि तथा स्वास्थ्य संस्थानों के अपग्रडेशन तथा नई तकनीक आने से हुई वृद्वि को ध्यान में रखते हुए सामान्य अस्पतालों में मूल सेवाओं के सहायक सेवाओं की आउटसोर्सिग की अति आवश्यकता अनुभव हुई।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

8.56 क्षय रोग एक मुख्य स्वास्थ्य समस्या है जो माईकोबैक्टीरियम टयूमर क्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। 4 लाख रोगी प्रतिवर्ष तथा 2 लोग प्रति तीन मिनट में क्षय रोग से मर जाते हैं। क्षय रोग से लड़ने के लिए हरियाणा में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की डॉटस नीति वर्ष 2000 में तीन जिलों में लागू की गई थी। 2004 में मास अप्रैल के अन्त तक सम्पूर्ण हरियाणा को आर0एन0टी0सी0पी0 के तहत कवर कर लिया गया था। सभी सरकारी अस्पतालों में इस रोग की जांच एंव उपचार सुविधाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध है।

मनो स्वास्थ्य कार्यक्रम

8.57 रोहतक में एक 40 बिस्तरीय राजकीय मनो स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन किया जा चुका है तथा संचालित हो चुका है। राज्य में नशे की लत की समस्या से निपटने हेतू सम्पूर्ण राज्य में चरणबद्ध रूप से नशा मुक्ति केन्द्र खोले जायेंगे। इस समय अम्बाला, करनाल, गुड़गांव तथा हिसार जिलों के जिला अस्पतालों में चार नशा मुक्ति केन्द्र कार्यरत हैं। द्वितीय चरण में सिरसा, कैथल, कुरूक्षेत्र, जींद जिलों में नशा मुक्ति केन्द्र खोले जाएंगें। गुड़गांव में आदर्श पुनर्वास केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है जहां पर नशेडियों का उपचार तथा उन्हें व उनके परिवारों को पुर्नस्थापन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सर्जिकल पैकेज योजना

8.58 सर्जिकल पैकेज कार्यक्रम प्रथम जुलाई, 2009 को चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत 30 नवम्बर, 2012 तक 2,60,169 रोगी लाभान्वित हो चुके है। इनमें निःशुल्क रूप से किए गए 24,283 आप्रेशन भी शामिल है। 77,578 आंखों के आप्रेशन भी निःशुल्क किए गए हैं। इस पैकेज में सभी प्रकार की पूर्ण जांच के, रक्त जांच के चार्जस, आप्रेशन के समय तथा आप्रेशन के बाद ली जाने वाली दवाईयां, अन्य विशेष जांच जैसे ईको तथा सी0टी0 स्कैन इत्यादि सम्मिलित हैं। अस्पतालो में वरिष्ठता सूची के अनुसार निर्धारित आप्रेशन के लिए दवाईयों की निर्विरोध आपूर्ति को बनाये रखना पड़ेगा तथा डाक्टरों तथा पैराचिकित्सा अमले की उपलब्धि को सुनिश्चित करना होगा।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

8.59 परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोगों का कार्यक्रम बनाने हेतू लोगों की आवश्यकतानुसार एवं उच्च कोटि की सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2011–12 में कुल 6,527 वसैक्टमी आप्रेशन किए गए।

एच.आई.वी./एडस

8.60 एच.आई.वी./एडस से बचाव सम्बन्धी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में 62 लाईसैंसशुदा रक्त बैंक कार्यरत है। एच.आई.वी./एडस बारे सूचना प्राप्त करने हेतू टैली कांउसलिंग की सुविधा उपलबध करवाई गई है। राज्य में 152 इंटिग्रेटिड कांउसलिंग तथा जांच केन्द्र, एक पी.पी.टी.सी., 84 एस.टी.डी. क्लीनिक तथा 53 लक्षित इन्टरवेशन कार्यक्रम कार्यरत है। पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में एक ए.आर.टी. केन्द्र तथा 11 आप्रेशनल लिंक ए.आर.टी. केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान

8.61 खानपुर कलां (सोनीपत) में महिला चिकित्सा महाविद्यालय तथा नल्हर (मेवात) में शहीद हसन खां मेवाती चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। खानपुर कलां चिकित्सा महाविद्यालय में स्थित अस्पताल में प्रतिदिन 1,200 से 1,500 बहिरंग रोगियों को देखा जा रहा है तथा इस महाविद्यालय में प्रथम बैच में अगस्त, 2012 में 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों का दाखिला किया गया है।

8.62 पं0बी0 डी0 शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित पी.जी.आई.एम.एस. प्रतिवर्ष 200 एमबीबीएस तथा 221 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को डिग्रियां प्रदान करता है। इसी प्रकार इस विश्वविद्यालय में स्थित दन्तक महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 60 बीडीएस और 9 एमडीएस छात्रों की सीटें हैं। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोग्राफी एवं रेडियोथेरेपी टेकनोलोजी, पैरा मेडिकल, ओपथाल्मिक सहायक, दन्तक मेकेनिक और दन्तक हाईजिनिष्ट के डिप्लोमा कोर्स भी चलाए जा रहे हैं।

8.63 करनाल में प्रसिद्व अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। गांव बाढसा, जिला झज्जर में नई दिल्ली स्थित एम्स का एम्स–II के तौर पर विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इस कार्य हेतू अनुमानित 20 करोड़ की लागत से निर्मित एम्स–II में बहिरंग रोगी (ओ.ओ.पी.डी). सेवाएं दिनांक 24 नवम्बर, 2012 से आरम्भ हो चुकी हैं। यहां 1800 करोड़ रूपये की लागत से 600 बिस्तरों की एक राष्ट्रीय कैंसर संस्था स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

आयुष

8.64 आयुष विभाग हरियाणा राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्वतियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें राजकीय भारतीय चिकित्सा पद्वति एव अनुसंधान संस्थान पंचकूला, 3 आयुर्वेर्दिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र तथा 456 आयुर्वेदिक, 17 युनानी तथा 22 होम्योपैथिक औषधालयों के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हैं। श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरूक्षेत्र के माध्यम से राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान नए आयुष औषधालय खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। नारनौल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

8.65 आयुष प्रणाली व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान देने वाली अपनी औषधीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पद्वति को वृद्वि और प्रचार प्रसार हेतू बहुत से कदम उठाए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष की मुख्य धारा तथा स्थानीय रीतियों का रिवीटलाईजेशन एक महत्वपूर्ण स्ट्रंटेजी है। वर्ष 2009–10 से आगे 21 आयुष विंग हस्पतालों पर 92 आयुष आई.पी.डी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा 100 आयुष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष की मुख्यधारा के अर्न्तगत स्थापित किए जा चुके है। इन संस्थाओं में आयुर्वेदिक/होम्योंपैथिक डाक्टर तथा अन्य स्टाफ के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

8.66 लगभग 42 लाख रोगियों का इलाज आयुष डाक्टरों द्वारा किया गया। आयुष डाक्टरों ने कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों (जैसे कि पलस पोलियो, परिवार नियोजन, स्कूल हैल्थ, एडस कंट्रोल, हैल्थ कैम्प आदि) में भी कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त आयुष डाक्टरों द्वारा स्कूल हैल्थ के तहत 2,22,339 छात्रों की जांच एवम ईलाज किया गया। इस अवसर पर दो पुस्तिकाओं "आयुर्वेद एवं त्वचा" तथा "एक स्वतत्र विचार" का विमोचन किया गया था। इस वर्ष में जिला स्तर पर 21 स्वास्थ्य मेले चिकित्सा कैम्प सहित लगाने हेतू कार्यवाही की गई थी। आयुष डाक्टरों द्वारा लगभग 34 लाख रोगियों का ईलाज किया गया था। इस वर्ष में उन द्वारा बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे की पलस पोलियो, परिवार नियोजन, स्कूल हैल्थ, एडस कंट्रोल, हैल्थ कैम्प आदि में भाग लिया गया, आयुष डाक्टरों द्वारा 1,79,152 छात्रों की स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत जांच और ईलाज किया गया, 2,778 परिवार नियोजन और 6,712 डिलीवरी केसों को प्रोत्साहित किया गया। श्री बाबा खेता नाथ जी के नाम पर ग्राम पट्टीकडा (नारनौल) मे नया आयुर्वेदिक कालेज एव हस्पताल खोलने बारे शिलान्यास किया गया। वर्ष 2012–13 में श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरूक्षेत्र के प्रांगण में ड्रग टैस्टिग लैबोरेट्री शुरू किया जाना प्रास्तावित है। श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरूक्षेत्र के प्रांगण में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी का भवन पूर्ण हो चुका है और वर्ष 2012–13 में शुरू होने जा रहा है। पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक मे स्पैशल थैरीपी सैन्टर स्थापित किया जाना प्रास्तावित है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

8.67 ई0एस0आई0 स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा द्वारा राज्य के 11.49 लाख बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके परिजनो को 56 ई0एस0आई0 डिस्पैंसरियों (1 चल औषधालय, 1 अंशकालिक औषद्यालय व 1 आयुर्वेदिक ईकाई) तथा 7 ई0एस0आई0 हस्पतालो के (5 राज्य ई.एस.आई हस्पताल तथा 2 ई .एस.आई सी हस्पताल) द्वारा राज्य के 18 जिलों (कुरूक्षेत्र, नारनौल तथा कैथल को छोड़कर) में सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार केवल प्राथमिक व सैकेण्डरी केयर तथा टरशरी केयर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निजी इम्पैनल हस्पतालों के द्वारा ईलाज किया गया।

8.68 बीमाकृतों व उनके परिवारजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 30.6 एकड में 500 बिस्तरीय चिकित्सा महाविद्यालय जिस पर लगभग 550 करोड़ रूपये की लागत कर्मचारी राज्य बीमा

निगम द्वारा वहन की जायेगी, इसका निर्माण कार्य ई0एस0आई0 हस्पताल, एन0एच0–3 में आरम्भ किया जा चुका है तथा वर्ष 2013 में आरम्भ होने की सम्भावना है। तोशाम (खनक) जिला भिवानी में दिनांक 01–12–2012 से ई.एस.आई योजना का लागू की गई है। चिकित्सा सुविधाएं पार्ट टाईम मोबाईल डिस्पैंसरी के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ई.एस.आई हस्पताल, पानीपत व यमुनानगर में आयुर्वेदिक विंग खोलने बारे स्वीकृति। फरीदाबाद तथा गुडगांव जिले में नये क्षेत्र ई.एस.आई योजना के अंतर्गत लाये गये।

8.69 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हरियाणा के सभी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को धनरहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतू योजना है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थी बीमाकृतों को 30,000 रुपये तक की अन्तरंग रोगी को चिकित्सा सुविधाएं प्रति परिवार प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में अग्रणीय राज्य है जिसे भारत सरकार द्वारा उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार 4 वर्षों 2009, 2010, 2011 तथा 2012 में प्रशंसा पत्र भी प्रदान किये गये। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस योजना के अन्तर्गत जनसंख्या के अन्य वर्गों को सुविधा प्रदान करने हेतू भवन निर्माण में कार्यरत कामगारों (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया है। इस योजना का विस्तार फेरीवालों (स्ट्रीट वैन्डर) के लिए करने के लिए हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस योजना को 9 जिलों में पहले ही ले लिया गया है। इस योजना में घरेलू कामगारों तथा मनरेगा कामगारों को शामिल किया गया है।

8.70 आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इस योजना के तहत लाभ देने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। आर0एस0बी0वाई0 योजना के तहत आम आदमी बीमा योजना तथा जनश्री बीमा योजना को लाभ देने के लिए मामला विचाराधीन है।

महिला एवं बाल विकास

8.71 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं केन्द्रीय स्तर में, राज्य स्तर में तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से चला रहा है। वर्ष 2012–13 के बजट में 68,782.78 लाख रुपये का प्रावधान किए गया है। जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक 40,409.02 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आई.सी.डी.एस.)

8.72 समेकित बाल विकास सेवाएं योजना 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25,699 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। वर्तमान में 25,699 आंगनवाडी केंन्द्रों में से 25,302 आंगनवाडी केन्द्र कार्यरत हैं।

पूरक पोशाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए नए कदम

8.73 एक मुख्य पहल के तहत पूरक पोशाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार Is wheat Based Nutrition Programme (WBNP) के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों मे कन्फैड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया जा रहे है। सस्ती दरों पर अनाज की खरीद बच्चों, गर्भवती दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर मे सुधार लाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान लागू की गई नई व आकर्षक रैस्पीज जैसे की आलू पूरी, भरवां परांठा तथा गुलगले लागू की गई है। एक तरफ यह कदम आंगनवाडियों मे अधिक बच्चों को आकर्षित करेगा, वहीं दूसरी तरफ लाभ पात्रों के पोशण स्तर को भी बढ़ाने मे मदद करेगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार (Morning Snacks and Regular Hot Cooked Meal) दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को जंम Home Ration (THR) दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में ही स्टोर करना एवं बनाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ।

पूरक पोशाहार कार्यक्रम

8.74 राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता आई0सी0डी0एस0 लाभ पात्रों को गुणात्मक पोषाहार प्रदान कर पोषाहार स्तर को सुधारना है। राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम मे भारी बदलाव लाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषाहार जिसमें निर्धारित नोर्मज के अनुसार ओस्त पोषक तत्व महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए 600 कैलोरिज एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों के लिए 500 कैलोरिज एवं 12–15 ग्राम प्रोटीन, तथा अति कुपोषित बच्चों के लिए 800 कैलोरिज एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन, 5 रूपये की दर से प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता एवं किशोरी

बालिकाओं को, 4 रूपये की दर से प्रति बच्चा एवं 6 रूपये की दर से प्रति अति कुपोषित बच्चे को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 11.01 लाख बच्चों तथा 3.26 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

आंगनवाड़ी भवन के निर्माण

8.75 बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू वर्ष 2002–03 में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई जोकि अब पुनः बढ़ाकर 8.50 लाख रूपये कर दी गई है। आंगनवाडी केन्द्रों के नक्शे मे परिवर्तन किया गया है जिसमें खाना बनाने का स्थान, राशन को स्टोर करने, कपडे धोने के लिए खुरा तथा नल के साथ ट्रफ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड की सहायता से आर.आई.डी.एफ. फण्ड के तहत 199 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 1,691.50 लाख रूपये की राशि जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान नाबार्ड की सहायता से आर.आई.डी.एफ. फण्ड के तहत 6 जिलों में 188 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 1,598 लाख रूपये की राशि जारी की गई। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 के बजट में 400 लाख रूपये की राशि का प्रस्ताव है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों का मानदेय

8.76 राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का मानदेय 1,500 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रतिमाह एवं हैल्परो का मानदेय 750 रूपये से बढ़ाकर 1,000 रूपये कर दिया गया है, अब आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को 5,000 रूपये प्रतिमाह की दर से दिये जाते हैं (3,000 रूपये केन्द्रीय हिस्सा जो कि 90:10 के अनुपात में है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 2,000 रूपये प्रतिमाह) आंगनवाड़ी हैल्परो को 2,500 रूपये प्रतिमाह की दर से दिये जाते हैं (केन्द्र और राज्य सरकार का 90:10 के अनुपात में 1,500 रूपये और 1,000 रूपये राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को युनिफार्म (दो साड़ियों के 200 रूपये प्रति माह की दर से) एवं 25 रूपये प्रतिवर्ष बैज हेतू देने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सुपरवाईजरस के लिए सर्कल कार्यालय की स्थापना तथा मोबाईल फोन के प्रावधान का अनुमोदन किया गया है।

तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना

8.77 हरियाणा सरकार द्वारा तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत जिला बोर्ड जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट एवं राज्य बोर्ड जिसके अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री है, के माध्यम से उन तेजाब से प्रभावित पीड़ितों को जो हरियाणा के निवासी है, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तेजाब से प्रभावित पीड़ितों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के तुरन्त बाद जिला मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. को 25,000 रूपये की अन्तरिम सहायता देने के अधिकार दिये गये हैं। राज्य बोर्ड जिसकी प्रधान महिला एवं बाल विकास मंत्री है, को तेजाब से प्रभावित पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी व अन्य उपचार पर खर्च की कुल राशि जारी करने का अधिकार दिया गया हैं। वर्ष 2012–13 के बजट में 25 लाख रुपये की राशि का इस योजना के लिए प्रावधान किया गया हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना, आई0सी0पी0एस0

8.78 राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना को लागू किया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसायटी, के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षरण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। राज्य सरकार बच्चों के कल्याण तथा संरक्षण के लिए वचनबद्व है। बाल देखरेख सस्थाओं की Mapping तथा पंजीकरण का कार्य युद्व स्तर पर किया जा रहा है। इस समय राज्य में 110 संस्थाओं द्वारा बाल कल्याण संस्थायें चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा 5.48 करोड़ रुपये की राशि से निरीक्षण होम अम्बाला तथा हिसार के नए भवनों का निर्माण किया गया है। 2.23 करोड़ रुपये की राशि से स्टेट आफ्टर केयर होम सोनीपत के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार द्वारा बाल देखरेख संस्था रोहतक व हांसी तथा ओबजरवेशन होम करनाल में स्वीकृत किये गये है। इस समय 6 सरकारी बाल गृह है। चालू वित वर्ष में गुड़गांव में बाल गृह स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को

अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति हेतू भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–2013 के बजट में 1,064.75 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

8.79 राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाडी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल मे लागू की गई है। इस योजना का उददेश्य किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख–रेख के प्रति जानकारी से सक्षम करना तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2012–13 के बजट में 3,170 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 522.56 लाख रूपये मास दिसम्बर, 2012 तक व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

8.80 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत 100 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह परियोजना सर्वप्रथम पंचकूला जिले मे पायलट परियोजना के रुप मे लागू की जाएगी। वर्ष 2012–13 के बजट में इस योजना के अंतर्गत 250 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

लाडली

8.81 राज्य में घटते लिंग अनुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना **''लाडली''** प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत 20–8–2005 को या इसके बाद पैदा हुई दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए किसान विकास पत्रों' में निवेश किए जाते है। इस योजना के अन्तर्गत योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 1,70,375 परिवारों को 25,597.99 लाख रुपये व्यय कर कवर किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 5,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

किशोरी शक्ति योजना (बालिका मण्डल)

8.82 किशोरी शक्ति योजना 87 आई0सी0डी0एस0 प्रोजैक्टों 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वर्तमान में 1,132 बालिका मण्डल बनाये गये हैं। किशोरी बालिकाओं को 5 रूपये प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 60,300 बालिकाओं को पूरक पोषाहार एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012–13 के बजट में 580 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 223.13 लाख रूपये मास दिसम्बर, 2012 तक व्यय किये जा चुके हैं।

सर्वोत्तम माता पुरस्कार

8.83 बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोशण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति लालन–पालन के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) की योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. योजना के प्रत्येक सर्कल एवं प्रत्येक ब्लाक में तीन–2 माताओं को जिनकी कम से कम एक लड़की है का चुनाव प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में 3 माताओं को क्रमशः 1,000 रूपये, 750 रूपये और 500 रूपये के पुरस्कार दिए जाते है तथा सर्कल स्तर पर क्रमशः 500 रूपये, 300 रूपये और 200 रूपये के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2012–13 के बजट में 26.77 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 10.73 लाख रूपये मास दिसम्बर, 2012 तक व्यय किये जा चुके है।

घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतू प्रोहत्साहन पुरस्कार

8.84 लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिले को प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः 5 लाख रूपये, 3 लाख रूपये तथा 2 लाख रूपये दिया जाता है। यह धनराशि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है।

महिला सैक्स वर्करज के पुनर्वास की योजना

8.85 हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 30–12–2011 को महिला सैक्स वर्करस को विभिन्न तकनीकी तथा व्यवासायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके लिए पुनर्वास की योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा अपनी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा विषेशज्ञों की सहायता से लाभपात्रों का चयन किया जायेगा। हरियाणा महिला विकास निगम तथा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चयनित आई.टी. आई. द्वारा इन वर्करस को प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला निगम के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के लिये कच्चे माल, वजीफा, प्रशिक्षक तथा अन्य खर्च को वहन करेगा। विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आने वाले सभी खर्च को वहन किया जायेगा। जो महिलाएं अपना स्वरोजगार परियोजनायें शुरू करने की इच्छुक है को राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान करवाई जायेगी। निगम द्वारा अधिकतम 10,000 रूपये की राशि पर 5 प्रतिशत ऋण सबसीडी प्रदान की जायेगी।

बालिकाओं के लिए शिक्षा ऋण योजना

8.86 राज्य सरकार द्वारा लड़कियों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना प्रारम्भ की है, जो कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट/डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाएंगे, जिसमें ब्याज सबसीडी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा 4,595 बालिकाओं को देश/विदेश के विश्वविद्यालयों में विभिन्न व्यवसायिक कोर्सो के लिए शिक्षा ऋण स्वीकृत किये गये है।

जन स्वास्थ्य

8.87 राज्य में 31 मार्च, 1992 को सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई थी। उसके पश्चात पेयजल वितरण के लिए बनाए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अब गांवों में पेयजल स्तर जनसंख्या की कवरेज के हिसाब से जांचा जाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान 955 चुने हुए गांवों की जल आपूर्ति सुविधाओं में बढ़ौतरी किए जाने का प्रस्ताव है।

8.88 राज्य सरकार द्वारा 'इन्दिरा गांधी पेयजल योजना' के नाम से नवम्बर, 2006 से एक अनूठी योजना शुरु की गई थी जिसके अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 10.36 लाख अनुसूचित जाति के घरों में निजी पीने के पानी के कनैक्शन मुफ्त देने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के परिवारों को मासिक पानी के शुल्क में भी 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणियों को भी निजी पीने के पानी का कनैक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांवों में 500 रुपये कनैक्शन फीस 31–3–2013 तक माफ कर दी गई है। 31–3–2012 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 9.95 लाख अनुसूचित जाति के घरों में पानी के कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष 0.41 लाख अनुसूचित जाति के घरों में पानी के निजी कनैक्शन 31–3–2013 तक प्रदान किए जाने संभावित हैं।

8.89 मेवात क्षेत्र में स्थायी पेयजल आपूर्ति सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 300.49 करोड़ रुपये के अनुमान के अन्तर्गत राजीव गांधी जल आपूर्ति बढ़ौतरी प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है। टयूबवैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 245 गांव और रैनी वैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 258 गांव आते हैं। इस समय रैनीवैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 258 गांवों की पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में 55 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुधार का कार्य प्रगति पर है।

8.90 राज्य के सभी 80 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के सुधार के साथ–साथ अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण व्यवस्था के लिये 87.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

8.91 राज्य में मल निकास सम्बन्धित सुविधाएं 67 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है, जबकि 13 शहरों में मल निकासी सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है।

8.92 अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 7 परियोजनाओं पानीपत, समालखा, नलहार कालेज और नूंह सहित 17 गांवों और पुन्हाना, नूंह, हथिन और पटौदी शहरों में सीवरेज सुविधाओं में पानी की आपूर्ति के सुधार के लिए 397.96 करोड़ की राशि की मंजूरी दे दी है। नवम्बर, 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने पटौदी, हवेली मंडी और फारूखनगर टाउन में पानी की आपूर्ति के रूप में सीवरेज की सुविधा के लिए 115.36 करोड़ रूपये की राशि के लिए 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 42 करोड़ (ऋण सहित) कार्यों के कार्यान्वयन के लिए

निर्धारित है। एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड ने सोनीपत शहर में एक परियोजना जलआपूर्ति के सुधार के लिए 21. 72 करोड़ रूपये की लागत को मंजूरी दी है।

8.93 यमुना एक्शन प्लान भाग–2 के अर्न्तगत 2004 से 2010 के दौरान 62.50 करोड़ रुपये की लागत से कार्य क्रियान्वित किए गए। यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांव में वर्ष 2040 तक की जनसंख्या के लिए मल निकासी सुविधाओं की बढ़ौतरी के साथ–साथ मल शुद्धिकरण सन्यंत्र लगाने के लिए मास्टर प्लान, फिजीबिलिटी स्टडीज रिपोर्ट और डिटेलड प्रोजैक्ट रिपोर्टस कंसलटैंटस के माध्यम से तैयार की जा चुकी हैं और इसे यमुना एक्शन प्लान चरण–3 के अन्तर्गत अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। वर्ष 2012–2013 के दौरान यमुना एक्शन प्लान फेस–2 के अर्न्तगत कार्यों के लिए राज्य योजना में 0.20 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं।

8.94 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत सोनीपत और पानीपत शहर में वृद्धि/सीवरेज सुविधाओं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण सुधार के लिए 2 परियोजनाओं के लिए 88.36 करोड़ और 129.50 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दे दी है।

8.95 पीने के पानी की परियोजना के अर्न्तगत सोनीपत शहर के कार्यान्वयन के लिए रैने खैर योजना पर पर 95 करोड़ की राशि खर्च की गई और इस योजना से उपग्रह कस्बों के लिए राज्य योजना के साथ–साथ शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना से भी सहायता प्राप्त की जा रही है।

8.96 शत्प्रतिशत जल आपूर्ति और मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 14 शहरों, नामतः अम्बाला, असंध, भिवानी, चरखी दादरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, हांसी, कैथल, कलायत, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, टोहाना और उचाना में 1,085.20 करोड़ रुपये की लागत से कार्य वर्ष 2010 के दौरान शुरु किए जा चुके हैं। इन सभी शहरों में कार्य शुरु हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अम्बाला शहर और भिवानी शहर में जल आपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए 328.14 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस अनुमोदित हो चुकी हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान इस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

8.97 13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 75 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं, जबकि मेवात क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं।

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज

8.98 विकास एंव पंचायत विभाग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रो में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है।

8.99 महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना राज्य सरकार का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछडे श्रेणी (ए) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्गगज के आवासीय प्लाट मुफत अलाट किए जा रहे है। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने है, वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां एंव नालियां विकसित की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 31 अक्तूबर, 2008 तक चिन्हित किये गए 6 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होगे। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है, उनमें से 30–11–2012 तक 3.88 लाख परिवारों को प्लाट आंबटित किये जा चुके है तथा शेष परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गावों जिनमें प्लाट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी येजना के साथ मिला कर किया जाएगा। इन बस्तियों के विकास के लिए 2009–10 में 4,466 लाख रूपये की राशि मुहैया करवाई गई थी और वर्ष 2010–11 के लिए 396 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2011–12 के लिए 3,681.20 लाख रूपये की राशी जारी की गई थी। वर्ष 2012–13 के लिए 6,040 लाख रूपये की बजट व्यवस्था है जिसमें से 31–12–2012 तक 3,311.40 लाख रूपये की राशी जारी की गई है।

8.100 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना का मुख्य उद्धेश्य उन गांवों में जहां अनुसूचित जाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है में गलियों एंव नालियों पक्का करवाने, पीने के पानी के लिए पाईप लाईन बिछाना, चौपाल, सामुदायिक केन्द्र निर्माण एंव शमशान घाट की चारदीवारी जैसी मूलभूत

सुविधाएं प्रदान करना है। पहले चरण में ऐसे 391 गावों को इस स्कीम के तहत लिया गया तथा वर्ष 2008–09 व 2009–10 के लिये 11,785.00 लाख रूपये की राशि रिलीज की गई। वर्ष 2010–11 में 267 गांवों के लिए 6,208 लाख रूपये की राशी जारी की गई थी। वर्ष 2011–12 में 801 गांवों के लिये 5,235 लाख रूपये की राशी जारी की गई थी। वर्ष 2012–13 में 4,445 लाख रूपये की राशी बजट व्यवस्था थी जिसमें से 4,273.30 लाख रूपये 286 गांव के लिये 31–12–2012 तक जारी किये गये हैं।

8.101 हरियाणा राज्य में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा का माहोल पैदा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्वेश्य से मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू की गई है। वर्ष, 2008 से अब तक 1,265.25 लाख रूपये की राशि राज्य में 871 ग्राम पंचायतों को बतौर अवार्ड के तौर पर दी गई है। वर्ष 2012–13 के लिए (342 तीन स्तरीय़ 57 सस्टेनेबिल्टी अवार्ड) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे जांच प्रक्रिया में है। वर्ष 2012–13 के लिए कुल बजट प्रावधान 500 लाख रूपये रखा गया है।

8.102 गावों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 10,300 से अधिक सफाई कर्मी लगाए थे। सफाई कर्मी को भत्ता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्य के लिये आरम्भ में अक्तूबर, 2007 से प्रत्येक सफाई कर्मी को 3,525 रूपये प्रति माह मिलते थे, जिसे 1 नवम्बर, 2010 से बढ़ाकर 4,348 रूपये और 1 नवम्बर, 2011 से दोबारा बढ़ाकर 4,848 रूपये प्रति माह कर दिया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए 6,050 लाख रूपये का बजट प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक 5,000 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

8.103 गलियों को पक्का करने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत सरकार का राज्य के सभी 6764 गावों में 10 लाख रूपये प्रति गांवों को प्रदान करके गावों की सभी मुख्य गलियों को पक्का करने का विचार है। गांवों की गलियां इन्टरलोकिंग पेवर ब्लाकस से बनाई जाती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर पाइप लाईनों की मुरम्मत टाईलों को आसानी से हटाया जा सके और मुरम्मत उपरांत पुनः बिछाया जा सके। इस स्कीम के तहत 31–3–2012 तक लगभग 6,100 गांव लाभान्वित हो चुके हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान 9,750 लाख रूपये का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक 500 गांवों के लिए 6,000 लाख रूपये जारी किये जा चुके हैं।

8.105 हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कटिबद्ध है। इस कार्य के लिए 98 चुने गऐ गांवों में आधुनिक कस्बों के अनुरूप आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाने हेतू प्रयास किए गए। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 425 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान गावों का आधुनिकीकरण करने, गलियों को पक्का करने, गन्दे पानी की निकासी की समस्या का निवारण करने, नालियां बनाने, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने आदि हेतू किया गया। दिसम्बर, 2012 तक 92 गांवों में विकास कार्य पूर्ण हो चुका है।

8.105 महिला चौपाल बनाने का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सामाजिक मंच प्रदान करना तथा गांवों में सामाजिक कार्यो में सहभागी बनाना तथा महिला सशक्तिकरण की ओर पहला कदम के रूप में देखा जा सकता है। वर्ष 2008–09 के पहले चरण में 529 महिला चौपालों के निर्माण हेतू 1,587 लाख रूपये की राशि 3 लाख रूपये प्रत्येक महिला चौपाल के हिसाब से स्वीकृति की गई थी। वित्तीय वर्ष 2009–10 के दूसरे चरण में 629 महिला चौपालों के निर्माण हेतू 1,887 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था। इस स्कीम के तहत उन ग्राम पंचायतों को 20,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है जो कि धनराशि प्राप्ति के 5 महीने के अन्दर–अन्दर चौपाल निर्माण का कार्य पूरा करेंगी।

8.106 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत मण्डियों में लाई जाने वाली कृषि उपज की खरीद व बेच पर 2 प्रतिशत विकास फीस ली जाती है। वसूल की गई राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यो, गांवों की सड़कों के विकास, चिकित्सालयों की स्थापना, जल सप्लाई, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रबन्ध करने, खेती मजदूरों के कल्याण, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों को उनमें तकनीकी जानकारी का उपयोग करके और अन्य आवश्यक सुधार लाकर आदर्श मण्डी क्षेत्रों में परिवर्तित करके, ब्रिकी/खरीद के लिए मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज के लिए गोदामों तथा भण्डार करने के लिए अन्य स्थानों के निर्माण तथा मंडी क्षेत्र के आने वाले व्यक्तियों (विक्रेताओं तथा खरीदारों दोनों) के ठहरने को सुखद बनाने के लिए ओर किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो बोर्ड द्वारा फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति के हित में तथा उसके फायदे के लिए समझा जाये। निगम इस राशि को प्रशासनिक कार्यो के लिए भी प्रयोग किया जायेगा। बोर्ड

द्वारा 01–04–2005 से 31–3–2011 तक की अवधि के दौरान 1,507.95 करोड़ रूपये की राशि ग्रामीण विकास कार्यो के लिए जारी की जा चुकी है। वर्ष 2011–12 में 287.65 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान (दिसम्बर, 2012 तक) 140.60 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

8.107 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम समस्त राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से लागू की जा चुकी है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों, जो कि अपने क्षेत्र में मजदूरी रोजगार की तलाश में हैं एवं अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का अकुशल गारन्टी रोजगार मुहैया करवाना है। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस स्कीम में कार्य कर रहे श्रमिकों को 1–7–2012 से 191.04 रूपए प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। बेरोजगार व्यक्ति रोजगार के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात परिवारों को ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार कार्ड जारी किए जाते हैं। मजदूरी की अदायगी का भुगतान साप्ताहिक या पन्द्रह दिनों के अन्दर बैंकों व डाकघरों के बचत खातों के माध्यम से किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें एवं अन्य विभागों द्वारा विकास कार्य जैसे जल संग्रहण, नहर सिंचाई साधन, परम्परागत जल संसाधनों का पुर्न–उत्थान, छोटे तथा सीमान्त किसानों की निजि भूमि, अनुसूचित जातियॉ, बी.पी.एल परिवारों की भूमि, भूमि सुधार के लाभार्थियों या भारत सरकार के इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों की भूमि पर विकास कार्य जैसे जल संग्रहण, नहर सिंचाई साधन, परम्परागत जल संसाधनों का पुर्न–उत्थान खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ना आदि किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को लागू करने के लिए जिला, खण्ड तथा पंचायत स्तर पर अलग से अमले की नियुक्ति की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 से नये कार्य भूमि पर सिंचाई, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि पर भूमि विकास की सूविधायें, एनएडीईपी कंपोस्टिग, वर्मी कंपोस्टिग लिक्विड बायो–मेन्योर जैसे कृषि सम्बन्धी संकर्म जैसे कि कुक्कूट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक, ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी संकर्म, जैसे कि सोक पिट्स व रिचार्ज पिट्स, व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाडी शौचालय जैसे ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कियाकलाप, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रंबधन जैसे सभी कार्य अनुसूचित जातियों या गरीबी रेखा के नीचें के परिवारों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की भूमि पर करने के लिए शामिल किये गये हैं। इन सभी कार्यों को परियोजना के तहत उन परिवारों की भूमि पर किया जायेगा जिनके पास जॉब कार्ड है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करना भी शमिल किया गया है। इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतू अन्य विभागों जैसे कि वन, वाणिकी, कृषि, सिंचाई, जन स्वास्थ्य तथा भवन एवं सड़के निर्माण इत्यादि से तालमेल किया जा रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत आंतरिक सड़कों व नालियों का विकास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम से किया जा रहा है।

8.108 इस स्कीम के अर्न्तगत जनवरी, 2013 तक 332.81 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि मे से 242.79 करोड़ रूपए की राशि व्यय करके 128.75 लाख मानवदिवसों के लक्ष्यों के विरूद्ध 83.97 लाख (65 प्रतिशत) मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। जिनमें से 43.49 लाख मानवदिवस (52 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के लिए व 33.41 लाख (40 प्रतिशत) महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 14,655 विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए गए जिनमें से 4,712 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व–रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)

8.109 गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतू एक स्कीम–स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्व–रोजगार के सभी पहलुओं जैसे कि गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, तकनीकी आधारभूत ढॉचे, विपणन आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। ग्रामीण महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इन सहायता समूहों ने साफ सैनेटरी पैड बनाना प्रारम्भ किया है और इनकी मार्केटिंग हेतू स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत किया जा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत कुल 20.35 करोड़ रूपये की धन राशि उपलब्ध की। उपलब्ध धन राशि में से 18.62 करोड़ रूपये 22,510 के लक्ष्य के विरूद्व 12,332 (55

प्रतिशत) स्वरोजगारियों को सहायता प्राप्त करने पर जनवरी, 2013 तक व्यय की जा चुकी है। इस स्कीम में 50 प्रतिशत अनुसुचित जाति तथा 40 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल लाभार्थियों में से 54 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 85 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की क्षमता निर्माण तथा कौशल उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण हेतू इस समय राज्य के 12 जिलों नामतः फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गाव, झज्जर, करनाल, मेवात, महेन्द्रगढ़, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत एवं यमुनानगर में ग्रामीण विकास व स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसैटी) चलाए जा रहें है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आरसैटी भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं को स्व–रोजगार हेतू प्रशिक्षण देने के लिए इन संस्थानों का प्रबन्ध सार्वजनिक बैंकों द्वारा किया जा चुका है। सभी जिला में आरसैटी की स्थापना के लिए भूमि का चयन हो चुका है और सम्बन्धित बैंक और पंचायत द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर हो चुके है।

8.110 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011–12 से एस.जी.एस.वाई. का आजीविका में पुनर्गठन कर दिया है। आजीविका राज्य के सभी जिलों में 5 चरणों में लागू की जाएगी। वर्ष 2012–13 के दौरान पहले चरण में 4 जिलों नामतः कैथल, मेवात, भिवानी तथा झज्जर के कुल 12 खण्डों का चयन (प्रत्येक जिले के 3 खण्ड) इस योजना को लागू करने के लिए किया गया है। इस योजना के प्रारम्भिक वार्षिक कार्य योजना के लिए 36.24 करोड़ रूपये की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

8.111 इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जाति के परिवारों को रिहायशी मकान बनवाने में सहायता करना है। गांव में गरीब लोगों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा 45,000 रूपये की राशि दी जा रही है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2012–2013 के लिए, 19,854 मकानों के निर्माण हेतू निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व, 7,033 मकानों का निर्माण दिसम्बर, 2012 तक किया जा चुका है तथा 10,436 मकान निर्माणाधीन हैं जिनमें से 4,188 (60 प्रतिशत) मकान अनुसूचित जातियों के लिए है। इस अवधि में 45.54 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

8.112 वर्ष 2007–08 से जिला महेन्द्रगढ़ तथा सिरसा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) नामक एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पहचान किए गए निर्णायक आधारभूत ढांचे के अन्तर को पूरा करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 32.15 करोड़ रूपये की आबंटित राशि में से दिसम्बर, 2013 तक 20.67 करोड रूपये व्यय करके 235 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 1,519 कार्य प्रगति पर हैं। बी.आर.जी. एफ. की वार्षिक योजना 2012–13 में आवश्यकतानुसार विकास कार्य जैसे कि स्कूल में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पानी के रखाव के लिए टैंक तथा घूमन्तु पानी टैंकरों तथा गांवों के तालाबों में नहरों से पानी ड़ालने के लिए नालियां बनवाना इत्यादि शामिल किए गए हैं।

8.113 वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012) तक, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे जल संग्रहणों की विभिन्न गतिविधियों पर 19.40 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण के आधार पर कृषि भू–संरक्षण, भूमि विकास, शुष्क भूमि में जल संसाधनों का विकास एंव वाणिकी तथा चरागाह का एकीकृत विकास करके मरूस्थलीय क्षेत्रों के सूखेपन की गम्भीरता को नियन्त्रित करना तथा पर्यावरण सम्बन्धी परिस्थितियों में सन्तुलन लाना है। वर्ष 2008 से इन दोनों योजनाओं को समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम में समायोजित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल सरंक्षण, भूजल रिचार्ज करना, उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका के अवसरों को प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए राज्य के 7 जिलों नामतः अम्बाला, भिवानी, हिसार, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, पंचकुला व यमुनानगर के लिए 215.44 करोड़ रूपये की राशि 47 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है जिनका क्षेत्रफल 1,79,531 हैक्टेयर है। इस स्कीम के अर्न्तगत जनवरी, 2013 तक 6.90 करोड़ रूपये खर्च किये गये। वर्ष 2013–14 में 30.01.2013 की मीटिंग में एम.ओ. आर.डी. ने 6 जिलों सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पलवल तथा मेवात के लिए 61,000 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को अधिकृत किया है।

शहरी विकास समिति

8.114 राज्य शहरी विकास समिति, हरियाणा इस समय दो योजनाएं नामतः स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, क्रियान्वित कर रहा है। ये दोनों योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है।

स्वर्ण जयन्ती श्हरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई)

8.115 इस योजना पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तीय अनुदान दिया जाता है। योजना की मार्ग–निर्देशिका को पुर्नसंशोधित कर एकल लाभार्थी हेतू अनुदान राशि को 7,500 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये तथा शहरी स्वयं सहायता समूहों हेतू 1,25,000 रूपये से बढ़ाकर 3,00,000 रूपये कर दिया गया है। प्रशिक्षण की लागत को 2,000 रूपये से बढाकर 10,000 रूपये प्रति प्रशिक्षु कर दिया है तथा बचत एवं साख समिति के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रति सदस्य (अधिकतम 25,000 रूपये प्रति बचत एवं साख समिति) कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत 965.35 लाख रूपये की राशि प्रयुक्त करते हुऐ 925 व्यक्तियों तथा 61 शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण एवं अनुदान दिया गया, 3,557 व्यक्तियों को प्रशिक्षण, 1,139 व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहे है। 118 मित्तव्यय एवं साख समितियों को सहायता प्रदान की गई तथा 0.16 लाख कार्य दिवस सृजित किये गये।

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

8.116 भारत सरकार ने मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम तथा बाल्मिकी अम्बेडकर आवास येाजना को मिलाकर एक नई योजना एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम प्रारम्भ की है। इस योजना का उददेश्य शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हुऐ तथा मलिन बस्ती निवासियों के लिए घर बनवाना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतू राज्य शहरी विकास समिति, हरियाणा को नोडल एजैंसी घोषित किया है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। आवास में सुधार/निर्माण लाभार्थी से नाम मात्र सामान्य श्रेणी से 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति से 10 प्रतिशत का अंशदान लिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा कुछ रदद/छटाई के उपरान्त, राज्य के 15 शहरों के लिए 25 प्रोजैक्टस, जिनकी कुल राशि 296.26 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई है, जिसमें से केन्द्रीय अंश 235.83 करोड़ रूपये का है। मलिन बस्ती में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त 15,675 आवासीय इकाईयों का निर्माण कर करने का लक्ष्य है। इस योजना पर दिसम्बर, 2012 तक जिलों द्वारा 126.46 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है तथा अब तक 8,093 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा चूका है। इसके अलावा 1,540 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन है और मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी प्रगति पर है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.117 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनाएं लागू की जा रहीं है। इन वर्गों के शैक्षिक उत्थान हेतू सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों/समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' स्कीम के अन्तर्गत 31,000 रूपये तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010–11 से सरकारी/ एडिड गैर सरकारी अनाथालयों/संस्थाओं में रह रही बेसहारा लड़कियों को उनकी शादी के समय 31,000 रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ भूमि अथवा वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम है, उनकी लड़कियों की शादी हेतू इस स्कीम के अर्न्तगत 10,000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2012–13 के दौरान 8,200 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक 6,621.18 लाख रूपये की राशि 26,501 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.118 अनुसूचित जाति विधवाओं/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/लड़कियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति विधवाओं/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र में 20 अनुसूचित जाति व 5 पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विभाग द्वारा चलाये जा

रहे निकटतम कल्याण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100 रूपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 150 रूपये प्रतिमास कच्चे माल हेतू प्रदान किए जाते हैं। एक वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी आजीविका कमाने हेतू एक सिलाई मशीन मुफ़्त प्रदान की जाती है। वर्ष 2012–13 के दौरान 2,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

8.119 इसी उद्देश्य के दृष्टिगत अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के मेधावी छात्रों हेतू वर्ष 2005–06 से आरम्भ की गई 'डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' का दायरा बढ़ाकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2009–10 से इन वर्गो के मेधावी छात्रों को 8वीं, 10वीं, 12वीं, तथा स्नातक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर 9वीं, 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृति में 4,000 रूपये से 12,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2012–13 के दौरान 1,800 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक 745.28 लाख रूपये की राशि 9,345 विद्यार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतू 'अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृति' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अनुसार मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में 230 रूपये से 1,200 रूपये प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। स्कीम के अनुसार वार्षिक आय सीमा 2 लाख रूपये है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2012 तक 19,539 छात्रों पर 4,085.13 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

8.120 राज्य में अनुसूचित जाति की भलाई के लिए सभी मामलों की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग जल्दी ही स्थापित किया जा रहा है। यह आयोग अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सभी कानूनों, प्रशासकीय सुधारों का निरीक्षण करेगा ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार हो सके।

8.121 अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों के लिए आवास योजना' लागू की जा रही है। इस स्कीम का नाम 'डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना' रखा गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतू 50,000 रूपये तथा मुरम्मत हेतू 10,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2012–13 के दौरान 2,206 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक 1,170.80 लाख रूपये की राशि 2,512 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.122 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उंचा उठाने के लिए निम्न तीन प्रकार की स्कीमों का परिचालन कर रहा है नामतः बैंको के सहयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से। भारत सरकार की हिदायतोंनुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 27,500 रूपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे डेयरी, भेड़ पालन, सुअर पालन, करियाना की दुकान, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000 रूपये है। एन.एस.एफ.डी.सी. स्कीमों के अन्तर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है। निगम ने वर्ष 2012–2013 में 12,000 लाभभोगियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतू 63.39 करोड़ रूपये की अर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 11.98 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है।

बैंको के साथ सहयोग योजना

8.123 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रूपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम अनुदान सीमा 10,000 रूपये है) तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.124 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत निगम एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना ईकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी.सी. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अशंदान करते हैं यद्यपि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित ईकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ. डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध करवाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.125 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है यद्यपि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित ईकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.126 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और विकलांग लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु कार्य कर रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2012–13 में 2100 पिछडे वर्ग के लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्व 31 दिसम्बर, 2012 तक 604 पिछड़े वर्ग के लोगों को 359.78 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2012–13 में 2,100 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं और निगम ने 31 दिसम्बर, 2012 तक 2.21 लाख रुपये पूर्व वितरित किये है। वर्ष 2011–12 में 1,500 विकलांग लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्व 31 दिसम्बर, 2012 तक 11 विकलांग लोगों को 9.50 लाख रुपये वितरित किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

8.127 राज्य में प्रचलित बुढापा सम्मान भत्ता योजना आर्थिक मानक पर आधारित है तथा इसके लिए योग्यता आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है, ताकि इसका लाभ वास्तव में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके। इस स्कीम के अर्न्तगत उन वरिष्ठ नागरिकों को जो 1–3–1999 को 10 साल से पैंशन प्राप्त कर रहे हैं को 700 रूपये प्रतिमाह और 1–3–1999 से 1–4–2010 के बीच के पात्र नागरिकों को 600 रूपये प्रतिमाह और 1–4–2010 के बाद पात्र नागरिकों को 500 रूपये प्रतिमास स्कीम के नियमानुसार पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत दिसम्बर, 2012 तक 12,84,032 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है।

8.128 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा देने हेतू विधवा पैंशन स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत राज्य में रह रही 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु की विधवा तथा निराश्रित महिला को जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 30 हजार रूपये से अधिक न हो, 750 रूपये की प्रतिमास की दर से पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत दिसम्बर, 2012 तक 5,40,719 ऐसी महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है।

8.129 राज्य में अन्धे, बहरे, विकलांग तथा मानसिक रूप से विकृत के लोगों के पुर्नवास के लिए कई पग उठाए गए हैं। दिसम्बर, 2012 तक 1,34,249 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपये तथा 750 रूपये प्रतिमास (100 प्रतिशत विकलांगों को 750 रूपये प्रतिमास) की दर से पैंशन दी जा रही है। विकलांग छात्रों को 400 रूपये से 1,500 रूपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षित विकलांग व्यक्तियों (70 प्रतिशत) को प्रतिमास 200 से 300 रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा 100 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता 1,000 रूपये प्रतिमास, 8वीं व 10वीं पास तथा डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रूपये प्रतिमास स्नातक/दसवीं पास डिप्लोमा होल्डर तथा 2,000 रूपये प्रतिमास स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा होल्डर को प्रदान किया जा रहा है।

8.130 सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतू राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1.4.2006 से प्रारम्भ की गई थी। इस पोलिसी के अर्न्तगत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के, सभी व्यक्तियों जोकि हरियाणा अधिवासी हों, को सुरक्षा प्रदान करने हेतू किसी भी अप्रिय घटना होने के फलस्वरूप मृत्यु होने पर अथवा पूर्णतया अपंग होने पर इन व्यक्तियों को एक लाख का मुआवजा क्लेम फार्म भरने के 72 घन्टे के अन्दर ही प्रदान कर दिया जाता है। इसी प्रकार 25,000 रूपये से 50,000 रूपये तक की राशि अपंगता के आधार पर मुआवजे के रूप में दी जाती है।

8.131 उन माता–पिताओं जिनकी केवल दो बेटियां ही हैं, के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2006 से लाडली समाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। इस योजना के अर्न्तगत 500 रूपये प्रतिमास भत्ते की दर है और ऐसे परिवारों में माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिवस से उनके 60 जन्मदिवस तक कुल 15 वर्ष तक यह भत्ता दिया जा रहा है। इसके उपरान्त वे बुढापा सम्मान भत्ता के लिए पात्र हो जाते हैं। पात्रता के लिए सभी साधनों से 2 लाख रूपये की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2012 तक 25,010 लाभपात्रों को इस योजना के अर्न्तगत कवर किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

8.132 राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं उप मण्डलों के मुख्यालयों पर लघु सचिवालयों, उप मण्डल/तहसील/उप–तहसील कम्पलैक्स एवं राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सभी जिलों व उप मण्डल मुख्यालयों पर आवासीय भवनों को बनाने का कार्य आरम्भ किया हुआ है। गैर आवासीय भवनों को बनाने हेतु वर्ष 2012–13 के लिए 12,118 लाख रूपये राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें 4,200 लाख रूपये की राशि इन कम्पलैक्सों के निर्माण करने के लिए रखी गई है। वर्ष 2012–13 के लिए 2,800 लाख रूपये की राशि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के रिहायशी निवास का निर्माण करने हेतू रखी गई है।

8.133 भारत सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए 2010–15 की अवधि के लिए 5 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की दर से राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। वर्ष 2010–11 व 2011–12 में 10 करोड़ रूपये प्रदान किए गए। सुपर सक्कर मशीन खरीदने के लिए जन–स्वास्थ्य विभाग को 1 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जल निकासी के बिल के भुगतान के लिए उपायुक्त, भिवानी को 1.87 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जिन किसानों की भूमि में बाढ का पानी खडा होने के कारण बिजाई नहीं हो सकी थी, उन्हें राहत राशि प्रदान करने हेतू उपायुक्त, भिवानी तथा यमुनानगर को क्रमशः 4.51 करोड रूपये तथा 0.15 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य की रिसोर्स मैपिंग के लिए हिपा, गुडगांव को 46.80 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

प्राकृतिक आपदायें एवं राहत कार्य

8.134 जब कभी भी बाढ, ओलावृष्टि, सूखा, आग, आगजनी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय अथवा पशुओं की मृत्यु होती है, सरकार किसानों को राहत प्रदान करती है। आगजनी जैसी प्राकृतिक को भी राज्य द्वारा जारी सूची में शामिल किया गया है और पशुओं की मृत्यु को अन्य प्राकृतिक आपदा की सूची में रखा गया है किसानों को दी जाने वाली राहत राशि की स्वीकृति को नीचे तालिका 8.1 में दर्शाया गया हैं :–

क्रमांक		पूर्व राहत नार्मज	संशोधित राहत नार्मज
1.	प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि	50,000	2,00,000
2	उंट/उंटनी	10,000	16,400
3	घोड़ा/घोड़ी	10,000	15,000
4	सांड/भैंस	10,000	16,400
5	गाय	5,000	16,400
6	गधा/गधी	2,000	10,000
7	खच्चर	5,000	10,000
7	भैस (3 साल की आयु तक)	2,000	10,000
8	भेड़/बकरी	300	2,000

8.135 वित्त वर्ष 2012–13 के लिये विभिन्न कार्यो के लिए मेवात विकास बोर्ड के लिए संशोधित बजट आबंटन 22.00 करोड़ रूपये है, जिसमें से 5.50 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 31–12–2012 तक खर्च की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2012–13 के लिए विभिन्न कार्यो के लिये शिवालिक विकास बोर्ड के लिये संशोधित बजट आबंटन 11 करोड़ रूपये है, जिसमें से 7.70 करोड रूपये की राशि दिनांक 31–12–2012 तक खर्च की जा चुकी है।

8.136 राज्य सरकार ने 23–7–2010 को विशेष आर्थिक जोन में अचल सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित दस्तावेजों के सभी संव्यवहारों तथा अन्तरणों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क माफ कर दी हैं। विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ के बाद, किन्तु विशेष आर्थिक ज़ोन के रूप में क्षेत्र की अधिसूचना से पूर्व भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क, इस प्रकार अधिसूचित विशेष आर्थिक ज़ोन के बाद वापस किया जाएगा। निष्पादक के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्वयं–अर्जित अचल सम्पत्ति के अन्तरण के दस्तावेज़ के सम्बन्ध में 15–11–2010 से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

8.137 हरियाणा के सेवारत व सेवानिवृत रक्षा कार्मिकों के पक्ष में निश्पादित आवासीय संपत्ति/निवास इकाई/प्लाट के क्रय के सम्बन्ध में 15–11–2010 से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत कम कर दिया गया है। रक्षा कर्मिकों को यह छूट जीवित समय में एक बार मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन के अधीन वर्ष 2012–13 (माह नवम्बर, 2012 तक) की आय 2,054.12 करोड़ रूपये हुई है।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

8.138 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं/उनकी अविवाहित बेरोजगार पुत्रियों तथा विकलांग अविवाहित पुत्रों को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन की राशि को 15–8–2011 से 15,000 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 20,000 रूपये प्रतिमास (750 रूपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दिया गया है। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से हैः–

(i) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन 12–6–2009 से उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत तक विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को स्थानान्तरित की जावेगी।

(ii) राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार पर खर्च होने वाली वित्तिय सहायता 13–7–2009 से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।

(iii) हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कर्मियों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी पर 20–8–2009 से प्रत्येक को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जावेगी।

सैनिक कल्याण

8.139 राज्य सरकार देश के रक्षा सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा राज्य के वीर सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके द्वारा दिये गये सर्वोतम बलिदान के लिए सरकार ने एक मुश्त नकद पारितोषिक तथा शौर्य अवार्ड विजेताओं को दी जाने वाली राशि के लिए एक पोलिसी बनाई है। शौर्य अवार्ड विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पारिताषिक (युद्ध के दौरान) को 15–8–2011 से बढ़ाकर परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 25 लाख रूपये से 31 लाख रूपये, महावीर चक्र के लिए 15 लाख रूपये से 21 लाख रूपये, वीर चक्र के लिए 10 लाख रूपये, 15 लाख रूपये, सेवा मण्डल (बहादुरी) के लिए 5 लाख रूपये से 7.5 लाख रूपये तथा मैन्शन इन डिस्पैच के लिए 2.50 लाख रूपये से 5.5 लाख रूपये तथा शान्ति के समय बहादुरी अवार्ड विजेताओं को अशोक चक्र के लिए 25 लाख से 31 लाख रूपये, कीर्ति चक्र के लिए 15 लाख से 21 लाख, शौर्य चक्र के लिए 10 लाख से 15 लाख तथा सेवा/नौसेना/वायु सेना मण्डल (बहादुरी) के लिए 5 लाख से 75 लाख तथा मैन्शन इन डिस्पैच के लिए 2.50 लाख से 5.5 लाख रूपये कर दिया है।

8.140 प्रतिवर्ष दी जाने वाली शौर्य की वर्तमान दर को 15–8–2011 से बढ़ाकर परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 24,000 रूपये से 2.5 लाख रूपये, अशोक चक्र के लिए 19,200 रूपये से 2 लाख रूपये, महावीर चक्र के लिए 9,600 रूपये से 1.9 लाख रूपये, कीर्ति चक्र के लिए 7,200 रूपये से 1.5 लाख रूपये, वीर चक्र के लिए 7,200 रूपये से 1.1 लाख रूपये, शौर्य चक्र के लिए 4,800 रूपये से 70,000 रूपये, सेना/नौ सेना/वायु सेना मैडल (बहादुरी) के लिए 4,800 रूपये से 40,000 तथा मैन्शन इन डिस्पैच

(बहादुरी) 2,400 रूपये से 20,000 रूपये कर दिया गया है। एकमुश्त नकद इनाम की राशि में भी बढ़ौतरी की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरी अवार्ड विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त नकद इनाम तथा भत्ता राशि देश में सबसे अधिक है।

8.141 विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए हरियाणा राज्य परिवहन बस सेवा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करती है। हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर रक्षा सैनिक कालोनियों का विकास भी किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध के वयोवृद्ध योद्धाओं और उनकी विधवाओं को 1,500 रूपये प्रतिमास वित्तीय सहायता देती है। हरियाणा सरकार 60 वर्ष तथा इससे ऊपर आयु के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को 1,000 रूपये प्रतिमास की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी घोषित युद्ध–योद्धाओं की विधवाओं की पैंशन जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, के अतिरिक्त 1,000 रूपये मासिक की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।

आवास बोर्ड

8.142 आवास बोर्ड़ हरियाणा की स्थापना वर्ष 1971 में समाज के सभी वर्गों को रिहायशी सुविधायें प्रदान करवाने विशेषकर आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के लिये की गई थी। बोर्ड़ ने अब तक 67,959 विभिन्न वर्ग के मकानों का निर्माण 31–12–2012 तक किया है जिसमें से 47,361 (70 प्रतिशत) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लिये बनाये है।

8.143 पंचकूला (अमरावती इनकलेव) यमुनानगर, करनाल, नरवाना, कुरूक्षेत्र, पानीपत, जीन्द, फतेहाबाद, रतिया, हांसी, बहादुरगढ़, सिरसा, सोनीपत, गुडगांव, बावल, धारूहेड़ा, नारनौल, रिवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल तथा बरही में 500 करोड़ रूपये की लागत से निर्माणधीन 10,729 मकानों का कार्य प्रगति पर है। जिनमें से 6,103 मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये, 1,500 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 90 निम्न आय वर्ग के, 90 मध्य आय वर्ग के मकान हैं, 102 उच्च आय वर्गीय तथा 2,844 अन्य वर्गो के मकान है। नगर निगम, रोहतक ने 15 एकड़ 10 मरला जमीन पहले ही हरियाणा आवास बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों जिसमें बोर्ड व कार्पोरेशन के कर्मचारी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल है, के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में फ्लैट तैयार करने का कार्य किया जाएगा।

8.144 हरियाणा सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिये मकान बनाने के लिये एक नीति बनाई है जिसके तहत प्राईवेट कालोनाईजरस आवास बोर्ड़ हरियाणा को कुल काटे गये 100 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 प्लाट 500 रूपये प्रति वर्ग गज के रियायत दर के हिसाब से देंगे। आवास बोर्ड हरियाणा इन प्लाटों पर बहुमंजिलें मकान बना रहा है। अब तक महानिदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हरियाणा ने तकरीबन 10,000 प्लाटों को चिन्हित किया है जो कि बोर्ड़ को आबंटित किये जायेंगे। अब तक 4,741 प्लाटों का कब्जा बोर्ड़ को दिया जा चुका है और शेष प्लाटों का कब्जा विकास कार्य पूर्ण करने के बाद दिया जायेगा। आवास बोर्ड़ हरियाणा ने 6,103 फलैटस पर निर्माण कार्य बी0पी0एल0 परिवारों के लिये पहले ही आरम्भ कर दिया है तथा शेष 7,542 मकानों का निर्माण कार्य वर्ष 2012–2013 में आरम्भ कर दिया जायेगा।

सहकारिता

8.145 हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास में सहकारी संस्थाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। सहकारिताओं द्वारा लोगों को वित्तीय साधन जुटाने के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश की 35 हज़ार से अधिक विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों द्वारा अपने 57 लाख से अधिक सदस्यों के लिये लाभकारी योजनाएं बना कर उनका आर्थिक व सामाजिक विकास किया जा रहा है।

8.146 वर्तमान सरकार द्वारा गन्ने का भाव 231 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर वर्ष 2012–13 के लिये अगेती प्रजाति के लिये 276 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिये 33.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी जिसमें से 3.78 करोड़ रुपये राज्य की सहकारी चीनी मिलों द्वारा तथा 29.98 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा ब्याज राहत ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएं जायेंगे।

8.147 वर्ष 2012–13 के पहले 9 महीनों में लगभग 1859 पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों द्वारा 169 सहकारी श्रम एंव निर्माण समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में प्राथमिक सहकारी श्रम एंव निर्माण समितियों द्वारा 464.34 करोड रूपये व 366.34 करोड रूपये का कार्य किया गया है।

8.148 हरियाणा में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा 1–04–2012 से 31–12–2013 तक 3.52 लाख प्रति दिन दूध की खरीद की गई। दुग्ध प्रसंघ द्वारा दूध का खरीद का भाव 370 रुपये से बढ़कर 385 रुपये प्रति किलो फैट कर दिया गया है।

8.149 दुग्ध उत्पादकों के लिए हरियाणा डेयरी द्वारा बीमा योजना शुरू की हुई है जिसके अन्तर्गत उन दुग्ध उत्पादकों का एक लाख रुपये तक का जीवन बीमा किया जाता है जिन्होंने पिछले तीन वर्ष के दौरान लगातार दूध डाला है। इसके लिए उन्हें केवल 10 रुपये देने पड़ेंगे। राज्य के 26,000 के दुग्ध उत्पादकों का इस योजना के अन्तर्गत बीमा किया गया है।

रोजगार

8.150 प्रथम नवम्बर–2005 से ''शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम–2005'' अस्तित्व में आई। इस योजना के अनुसार से बेरोजगारी भत्ता 300 रूपये प्रतिमास 10+2 अथवा समकक्ष (मैट्रिक के बाद 2 वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स) और 500 रूपये प्रतिमास स्नातक (10+2 के कम से कम 3 वर्ष बाद) या उससे अधिक हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से पास किया हो, की दर से दिया जाता है। प्रथम अप्रैल 2009 से 10+2 पास महिला प्रार्थियों का बेरोजगारी भत्ता 300 रूपये से बढ़ाकर 900 रूपये प्रतिमास तथा स्नातक तथा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिला प्रार्थियों का बेरोजगारी भत्ता 500 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान विषय के साथ 10+2 पास पुरूष प्रार्थियों का बेरोजगारी भत्ता 300 रूपये से बढ़ाकर 750 रूपये प्रतिमास तथा विज्ञान स्नातक/स्नातकोतर पुरूष प्रार्थियों का बेरोजगारी भत्ता 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है। जो प्रार्थी 10+2 से कम योग्यता के आधार पर पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अन्तर्गत अक्तूबर, 2005 को भत्ता प्राप्त कर रहे थे उन्हें नई स्कीम में 35 वर्ष की आयु तक 100 रूपये प्रतिमास भत्ता दिया जाएगा। इस कार्य के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान 55 करोड़ रूपये की राशि का बजट प्रावधान है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 1–4–2012 से 31–12–2012 तक 37,231 प्रार्थियों को 26.88 करोड़ रूपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में वितरित की गई है।

निजी समायोजन परामर्श एंव भर्ती सेवा केन्द्र

8.151 विभाग के प्रयत्नों स्वरूप 4,796 से अधिक प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस कार्य के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान 10 लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान है जिसमें से दिनांक 1–4–2012 से 31–12–2012 तक 95,638 रूपये की राशि खर्च हुई है।

विदेश रोजगार ब्यूरो

8.152 विदेश रोजगार सहायता हेतू 201 प्रार्थियों ने स्वयं को केन्द्र के माध्यम से 1–4–2012 से 31–12–2012 तक अपना पंजीकरण करवाया। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2012–13 के बजट में 65 लाख रूपये स्वीकृत है जिसमें से 1–4–2012 से 31–12–2012 तक 28.82 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

रोजगार कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण करना

8.153 विभाग की कार्यप्रणाली को कम्पयूटरीकृत कर दिया गया है विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सभी सुविधायें विभाग की वैब साईट www.hrex.org पर आन लाईन उपलब्ध करवा दी गई है। रोजगार के इच्छुक 7,50,244 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट www.hrex.org के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया। हमारी नई सेवा नियोक्ता पंजीकरण मे नियोजक स्वयं हमारी वेबसाइट में पंजीकरण करवा सकते हैं तथा वे सीधे अपनी आवश्यकता अनुसार योग्य प्रार्थियों के ब्यौरे की जांच कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए वर्ष 2012–13 हेतू 24.99 लाख रूपये की राशि स्वीकृत है जिसमें से दिनांक 1–4–2012 से 31–12–2012 तक 4.89 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है ।

श्रम कल्याण

8.154 राज्य सरकार द्वारा राज्य में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाने, श्रमिको को उनके कार्यस्थल पर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रयास तथा उचित कदम उठाये गये है। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड एवं हरियाणा भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाए चलाई जा रही है।

8.155 कार्यप्रणाली को पारदर्शी, उपभोक्तोन्मुखी बनाने एवं स्वेच्छा से स्वीकार्य ई–गवरनैंस लागू करने हेतु विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आन् लाईन पंजीकरण एवं लाईसैन्सिग की सुविधा प्रदान की है। इसी प्रकार उद्योगों में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रावधानों की परिपालना हेतु 'स्वंयतः–प्रमाणीकरण'

करने की ऑन–लाईन प्रकिया, औद्योगिक वातावरण को अधिक प्रगतिशील तथा उपभोक्तोन्मुखी बनने में सहायक सिद्व हो रही है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार का नियोजन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत संस्थापनाओं एवं श्रमिकों के पंजीकरण को ऑन–लाइन करना भी विचाराधीन है।

8.156 राज्य में अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन की दरें जो 01–07–2007 को 3510 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, उसे हर छःमाही के आधार पर पुनः निर्धारित किया गया है। वर्तमान में एक अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 01–07–2012 से 4,967.27 रुपये प्रतिमाह तथा 191.04 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन की अनूसूचि में 2 अदारों (घरेलू कामगार एवं सफाई कर्मचारी) को शामिल किया गया है। जिनकी सूची अब 48 से बढकर 50 हो गई है।

8.157 श्रमिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए राज्य में 9 औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय से लम्बित केसों के निपटारे हेतु एक श्रम लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 179 केसों का निपटारा किया गया।

8.158 बेसहारा तथा प्रवासी बाल श्रमिकों के लिए पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में 50–50 बच्चों की क्षमता वाले तीन पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष के दौरान इन केन्द्रो को नियमित तौर पर चलाने हेतु 130 लाख रूपये की राशि प्रदान गई है। जिसमें मुफ्त रहने, व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

8.159 पानीपत तथा गुडगांव में दो 'मुख्य दुर्घटना नियन्त्रण ईकाईयों' की स्थापना की जा रही है। इन ईकाईयों को स्थापित करने के लिए साजो–सामान खरीदने हेतु 163 लाख रुपये आबंटित किए गये है। दो हाईजीन लेबोरेटरीयों' की स्थापना की जा रही है। चालू वित्त वर्ष में इन लेबोरट्रियों को स्थापित करने के लिए साजो–सामान हेतु 85 लाख रुपये आबंटित किये गये है। यह लेबोरट्रीज भविष्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिए हितकारी होगीं।

8.160 राज्य में महिलाओं के रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इसके संबंधित उद्योगों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की सशर्त छूट प्रदान की गई है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगें तथा सुरक्षा एवं यातायात के उचित साधनों की पूर्ण जिम्मेदारी लेगा। वर्ष के दौरान 147 संस्थाओं को उक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत छूट जिसमें 28,253 महिलाएं लाभान्वित हुई।

8.161 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 21,000 रुपये की राशि कन्यादान के रुप में विधवाओं/आश्रितों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता तथा 12,000 रुपये बच्चों को छात्रवृति के रूप में प्रदान करने जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत 9,158 औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके आश्रितों पर 780.82 लाख रुपये खर्च किए गए। 5,000 रुपये तक का मासिक वेतन पाने वाले औद्योगिक श्रमिक को एक नई 'साईकल' मुफ्त प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान इस योजनाओ के अर्न्तगत 5,447 औद्योगिक श्रमिकों पर 116.62 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है।

8.162 इसी प्रकार पंजीकृत भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर 'स्वास्थ्य बीमा योजना' तथा कैंसर, एडस, टी.बी. जैसी संक्रामक बिमारियों के मुफ्त ईलाज हेतु एक लाख रुपये, मृत्यु लाभ/अंतिम संस्कार हेतु सहायता, कन्यादान, शिक्षा, छात्रवृति और मातृव्य लाभ प्रदान करने जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई भी जा रही है। इन योजनाओं पर 2012–13 में (31–12–2012 तक) 505.48 लाख रुपये 6,000 से अधिक लाभार्थियों पर खर्च किये गए।

8.163 1–1–2013 से 4 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे मजदूरों के लिए 1,000 रूपये का एल. टी.सी., महिला मजदूरों के लिए सिलाई मशीन और औद्योगिक मजदूरों के बच्चों के लिए जो खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में जीतेंगे उनको मदद दी जाएगी। इसे अतिरिक्त भत्ता राशि की सीमा 15,000 से 20,000 और 5,000 से 10,000 विभिन्न योजनाओं के तहत बढा दी गई है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके। श्रम कल्याण योजना के तहत विधवाओं या मजदूरों के आश्रितों क लिए राशि 50,000 से 1,00,000 कर दी गई है तथा कन्यादान राशि के तहत मजदूरों की लडकियों की शादी में दी जाने वाली राशि 21,000 से 51,000 कर दी गई है। बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि जो कि न्यूनतम 2,000 थी को अधिकतम 4,000 कर दिया गया है। 1 से 8वीं कक्षा में पढाई करने के लिए लडकियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 2,000 से बढाकर 3,000 कर दी गई है तथा स्कूल वर्दी और लेखन सामग्री को 2,000 कर दिया गया। किसी दुर्घटना की वजह से आई शारीरिक विकलांगता की राशि को 10,000 से

बढाकर 20,000 तथा अधिकतम 30,000 कर दी गई है। विकलांग मजदूरों को 5,000 रूपये की राशि तिपहिया साईकिल के लिए दी जाएगी। मजदूरों की मौत की घटना में अन्तिम संस्कार के लिए विधवाओं/मृतक मजदूरो के आश्रित को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 5,000 से बढाकर 15,000 कर दी गई है।

खेल एवं युवा कल्याण

8.164 हाल ही में हरियाणा से खिलाड़ियों ने अर्न्तराष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में राष्ट्र के उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय जनसंख्या का मात्र 2 प्रतिशत होते हुए भी अंर्तराष्ट्रीय पदकों का लगभग एक तिहाई भाग हरियाणा के खिलाड़ियों का है। लन्दन ओलम्पिक खेलों, 2012 में भारत देश ने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 पदक प्राप्त किए। यह स्थिति राष्ट्र में खेलों में राज्य की उच्च कुशलता को दर्शाती है। ऐशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। इसी प्रकार राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रमण्डल खेलों में 21 स्वर्ण, 6 रजत तथा 8 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्र के द्वारा जीते गए पदकों का प्रमुख भाग पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। रांची राष्ट्रीय खेलों में, राज्य के खिलाड़ियों 42 स्वर्ण, 33 रजत तथा 40 कांस्य पदकों के साथ विजेता के रूप में उभर कर आयें।

8.165 'भारत के लिए खेलों' अभियान के अंतर्गत आयोजि स्पैट (खेलों एवं शारीरिक क्षमता परीक्षा) में राज्य के युवा खिलाड़ियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके 2012 के संस्करण (एडिशन) ने 8–19 वर्ष के आयु वर्ग के लाखों युवकों एवं सुवतियों को आकर्षित किया है। वर्ष 2011 के स्पैट के अन्तिम चरण में सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या 9436 से बढ़कर 2012 में 26,000 से भी अधिक हो गई है जो तीन गुणा वृद्धि को दर्शाता है। इससे राज्य के बच्चों एवं युवकों में खेलों में शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के बढ़े स्तर तथा उच्चतर स्वास्थ्य स्तर का पता चलता है।

8.166 सरकार राज्य के ब्लाकों (खण्डों) में 226 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसरों का निर्माण कर रही है। जिनमें से 158 ऐसे स्टेडियमों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए 232 लघु स्टेडियमों का भी निर्माण किया जा चुका है। राज्य में 2 राज्य स्तरीय स्टेडियम, 5 हाकी एस्ट्रोट्रफ तथा 4 सिंथंटिक ट्रैक, 13 मण्डलीय स्तर स्टेडियम, 9 तरणताल तथा 8 बहुउदेशीय हाल है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना पायका (पी.वाई.के.के.ए.) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के उत्थान के लिए खेल मैदान स्थापित करके 2476 ग्रामीण स्कूलों तथा 48 ब्लाकों को शामिल किया गया है। हरियाणा में सम्भवतः देश में अधिकतम खेल मैदानों का घनत्व विद्यमान है। वर्ष 2013–14 के दौरान हिसार में हाकी के लिए एक एस्ट्रोट्रफ, दरियापुर (फतेहाबाद जिला) में फुटबाल के लिए एक सिंथैटिक सरफेश खेल मैदान तथा महम में भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाने वाला बाक्सिंग तथा कुश्ती के लिए एक खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

8.167 हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक तथा एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को ग्रुप–बी श्रेणी सरकारी नौकरी दी जायेगी। ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वालों तथा ऐशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप–सी श्रेणी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त खेलों में मान्यता प्राप्त खेल फैडरेशनों द्वारा आयोजित विश्व एवं एशियाई चैम्पियनशीपों में पदक विजेताओं को भी राज्य में ग्रुप–सी श्रेणी सरकारी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा पुलिस ने 424 उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान की है जिनमें से 17 खिलाड़ियों को उप अधीक्षक के पद पर भर्ती किया गया है।

8.168 राज्य सरकार ने राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पैरा–ओलम्पिक खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों के समान नकद पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2005 से अब तक 9,311 खिलाड़ियों को 51.14 करोड़ रूपये का नकद पुरस्कार दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 74 ऐसे खिलाड़ियों जिनको भारत सरकार द्वारा अर्जुन, द्रोणाचार्य एवं ध्यानचन्द पुरस्कारों से नवाजा गया है, उनको राज्य सरकार द्वारा 5000 रूपये प्रतिमास की दर से होनरेरियम दिया गया है। सरकार ने खिलाड़ियों को दिये जाने वाले नगद पुरस्कार की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। वर्तमान समय में ओलम्पिक स्वर्ण, रजत तथा कांसय पदक विजेताओं को क्रमशः 2.50 करोड़ रूपये, 1.50 करोड़ रूपये तथा 1 करोड़ रूपये प्रदान किये जाते है। ओलम्पिक खेलों 2016 के लिए ये दरें दोगुनी कर दी गई है। स्वर्ण पदक विजेताओं को 5 करोड़ रूपये, रजत पदक विजेताओं को 3 करोड़ रूपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़ रूपये प्रदान किये जायेंगे।

8.169 सरकार ने खेलों में समाज के कमजोर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने के लिए 'फेयर प्ले' छात्रवृति योजना क्रियान्वित की है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित खिलाड़ियों को 1,500 रूपये से लेकर 8,000 रूपये प्रतिमास तक छात्रृतियां दी जाती है। खेलों में भग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को 1,000 रूपये की अतिरिक्त छात्रवृति भी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 3,500 रूपये, रजत पदक विजेता खिलाड़ी को 3,000 रूपये तथा भाग लेने वाली खिलाड़ी को 2,500 रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता को 5,000 रूपये, रजत पदक विजेता को 4,000 रूपये तथा कांस्य पदक विजेता को 3,000 रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक विजेता को 7,000 रूपये, रजत पदक विजेता को 6,000 रूपये तथा कांस्य पदक विजेता को 5,000 रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है।

8.170 4996 तथा 4738 उच्च क्षमता वाले खिलाड़ियों को जिन्होंने स्पैट, 2011 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये थे उनको खेल कोचिंग केन्द्रों में डे–बोर्डिंग एवं आवासीय नर्सरियों एवं अकादमियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन अकादमियों में खिलाड़ियों को 150 रूपये प्रतिदिन की दर से खुराक राशि मिलती है। अकादमियों में खिलाड़ियों को 2,000 रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृतियां दी जाती है। 14 या इससे अधिक सफल स्पैट खिलाड़ियों की संख्या वाली 97 डे–बोर्डिंग नर्सरियां है। डे–बोर्डिंग में रहने वाले 8–14 आयु वर्ग वालों को 1,500 रूपये प्रतिमास की दर से तथा 15 से 19 आयु वर्ग वालों को 2,000 रूपये प्रतिमास की दर से छात्रृवतियां तथा साथ ही खेल उपकरण, खेल किट तथा आरम्भिक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। 233 प्रशिक्षु खिलाड़ियों के साथ 13 अकादमियां हैं। विंग योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर पदक विजेताओं तथा राष्ट्रीय स्तर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रशिक्षण एवं रिफ्रैशमैंट धनराशि दी जाती है। वर्ष 2010–11 में इस योजना में 1589 खिलाड़ियों को 1.13 करोड़ रूपये सहित लाभ हुआ। योगा, कुश्ती, हाकी एवं जिम्नास्टिक तथा पैरा–ओलम्पिक खेल प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। विभाग कबड्डी में अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगिता तथा 16 वर्ष की आयु वर्ग से कम खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय पायका प्रतियोगिता के अंतर्गत हाकी, लान–टैनिस, हैण्डबाल, कुश्ती तथा बास्केटबाल खेलों में भी आयोजन करता है।

पर्यटन

8.171 हरियाणा ने पर्यटन विकास के कार्य में अपने अतिविशिष्ट योगदान से देश के मानचित्र पर प्रमुख स्थान बना लिया है। सरकार ने पूरे राज्य में 42 पर्यटक केन्द्र स्थपित किये हैं, जोकि पर्यटकों में अत्याधिक लोकप्रिय हैं। इस समय हरियाणा पर्यटन के पास 844 कमरों की सुविधा उपलब्ध हैं।

हुनर से रोजगार योजना

8.172 पर्यटन मन्त्रालय द्वारा 18 से 28 वर्ष के आठवीं पास इच्छुक युवकों को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को अपने होटल प्रबन्धन संस्थानों, निजी संस्थानों और भारतीय पर्यटन विकास निगम के साथ कार्यान्वित किया गया है। कुल 1616 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। होटल प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद और और कुरूक्षेत्र में गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों में दक्षता का विकास करने की अनुपम योजना शुरू की गई है, जिसके अर्न्तगत कुल 80 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया। इन विद्यार्थियों को रोजगार दिलवाने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये है। होटल प्रबन्धन संस्थान फरीदाबाद में प्रशिक्षित 17 लोगों में से 14 रोजगार प्राप्त हो चुका है। शेष 3 निजी संस्थानों में कार्यरत है। इसी प्रकार होटल प्रबन्धन संस्थान कुरूक्षेत्र से प्रशिक्षित 53 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों को निजी होटलों में नौकरी मिल गई है और शेष आवेदकों को रोजगार दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

8.173 वर्ष 2011–12 (दिसम्बर, 2012) के दौरान रोहतक में राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, राई, सुल्तानपुर तथा सोहना में एकतरफा सुख–सुविधाओं में सुधार, जिला गुड़गांव के दमदमा में कैम्पिंग साईट का निर्माण, पानीपत–कुरूक्षेत्र–पिंजौर पर्यटक सर्कल (प्रथम चरण) से सम्बन्धित कार्य तथा सूरजकुण्ड के बड़खल झील तथा लेकव्यू हटस के कमरों का सुधार का कार्य पूरा किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित प्रोजैक्ट तैयार किए जाएंगे :–

- होटल प्रबन्धन संस्थान रोहतक में लडको/लडकियो के होस्टल के निर्माण कार्य करना प्रस्तवित है।
- होटल प्रबन्धन संस्थान कुरूक्षेत्र में कर्मचारियों के भवनों का निर्माण तथा होस्टल का विस्तारीकरण।
- तिलयर झील रोहतक मे वी0आई0पी0 हटस के निमार्ण का कार्य।

- सूरजकण्ड स्थित होटल राजहंस, हरमैटीज हटस तथा सनवार्ड मोटल, के कमरो का नवीनीकरण/सुधार तथा रिवाडी यात्री पर्यटन, फरीदाबाद में मैगपाई और गोल्फकोर्स का कार्य प्रगति पर है।

8.174 पिंजौर में 7 से 8 जुलाई, 2012 तक 21वां आमों का प्रसिद्व मेला आयोजित किया गया जिसमें समस्त उत्तर भारत के आमों के उत्पादन दर्शाये गये। 7वां पिंजौर हैरिटेज फैस्टीवल 15 दिसम्बर से 16 दिसम्बर 2012 तक विश्व प्रसिद्ध यादविन्द्रा बाग पिंजौर में आयोजित किया गया। यह मेला पर्यटकों का मुख्य आर्कषण रहा। इसी प्रकार 27वां अर्न्तराष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला 1 से 15 फरवरी, 2013 में आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं और घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के सुन्दर व पुराने हथकरघा व हस्तशिल्प को दर्शाता है। इस मेले का थीम राज्य कर्नाटका है।

पर्यावरण

8.175 पर्यावरण विभाग, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं की रोकथाम के लिये विभिन्न अधिनियमों को तेजी से लागू कर रहा है उदाहरणतः जल (प्रदूषण नियत्रंण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियत्रंण एवं रोकथाम) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986। इसके साथ आम जनता में पर्यावरण संरक्षण बारे चेतना उत्पन्न करने के प्रयास किये जा रहे है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड इन अधिनियमों व कानूनों को लागू करने की एजैंसी है। राज्य में सामूहिक, खतरनाक अपशिष्ट के निपटारण एंव संग्रहण के लिए पाली जिला फरीदाबाद में 2009 से एक निपटारण संयत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। 994 इकाईयां मैसर्ज जी0ई0पी0आई0एल0 द्वारा पंजीकृत हैं जोकि वैज्ञानिक ढंग से ठोस अपशिष्ट का सामूहिक निपटारण कर रहे हैं। लगभग कुल 12,568.42 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष खतरनाक अपष्टि का सामूहिक थान पर निपटारण किया गया है जिसमें से 8287.88 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष जमीन भरने योग्य है और 4,280.53 मिट्रिक टन व्यर्थ अपशिष्ट है।

8.176 राज्य सरकार ने दो विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद तथा कुरूक्षेत्र में जो कि मुख्य न्यायिक अधिकारी के समान अधिकारी की अध्यक्षता में जल अधिनियम, वायु अधिनियम पयार्यवरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीवन अधिनियम एंव सार्वजनिक भूमि संरक्षण अधिनियम के सन्दर्भ में केसों को निपटाने हेतु गठन किया गया है।

8.177 राज्य में विभिन्न स्कूलों में 5,250 इको क्लबों की स्थापना स्कूलों के विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं के प्रति जागृत करने हेतू की गई है। भारत सरकार, वन एंव पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त इको क्लबों में बंटवारे हेतू 80 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया गया है।

8.178 विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व वैटलैंड दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, ओजोन दिवस एंव अर्न्तराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ।

8.179 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा लगातार हवा उत्सर्जन एंव प्रवाह नमूनों की निगरानी के लिए आनॅलाईन सुविधाओं की स्थापना के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहा है। फरीदाबाद गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट में ऑनलाईन निगरानी सुविधा पहले से ही स्थापित की जा चुकी है और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के नेटवर्क से जुड़ी है। थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न फलाईऐश का निपटारण पर्यावरण के लिए एक बडी चुनौती बनी हुई है तथा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड इस चुनौती से निपटने के लिए कदम उठा रहा है। सीमैंट फैक्टरियों को फलाईऐश को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

8.180 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में एन0ओ0सी0/उद्योग चलाने की अनुमति को ऑनलाईन सुविधा प्रदान करने के तंत्र को लागू किया जा रहा है जोकि जल एवं वायु अधिनियमों की धाराओं के अन्तर्गत प्रत्येक प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग की आवश्यकता है। अब उद्योग राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, दिल्ली द्वारा तैयार आनलाईन साफटवेयर पर एन0ओ0सी0/उद्योग चलाने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा आवेदनों की आनलाईन प्रक्रिया करेगा और अनुमति प्रदान करेगा और प्रक्रिया में कुशलता और स्वच्छता लायेगा।

8.181 बहुत सारी रंगाई इकाईयां जो कि पानीपत के आवासीय और गैर आवासीय क्षेत्र मे कार्यरत हैं, को सैक्टर 29, पार्ट-II मे प्लाट आबंटित किए गए हैं जो कि इन इकाईयों की पुर्नस्थापना के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण द्वारा विकसित किया गया है जिसमें 510 प्लाट काटे गये हैं। इन इकाईयों द्वारा छोड़े गये अपशिष्टों के निपटान के लिए 21 एम0एल0डी की क्षमता वाला सांझा जल संशोधन संयन्त्र

लगाया गया है और कार्यरत है जबकि दूसरा 21 एम0एल0डी की क्षमता वाला सांझा जल संशोधन संयन्त्र हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस समय लगभग 18.5 एम0एल0डी0 अपशिष्ट पहुंच रहा है और सांझा जल संशोधन संयन्त्र द्वारा निपटारण किया जा रहा है।

8.182 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने हवा उत्सर्जन में प्रदूषण स्तर की निगरानी हेतू रूपये 3 करोड़ (1 करोड़ प्रत्येक) की लागत द्वारा तीन लगातार परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन गुडगांव, रोहतक और पंचकूला में स्थापित किए हैं। इन स्टेशनों ने सलफर डाइओक्साईड और नाइट्रोजन ओक्साईड इत्यादि द्वारा स्थगित परिवेश वायु गुणवत्ता डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। एक लगातार परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन फरीदाबाद में पहले से ही कार्यरत है।

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

8.183 20–सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं जोकि लोगों की आकांक्षाओं और जरुरतों को पूरी करने के लिए शुरु किया गया है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां अनुलग्नक–ए में दिये गये हैं।

8.184 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार जो कि अकुशल काम की तलाश में है अपने परिवार को ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर करता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत को आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कम से कम 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 2012–13 के दौरान (दिसम्बर, 2012 तक) राज्य में इस योजना के तहत 72.29 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2012–13 के लिए 19,163 घरों के वार्षिक लक्ष्य के खिलाफ 6,752 घरों का निर्माण किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान (दिसम्बर, 2012 तक) 2,075 घरों के लक्ष्य की तुलना में इस योजना के तहत 1,251 घरों का निर्माण किया गया। ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. घरों के तहत शहरी क्षेत्रों में योजना के अर्न्तगत एक व्यक्ति को कवर करने के लिए तय आय सीमा 3,300 से 7,300 रुपये प्रतिमाह तक है। यह योजना मुख्य रुप से अस्वच्छ समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है। इस योजना के अर्न्तगत ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. घरों के लिए रियायती ऋण राशि 1 लाख रुपये और 1.60 लाख रुपये 15–20 साल की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

8.185 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन0आर0जी0डब्लू0पी0) के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 से दो अलग–2 बिन्दु नामतः आंशिक रुप से संतृष्त व फिर से निचले स्तर पर पहुची बसावटों को तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को 20–सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया। जिनके लिये वर्ष 2012–13 में 940 तथा 10 बसावटों का लक्ष्य निधारित किया गया जिसके विरुद्व 429 तथा कोई भी बसावटों की उपलब्धी प्राप्त नहीं हुई।

8.186 संस्थागत प्रसव योजना के तहत वर्ष 2012–13 में (दिसम्बर, 2012 तक) 2.89 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी रेखा से उपर उठानें के लिये आर्थिक सहायता के लिये वार्षिक लक्ष्य 1,02,407 परिवारों का लक्ष्य तय किया गया था तथा दिसम्बर, 2012 तक 72,141 परिवारों को सहायता प्रदान की गई। राज्य में वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) 148 आई. सी.डी.एस. ब्लाक परिचालन में थे और 25,296 आंगनवाडी चल रही थी। वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) वृक्षारोपण के तहत 50,374 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया और 388.47 लाख सीडलिंग लगाए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत 30 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 74 किलोमीटर लम्बाई की सडकों का निर्माण किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान 19,000 पम्प सैटों के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक 13,487 पम्पसैट लगाए गए।

लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा

8.187 लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा की स्थापना एक विविध अनुशासनिक शीर्ष प्रशिक्षण संस्था के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। यह संस्थान भारतीय प्रशासन सेवा के नये प्रशिशुओं, हरियाणा नागरिक सेवाओं के प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके सेवा काल में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्था विभिन्न बोर्ड, निगमों के अमले को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न विकास के कार्यक्रमों और स्कीमों का नियोजन करना और उनको प्रभावशाली ढ़ग से लोगों के लिये क्रियान्वित करना है।

राजस्व प्रशिक्षण संस्था

8.188 लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा की कार्यकारी परिषद की 55वीं बैठक जो 9–6–2005 को हुई उसके निर्णय के अनुसार राजस्व प्रशिक्षण संस्थान गुड़गांव से स्थानान्तरित कर दिया था, ने अपना प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जब से भारतीय प्रशासकीय सेवा तथा हरियाणा नागरिक सेवा के सभी राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान जमाबन्दी इन्तकाल और राजस्व प्रशिक्षण सम्बन्धित विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

नए प्रशिक्षण संस्थाओं और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

8.189 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढाने, फैक्लटी विकास एवं सरकारी कामकाज में सुधार के लिए एच.आई.पी.ए. ने विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। हिपा ने आर.आई.पी.ए., एन.आई.एफ.एम., एल.बी.एस.एन.एन.ए. और ए.टी.आई., भोपाल आई,.आई.पी. ए.,डी.ई.ए., एन.आई.एस.जी. तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से राष्ट्रीय पी.पी.पी. क्षमता विकास योजना के तहत जिसे विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है, के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये है। इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद और डलाईट ने भी हिपा से सहयोग के लिए सम्पर्क किया है।

*****

9

योजना नीति एवं समीक्षा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा राज्य की उपलब्धियां प्रशंसनीय रही हैं। पिछले 7 वर्षों में हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। यद्यपि, हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं विकास को कायम रखने के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण तथा पुराने आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए निरन्तर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। देश में हरियाणा ही पहला ऐसा राज्य है जिसने शुद्ध पेयजल, बिजली के कनैक्शन एवं सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। यह सब पंद्रह वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। अब इन सभी सुविधाओं के विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। 11वीं योजना के पिछले दो वर्षों में प्रदेश ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में निवेश की मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और 12वीं योजना में भी यह जारी रहेगी और पंचवर्षीय योजना के तहत योजनाओं के आबंटन और व्यय **आकृति 9.1** और **अनुलग्नक 9.1** में दिया गया है।

कृषि

9.2 कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार रहा है। राज्य ने कृषि के उत्पादन में तीव्र गति से प्रगति की है। हरियाणा राज्य गेंहू उत्पादन व उत्पादकता व सरसों की उत्पादकता में एक अग्रणी राज्य है। संसाधन संरक्षण शून्य जुताई इत्यादि वर्ष 2010–11 और 2011–12 में गेंहू की उत्कृष्ट उत्पादन व उत्पादकता के लिए लगातार दूसरे वर्ष भी कृषि कर्मण से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान गेंहू की उत्पादकता 51.82 क्विंटल पर हैक्टेयर है जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इण्डो ईजराईल के सहयोग से करनाल जिले के घरौंडा में पहला ऐसा केन्द्र स्थापित किया गया जो सब्जियों की उच्च प्रमाणिकता सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता में सफलतापूर्वक अग्रणी साबित हुआ है। घरौंडा में प्राप्त हुई सफलता से प्रेरित होकर आने वाले वर्षों में राज्य में इस तरह के 12 केन्द्र और स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

उद्योग

9.3 प्रभावशाली आर्थिक बढ़ौतरी, देश के उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में गिनती तथा मजबूत औद्योगिक ढांचे एवं राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उद्योग–मैत्री पूर्वक नीतियों के कारण हरियाणा देश के अग्रणीय औद्योगिक राज्यों में उभर कर आया है। विस्तृत उद्योग तथा निवेश नीति जोकि 2005 में लागू की गई थी, जिसको वर्ष 2011 में संशोधित कर दिया गया, ने विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश को आकर्षित करने में मदद की है।

शिक्षा

9.4 सभी बच्चों को उनके आगे की जिन्दगी में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार रहने के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने की विचारधारा के अन्तर्गत हरियाणा सरकार ने राज्य में बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 लागू कर दिया है। इससे राज्य में 22 लाख बच्चों को लाभ होगा। इन नियमों के तहत 6–14 उम्र समूह के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत 2,620 आंगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात भी निश्चित किया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी प्राईवेट स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिले के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण किया गया है ।

स्वास्थ्य

9.5 लोगों का स्वास्थ्य राज्य की पहली चिन्ता है। सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़ी स्कीमों का अनावरण किया है। राज्य की कई स्कीमें सराहनीय तथा ध्यान आकर्षित करने वाली हैं। राज्य की जननी सुरक्षा योजना स्कीम जिसको केन्द्र सरकार

आकृति 9.1 – हरियाणा का पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुमोदित परिव्यय तथा व्यय

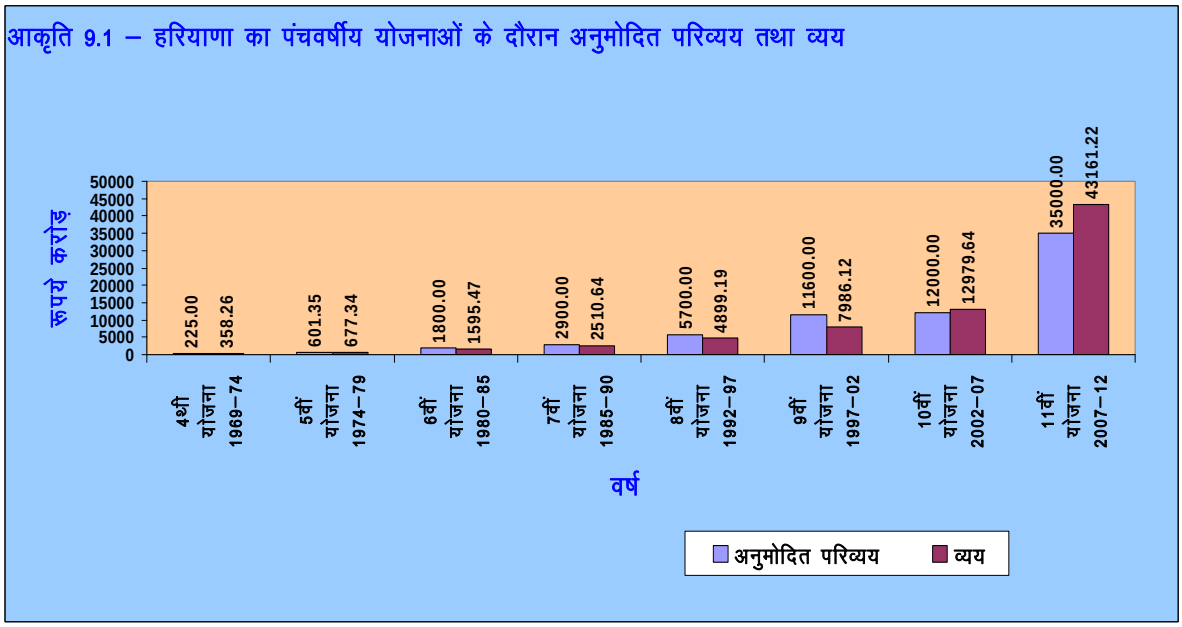

ने सराहा है तथा वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना को संशोधित कर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकारी संस्थानों में प्रसूति के दौरान मुफ्त आहार तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तथा बीमार नवजात शिशुओं को 30 दिनों के अन्दर मुफ्त दवाईयां खून व परीक्षण एवं शून्य खर्च स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें सभी सरकारी अस्पतालों में बाहरी चिकित्सा रोगियों के लिए दवाईयां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के मरीजों के लिए, दुर्घटनाग्रस्त लोगों तथा स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए मुफ्त रैफरल यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिसकी अन्य सभी राज्यों ने भी सराहना की है तथा इसे सुदृढ किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों का चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करनाल में कल्पना चावला सरकारी चिकित्सा संस्थान तथा बाढसा, झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स द्वितीय की स्थापना की जा रही है।

बिजली

9.6 "बिजली में आत्मनिर्भरता" हमारा ध्येय और "सभी के लिए बिजली" हमारा लक्ष्य है। इस ध्येय को दिशा निर्देश सिद्धान्त के रूप में रखते हुए राज्य सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान बिजली के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता जो वर्ष 2004–05 में 1,587.07 मेगा वाट थी, वह वर्ष 2012–13 में तीन गुना बढ़कर 5,300.50 मेगा वाट हो गई है। हरियाणा 2012–13 तक विद्युत क्षेत्र में आत्म–निर्भर बनने के लक्ष्य को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा उत्पादन क्षमता में 5000 मेगावाट जोडने के अपने घोषित उद्धेश्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते पर सफल रहे हैं। उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 1,009 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है। 11वीं योजना अवधि के दौरान 291 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया गया, 521 सब स्टेशनों की क्षमता में बढ़ौतरी की गई और 4,204 किलोमीटर नई विद्युत लाईनें (33 किलो वाट और उससे ऊपर की) बिछाई गईं, जिस पर वर्ष 2011–12 तक 3,523 करोड़ रूपये खर्च किए गए। "सभी के लिए बिजली" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2.04 लाख परिवारों में से लगभग 1,93,735 लाख परिवारों को 2011–12 तक बिजली के कनैक्शन दिए जा चुके हैं।

ऊर्जा संरक्षण

9.7 हरियाणा रिन्युएबल एनर्जी डिवेल्पमैंट एजैंसी (एच.ए.आर.ई.डी.ए.) द्वारा ऊर्जा को संरक्षित करने हेतू किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2011 में लगभग 155.53 मेगा वाट ऊर्जा बचाई गई। हरियाणा ने राज्य में वर्ष 2010–11 के लिए ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चार पुरस्कार प्राप्त किए। वर्ष 2011–12 के दौरान, हरियाणा ने ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था ।

पंचायती राज प्रतिष्ठानों का सशक्तिकरण

9.8 पंचायती राज प्रतिष्ठानों के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने कई निर्णय लिए है। ये प्रारम्भिक स्तर के निकाय अब केवल स्थान विशेष के निर्णय ही नहीं लेते परन्तु उन्हें क्रियान्वित भी किया गया है जिनके लिए उन्हें पर्याप्त धन भी उपलब्ध करवाया जाता है। सभी स्कीमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले सभी अनुदान या वित्तीय सहायता सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में स्थानान्तरित हो रहे हैं। एच.आर.डी.एफ. के अन्तर्गत होने वाले कार्यों को छोड़कर, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए बिना किसी सीमा के, वे प्रशासनिक स्वीकृति पाने के योग्य होंगे। ग्राम पंचायत का यह खुद का निर्णय होगा कि 10 लाख रूपये की लागत तक के कार्य को वह स्वयं करे या किसी स्थानीय ठेकेदार से करवाए या किसी पंचायती राज इंजीनियरिंग शाखा को सौंपे। 10 लाख रूपये से ऊपर की लागत के कार्य ग्राम पंचायतें पंचायती राज इंजीनियरिंग शाखा से करवाएंगी, जिसके लिए कार्य या तो विभागीय स्तर पर किया जाएगा या फिर निविदाएं आमंत्रित करके अनुबंधित संस्थाओं के माध्यम से करवाएं जाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत **आकृति 9.2** और **अनुलग्नक 9.2** में दर्शाया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)

9.9 ***राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए 1,76,760 करोड़ रूपये का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार को प्रस्तावित किया है। इस परिव्यय में 73,570 करोड़ रूपये राज्य के निजि क्षेत्र की संस्थाओं के तथा 13,190 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय के उनके स्वयं के स्त्रोतों के शामिल किए गए। राज्य शुद्ध योजना परिव्यय 90,000 करोड़ रूपये का आंबटन विभिन्न क्षेत्रों में करते समय***

सामाजिक सेवा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। यह परिव्यय राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना से 157 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य योजना आयोग के एपरोच पेपर को मध्यनज़र रखकर निर्धारित किये गये हैं। ***क्षेत्रवार परिव्यय का आबंटन इस तरह से किया गया है कि राज्य की प्रगति तथा विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहे। तदानुसार सामाजिक ढांचा क्षेत्र को अधिकतम प्राथमिकता दी गई है जिसका परिव्यय 49,474.30 करोड़ रूपये (54.97 प्रतिशत) रखा गया है। इस परिव्यय में से 12,176 करोड़ रूपये (13.53 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए रखे गये हैं। महिला एवं बाल विकास जिसमें पोषित आहार भी सम्मिलित है, के लिए 1,420 करोड़ रूपये (1.58 प्रतिशत) का प्रावधान है। शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 14,800 करोड़ रूपये (16.44 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 3,737 करोड़ रूपये (4.15 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। पर्याप्त मात्रा में तथा स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए 5,200 करोड़ रूपये (5.77 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 624 करोड़ रूपये (0.69 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 7,900 करोड़ रूपये (8.77 प्रतिशत) का प्रावधान है। दूसरी मुख्य प्राथमिकता सिंचाई के आधारभूत ढांचे के विकास एवं सुधार, बिजली, सड़क तथा सड़क परिवहन को दी गई है। जिसके लिए 24,962 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जोकि कुल प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना का 27.74 प्रतिशत है।*** 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के सम्भावित वितरण को **अनुलग्नक 9.2** में दिखाया गया है।

वार्षिक योजना 2012–13 की रूपरेखा

9.10 राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार 26,485 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये। इस परिव्यय का राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र (पी.एस.ईएस.) और 2,035 करोड़ रूपये 9,950 करोड रूप्ये स्थानीय निकायों के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से प्राप्त की जाने वाली राशि भी सम्मिलित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्थानीय निकायों के परिव्वय को छोडकर, शुद्ध राज्य योजना परिव्यय वार्षिक योजना 2012–13 के लिए 14,500 करोड़ रूपये है। यह परिव्यय वार्षिक योजना 2011–12 के लिए 13,200 करोड़ रूपये के राज्य शुद्व योजना परिव्यय की तुलना में 9.85 प्रतिशत अधिक है जबकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच 14,500 करोड़ रूपये की शुद्ध योजना परिव्यय विवरण सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वाच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई, बिजली, सडक परिवहन और विशेष आर्थिक पैंकेज के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी सर्वाच्च प्राथमिकता दी गई है। वार्षिक योजना 2012–13 के प्रदर्शन को **अनुलग्नक 9.2** में दर्शाया गया है।

सामाजिक सेवाएं

9.11 सामाजिक सेवाएं क्षेत्र के लिए 7,725.91 करोड़ रूपये (53.28 प्रतिशत) आबंटित किए गए है। सामाजिक सेवाओं में उच्च प्राथमिकता, वृद्ध, विकलांग, विधवा तथा बेसहारा लोगों को पैंशन देने के लिए दी गई है, क्योंकि ये समाज के सुवेध्य वर्ग से सम्बन्धित है तथा राज्य सरकार इनके प्रति मौलिक रूप से जिम्मेदार है। अतः 1,684 करोड़ रूपये (11.61 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए रखे गये है। महिलाएं एवं बच्चे भी समाज के सुवेध्य वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जिनकी सरकार द्वारा देखभाल की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिसमें पोशाहार सम्मिलित है, के क्रियान्वयन हेतू 209.60 करोड़ रूपये (1.45 प्रतिशत) का प्रावधान है। शिक्षा जिसमें तकनीकी शिक्षा सम्मिलित है, हेतू 2,832.10 करोड़ रूपये (19.53 प्रतिशत) दिये गये है। वार्षिक योजना में स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें औषधि मैडिकल शिक्षा भी सम्मिलित है, को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इन सेवाओं हेतू 566.55 करोड़ रूपये (3.91 प्रतिशत) रखे गये है। राज्य में पहले से ही सभी गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है अतः इस समय भरपूर मात्रा में पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए पेयजल सुविधा में सुधार तथा स्वच्छता हेतू 780 करोड़ रूपये (5.38 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। पुलिस हाउसिंग सहित गृह निर्माण तथा आधुनिकीकरण के लिए 101.71 करोड़ रूपये (0.70 प्रतिशत) प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति तथा पिछडी जातियो के कल्याण हेतू 110 करोड़ रूपये (0.76 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 1,154.20 करोड़ रूपये (7.96 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। बिजली विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग के बाहरी सहायता प्राप्त प्रौजेक्टों के लिए 474.37 करोड़ रूपये (3.27 प्रतिशत) प्रस्तावित किए गए है।

आधारभूत ढांचे का विकास

9.12 राज्य की कुल योजना राशि 14,500 करोड़ रूपये में से 4,155.62 करोड़ रूपये जोकि योजना राशि का 28.66 प्रतिशत है, सिंचाई, बिजली, सड़क एवं सड़क परिवहन में मुलभूत सुविधाओं के

आकृति 9.2 – हरियाणा की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन

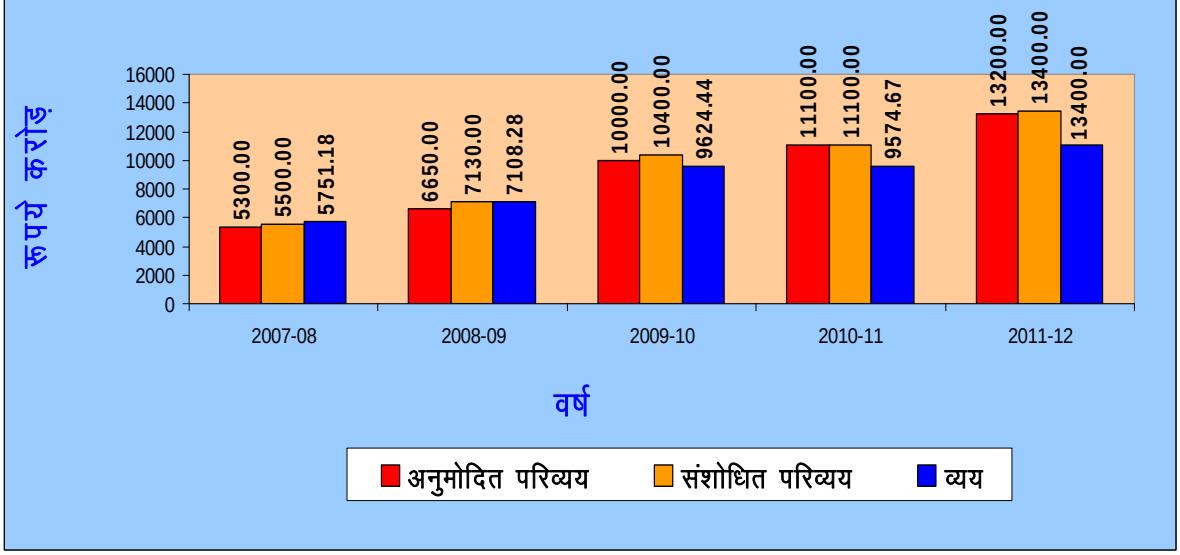

सुधार/विस्तार हेतू आबंटित किये गये है। सिंचाई क्षेत्र हेतू 860 करोड़ रूपये (5.93 प्रतिशत) राशि प्रदान की गई है। ऊर्जा क्षेत्र जैसे विद्युत उत्पादन, प्रसार एवं वितरण हेतू 1,356.68 करोड़ रूपये की राशि आंबटित की गई है जोकि कुल योजना परिव्यय का 9.36 प्रतिशत है। सड़क एवं परिवहन क्षेत्र हेतू 1,465.94 करोड़ रूपये (10.11 प्रतिशत) आंबटित किए गए है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 473 करोड़ रूपये (3.26 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

कृषि तथा कृषि सहबद्ध कार्यक्रम

9.13 कृषि तथा कृषि सहबद्ध गतिविधियों के विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र के लिए 950.08 करोड़ रूपये (6.55 प्रतिशत) की राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए अपनाई गई नीति के अर्न्तगत विभिन्न सहायक कार्यक्रमों जैसे प्रचुर मात्रा में प्रमाणित बीजों की उपलब्धि, उर्वरकों का सन्तुलित प्रयोग, पौध संरक्षक उपायों, भूमि संरक्षक तथा अन्य भूमि विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। गेंहू, चावल, तिलहन, कपास तथा गन्ना आदि फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतू विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें भी चलाई जा रही है।

9.14 वर्ष 2012–13 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एच.ए.यू.) की गतिविधियों के संचालन हेतू 145 करोड़ रूपये (1 प्रतिशत) की राशि का प्रवधान किया गया है।

9.15 भारत के पशु–उत्पादन में हरियाणा राज्य के विशाल पशुधन संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पशुधन के मालिकों को उनके घर–द्वार तक प्रभावी तथा कुशल पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। पशु पालन एवं डेयरी विकास विभाग की गतिविधियों के विस्तार/प्रसार के लिए वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में 101 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने व उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक टीकों की पूर्ति के लिए पशु टीकाकरण संस्थान हिसाार की क्षमता बढ़ाई जा रही है। मछली– पालन विकास के लिए 7.20 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। वातावरण में परिस्थिति के सन्तुलन के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए ईमारती एवं ईंधन की लकडी उपलब्ध कराने के लिए राज्य में वनारोपण के क्षेत्र में वृद्धि हेतू 154.44 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य में सहकारिता ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 114.40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण विकास

9.16 ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए 1072.59 करोड़ रूपये (7.4 प्रतिशत) की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 13वें वित्त आयोग अवार्ड के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता राशि, सामुदायिक विकास तथा भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकाण योजनाएं सम्मिलित है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष लाभप्रद योजनाएं तथा सूखा प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे है। समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के अर्न्तगत 2.42 करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है ताकि लोगों को ऊर्जा बचाने के उपायों के प्रयोग एवं सौर ऊर्जा, कृषि एवं पशु उत्सृष्ट जैसी गैर–पारम्परिक सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। विकास तथा पंचायत कार्यक्रम के अर्न्तगत 926 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए है।

विशेष विकास क्षेत्र

9.17 पिछडे मेवात क्षेत्र जिसमें मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के लोग रहते है, विकास के लिए मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए 22 करोड़ रूपये की राशि मेवात बोर्ड को प्रदान की गई हैं इसी प्रकार अम्बाला, पंचकूला तथा यमुनानगर के पहाड़ी तथा अर्ध–पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए शिवालिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए 11 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। यह राशि इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विकास गतिविधियों पर किए जा रहे खर्च के अतिरिक्त है।

सिंचाई

9.18 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक आवश्यक उपादान है। राज्य में नहरी जल तथा भूमिगत जल के साधन सीमित है। इसलिए इस सीमित संसाधन के अपव्यय को कम करके इसके अत्युत्तम प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के लिए इस क्षेत्र के लिए 860 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 680 करोड़ रूपये का आंबटन किया गया है। बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर चलाया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के लिए 100 करोड़ रूपये राज्य का हिस्सा का प्रावधान किया गया है।

ऊर्जा

9.19 अर्थव्यवस्था के समूचे विकास के लिए ऊर्जा एक अपरिहार्य उपादान है। जन साधारण के जीवन–स्तर में सुधार लाने के लिए भी ऊर्जा अनिवार्य है। राज्य निवासियों को बिजली की आपूर्ति तथा उपलब्धता में सुधार के लिए वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में इस क्षेत्र के लिए 1,356.68 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा स्त्रोत के लिए 9.68 करोड़ रूपये की राशि भी सम्मिलित है।

उद्योग

9.20 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए सहायता करता रहेगा। राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सितम्बर, 2001 मे विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड को विदेशी निवेश प्रस्तावों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ–साथ भूमि आंबटन तथा दीर्घावधि के ऋण प्रदान करने आदि की शक्तियां भी प्रदान की गई है। हरियाणा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को राज्य में विशेषतः गुडगांव में निवेश करने के लिए आकृष्ट करने में सफल रहा है। आशा है कि यह प्रवृत्ति वार्षिक योजना 2012–13 में जारी रहेगी। वर्ष 2012–13 के लिए उद्योग विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए 62.26 करोड़ रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

9.21 प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में हरियाणा राज्य को अग्रिम पंक्ति में रखने के लिए राज्य सरकार ने पहले की एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी नीति (आई.टी.) तथा कार्य योजना तैयार की है। हारट्रोन को सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में सुदृढ़ संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतू निजी सहभागी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, डोट तथा राज्य सरकार में उपलब्ध सभी सुविधाओं को एकत्रित करके हरियाणा राज्य विस्तृत वाईड एरिया नेटवर्क (एच.ए.आर.एन.ई.टी.) की स्थापना की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी की सभी गतिविधियों के लिए वार्षिक योजना 2012–13 में 24.75 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

सड़कें एवं सड़क परिवहन

9.22 राज्य में सड़कों तथा सड़क परिवहन सुविधाओं के विकास के लिये वार्षिक योजना 2012–13 में 1,465.94 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,300 करोड़ रूपये की राशि सड़कों तथा पुल निर्माण के लिए रखी गई हैं। 165 करोड़ रूपये की राशि पुरानी बसों को बदलने, बस स्टैंड/शैल्टर के निर्माण, कार्यशालाओं आदि के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित किए गए है। नगर विमानन के लिये 0.94 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान है।

पर्यटन

9.23 वर्तमान पर्यटन स्थलों में पर्यटन सुविधओं के प्रसार के लिये 22 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें जिला/उप–मंडल मुख्यालयों में मुख्य राजमार्गों के साथ लगने वाले पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

विकेन्द्रीकृत/जिला योजना

9.24 294.41 करोड़ रूपये की राशि राज्य में "जिला योजना हेतू" निर्धारित किए गए जिसे स्थानीय प्रकृति के कार्यों पर व्यय किया जाऐगा।

सामान्य सेवाएं

9.25 सामान्य सेवाओं हेतू 126.74 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसे आवश्यक प्रशासनिक भवनों लघु सचिवालय तथा इससे सहबद्ध भवन तथा जेलों के लिए भवन, न्यायिक, उत्पाद शुल्क एवं कर (गैर–निवास भवन), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) भवनों, विश्राम गृहों, खजाना एंव लेखा भवनों एवं सत्कार भवनों पर व्यय किया जाऐगा।

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.26 436.37 करोड़ रूपये की राशि बिजली विभाग के विभिन्न बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतू निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जाति उप–योजना (एस.सी.एस.पी.)

9.27 वर्ष 2012–13 का अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए शुद्ध वार्षिक राज्य योजना 2,843.34 करोड़ रूपये (19.61 प्रतिशत) निर्धारण किया गया जो कि राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.35 प्रतिशत के अनुपात में है।

आर्थिक प्रात्साहन पैकेज

9.28 आधारभूत ढांचे के विकास हेतू एक विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण किया गया जो कि वार्षिक योजना 2012–13 के लिए 473 करोड़ रूपये है। इस परिव्यय को उन प्रौजेक्टस के लिए प्रयोग मे लाया जाएगा जिनका कार्य तुरन्त प्रभाव से किया जाना है जैसे कि जिला अस्पतालों की संख्या में बढ़ौतरी, नएं चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति में वृद्धि, समाज के अलाभकारी भागों के लिए विशेष सुविधा संस्थानों की स्थापना, जल स्त्रोतों के संग्रहण, औद्योगिक श्रमिकों के लिए निवास स्थान की सुविधा एवं नए जिलों मेवात तथा पलवल के लिए आफिस तथा रहने के लिए निवास ग्रहों का निर्माण आदि।

13वें वित्त आयोग

9.29 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अर्न्तगत 638.82 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न प्रकार के प्रौजैक्टस के लिए रखी गयी जिसमें 75 करोड़ रूपये की राशि मेवात क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई। इस अनुदान का विवरण **तालिका 9.3** में दिया गया है।

तालिका 9.3– 13वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान का विवरण

		(करोड़ रूपये)
क.	1. वन	2.20
	2. पंचायत (पी.आर.आई.)	231.26
	3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी (यू.आई.डी.के लिए)	6.42
	4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	10.50
	5. प्रारम्भिक शिक्षा	46.00
	6. स्वास्थ्य सेवाएं	50.00
	7. जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	75.00
	8. पुलिस हाउसिंग	25.00
	9. शहरी विकास	117.44
	कुल	**563.82**
ख	मेवात का विकास	
	1. जन स्वास्थ्य	25.00
	2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	25.00
	3. स्वास्थ्य	25.00
	कुल	**75.00**
	कुल (क+ख)	**638.82**

***

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

मदें	2009–10	2010–11	2011–12(स.अ.)	2012–13(ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**20992.66**	**25563.68**	**33487.63**	**37327.97**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	15960.90	20211.31	25538.06	28677.82
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से viii)	13219.50	16790.37	21015.46	23873.28
i) भू –राजस्व	9.43	10.02	14.66	15.28
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	2059.02	2365.81	2800.00	3000.00
iii) बिक्री कर	9032.37	11082.01	14100.00	16450.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	277.07	457.36	700.00	750.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	1293.56	2319.28	2800.00	3000.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	391.45	387.14	410.00	450.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	119.58	130.27	145.00	160.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	37.02	38.48	45.80	48.00
आ) राज्य का अपना कर– भिन्न राजस्व (i से v)	2741.40	3420.94	4522.60	4804.54
i) ब्याज प्राप्तियां	667.89	689.34	899.59	1080.04
ii) लाभांश तथा लाभ	9.60	2.48	9.42	9.31
iii) सामान्य सेवाएं	271.80	216.34	283.14	292.40
iv) सामाजिक सेवाएं	502.31	1363.56	1580.16	1729.44
v) आर्थिक सेवाएं	1289.80	1149.22	1750.29	1693.35
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	5031.76	5352.37	7949.57	8650.15
इ) केन्द्रीय करों का भाग*	1774.47	2301.75	2765.11	3179.90
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	3257.29	3050.62	5184.46	5470.25
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**5931.63**	**6112.69**	**6423.71**	**7380.50**
i) कर्जे की प्राप्तियां	212.84	233.05	300.97	374.42
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.39	8.00	17.47	19.72
iii) लोक ऋण (निवल)	5709.40	5871.64	6105.27	6986.36
कुल प्राप्तियां (1+2)	**26924.29**	**31676.37**	**39911.34**	**44708.47**

स.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* केन्द्र द्वारा राज्य को समनुदेशित निवल का भाग जो "वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" शीर्ष में दिया गया है वह राज्य के अपने कर राजस्व के बजाय केन्द्रीय करों के भाग में सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(₹ करोड़ में)

मदें	2009–10	2010–11	2011–12 (स.अ.)	2012–13 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**25257.38**	**28310.19**	**36049.25**	**39783.52**
क) विकासात्मक (i+ii)	17432.13	18900.81	25055.70	27282.54
i) सामाजिक सेवाएं	9902.22	10904.08	14869.71	15934.80
ii) आर्थिक सेवाएं	7529.91	7996.73	10185.99	11347.74
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	7755.34	9328.14	10829.31	12331.44
i) राज्य की विधाएं	296.76	367.63	507.38	500.78
ii)वित्तीय सेवाएं	231.58	249.82	260.01	274.29
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	2809.01	3424.24	4495.45	5476.79
iv) प्रशासनिक सेवाएं	2026.85	2191.18	2315.31	2608.20
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	2391.14	3095.27	3251.16	3471.38
ग) अन्य*	69.91	81.24	164.24	169.54
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड.)	**6048.17**	**4752.97**	**5438.52**	**5535.41**
घ) विकासात्मक (iसे ii)	5745.89	4454.70	5008.95	5121.82
i) सामाजिक सेवाएं	1562.31	1565.80	1880.89	2027.04
ii) आर्थिक सेवाएं	4183.58	2888.90	3128.06	3094.78
ड़) गैरविकासात्मक (iसे ii)	302.28	298.27	429.57	413.59
i) सामान्य सेवाएं	187.37	198.94	255.24	228.01
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	114.91	99.33	174.33	185.58
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**31305.55**	**33063.16**	**41487.77**	**45318.93**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**23178.02**	**23355.51**	**30064.65**	**32404.36**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख +ड़)	**8057.62**	**9626.41**	**11258.88**	**12745.03**
6. अन्य* (ग)	**69.91**	**81.24**	**164.24**	**169.54**

स.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

मदें	2009–10	2010–11	2011–12(स.अ.)	2012–13(ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-) 602.85	(-) 1131.66	(-) 1775.85	(-) 1418.14
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-) 602.41	(-) 1124.41	(-) 1771.03	(-) 1413.32
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	20992.66	25563.68	33487.63	37327.97
ख) खर्च	25257.38	28310.19	36049.25	39783.52
ग) अधिशेष/घाटा	(-) 4264.72	(-) 2746.51	(-) 2561.62	(-) 2455.55
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.39	8.00	17.47	19.72
4. पूंजीगत परिव्यय	5218.48	4031.10	4695.34	4661.31
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	8455.37	10513.20	14060.94	16207.44
ख) पुनः अदायगी	2745.97	4641.56	7955.67	9221.08
ग) निवल	(+) 5709.40	(+) 5871.64	(+) 6105.27	(+) 6986.36
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	829.69	721.87	743.18	874.10
ख) वसूलियां	212.84	233.05	300.97	374.42
ग) निवल	(-) 616.85	(-) 488.82	(-) 442.21	(-) 499.68
7. अर्न्तराज्य समायोजन	–	–	–	–
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	–	190.00	–	–
9. आकस्मिक निधि (निवल)	–	(+) 190.00	–	–
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	(+)861.92	(+) 747.80	(+) 941.00	(+) 1041.68
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	(+) 3273.49	(-)310.28	(+) 884.31	(-) 125.18
12. प्रेषण (निवल)	(-) 282.96	(+) 305.08	(+) 108.83	(+) 119.72
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(-) 528.81	(-) 644.19	(+) 357.71	(+) 425.76
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-) 1131.66	(-) 1775.85	(-) 1418.14	(-) 992.38
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-) 1124.41	(-) 1771.03	(-) 1413.32	(-) 987.56

स.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(₹ करोड़ में)

मदें	2009–10	2010–11	2011–12 (स.अ.)	2012–13 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
I प्रशासकीय विभाग (1से 7)	**27584.68**	**30426.31**	**38144.43**	**42353.22**
1. उपभोग व्यय (i+ii)	11703.60	13159.02	15098.44	17059.71
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	10291.79	11710.09	12709.06	14976.10
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव	1411.81	1448.93	2389.38	2083.61
2. चालू हस्तांतरण*	10135.08	12020.03	15097.47	16989.65
3. सकल पूंजी निर्माण	2734.09	2636.94	3451.05	3689.56
4. पूंजीगत हस्तांतरण	1257.63	1207.95	2772.52	2798.37
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	912.41	661.28	948.34	915.96
6. कर्ज (अग्रिम)	829.69	721.87	743.18	874.09
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	12.18	19.22	33.43	25.88
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**2821.28**	**3104.97**	**3540.52**	**3774.65**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	730.51	402.78	865.05	996.28
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	827.41	1453.68	1551.52	1648.20
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	32.23	32.94	31.95	33.98
4. ब्याज	362.80	403.95	379.71	399.96
5. सकल पूंजी निर्माण	837.16	791.79	694.79	683.73
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	31.17	19.83	17.50	12.50
कुल व्यय (I+II)	**30405.96**	**33531.28**	**41684.95**	**46127.87**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 2.5–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की उपलब्धि

(लाख रूपये)

क्र0सं0	क्षेत्र व स्कीम	वर्ष 2012–13 के लक्ष्य	उपलब्धियॉ 1.4.12 से 31.12.12
1	लघु सिंचाई	17500.00	5675.78
2	कृषि मशीनीकरण	2000.00	459.54
3	भूमि विकास	7000.00	3014.99
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	3000.00	875.95
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	5000.00	1392.90
6	ग्रामीण आवास योजना	3000.00	620.80
7	गैर कृषि क्षेत्र	3500.00	1164.55
8	भूमि खरीदने हेतू	1000.00	162.32
9	ग्रामीण भण्डारण	500.00	23.49
10	अन्य	2500.00	731.68
	कुल	**45000.00**	**14121.98**

अनुलग्नक 2.6–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए नियोजित ऋण वितरण योजना

(लाख रूपये)

क्र0 सं0	योजना का नाम	2013–14 के लिए लैंडिग प्रौजेक्शन
1	लघु सिंचाई	19500.00
2	कृषि मशीनीकरण	2200.00
3	भूमि विकास	7700.00
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	3300.00
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	5500.00
6	ग्रामीण आवास योजना	3500.00
7	गैर कृषि क्षेत्र	3900.00
8	भूमि खरीदने हेतु	1100.00
9	ग्रामीण गोदाम	550.00
10	अन्य	2750.00
	कुल	**50000.00**

अनुलग्नक 2.7–हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड. में)

क्रं0 स0	विवरण	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 (दिस.,12 तक)
1	हिस्सा पूंजी	69.33	72.04	72.33	79.18	101.74	112.51
2	निजि कोष	447.47	449.00	426.03	456.28	494.64	505.03
3	अमानतें	1362.58	1723.72	1935.17	2025.21	2130.90	2454.02
4	उधार राशि	2156.60	1751.74	1951.23	2528.91	3404.41	3385.61
5	ऋण दिये	3026.54	3227.40	3332.86	3764.48	4676.69	3661.57
6	बकाया ऋण	3124.16	2800.00	2988.77	3738.89	4515.33	4586.36
7	लाभ/हानि	4.91	10.61	–17.94	5.01	18.69	-
8	वसूली प्रतिशत	99.76	97.75	99.93	99.94	99.95	-
9	अतिदेय व ऋण अनुपात	0.23	2.63	0.07	0.06	0.05	-
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	-
11	कार्य. पूंजी	4005.66	3952.79	4360.21	5051.04	6070.63	6585.98

अनुलग्नक 2.8–केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार दिए गए अग्रिम ऋण

खरीफ फसल (रूपये करोड़ में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2005–06	2120.00	112.00	2232.00	2020.09	94.91	2115.00
2006–07	2815.00	150.00	2965.00	2198.03	102.83	2300.86
2007–08	2636.00	126.00	2762.00	2274.41	116.58	2390.99
2008–09	2732.00	143.00	2875.00	737.18	49.29	780.47
2009–10	2805.00	145.00	2950.00	1800.15	94.51	1894.66
2010–11	2820.00	150.00	2970.00	2202.64	99.23	2301.87
2011–12	2898.00	157.00	3055.00	2739.13	139.19	2878.32
2012–13	3134.00	166.00	3300.00	3273.76	172.06	3445.73
रबी फसल						
सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2005–06	2330.00	270.00	2600.00	2079.52	195.36	2274.88
2006–07	2725.00	275.00	3000.00	2038.31	168.50	2206.81
2007–08	2550.00	210.00	2760.00	2117.61	226.22	2343.83
2008–09	2330.00	250.00	2580.00	1870.72	159.70	2030.52
2009–10	2560.00	261.00	2830.00	2141.93	167.78	2309.71
2010–11	2700.00	265.00	2965.00	2662.14	174.38	2836.52
2011–12	2927.00	273.00	3200.00	3041.42	198.09	3229.51
2012–13	3375.00	275.00	3650.00	1755.46	144.49	1900.39 (31.12.12 तक)

अनुलग्नक 2.9–हरको बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज की दर

क्रं0स0	ऋणों के प्रकार	ब्याज की दर (प्रतिशत में)			
		नाबार्ड से एस.सी.बी.	अपैक्स बैंक से सी.सी.बी. को	सी.सी.बी. से पी.ए.सी.एस.	पी.ए.सी.एस. सदस्यों को
I	फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड	4.50	5.00	5.50	7.00
II	व्यवसायिक तथा अन्य प्रयोजन	–	9.00	–	–
III	ग्रामीण कारीगरी (स्वाम्तिव कोष)	–	9.00	–	–
IV	रिवोलविंग नकद ऋण योजना	–	9.25	–	–
V	एस.टी.एल. उर्वरक	–	9.00	–	–
VI	**गैर कृषि वित्त योजना**	**नाबार्ड से अपैक्स बैंक**	**अपैक्स बैंक से सी.सी.बी को**		
क)	लघु सिंचाई, एस.जी.एस.वाई.,एस. एच.जी.एस.,एस.सी./एस.टी. एक्शन प्लान, सूखी भूमि खेती	10.00	10.50		
ख)	ग्रामीण गोदाम	10.00	10.50		
ग)	एन.एफ.एफ. (ए.आर.एफ.)	10.00	10.50		

अनुलग्लक 2.10–केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वर्ष 2012–13 के लिए आगामी प्रोजैक्शन

(रूपये करोड़)

क्रं0स0	विवरण	वर्ष 2012–13 के अनुमान
1.	निजि कोष	872.77
क.	हिस्सा पूंजी	398.65
2.	उधार ऋण	4465.40
3.	अमानते	6500.00
4.	दिये गये ऋण	9300.00
5.	बकाया ऋण	8563.42
6.	लाभ	167.39
7.	वसूली प्रतिशत में	77.26
8.	निवेश	2600.60
9.	कार्यशील पूंजी	10919.00

अनुलंग्नक 4.1–कृषि सूचकांक

(आधार वर्ष त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)

वर्ष	क्षेत्र	औसत उपज	पैदावार
1	2	3	4
2001-02	119.16	153.80	220.71
2002-03	112.46	191.16	214.98
2003-04	119.21	200.88	239.47
2004-05	120.57	201.55	243.01
2005-06	122.07	187.94	229.42
2006-07	119.61	216.91	259.45
2007-08	119.16	215.28	256.53
2008-09	120.66	225.23	271.76
2009-10	120.30	217.36	261.48
2010-11	123.57	225.68	278.87
2011-12 (अ)	120.70	243.32	293.69

अः अनन्तिम प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

नोटः– सूचकांक 20 चूनीदा फसलों पर आधारित है।

अनुलंग्नक 4.2–फसलवार कृषि उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)

वर्ष	अनाज खाद्यान्न	कुल खाद्यान्न	तेल के बीज	रेशेदार फसलें	विविध फसलें	कुल अखाद्यान्न	सभी फसलें
1	2	3	4	5	6	7	8
2001-02	249.82	218.73	585.83	130.18	171.19	225.73	220.71
2002-03	233.08	201.25	512.82	194.66	195.47	249.79	214.98
2003-04	247.41	215.79	706.51	255.99	174.29	299.54	239.47
2004-05	244.25	212.84	603.91	370.92	151.25	319.53	243.01
2005-06	243.23	211.31	580.25	263.35	161.16	275.36	229.42
2006-07	276.39	240.41	589.30	314.83	184.34	307.74	259.45
2007-08	286.85	247.91	438.77	322.33	168.68	278.38	256.53
2008-09	303.62	264.96	657.77	312.00	113.89	289.02	271.76
2009-10	289.98	251.93	623.38	323.08	118.29	293.03	261.48
2010-11	317.12	272.55	691.43	292.85	131.50	293.28	278.87
2011-12(अ)	325.26	277.92	494.75	485.55	130.44	356.30	293.69

अः अनन्तिम प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

नोटः– सूचकांक 20 चूनीदा फसलों पर आधारित है।

अनुलग्नक 4.3–मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूँ	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1966–67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970–71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980–81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990–91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000–01	2355	1054	4340	143	555	414	6115
2005–06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2006–07	2376	1042	4348	141	527	622	6407
2007–08	2461	1073	4477	140	482	511	6458
2008–09	2462	1211	4622	91	456	528	6484
2009–10	2488	1206	4541	79	505	523	6351
2010–11	2504	1243	4702	85	493	521	6357
2011–12	2522	1235	4630	95	603	553	6505
2012–13 (अ)	2505	1223	4562	107	614	621	6500

अः अनन्तिम

अनुलग्नक 4.4 मुख्य फसलों का कृषि उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहुँ	चावल	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास (000 गांठे)	गन्ना
1	3	4	2	5	6	7
1966–67	1059	223	2592	92	288	5100
1970–71	2342	460	4771	99	373	7070
1980–81	3490	1259	6036	188	643	4600
1990–91	6436	1834	9559	638	1155	7800
2000–01	9669	2695	13295	563	1383	8170
2005–06	8853	3194	13006	830	1502	8310
2006–07	10059	3371	14759	837	1805	9651
2007–08	10232	6306	15294	617	1882	8850
2008–09	11360	3299	16178	911	1862	5206
2009–10	10488	3628	15346	862	1919	5707
2010–11	11578	3465	16568	965	1747	6042
2011–12	13069	3759	18342	771	2621	6959
2012–13 (अ)	12400	3975	17760	1021	2528	7490

अः अनन्तिम

अनुलग्नक 4.5–हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूँ तथा चावल की मुख्य फसलों की औसत उपज

(किलोग्रा0 प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेंहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1	2	3	4	5
1990–91	3479	2775	2281	1740
2000–01	4106	2557	2708	1901
2005–06	3844	3051	2619	2102
2006–07	4232	3238	2708	2131
2007–08	4158	3361	2785	2203
2008–09	4614	2724	2907	2178
2009–10	4215	3008	2907	2125
2010–11	4624	2788	2238	2240
2011–12	5182	3044	उ.न.	2207
2012–13 (अ)	4950	3250	उ.न.	उ.न.

अः अनन्तिम उ.न.: उपलब्ध नहीं

अनुलग्नक 5.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–2005=100)

समूह	विवरण	भार	सूचकांक	
			2010-11	2011-12(अ.)
1	2	3	4	5
15	खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	140.5	152.8
16	तम्बाकू उत्पाद	0.55	108.6	94.5
17	वस्त्र	38.77	92.6	78.8
18	पहनने के कपड़े, ड्रैसिंग व फर की डाईंग	47.59	140.9	143.0
19	चमड़े की टेनिंग व ड्रैसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	125.9	107.6
20	लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	133.3	157.6
21	कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	93.5	112.1
22	रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	87.6	86.5
23	कोक, शुद्ध पैट्रोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	135.6	144.4
24	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	156.2	156.5
25	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	142.1	122.9
26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	125.9	136.4
27	आधारभूत धातुएं	109.70	138.5	158.6
28	फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	199.6	205.6
29	अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	169.6	205.7
30	कार्यालय, लेखा व कम्प्यूटिंग मशीनरी	4.12	150.5	216.3
31	अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व सधित्र	22.81	133.5	131.2
32	रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	180.7	190.1
33	चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	154.3	127.0
34	मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	197.5	193.7
35	अन्य परिवहन उपकरण	173.52	163.7	176.3
36	फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	72.1	72.4
	विनिर्माण	**918.22**	**159.7**	**165.9**
	विद्युत	**81.78**	**181.0**	**230.4**
	सामान्य सूचकांक	**1000.00**	**161.5**	**171.2**

अ : अनन्तिम

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.2–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–05)

वर्ष	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य सूचकांक
2005–06	107.5	116.6	108.2
2006–07	118.6	128.5	119.4
2007–08	126.3	132.9	126.8
2008–09	129.4	154.8	131.5
2009–10	144.8	176.2	147.4
2010–11	159.7	181.0	161.5
2011–12(अ)	165.9	230.4	171.2

अ : अनन्तिम प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.3–औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि (2 अंक स्तर पर)

(आधार वर्ष 2004–2005=100)

उद्योग समूह	भार	2009–10	2010–11	2011–12
विनिर्माण	918.22	12.0	10.3	3.9
वर्ष 2011–12 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
20. लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	–7.6	1.9	18.2
21. कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	–14.2	1.5	19.9
27. आधारभूत धातुएं	109.70	12.8	3.3	14.5
29. अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	9.8	14.2	21.3
30. कार्यालय, लेखा व कम्प्यूटिंग मशीनरी	4.12	–13.0	14.3	43.7
वर्ष 2011–12 के दौरान 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
15. खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	7.7	4.8	8.7
23. अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	0.25	41.7	10.7	6.4
26. कोक, शुद्ध पैट्रोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	14.70	24.0	8.3	8.3
32. रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	–15.2	17.1	5.2
35. अन्य परिवहन उपकरण	173.52	7.7	9.5	7.7
वर्ष 2011–12 के दौरान 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
18. पहनने के कपड़े, ड्रैसिंग व फर की डाईंग	47.59	3.5	3.9	1.5
24. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	16.2	9.3	0.2
28. फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	20.7	26.7	3.0
36. फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	6.2	–11.5	0.4
वर्ष 2011–12 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
16. तम्बाकू उत्पाद	0.55	–0.5	–22.7	–13.0
17. वस्त्र	38.77	8.2	–13.1	–15.0
19. चमड़े की टेनिंग व डैसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	4.9	–3.1	–14.5
22. रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	–3.8	1.4	–1.3
25. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	0.8	6.9	–13.5
31. अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	1.1	–0.2	–1.7
33.चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	8.7	14.0	–17.7
34. मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	22.3	17.7	–1.9

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 8–बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2012–13 (मास दिसम्बर, 2012 तक) की उपलब्धियां

बिन्दू/मद		ईकाई	वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां
1		2	3	4
01ए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	लाख कार्य दिवस	ल.न.	72.29
06ए	इन्दिरा आवास योजना	संख्या	19163	6752
06बी	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न वर्ग को आवास	संख्या	2075	1251
07ए03	आंशिक रुप से संतृष्त व फिर से निचले स्तर पर पहुची बसावटें	संख्या	940	429
07ए04	जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटें	संख्या	10	0
08ई	सांस्थानिक प्रसव	लाख संख्या	ल.न.	2.89
10ए	आर्थिक सहायता प्राप्त अनूसूचित जाति के परिवार	संख्या	102407	72141
12ए	स्मेकित बाल विकास परियोजना खण्ड	संचयी संख्या	148	148
12बी	क्रियाशील आंगनबाड़िंया	संचयी संख्या	25488	25296
15ए01	वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र–सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	57000	50374
15ए02	सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	संख्या लाख	370.50	388.47
17ए	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	कि0मी0	30	74
18डी	पम्पसैटों को बिजली	संख्या	19000	13487

ल.न.: लक्ष्य नहीं ।

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

अनुलग्नक 9.1—योजनाओं के अधीन परिव्यय/व्यय

(करोड़ रूपये)

योजना अवधि		अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1		2	3
वार्षिक योजनाएं	1966—69	77.11	94.14
चौथी योजना	1969—74	225.00	358.26
पांचवी योजना	1974—79	601.35	677.34
वार्षिक योजना	1979—80	219.76	202.96
छठी योजना	1980—85	1800.00	1595.47
सातवीं योजना	1985—90	2900.00	2510.64
वार्षिक योजना	1990—91	700.00	615.02
वार्षिक योजना	1991—92	765.00	699.39
आठवीं योजना	1992—97	5700.00	4899.19
नौवीं योजना	1997—02	11600.00	7986.12
दसवीं योजना	2002—07	12000.00	12979.64
ग्यारहवीं योजना 2007—12			
अनुमोदित परिव्यय		35000.00	
वार्षिक योजना 2007—08			
अनुमोदित परिव्यय		5300.00	
संशोधित परिव्यय		5500.00	5751.18
वार्षिक योजना 2008—09			
अनुमोदित परिव्यय		6650.00	
संशोधित परिव्यय		7130.00	7108.28
वार्षिक योजना 2009—10			
अनुमोदित परिव्यय		10000.00	
संशोधित परिव्यय		10400.00	9624.44
वार्षिक योजना 2010—11			
अनुमोदित परिव्यय		18260.00*	
संशोधित परिव्यय		18260.00*	15497.17
वार्षिक योजना 2011—12			
अनुमोदित परिव्यय		20358.00*	
संशोधित परिव्यय		20330.00*	16051.72
बारहवीं योजना 2012—17			
प्रस्तावित परिव्यय		176760.00*	
वार्षिक योजना 2012—13			
प्रस्तावित परिव्यय		26485.00*	

* इसमें पी0एस0यू0 तथा स्थानीय निकाय सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 9.2– मुख्य शीर्षवार 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो का आंबटन एवं वास्तविक व्यय तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना का सम्भावित व्यय

(करोड़ रूपये)

क्र0 सं0	विकास का मुख्य शीर्ष	11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12		12वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12	वार्षिक योजना 2012–13
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक परिव्यय	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमादित परिव्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	कृषि एवं सहबद्ध कार्य	1638.82 (4.68)	2544.24 (5.89)	5880.00 (6.53)	950.08 (6.55)
2	ग्रामीण विकास	1268.42 (3.62)	3037.81 (7.04)	6223.00 (6.91)	1072.59 (7.40)
3	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	127.40 (0.36)	111.88 (0.26)	202.00 (0.22)	33.00 (0.23)
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	4165.00 (11.90)	3955.81 (9.17)	7700.00 (8.55)	860.00 (5.93)
5	ऊर्जा	4713.46 (13.47)	4706.02 (10.90)	7402.00 (8.23)	1356.68 (9.36)
6	उद्योग एवं खनिज	389.52 (1.11)	444.84 (1.03)	647.00 (0.73)	87.01 (0.60)
7	परिवहन	4335.35 (12.39)	4885.97 (11.32)	9860.00 (10.96)	1465.94 (10.10)
8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	19.88 (0.06)	58.95 (0.14)	120.00 (0.22)	23.15 (0.16)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	90.34 (0.26)	101.78 (0.24)	200.00 (0.22)	31.49 (0.22)
10	विकेन्द्रीकृत योजना	1292.93 (3.69)	789.82 (1.83)	1555.00 (1.73)	294.41 (2.03)
11	समाजिक सेवाएं	16697.44 (47.71)	21940.15 (50.83)	49474.30 (54.97)	8198.91 (56.55)
12	सामान्य सेवाएं	261.44 (0.75)	583.94 (1.35)	736.70 (0.82)	126.74 (0.87)
	कुल जोड़	**35000.00 (100.00)**	**43161.21 (100.00)**	90000.00 (100.00)	**14500.00 (100.00)**

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा